FOR REFERENCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 25, अंक 35

शुक्रवार, 10 मई, 2002
20 वैशाख, 1924 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 53
Date 13/6/2003

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

## सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

# विषय-सूची

*[त्रयोदश माला, खंड 25, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]*

**अंक 35, शुक्रवार, 10 मई, 2002/20 वैशाख, 1924 (शक)**


| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 641 और 642 | 1–27 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 643 से 660 | 27–55 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 6629 से 6822 | 55–305 |
| **अध्यक्ष का निर्वाचन** | 305–309 |
| उपाध्यक्ष महोदय | 307–309 |
| **अध्यक्ष को बधाई** | 309–330 |
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | 309–311 |
| श्रीमती सोनिया गांधी | 311 |
| श्री सोमनाथ चटर्जी | 311–313 |
| श्री के. येरननायडू | 313–314 |
| श्री चन्द्रशेखर | 314 |
| श्री चन्द्रनाथ सिंह | 314–316 |
| श्री राशिद अलवी | 316–317 |
| श्री अनन्त गंगाराम गीते | 317–318 |
| श्री पी.एच. पांडियन | 318–321 |
| श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव | 321–322 |
| श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम | 322 |
| डा. सुशील कुमार इन्दौरा | 322–323 |
| कुमारी ममता बनर्जी | 323–324 |
| श्री ई. पोन्नुस्वामी | 324 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| डा. रघुवंश प्रसाद सिंह | 324-325 |
| श्री सनत कुमार मंडल | 325-326 |
| श्री अमर राय प्रधान | 326 |
| श्री अजय चक्रवर्ती | 326-327 |
| श्री पी.सी. थामस | 327-328 |
| श्री रामदास आठवले | 328-329 |
| श्री अब्दुल रशीद शाहीन | 329 |
| श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन | 330 |
| **अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों का आभार प्रकट किया जाना** | 330-333 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 333-340 |
| **विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति** | 341 |
| **सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति** | |
| नौवां प्रतिवेदन | 341 |
| **सभा का कार्य** | 341-345 |
| **दिल्ली नगर निगम (विद्युत कर विधिमान्यकरण) अधिनियम और अन्य विधियां (निरसन) विधेयक**—*पुरःस्थापित* | 345 |
| **विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक**—*पारित* | 346-366 |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | 346 |
| श्री अरुण जेटली | 346-348, 361-366 |
| श्री पवन कुमार बंसल | 348-352 |
| डा. रघुवंश प्रसाद सिंह | 352-355 |
| प्रो. रासासिंह रावत | 355-356 |
| श्री वरकला राधाकृष्णन | 357-361 |
| खंड 2 से 6 और 1 | 366 |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | 366 |
| **गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प** | |
| पिछड़े लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए नीति बनाना | 367-414 |
| श्री पुन्नू लाल मोहले | 367-374 |
| श्री प्रियरंजन दासमुंशी | 374-384 |

**विषय** **कॉलम**


श्री अनादि साहू ........................................ 383-386

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी ........................................ 386-387

श्री अधीर चौधरी ........................................ 387-390

श्री सुरेश रामराव जाधव ........................................ 391-393

श्री के.पी. सिंह देव ........................................ 393-397

श्री खारबेल स्वाइं ........................................ 398-401

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ........................................ 401-406

चौ. तालिब हुसैन ........................................ 406-408

श्री थावरचन्द गेहलोत ........................................ 408-412

श्री सुबोध राय ........................................ 412-413

## लोक सभा

---

**शुक्रवार, 10 मई, 2002/20 वैशाख, 1924 (शक)**

---

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

**[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]**

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): महोदय, भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। वे साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक को पारित किए जाने का विरोध कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न काल है। प्रश्न संख्या 641 ।

*...(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : इससे संगठन कमजोर होगा। कर्मचारी आज पड़ताल पर हैं। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न काल है। आज प्रश्न काल होने दीजिए। मैं पिछले दो दिनों से अनुपस्थित था।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या 641, श्री अधीर चौधरी।

---

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[अनुवाद]*

### काले धन की जब्ती

***641. श्री अधीर चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार काले धन की तलाशी और जब्ती से संबंधित कानूनों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काले धन के सृजन में वृद्धि हो रही है और केन्द्र सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए उठाए गए कदम प्रभावी नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में काले धन की वृद्धि पर रोक लगाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन)**: (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के मौजूदा उपबंधों में काले धन की वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए अनेक उपायों की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) अर्थव्यवस्था में काले धन के सृजन की मात्रा के संबंध में कोई सरकारी आकलन उपलब्ध नहीं हैं। काले धन की रोकथाम करने और इसकी वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने तथा प्रवर्तन संबंधी विभिन्न उपायों में तेजी लाने के लिए एक दो-स्तरीय नीति अपना रही है।

स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने संबंधी उपायों में कर दरों को उत्तरोत्तर रूप से युक्तिसंगत बनाना; ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों के लिए परिकल्पित कराधान योजना सहित कर कानूनों का सरलीकरण, 4989 शहरी केन्द्रों में छः में से एक योजना लागू करके कर आधार को व्यापक बनाने पर बल देना; सम्पत्ति की पूर्व-क्रयाधिकार खरीद के उपबंधों को समाप्त करना तथा संवीक्षा के लिए मामलों की संख्या में कमी करना; विवरणियों की समीक्षा में प्रथम-दृष्ट्या समायोजनों को समाप्त करना तथा विवरणियों की समीक्षा और कर निर्धारणों को पुनः खोलने के लिए समय सीमा में कमी करना जैसे अनेक अन्य करदाता अनुकूल उपायों को लागू करना शामिल है।

प्रवर्तन उपायों में तलाशी और जब्ती कार्रवाइयां और सर्वेक्षण शामिल हैं, जहां कहीं लेखा बाह्यः धनराशि को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है; कतिपय उच्च मूल्य के लेनदेनों के संबंध में स्थायी खाता संख्या का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना तथा उसकी मानिटरिंग करना; नकद लेनदेनों पर प्रतिबंध लगाना; विनिर्दिष्ट मामलों में अनिवार्य अनुरक्षण एवं खातों की लेखा परीक्षा और आयकर विभाग की कार्य-प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण जिसमें

बड़ी कीमत के वित्तीय लेनदेनों के संबंध में डाटाबैंक का सृजन शामिल है।

**श्री अधीर चौधरी** : महोदय, वित्त मंत्री जी ने जल्दबाजी में सभा पटल पर विवरण रख दिया है जो काले धन के बढ़ते हुए खतरे को बहुत कम आंकने का एकदम स्पष्ट मामला है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में काला धन हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत के बराबर है जोकि 7 लाख करोड़ रुपये बैठता है जबकि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का मात्र 26.8 प्रतिशत योगदान है। पश्चिमी देशों के विपरीत, भारत में 32 प्रतिशत काला धन वैध से प्राप्त होता है जिसका वर्णन किया जा सकता है और आठ प्रतिशत काला धन अवैध गतिविधियों से प्राप्त होता है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। काले धन के एक बड़े भाग का सृजन तीसरे क्षेत्र में होता है और बड़ी मात्रा में संचित काला धन हमारी आबादी के तीन प्रतिशत लोगों के हाथ में है। हम जानते हैं कि इसमें कारक आय तो शामिल होती है लेकिन अंतरण आय शामिल नहीं होती। इसलिए, मैं तो यह समझता हूं कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां पर्याप्त और इतनी सक्षम नहीं हैं कि वे काले धन पर रोक लगा सकें।

मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि (क) क्या बड़ी मात्रा में संचित काले धन को बाहर निकालने के लिए आप कोई सर्वक्षमा तंत्र तैयार करने और उच्च मूल्य वर्ग की मुद्रा का विमुद्रीकरण करने पर विचार कर रहे हैं? (ख) क्या आपने अपने बजट घाटे पर काले धन के प्रभाव का पता लगाया है? (ग) और आप काले धन की बात को किस तरह से लेते हैं - क्या यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वरदान है या अभिशाप है?

**श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : आयकर विभाग के राजस्व विभाग की ओर से काला धन अर्जित करने संबंधी कार्यों पर रोक लगाने के लिए हमने कई स्तरों पर पर्याप्त प्रावधान किए हैं। आतंकवादी गतिविधियों तथा अन्य कार्यों के लिए जाने वाले काले धन पर रोक लगाने के लिए सरकार के पास भी कई प्रवर्तन एजेंसियां हैं। काला धन अवैध ढंग से प्राप्त किया जाता है और आयकर विभाग की ओर से सभी प्रकार की कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाती है।

माननीय सदस्य ने कई सांख्यिकीय रिपोर्टों को उद्धृत किया है। राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान ने यह अनुमान लगाया था कि 1983-84 में 31,584 करोड़ रुपये का काला धन बाजार में था।

**श्री अधीर चौधरी** : इस समय क्या स्थिति है?

**श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : मैं उस बात पर आऊंगा।

इससे पूर्व हमारे राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान ने अध्ययन करके यह अनुमान लगाया था, कि यह 31584 करोड़ रुपये से 31786 करोड़ रुपये तक है। ये आंकड़े विभिन्न अनुमानों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। पूर्ण तथ्यों के आधार पर उन पर चर्चा की गई है। इस बारे में कई शंकाएं हैं। 1995-96 के दौरान, कुछ अन्य गैर-सरकारी अर्थशास्त्रियों ने 487185 करोड़ रुपये के काले धन का अनुमान लगाया है जो सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत है। यह उनके अनुमान हैं लेकिन ये सभी अनुमान पूर्ण तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। ऐसे अनेक संगठित और असंगठित क्षेत्र हैं जो सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दे रहे हैं।

इस बात का पता लगाना संभव नहीं है कि भारत में बाजार में कितना काला धन है। इसलिए हम काले धन को रोकने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। हमने दो-स्तरीय कार्यवाही तेज की है। हम आयकर दरों में कमी करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले यह 40 प्रतिशत थी और अब हमने घटाकर इसे 30 प्रतिशत कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि करदाता सरकार के अनुरोध को मान सकते हैं। हमने न केवल 30 प्रतिशत दर निर्धारित की है अपितु कर संबंधी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया है। केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसी ने तलाशी और जब्ती भी की है। इससे पहले कर निर्धारण को पुन: खोलने के लिए समय सीमा 10 वर्ष तक थी। अब हमने इसे घटाकर छह वर्ष कर दिया है। ऐसे कार्यों का परिणाम यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कर देते हैं। सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाये जाने के कारण बाजार में काला धन कम हुआ है और इसकी बजाय लोग सरकार को स्वेच्छा से कर दे रहे हैं।

माननीय सदस्य ने जमाखोरों को कोई छूट देने अथवा उनके लिए कोई विशेष योजना बनाने का भी सुझाव दिया है। सरकार की ओर से, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इस प्रकार की प्रकटीकरण योजना पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे ईमानदार करदाताओं के लिए हानिकारक है। कुछ बेईमान लोगों को छोड़कर सारे करदाता नियमित रूप से कर दे रहे हैं। हम काले धन पर रोक लगाने के लिए यथासमय कठोर उपाय कर रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : एक अनुपूरक प्रश्न पूछने में सात-आठ मिनट लग गये हैं। प्रश्न भी बहुत लंबा पूछा गया था और उसका उत्तर भी बहुत ही लंबा है।

**श्री अधीर चौधरी** : महोदय, माननीय मंत्री जी ने पूर्णत: सही उत्तर नहीं दिया है। राष्ट्रीय आय की सीमा से परे काला धन निवेश करने से केवल नकारात्मक विकास ही होता है और रोजगार

की स्थिति भी बदतर होती है। भारत में निवेश और बचत काले धन के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं और काले धन की खपत में वृद्धि के साथ काले धन के निवेश में वृद्धि से विदेशी मुद्रा की मांग की और बढ़ सकती है जिसके परिणामस्वरूप क्या आप ऐसा समझते हैं कि इससे भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो सकता है? बेनामी प्रतिषेध अधिनियम, 1998 का पहले ही उल्लेख नहीं किया गया है। क्या मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछ सकता हूँ कि क्या वह संचित किये गये अत्यधिक काले धन का पता लगाने के लिए 'पोटा' के समान कोई उपाय खोज रहे हैं। क्या आपने तहलका अथवा ताबूत घोटाले जैसे काले धन के सृजन के मुख्य कारणों का पता लगाया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सही उत्तर दें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न बहुत छोटा है इसलिए इसका उत्तर भी इतना ही छोटा होना चाहिए।

**श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिए हैं। हम भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाते समय उन सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय** : महोदय, भारत में पिछले कई वर्षों से काले धन पर आधारित अर्थव्यवस्था भी चल रही है। कुछ खास बड़े औद्योगिक घराने भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। उनके पास अत्यधिक बेहिसाब धनराशि है जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को कई बार खतरा उत्पन्न हुआ है। वित्तीय घाटा इतना बढ़ गया है कि अब इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। कई स्वैच्छिक घोषणा योजनाओं की घोषणा की गई और उनें से कुछेक योजनाओं को सफलता भी मिली लेकिन वे वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पाई। हमें आशंका है कि यह काला धन हमारे देश के विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

हमने कई बार यह प्रश्न पूछा कि वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को उद्योगपति लूट रहे हैं। वे ऋण को लौटा नहीं रहे हैं जो कि एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है। बैंक गोपनीयता अधिनियम है और संभवत इसी के कारण इन चूककर्त्ताओं के नाम सूचीबद्ध नहीं किए जा रहे हैं और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। बैंक गोपनीयता अधिनियम को समाप्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए और उन दोषी लोगों के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाने चाहिए जो वास्तव में काले धन का धंधा कर रहे हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनका नाम काली सूची में डालने और उनके नामों की घोषणा करने की इच्छुक है ताकि लोगों को भी उनके बारे में पता चल सके।

**श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी, मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

महोदय, हम काले धन को कर के दायरे में लाने के लिए कई उपाय कर रहे हैं। हम 'हवाला' संबंधी कार्यों पर रोक लगाने के लिए धन शोधन निवारण विधेयक पहले ही ला चुके हैं जिसके माध्यम से लोग विदेशी धन भारत लाते हैं। वे मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और कई अन्य गैर-कानूनी कार्यों जैसे विभिन्न स्रोतों से अवैध धन भी अर्जित करते हैं। इस प्रकार के धन का पता लगाने के लिए हम धन शोधन निवारण विधेयक लाये हैं जो संसद के समक्ष लंबित पड़ा है। इसे लोक सभा में तो पारित कर दिया गया है लेकिन राज्य सभा में यह लंबित पड़ा है। अपनी ओर से हमने अपनी प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से कई उपाय किए हैं। मैं कुछेक सफल मामलों को उद्धृत करना चाहता हूं। 1997-98 के दौरान हमने निगमित क्षेत्र और अलग-अलग व्यक्तियों को 3653 वारंट जारी किए थे। उसी वर्ष हमने 306.85 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति जब्त की। 1998-99 में हमने 5746 वारंट जारी किए और 300.54 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति जब्त की। 1999-2000 में हमने 5670 वारंट जारी किए और 412.85 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति जब्त की। 2000-01 में हमने 5321 वारंट जारी किए और 512.36 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति जब्त की।

31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के दौरान 4358 वारंट जारी किए गए तथा 343.42 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गयी।

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय** : वारंट जारी किए गए हैं। परन्तु कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है अथवा कितनों के ऊपर मुकदमा चलाया गया है? वास्तव में उनका क्या हुआ है? क्या उन्हें कोई उल्लेखनीय दंड दिया गया है अथवा नहीं?

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, क्या आपके पास गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े हैं? यदि नहीं, तो आप बाद में इसे लिखित रूप में संबंधित सदस्य को दे सकते हैं।

**श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : मेरे पास आंकड़े हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान, 801 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, 93 व्यक्तियों को दोष सिद्ध किया गया और 143 व्यक्तियों को प्रशमनित किया गया; इस प्रकार दोषसिद्ध किये गये और प्रशमनित किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या 236 थी। 1998-99 में 184 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया; 77 व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया गया और 184 व्यक्तियों को प्रशमनित किया गया, इस प्रकार इनकी कुल संख्या 261 रही।

इसी प्रकार, 1999-2000 में 343 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया 14 व्यक्तियों को दोषीसिद्ध किया गया और 128 व्यक्तियों को प्रशमनित किया गया; उनकी कुल संख्या 142 रही।

वर्ष 2000-01 में, 235 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया; 20 व्यक्तियों को दोषीसिद्ध किया गया और 279 व्यक्तियों को प्रशमनित किया गया, इस प्रकार कुल संख्या 299 रही। इस वर्ष, वर्ष 2001-02 के अंत तक 38 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, पांच व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया गया और आठ व्यक्तियों को प्रशमनित किया गया, इस प्रकार कुल संख्या 13 रही।

मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करदाताओं की इच्छानुकूल काले धन को रोकने के उद्देश्य से कठोर उपाय करने के पश्चात् हम वसूली प्रक्रिया के सरलीकरण, कर में कमी और अनेक अन्य प्रावधानों के माध्यम से कर के रूप में और अधिक धन प्राप्त कर रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपका उत्तर काफी लम्बा है।

**श्री अजय चक्रवर्ती** : काफी लम्बा उत्तर ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि यह संक्षिप्त होता तो आप कहते कि उत्तर काफी संक्षिप्त है।

*...(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य इस बारे में है कि काले धन की कैसे वसूली की जाए। यह पर्याप्त नहीं है। अभी-अभी, उन्होंने कुछ आंकड़ों को पढ़ा है जो यह दर्शाते हैं कि जितने काले धन की वसूली की गयी है वह हमारे देश में परिचालन में काले धन की मात्रा से काफी कम है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि वर्तमान अधिनियम पर्याप्त और प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का विचार एक कठोर कानून बनाने का है ताकि काले धन जो कि हमारे देश में समानांतर अर्थव्यवस्था है, में वृद्धि को रोका जा सके तथा इसकी शीघ्र वसूली भी की जा सके।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल सीधा प्रश्न है - क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई नया कानून है अथवा नहीं।

**श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, हमारे पास काला धन रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। वे हैं - स्वैच्छिक अनुपालन, अनेक एजेंसियों के माध्यम से तलाशी और जब्ती तथा अन्य कार्य।

**श्री पवन कुमार बंसल** : माननीय मंत्री ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में विभाग द्वारा दी गई पहल तथा छः में से एक योजना को व्यापक बनाने का उल्लेख किया है। पंजाब में हाल का अनुभव बताता है कि सरकारी नौकरियां बेचकर प्राप्त किये गये करोड़ों रुपये के धन को छिपाने के लिए बैंक लॉकरों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे 'छः में से एक' योजना में बैंक लॉकर को भी आवश्यकता के रूप में शामिल करेंगे जिससे बैंक लॉकर रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए रिटर्न भरना बाध्यकारी होगा। प्रायः हम यह पाते हैं कि अन्य लोगों के नाम लिए गए लॉकर का प्रयोग अवैध रूप से अर्जित धन को छिपाने के लिए किया जाता है।

मैं माननीय मंत्री से यह भी जाना चाहता हूं कि क्या बैंक लॉकर लेने वाले व्यक्ति के लिए भी 'पैन' का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

**श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : माननीय सदस्य ने 'छः में से एक' योजना में बैंक लॉकरों को एक आवश्यकता के रूप में शामिल करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं।

हम निर्णय लेने के वक्त इस सुझाव को ध्यान में रखेंगे। जहां तक 'पैन' का संबंध है, हमने पहले ही 'पैन' का उल्लेख करना अनिवार्य बना दिया है।

**श्री पवन कुमार बंसल** : आप यह नहीं कहें कि आप इसे दिमाग में रखेंगे। आप हमें यह बतायें कि आप इसे करेंगे।

**श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : जहां तक 'पैन' का सम्बन्ध है, हमने निम्नलिखित खास लेनदेनों में 'पैन' का उल्लेख करना अनिवार्य बनाया है:

(क) पांच लाख अथवा इससे अधिक कीमत की किसी अचल संपत्ति की खरीद अथवा बिक्री।

(ख) खास विशिष्ट श्रेणियों की मोटर गाड़ियों की बिक्री अथवा खरीद।

(ग) किसी बैंकिंग कंपनी में 50,000 रुपये से अधिक का सावधिक जमा।

(घ) डाकघर बचत बैंक में किसी भी खाते में 50,000 रु. से अधिक का जमा।

(ङ) प्रतिभूतियों की बिक्री अथवा खरीद के लिए 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संविदा।

(च) बैंक में खाता खोलना।

(छ) सेल्यूलर टेलीफोन कनेक्शन तथा टेलीफोन लगवाने हेतु आवेदन देना।

(ज) होटल और भोजनालयों को उनके बिल के लिए किसी एक समय पर 25,000 रुपये से अधिक का भुगतान।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, उन्होंने बैंक लॉकरों के बारे में प्रश्न पूछा है। उन्होंने जो कुछ पढ़ा वह हमें पता है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इनकी घोषणा की थी ...*(व्यवधान)*

**श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : मैंने बैंक लॉकर के बारे में उनके प्रश्न का जवाब दे दिया है कि जब हम कोई निर्णय लेंगे उस वक्त इसका ध्यान रखेंगे। ...*(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल** : यदि कोई व्यक्ति एक बैंक लॉकर खोलना अथवा भाड़े पर लेना चाहता है तो क्या आप उसके लिए 'पैन' देना अनिवार्य बनाएंगे अथवा नहीं क्योंकि सिर्फ धनी लोग ही बैंक लॉकर के लिए आवेदन करेंगे, अन्य नहीं?

**श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : आपने यह प्रश्न पूछा है। हम निर्णय लेते समय उचित समय पर इस पर गौर करेंगे। ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : इस प्रकार, आपने कोई निर्णय नहीं लिया है तथा आप कोई निर्णय लेने नहीं जा रहे हैं। यह क्या है?

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब, प्रश्न यह है कि क्या सरकार का विचार कानून में संशोधन करने का है अथवा नहीं।

...*(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल** : एक व्यक्ति जिसे टेलीफोन लगवाना है उसे रिटर्न भरना पड़ेगा। एक व्यक्ति जिसे लॉकर सुविधा प्राप्त करनी है उसे रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया इस प्रश्न पर गौर करें।

**श्री पवन कुमार बंसल** : महोदय, मैं उसी प्रश्न का उल्लेख कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, उनके प्रश्न का संबंध काले धन से है। सदस्य के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने एक साधारण प्रश्न पूछा है कि क्या किसी व्यक्ति को बैंक लॉकर खोलने के लिए 'पैन' देना होगा अथवा नहीं। वे 'हां' या 'नहीं' कह सकते हैं।

**श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : महोदय, हम निर्णय लेते वक्त उनके अनुरोध पर विचार करेंगे ...*(व्यवधान)*

**श्री पी.एच. पांडियन** : महोदय, वर्तमान आयकर कानून के तहत आयकर कानून का उल्लंघन करने के लिए 70 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता तथा उसे जेल नहीं भेजा जा सकता। इसीलिए, सभी औद्योगिक घरानों तथा व्यावसायिक घरानों का संचालन 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आगे, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसे काला धन क्यों कहते हैं। इसे लाल धन क्यों नहीं कहा जाता क्योंकि यह समाज के लिए खतरनाक है? इसे पीला धन क्यों नहीं कहा जाता क्योंकि अधिक पैसे वाले व्यक्ति ऋण नहीं चुकाते हैं, तथा इसे हरा धन क्यों नहीं कहते ताकि इसे बाजार में लगा कर देश का विकास किया जा सके? ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह हरा, काला, सफेद अथवा जो भी हो प्रश्न में केवल काले धन का ही उल्लेख किया गया है। इसलिए, अब आपको काले धन के विषय में ही पूछना है। आपको केवल काले धन से ही निपटना है, लाल और हरे से नहीं ...*(व्यवधान)*

**श्री मदन लाल खुराना** : महोदय, वे आज काला कोट पहने हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री पी.एच. पांडियन** : उन्हीं लोगों से कर का भुगतान करने के लिए कहा गया है जो स्वैच्छिक रूप से रिटर्न जमा कर रहे हैं। परन्तु तत्पश्चात् इन लोगों के लिए जो अपना रिटर्न जमा नहीं कर रहे हैं तथा अपने धन का लेखाजोखा नहीं देते हैं, स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (वी.डी.एस.) नामक एक योजना है। आपको अपनी सम्पत्ति प्रकट करने पर अधिस्थगन प्राप्त होगा। उन व्यक्तियों, जिन्होंने कर का सही निर्धारण किया है तथा भुगतान किया है, को यह अधिस्थगन प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया गया है। परन्तु वे व्यक्ति, जिन्हें कर-निर्धारण के लिए नहीं कहा गया है अथवा जो आयकर कानून की जांच से बच निकलते हैं, स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना का लाभ उठाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक नोट छाप रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार के पास इस बात का लेखाजोखा होगा कि वह कितने नोट छाप रहा है। आपके पास इसका लेखाजोखा नहीं है। आप धनराशि और इनकी संख्या की निगरानी करने में समर्थ नहीं हैं। यहां तक कि कंपनी वाले भी एक खाता-बही रखते हैं।

इसलिए, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार 1000 रुपये के नोटों, 500 रुपये के नोटों तथा अन्य नोटों के छापे जाने तथा उन्हें परिचालित किए जाने के पश्चात् उनके परिचालन की निगरानी करती है। क्या वे इस बात की निगरानी करते हैं कि कितना धन प्रचलन में है तथा कितने धन की जमाखोरी की जा रही है। क्या इसका पता लगाने के लिए आपके पास कोई तंत्र है? मैं यह जानना चाहता हूं। यदि कोई तंत्र नहीं है तो क्या आप, समाज, समुदाय और देश से बाहर ले जाई जा रही राशि का पता लगाने के लिए कोई तंत्र विकसित कर सकते हैं?

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए संपूर्ण सभा, संसद से एक विशेषज्ञ के रूप में श्री पी.एच. पांडियन को नामित कर सकती है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें केवल अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कहना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

**श्री पी.एच. पांडियन** : महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट छापता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रत्येक मूल्य वर्ग के अंतर्गत छापे गये नोटों की संख्या का ब्यौरा भी होगा ...*(व्यवधान)* यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बेहिसाब धन को रोकने के लिए गंभीर है। इसके लिए, आप उन व्यक्तियों, जिन पर धन जमाखोर होने का सन्देह है को सरकार को अपना हिसाब-किताब देने के लिए कह सकती हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न, मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। मूल प्रश्न काले धन से संबंधित है।

**श्री पी.एच. पांडियन** : आपने बेहिसाब धन की बात की थी। आपको यह धन कहां से मिलता है? आप इस बेहिसाब धन का पता कैसे लगाएंगे? बेहिसाब धन रखने वाले व्यक्तियों पर आप मुकद्मा कैसे करेंगे? आप उन लोगों पर मुकदमा कर रहे हैं जो अपना हिसाब-किताब दे चुके हैं।

**श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

**श्री पी.एच. पांडियन** : आपके पास उत्तर नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास उत्तर है? उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री राम मोहन गाड्डे। प्रश्न संख्या 642

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रनाथ सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर आधे घंटे की चर्चा करा दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है, आप नोटिस दे दीजिए।

**कुमारी ममता बनर्जी** : आधे घंटे की चर्चा नहीं, इस पर फुल डिसकशन होना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे इतराज नहीं है। आप फुल डिसकशन के लिए नोटिस दे दीजिए। नियम 193 के तहत नोटिस दे दीजिए।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : सरकार को इस मामले पर स्वत: एक नीतिगत वक्तव्य देना चाहिए। तब हम सभी पूरे दिन की इस चर्चा में भाग ले सकते हैं ...*(व्यवधान)*

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील )**: सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार काले धन को रोकने के लिए बहुत गंभीर है। इस संबंध कुछ भी छिपाने का कोई प्रश्न नहीं है...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार को एक नीतिगत वक्तव्य देना चाहिए। तब कहीं, संपूर्ण सभा चर्चा में भाग लेगी। यह नियम 193 या नियम 184 के अधीन नहीं होना चाहिए। यह सरकार के नीतिगत वक्तव्य पर होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : काले धन को रोकने के लिए नीति।

**श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन** : आप एक अलग नोटिस दीजिए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है ...*(व्यवधान)*

**श्री पी.एच. पांडियन** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर एक कंपनी ने शेयर बाजार में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया। जब उसने धन वापिस लिया तो शेयरों के मूल्य काफी गिर गए। यह एक घोटाला है।

**पेयजल और स्वच्छता परियोजना हेतु विश्व बैंक ऋण**

*642. **श्री राम मोहन गाड्डे** :
**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक कुछ राज्यों की पेयजल और स्वच्छता योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस ऋण के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) ये ऋण आईडीए और आईबीआरडी की मानक शर्तों पर दिए जाते हैं। आईडीए क्रेडिट, जो एक ब्याज-मुक्त ऋण है, विश्व बैंक द्वारा 35 वर्ष की परिपक्वता अवधि (10 वर्ष की छूट अवधि सहित) के साथ मुहैया कराया जा रहा है जिसमें असंवितरित बकाया राशि पर वचनबद्धता प्रभार और सेवा प्रभार क्रमश: 0.5% और 0.75% प्रतिवर्ष प्रभारित किया जाता है जबकि पांच वर्ष की छूट अवधि सहित 20 वर्ष की अवधि में वापस अदा किए जाने वाले आईबीआरडी ऋणों की ब्याज दर परिवर्तनीय होती है और असंवितरित शेष पर वचनबद्धता प्रभार लगाए जाते हैं।

*विवरण*

*निम्नलिखित राज्यों के सामने उल्लिखित पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं*

| राज्य का नाम | परियोजना का नाम | हस्ताक्षर की तारीख/प्रभावी होने की तारीख/समापन की तारीख | सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डालर) |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश/ उत्तरांचल | उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना (आईबीआरडी ऋण) | 22.7.96/ 28.8.96/ 31.5.03 | 59.60 |
| केरल | केरल ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना (आईडीए क्रेडिट) | 4.1.01/ 12.2.01/ 31.12.06 | 65.5 |
| कर्नाटक | द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना (आईडीए क्रेडिट) | 8.3.02/ 19.4.02/ 31.12.07 | 151.6 |
| तमिलनाडु | द्वितीय चेन्नई जलापूर्ति परियोजना (आईबीआरडी ऋण) | 20.11.95/ 14.2.96/ 30.6.02 | 275.8 |
| महाराष्ट्र | मुम्बई मलजल निपटान परियोजना (आईबीआरडी ऋण/आईडीए क्रेडिट) | 28.12.95/ 22.2.96/ 31.12.02 | 167.0 (आईबीआरडी ऋण) 25.0 (आईडीए क्रेडिट) |

**श्री राम मोहन गाड्डे :** विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं? क्योंकि हमने पाया है कि विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न नीतियां अपनाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के लिए, वे कर दरों को बढ़ाने की शर्त लगाने अथवा संसाधन जुटाने पर बल देते हैं ताकि गरीब लोगों को मुफ्त पेय जल उपलब्ध कराया जा सके। जबकि हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की कि उन्हें विश्व बैंक से ऋण बिना ऐसी किसी शर्त के प्राप्त हो गया। क्या यह सही है? मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच करेगी कि विश्व बैंक से ऋण स्वीकृत किये जाते समय सभी राज्यों के लिए समान नीतियां अपनाई जाएं।

**श्री बालासाहिब विखे पाटील :** विश्व बैंक के ऋण मंजूर करना पूर्णत: विश्व बैंक के क्षेत्राधिकार में है। किंतु इसके साथ-साथ एक प्रक्रिया का पालन भी किया जाता है। राज्य सरकार भारत सरकार को यह सिफारिश करती है कि वे किस एजेंसी का

उपयोग करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से इसमें मूल मंत्रालय भी शामिल रहता है। कुछ जांच करने के पश्चात् हम इसे विश्व बैंक को भेज देते हैं। विश्व बैंक भी कुछ प्राथमिक जांच करता है। वह कुछ परामर्शदाताओं को नियुक्त करता है एवं परियोजना जांच के लिए कुछ धन भी प्रदान करता है। बाद में, राज्य सरकार परियोजना तैयार करती है और मूल मंत्रालय के माध्यम से पुन: भारत सरकार को सिफारिश करती है। अंतत: हम इसे विश्व बैंक को भेज देते हैं। विस्तृत जांच करने के पश्चात् विश्व बैंक इसे स्वीकृति प्रदान कर देता है और तत्पश्चात् उसे लागू किया जाता है।

जहां तक भारत सरकार का संबंध है और जहां तक पेय जल आपूर्ति योजना का प्रश्न है, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अलग-अलग होने के बावजूद इनके लिए समान नीति अपनाई जाती है। अत: भारत सरकार की ओर से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

**श्री राम मोहन गाड्डे** : हाल ही में, छत्तीसगढ़ में, पेयजल योजना के लिए विश्व बैंक सहायता घोषित की गई है। आंध्र प्रदेश में अभी भी 1804 गांव ऐसे हैं जहां लोग फ्लोरॉइड मिश्रित जल पी रहे हैं और वहां स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए तुरंत कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। दिनांक 22 जनवरी, 2001 को हमारे मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री जी को इस मामले में सहायता के लिए एक पत्र भी लिखा था। मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार इन गांवों के लिए विश्व बैंक के ऋण हेतु इस मामले की सिफारिश करेगी? क्योंकि विवरण देखने से यह पता चलता है कि आंध्र प्रदेश को कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है। मैं इस भेदभाव के कारण जानना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में पेयजल की बहुत कमी है जबकि हम यह पाते हैं कि महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल जैसे धनी राज्यो को विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हो जाता है। इस बारे में भारत सरकार की नीति क्या है?

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : महोदय, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि हम किसी भी बारे में किसी भी राज्य से कोई भेदभाव नहीं करते। विश्व बैंक के मानदंडों एवं नीति के अनुसार परियोजना राज्य सरकार द्वारा ही तैयार की जाती हैं। यह भारत सरकार के परामर्श से बनाई जाती है। परामर्श-पत्र राज्यों को जाता है। राज्य सरकारों के प्रति किसी भी भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री सुन्दर लाल तिवारी** : माननीय उपाध्यक्ष जी, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए विश्व बैंक की सहायता से कुछ राज्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है, लेकिन उसमें मध्य प्रदेश का नाम नहीं है। पिछले तीन-चार दिनों से हम लोग दूरदर्शन में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 33 जिलों में पेयजल की भीषण समस्या और संकट है तथा इसकी वजह से कई जगह अपराध भी घटित हुए हैं, पानी के लिए मारपीट हो रही है तथा कत्लेआम की स्थिति है। छ:, आठ और 10-10 किलोमीटर दूर से लोगों को पीने का पानी लाना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार इस बात को भलीभांति जानती है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

**श्री शीशराम सिंह रवि** : सरकार इस्तीफा दे। ...*(व्यवधान)*

**श्री सुन्दर लाल तिवारी** : सरकार के इस्तीफा देने की बात आपने कही है। आपको तो पानी की जरूरत ही नहीं है।* इसलिए पानी की जरूरत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**श्री शीशराम सिंह रवि** : उपाध्यक्ष महोदय, ...इनका ऐसा कहना ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : इन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए। कृपया व्यवधान न डालें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री निहाल चन्द चौहान** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हम लोगों पर जो आरोप लगाया है वह ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसे रिकार्ड से निकाला जाए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री अशोक प्रधान, आप एक मंत्री हैं, आपको इस प्रकार व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए?

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुन्दर लाल तिवारी** : सर, ये मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मैं क्या करूं। महोदय, पहले उनको बैठाइए, तब मैं प्रश्न करूंगा। ...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री निहाल चंद चौहान, मैं बोल रहा हूं, क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे?

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, यदि आप सभा की कार्यवाही में इसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न करते रहे, तो मैं इसे गंभीरतापूर्वक लूंगा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री कांतिलाल भूरिया** : उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग माननीय सदस्य को सवाल ही नहीं पूछने दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री कांतिलाल भूरिया, क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे?

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुन्दर लाल तिवारी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या करूं। इन्होंने बीच में कहा कि सरकार इस्तीफा दे। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, प्रश्न की कार्यवाही में इस प्रकार व्यवधान उत्पन्न न कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सुंदरलाल तिवारी, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। कोई भाषण नहीं दीजिए।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री निहाल चंद चौहान, आप फिर से खड़े हो रहे हैं। अब व्यवधान उत्पन्न नहीं कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री शीशराम सिंह रवि** : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है और ये केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि पानी नहीं है, यह गलत है। प्रदेश सरकार का काम अपने राज्य की जनता को पानी उपलब्ध कराना है। इन्हें केन्द्र सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहिए था। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री तिवारी, यदि आपके पास कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है तो मैं किसी और से अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कहूंगा।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, अब व्यवधान उत्पन्न न करें।

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : जब श्री सुंदरलाल तिवारी अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये उन्हें बीच में क्यों टोक रहे हैं? *...(व्यवधान)* क्या ये मंत्री हैं? *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुन्दर लाल तिवारी** : उपाध्यक्ष महोदय, आरोप तो इन्होंने लगवाया है। मैं तो सीधे-सीधे प्रश्न पूछ रहा था। इन्होंने ही कहा है कि सरकार इस्तीफा दे। इन्होंने क्यों सरकार का इस्तीफा मांगा। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप उन शब्दों को कार्यवाही-वृत्तांत में रखेंगे? *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुन्दर लाल तिवारी** : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में भीषण जल संकट है। उसे देखते हुए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार द्वारा जलापूर्ति के लिए जो अतिरिक्त राशि मांगी गई है, वह धनराशि प्रदेश सरकार को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए और जिन पांच राज्यों को विश्व बैंक से ऋण दिलाने की बात कही गई है उनमें मध्य प्रदेश का नाम नहीं जोड़ा गया है। मेरा आग्रह है कि मध्य प्रदेश का नाम भी जोड़ा जाए।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के जल संकट को हल करने के लिए राशि उपलब्ध कराने के लिए क्या आप विचार कर रहे है? यदि नहीं कर रहे हैं तो इस पर विचार करें।

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : अभी काफी स्टेटों में अकाल के कारण पानी की भयंकर समस्या है। यह स्टेट सब्जैक्ट है और राज्य सरकारें इसमें दखल देंगी। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, मैं उसके बारे में इतनी ही जानकारी देना चाहूंगा कि

*[अनुवाद]*

कई राज्यों में परियोजनाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना भी चल रही है। उत्तरांचल में एक परियोजना चल रही है जिसकी अनुमानित लागत 430 करोड़ रुपये है। केरल जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना की अनुमानित लागत 928 करोड़ रुपये है। कर्नाटक में - कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना नामक दूसरी परियोजना भी चल रही है।

*[हिन्दी]*

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है और जवाब कर्नाटक के बारे में दिया जाता है। *...(व्यवधान)* इससे समय बर्बाद नहीं होगा तो और क्या होगा? *...(व्यवधान)* हम सवाल मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं और मंत्री जी बता रहे हैं दुनिया भर के बारे में। मध्य प्रदेश को छोड़कर सारी दुनिया के बारे में मंत्री जी बता रहे हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : मैं मध्य प्रदेश के बारे में भी बता रहा हूं। आप जरा सुनिये। *...(व्यवधान)* आप थोड़ा शांत रहिये। *...(व्यवधान)* मैं भी ऊंची आवाज में बोल सकता हूं। *...(व्यवधान)* दूसरी बात यह है कि इसमें तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी हैं। मध्य प्रदेश की बात मैं कह रहा हूं।

*[अनुवाद]*

तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित कई प्रस्तावित परियोजनाएं विचाराधीन हैं। आंध्र प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना नामक एक परियोजना भी चल रही है।

**श्री पी.एच. पांडियन** : आपने तमिलनाडु राज्य को कितना दिया है?

*[हिन्दी]*

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : यह बताने नहीं दे रहे इसलिए आप पहले उन्हें रोकिए। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

राज्य के 8 जिलों को 3,527 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 24,000 ग्रामीणों के लिए चलाई जा रही तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना की अनुमानित लागत 135 मिलियन अमरीकी डालर है। मार्च, 2002 में वर्ल्ड बैंक आइडेन्टीफिकेशन मिशन ने राज्य का दौरा किया था।

*[हिन्दी]*

**श्री सुन्दर लाल तिवारी** : आप मध्य प्रदेश के बारे में भी बता दीजिए। *...(व्यवधान)*

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : मैं मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूं। आप जरा शांत रहिये। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

इसके अलावा, और भी कई परियोजनाएं विचाराधीन हैं। आंध्र प्रदेश में 3 जिलों के 73 गांवों के लिए आंध्र प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना नामक परियोजना चलाई जा रही है जिसकी अनुमानित लागत 423.105 मिलियन अमरीकी डॉलर है। विश्व बैंक की शंकाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार के पास प्रतीक्षित है *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी न हिन्दी समझते हैं और न अंग्रेजी समझते हैं। यह कौन सी भाषा समझते हैं। *...(व्यवधान)* इनसे बार-बार मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है लेकिन वह मध्य प्रदेश को छोड़कर सारे संसार का हवाला दे रहे हैं। *...(व्यवधान)* क्योंकि सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ जानबूझकर अन्याय किया है, इसलिए वह इसका जवाब नहीं देना चाहते। *...(व्यवधान)*

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : मैं मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूं। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आपके पास मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं?

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब वे मध्य प्रदेश के बारे में बोलेंगे। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : मैं मध्य प्रदेश की ही बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री दिलीप सिंह भूरिया, अब वे मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : मैं मध्य प्रदेश के बारे में ही बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी मध्य प्रदेश के बारे में ही बता रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : वह नहीं बता रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : आप सुनते नहीं हैं। मैं मध्य प्रदेश के बारे में ही पढ़ रहा था।

*[अनुवाद]*

महोदय, मध्य प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत 3 जिलों के 73 गांव आते हैं और इसकी अनुमानित लागत 423.105 मिलियन अमरीकी डॉलर है। विश्व बैंक की शंकाओं का निराकरण कर राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव आने की प्रतीक्षा है।

*[हिन्दी]*

**श्री सुन्दर लाल तिवारी** : मंत्री जी, वहां और कई चीजों में भी संकट है। ...*(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि मुम्बई मल-जल निपटान परियोजना के लिए 167 मिलियन अमेरिकी डालर आपने वर्ष 1995 में मंजूर किये थे। महाराष्ट्र स्टेट में 39 हजार गांव हैं और उन गांवों में से कई गांवों में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। राज्य सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं मगर राज्यों के पास पैसा नहीं है। मेरा कहना है कि पीने के पानी का समस्या को दूर करने के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र की पेय जल परियोजनाओं के लिए कुछ पैसा मंजूर करने की आवश्यकता है। दूसरा सवाल यह है कि ऑल इंडिया में जो दलित बस्तियां हैं, वहां पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या है। उन्हें गांवों के सार्वजनिक कुंओं से पानी पीने का मौका नहीं मिलता। सवर्ण लोग उनको पानी नहीं देते। इसलिए दलित बस्ती के लोगों के लिए भी ऑल इंडिया लैवल पर अलग से वर्ल्ड बैंक की योजना बनाने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)* मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या दलित बस्ती के लिए स्पैशल वर्ल्ड बैंक परियोजना के बारे में विचार किया जा रहा है?

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : उपाध्यक्ष महोदय, यदि वर्ल्ड बैंक या किसी से कोई भी धनराशि चाहिए, उसमें राज्य सरकारों का इएनीशिएटिव बहुत जरूरी है। जब राज्य सरकारों का इनीशिएटिव होगा तभी काम बनेगा चाहे दलित बस्ती हो, ट्राइबल एरिया हो या रिमोट एरिया हो। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत राज्य के 16 जिले आएंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 16,562 मिलियन अमरीकी डालर है। वर्ल्ड बैंक आईडेंटीफिकेशन मिशन ने जनवरी-फरवरी 2002 में राज्य का दौरा किया था। वर्ल्ड बैंक मिशन की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार, परियोजना को सुगम बनाने के लिए, कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सहमत हो गई है। जैसे ही वे इसे मान लेंगे वैसे ही यह राशि मंजूर हो जाएगी।

मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं और सभा यह जानकर प्रसन्न होगी कि परियोजना तैयार करने की सुविधाओं हेतु दिल्ली जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिए 2.5 मिलियन डालर, कोलकाता जल आपूर्ति पेय जल के लिए 2.5 मिलियम डालर मंजूर किए गए हैं तथा कर्नाटक जल आपूर्ति एवं नगर स्वच्छता परियोजना के लिए 1.5 मिलियन डालर मंजूर किया जाना विचाराधीन है।

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दलित बस्ती के बारे में जो सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं आया है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री आठवले, आप अपने स्थान पर बैठिए।

**डा. वी. सरोजा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूनिसेफ ने यह टिप्पणी की है कि भारत विश्व में सबसे सघन आबादी वाला उप-महाद्वीप है और इसकी स्वच्छता संबंधी प्रतिशतता मात्र 15 प्रतिशत है। क्या माननीय मंत्री बाकी की 85 प्रतिशत आबादी के लिए कम

से कम 24 मिलियन शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छता सुविधाएं बढ़ाने के लिए आगे आएंगे?

महोदय, यूनीसेफ ने संस्थागत एवं प्रशासनिक क्षमता के अतिरिक्त जल की सर्वसुलभता, सामाजिक स्वीकार्यता एवं उपलब्धता भी प्रदान की है। क्या माननीय मंत्री यूनीसेफ से दिशानिर्देश लेंगे तथा मॉडल तैयार करेंगे।

महोदय, तमिलनाडु सरकार ने संरक्षित पेय जल एवं स्वच्छता हेतु विश्व बैंक को 2,300 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भेजा है। क्या माननीय मंत्री विश्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त कर मामले पर जल्द कार्रवाई प्रारंभ करेंगे?

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के दो भाग हैं। एक है, स्वच्छता तथा ग्रामीण जल आपूर्ति से संबंधित सामान्य प्रश्न जो विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आता है। यह प्रश्न केवल विश्व बैंक की परियोजनाओं से संबंधित है। मैं माननीय सदस्य को यह सूचित कर सकता हूं कि चेन्नई जल आपूर्ति परियोजना-2 जो 86.52 मिलियन अमरीकी डालर की है उसके मुख्य घटक जो 30 जून, 2002 को बंद से रहे हैं, वे चेन्नई में जल पारेषण एवं वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। अत: यही एक परियोजना है। मैं सभा को यह पहले ही सूचित कर चुका हूं कि राज्य सरकार को परियोजना प्रारंभ करनी चाहिए।

**श्री संतोष मोहन देव** : महोदय, माननीय मंत्री ने सभा पटल पर कुछ राज्यों के नाम रखे हैं जहां परियोजनाएं विचाराधीन हैं। परियोजनाओं की संपूर्ण सूची में असमानता है, कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा और बिहार तथा पूर्वोत्तर राज्य उसमें शामिल नहीं हैं। हो सकता है, उन्होंने आवेदन ही न दिया हो। इस तथ्य को देखते हुए कि इन क्षेत्रों में जल की कमी अधिक है, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाएगी कि विश्व बैंक से इन राज्यों के लिए कुछ योजनाएं स्वीकृत हो सकें?

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : महोदय, कुछ पुरानी योजनाएं पहले ही बंद हो चुकी हैं। अब, हम केवल नई योजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। यदि जरूरी हो तो हम राज्यों को लिख सकते हैं और वे अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : उपाध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक की ओर से विभिन्न राज्यों में पीने के पानी की व्यवस्था पर, स्वच्छ जल की परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह प्रश्न है। मैं सिर्फ छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं। इसमें उत्तर प्रदेश भी है, उत्तरांचल भी है, केरल भी है, कर्नाटक भी है, तमिलनाडु भी है और महाराष्ट्र भी है, लेकिन बिहार में पीने के पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। बिहार के सम्बन्ध में हम पूछना चाहते हैं कि बिहार में कोई भी विश्व बैंक परियोजना पेयजल के सम्बन्ध में क्यों नहीं है? अगर है तो विश्व बैंक से बिहार को पैसा क्यों नहीं मिला है, जबकि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, यही मैं पूछना चाहता हूं? बिहार का आइटम इसमें नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत बिहार को है।

*[अनुवाद]*

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार किसी भी राज्य से परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नहीं कह सकती है। राज्यों को ही अधिक क्रियाशील बनना होगा तथा परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे।

*[हिन्दी]*

बिहार सरकार जब ज्यादा काम करेगी, अगर सरकार हमें प्रपोजल देगी, तभी केन्द्र सरकार विश्व बैंक से कुछ कहेगी, लेकिन बिहार से कोई प्रोजैक्ट हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि आप सब लोगों को पता है,

*[अनुवाद]*

विश्व बैंक की नीति भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के परामर्श से विश्व बैंक ने परियोजना दस्तावेज तैयार किए हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रनाथ सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विश्व बैंक से पेयजल की समस्या के लिए, शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश को 59.60 मिलियन अमेरिकन डालर प्राप्त हुए, लेकिन वहां पर मेरे संसदीय क्षेत्र जौनपुर और प्रतापगढ़ में यह पैसा कहां गया, हमें मालूम नहीं है, जबकि वहां पेयजल की बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों में पानी पिलाने के बजाय वहां के मंत्री और अधिकारी मिनरल वाटर पी गये, सारे अमेरिकन डालर दूसरे मद में खर्च कर दिये गये हैं। पेयजल पर खर्च नहीं किया गया है। इसमें मंत्री जी बतायें कि जब पेयजल के लिए पैसा विश्व बैंक से दिया गया था, गरीबों को पानी पिलाने के लिए दिया गया था, लेकिन उसको दूसरे मद में उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च कर दिया है, इस संबंध में माननीय मंत्री जी क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं?

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : उपाध्यक्ष महोदय, कौन से स्टेट में क्या हो रहा है, इसे स्टेट गवर्नमेंट मोनीटर करती है। सदस्य की जो चिन्ता है, हम तलाश करेंगे और उससे उनको अवगत कराएंगे।

*[अनुवाद]*

**श्री के.एच. मुनियप्पा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

यह मुद्दा केवल एक जिले या एक राज्य से संबंधित नहीं है बल्कि यह संपूर्ण राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है जो पेय जल की गंभीर कमी की समस्या का सामना कर रहा है। देश के 125 से अधिक जिले पेयजल की कमी का सामना कर रहे हैं। सिंचाई के लिए भी वे इसी समस्या का सामना कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया अब अपना प्रश्न पूछिए।

**श्री के.एच. मुनियप्पा** : पूर्व मंत्री श्री के.एल. राव ने उत्तरी व दक्षिणी नदियों को मिलाने, गंगा व महानदी को गोदावरी, कृष्णा व कावेरी से जोड़ने के लिए एक परियोजना तैयार की थी। यदि यह परियोजना प्रारंभ हो जाती तो समस्याग्रस्त राज्यों सहित संपूर्ण राष्ट्र में पेय जल की कमी की समस्या का समाधान हो जाएगा।

जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थीं तो परियोजना तैयार की गई थी और सब कुछ तैयार था। अब हमें विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करनी होंगी क्योंकि हम इस समस्या का समाधान एक जिले या एक राज्य में नहीं कर सकते। संपूर्ण पेय जल समस्या के समाधान के लिए हमें व्यापक कार्यक्रम बनाना होगा। इस संबंध में सरकार को आगे आना होगा।

महोदय मेरे प्रश्न का भाग 'ग' यह है कि मैं पेयजल की समस्या से जूझ रहे कर्नाटक के 72 तालुकाओं और 7 जिलों को तुरंत राहत चाहता हूं। जल तालिका 600 फुट तक नीचे चली गई है। क्लोरॉइड आ रहा है। हम इस पानी को नहीं पी सकते। हालांकि माननीय मंत्री ने पेय जल के लिए 65 मिलियन डालर उपलब्ध कराए हैं किंतु इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि पूरे राष्ट्र में पेय जल की समस्या का समाधान करने हेतु क्या वे मेरे प्रश्न के भाग 'क', 'ख' और 'ग' का उत्तर दे सकते हैं।

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : महोदय, मेरे प्रश्न का भाग 'क' सिंचाई मंत्रालय से संबंधित है। वे गंगा-कावेरी या अन्य सम्बद्ध परियोजनाओं को उठाएंगे। मैं मानता हूं कि श्री के.एल. राव वहां थे। तथापि, यह इस मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता।

महोदय, जहां तक भाग 'ख' का संबंध है जैसा कि आप जानते हैं पेयजल राज्य का विषय है। भारत सरकार किसी राज्य को बाध्य नहीं कर सकती, अत: राज्य को ही परियोजना विश्व बैंक में प्रस्तुत करनी चाहिए। जहां तक पेयजल की मौजूदा समस्याओं का संबंध है राज्य एवं संबंधित मंत्री एक साथ बैठकर, चर्चा कर कोई हल निकाल सकते हैं ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मनोहर जोशी, यह आपका 'अंतिम अनुपूरक' है।

...*(व्यवधान)*

**श्री मनोहर जोशी** : क्या मंत्री महोदय इस सभा को यह सूचित करेंगे कि विश्व बैंक से ऋण लेने के हमारे प्रयासों के अतिरिक्त भी कई ऐसे देश हैं जो सरकार को अनुदान देने के लिए तैयार हैं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पेयजल ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता है, विशेषकर देश की गरीब जनता की। क्या मंत्री महोदय ने विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के बजाय अनुदान प्राप्त करने का कभी प्रयत्न किया है?

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : मुझे उत्तर देने का विशेषाधिकार मिला है क्योंकि एक मिनट के बाद वे अध्यक्ष बन जाएंगे। उनका यह पहला और अंतिम प्रश्न है।

महोदय, कई राष्ट्र विश्व बैंक को धन दान कर रहे हैं। विश्व बैंक योजनाएं बनाता है। भारत सरकार, पेयजल योजना सहित विकास परियोजनाओं के लिए कई देशों से समझौते करती है। इसलिए, भारत सरकार सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का प्रयत्न कर रही है और पेयजल आपूर्ति के लिए अधिकाधिक निधियां प्रदान करने का प्रयत्न कर रही है ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री हरीभाऊ शंकर महाले** : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने ऐसी योजना बनाई है, जिससे लगता है कि जब तक आकाश में सूरज चांद रहेगा, तब तक आदिम जाति के लोगों को पानी नहीं मिलेगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां लोगों से जो दस प्रतिशत चार्ज लिया जा रहा है, क्या उसे खत्म करने या कम करने पर आप विचार करेंगे।

*[अनुवाद]*

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि विश्व बैंक ने पेयजल आपूर्ति के लिए अपेक्षित कुल पूंजी के विपरीत शर्त रखी है। स्थानीय जनता से दस प्रतिशत का अंशदान आना चाहिए। इसलिए, यही एक तथ्य हैं किंतु राज्य

सरकारों के अपने मामले हैं। वे राज्य निधियों या बजटीय सहायता से अंशदान कर सकते हैं। आकस्मिकता राज्य का विषय है ...*(व्यवधान)*

**डा. विक्रम सरकार** : महोदय, स्वच्छता एवं पेयजल किसी विशेष राज्य की ही समस्या नहीं है। यह संपूर्ण भारत की समस्या है। 60 प्रतिशत गांवों में पीने का पानी नहीं है। स्वच्छता की कमी भी एक समस्या है।

हम खास तौर पर यह जानना चाहेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल ने विश्व बैंक से सहायता मांगी है।

**श्री बालासाहिब विखे पाटील** : महोदय, यह एक बहुत गंभीर समस्या है। हम माननीय सदस्य को सूचना दे देंगे।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[अनुवाद]*

### प्याज और आलू का निर्यात

***643. श्री शीश राम सिंह रवि** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आलू और प्याज के मूल्य अंतराष्ट्रीय बाजार में इनके मूल्यों से अधिक हैं और देश में इन वस्तुओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आलू और प्याज के मूल्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, देश-वार आलू और प्याज का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू बाजार में आलू और प्याज के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार)** : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्याज और आलू के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रचलित घरेलू खुदरा मूल्यों की तुलना में अधिक थे जैसा कि संलग्न विवरण-I में दिया गया है। देश में प्याज और आलू की कोई कमी नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मदों का उत्पादन सामान्य उत्पादन से अधिक था।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्याज तथा आलू की निर्यात की गई देशवार मात्रा तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II पर दिया गया है।

(घ) सरकार ने देश में प्याज तथा आलू के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) उत्पादन तथा फसल कटाई के बाद प्रबंधन के जरिए व्यावसायिक बागवानी का विकास।

(2) शीत भंडारों तथा बागवानी उत्पादों के लिए भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीमें।

(3) बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा।

(4) निर्यात के लिए प्याज की उपलब्धता तथा खुले बाजार उसके मूल्यों की समय-समय पर निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समीक्षा समिति का गठन।

(5) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा मूल्यों में तीव्र उतार-चढ़ाव से बचने के लिए निर्यात को विनियमित करने के वास्ते प्याज के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध (1999 से) लगाना।

(6) दैनिक तथा साप्ताहिक मूल्य निगरानी के जरिए प्याज तथा आलू (अन्य वस्तुओं के साथ-साथ) के मूल्यों की नियमित निगरानी।

(7) आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्याज तथा आलू के आयात पर से सभी प्रतिबंधों को हटाना।

***विवरण-I***

*गत तीन वर्षों के दौरान प्याज और आलू का उत्पादन, घरेलू मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य*

| वर्ष | उत्पादन* (लाख टन) | | घरेलू मूल्य** (रु. प्रति कि.ग्रा.) | | अंतर्राष्ट्रीय मूल्य (डालर प्रति टन) | | अंतर्राष्ट्रीय मूल्य*** (रु. प्रति कि. ग्रा.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्याज | आलू | प्याज | आलू | प्याज | आलू | प्याज | आलू |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1999-2000 | 49.0 | 247.1 | 3-18 | 2-12 | 98-454 | 92-277 | 4-20 | 4-12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | 52.3 | 221.4 | 2-15 | 2-10 | 102-388 | 92-214 | 5-18 | 4-10 |
| 2001-2002 | 54.8 | 250.1 | 2.5-18 | 4-12 | 117-355 | 87-275 | 5-18 | 4-13 |

टिप्पणी : * प्याज और आलू का सामान्य वार्षिक उत्पादन क्रमशः 46 लाख टन और 215 लाख टन है।

** प्याज और आलू के संबंध में प्रति कि.ग्रा. घरेलू खुदरा मूल्य रेंज उन दो मदों की रेंज है जो देश में 18 प्रमुख खपत केंद्रों/राज्य राजधानियों में प्रचलित हैं।

*** संबंधित वर्षों में प्रचलित औसत एक्सचेंज दरों का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक के नोटों के अनुसार डालर को रुपए में परिवर्तित करने के लिए किया गया है।

उत्पादन आंकड़े - स्रोत : कृषि एवं सहकारिता विभाग
घरेलू आंकड़े - स्रोत : उपभोक्ता मामले विभाग
अंतर्राष्ट्रीय मूल्य - स्रोत : वाणिज्य विभाग

## *विवरण-II*

*1999-2000 से 2001-2002 के दौरान प्याज का निर्यात*

(मात्रा मी. टन में) (कीमत अमरीकी डालर में)

| देश | 1999-2000 | | 2000-2001 | | 2001-2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अर्जेन्टीना | 9 | 1708 | — | — | — | — |
| आस्ट्रेलिया | 30 | 7639 | 151 | 46727 | 96 | 24869 |
| बहामास | — | — | 150 | 25052 | — | — |
| बहरीन | 1742 | 299566 | 4977 | 981630 | 3521 | 588121 |
| बंग्लादेश | 73851 | 12921789 | 55164 | 8354218 | 71019 | 10164018 |
| बारबाडोज | 938 | 135464 | — | — | — | — |
| बेलजियम | 17 | 5908 | 42 | 5989 | — | — |
| भूटान | 10 | 4454 | — | — | — | — |
| ब्रुनई | 192 | 64939 | 1011 | 312059 | 499 | 173637 |
| बुरून्डी | 41 | 12162 | — | — | — | — |
| कनाडा | 10 | 1338 | 2 | 636 | 11 | 14748 |
| चाईनीज ताइपाइ | — | — | 409 | 158563 | — | — |
| कोलम्बिया | 100 | 13131 | 150 | 31612 | 122 | 14241 |
| डेनमार्क | 1 | 231 | — | — | 50 | 8261 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फ्रांस | 66 | 29977 | 76 | 15027 | 19 | 17347 |
| जार्जिया | — | — | 200 | 27180 | — | — |
| जर्मनी | — | — | 114 | 37710 | 99 | 133006 |
| आइसलैंड | — | — | — | — | 75 | 16565 |
| इन्डोनेशिया | 1428 | 367967 | 2262 | 619751 | 1026 | 206682 |
| जापान | — | — | 10 | 2260 | — | — |
| केन्या | 12 | 2215 | — | — | — | — |
| कुवैत | 376 | 56978 | 950 | 148011 | — | — |
| मालागासी गणराज्य | — | — | 137 | 20775 | — | — |
| मलेशिया | 70894 | 14047105 | 98178 | 19987320 | 68007 | 12946810 |
| मालदीव | 11 | 2931 | 975 | 176157 | 357 | 62034 |
| माली | 3550 | 903752 | 1687 | 545340 | — | — |
| मॉरिशस | 5874 | 1048977 | 7804 | 1189661 | 4412 | 575190 |
| नेपाल | — | — | 8 | 1952 | 5 | 613 |
| नीदरलैंड | 270 | 30970 | 347 | 81958 | 64 | 64485 |
| न्यूजीलैंड | — | — | 38 | 11013 | 84 | 14706 |
| नाइजीरिया | 20 | 3369 | — | — | — | — |
| ओमान | 12 | 1177 | 27 | 3971 | 41 | 5620 |
| पाकिस्तान | — | — | 1692 | 242364 | — | — |
| फिलीपीन्स | — | — | 171 | 32248 | 175 | 24742 |
| कतर | 585 | 86609 | 478 | 73929 | 120 | 17769 |
| रियूनियन | 1340 | 299058 | 1529 | 289485 | 2303 | 452199 |
| रूस | 21 | 3023 | 97 | 15312 | — | — |
| सऊदी अरब | 941 | 136594 | 1455 | 252082 | 2269 | 392087 |
| सेचेलिस | 476 | 88086 | 276 | 50215 | 599 | 89734 |
| सिंगापुर | 13151 | 2477298 | 14461 | 2426203 | 11592 | 1762777 |
| सोलोमन | 575 | 64893 | 50 | 5089 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दक्षिणी अफ्रीका | 60 | 11492 | — | — | — | — |
| स्पेन | 175 | 26631 | — | — | — | — |
| श्रीलंका | 50023 | 8468201 | 82687 | 13589583 | 38045 | 5076558 |
| थाइलैंड | 47 | 5815 | — | — | — | — |
| तुर्की | 20 | 9232 | — | — | — | — |
| संयुक्त अरब अमीरात | 32993 | 5034489 | 65284 | 10796676 | 43342 | 7302288 |
| इग्लैंड | 21 | 7731 | 28 | 7195 | — | — |
| अमरीका | 587 | 94801 | 180 | 90119 | — | 86797 |
| योग : | 260469 | 46777791 | 343257 | 60655071 | 247952 | 40235903 |

*अप्रैल, 2001 से नवम्बर, 2001, दिसम्बर, 2001 से मार्च, 2002 तक देश-वार आकड़े डी जी सी आई एस., वाणिज्य विभाग द्वारा अभी रिलीज किए जाने हैं। इन वर्षों के दौरान प्याज का कोई आयात नहीं हुआ।

भारतीय रिजर्व बैंक के नोटों के अनुसार 1999-2000 में एक अमरीकी डालर का मूल्य 43.3327 रुपए, 2000-01 में 45.58444 रुपए और 2001-02 में 47.328725 रुपए था।

स्रोत : वाणिज्य विभाग।

## *विवरण-III*

*1999-2000 से 2001-2002 के दौरान आलू का निर्यात*

(मात्रा मी. टन में) (मूल्य अमरीकी डालर में)

| देश | 1999-2000 | | 2000-2001 | | 2001-2002* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अंगोला | — | — | 55 | 9345 | — | — |
| आस्ट्रेलिया | 16 | 1805 | — | — | 3 | 296 |
| बहरीन | 1 | 277 | 40 | 5002 | — | — |
| बंगलादेश | 4798 | 440753 | — | — | 70 | 7628 |
| ब्रुनेई | — | — | 22 | 4717 | — | — |
| जर्मनी | 75 | 877 | — | — | — | — |
| जापान | 50 | 6554 | — | — | — | — |
| इटली | — | — | — | — | 14 | 3254 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मलेशिया | 390 | 73247 | 177 | 22003 | 266 | 29792 |
| मालदीव | — | — | 7 | 921 | — | — |
| मारीशस | 25 | 3762 | 750 | 131997 | 20 | 1733 |
| नेपाल | 273 | 20100 | 5440 | 306377 | 5478 | 348118 |
| ओमान | — | — | 103 | 11978 | 1 | 275 |
| कतर | 7 | 415 | — | — | — | — |
| सऊदी अरब | 2 | 4062 | 37 | 5353 | 5 | 528 |
| सिंगापुर | 164 | 17285 | 72 | 11890 | 74 | 7142 |
| श्रीलंका | 21849 | 2559614 | 14487 | 1826283 | 371 | 48977 |
| संयुक्त अरब अमीरात | 482 | 80147 | 1356 | 200595 | 597 | 123773 |
| इग्लैंड | 75 | 7985 | — | — | — | — |
| अमेरिका | — | — | 90 | 8314 | 30 | 2007 |
| योग | 28207 | 3216162 | 22636 | 2544774 | 6929 | 573521 |

*अप्रैल, 2001 से नवम्बर, 2001, दिसम्बर, 2001 से मार्च, 2002 तक देश-वार आंकड़े डी जी सी आई एस, वाणिज्य विभाग द्वारा अभी रिलीज किए जाने हैं। इन वर्षों के दौरान आलू का कोई आयात नहीं हुआ।

भारतीय रिजर्व बैंक के नॉर्मों के अनुसार 1999-2000 में एक अमरीकी डालर का मूल्य 43.3327 रुपए, 2000-01 में 45.58444 रुपए और 2001-02 में 47.328725 रुपए था।

स्रोत : वाणिज्य विभाग।

**सिर पर मैला ढोने वालों के लिए राष्ट्रीय योजना**

*644. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना" के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों ने देश में सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों के लिए राज्य-वार प्रतिवर्ष कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया है;

(घ) किन-किन राज्यों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा पूर्णत: समाप्त हो गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश से इस सामाजिक बुराई को पूर्णत: समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया)** : (क) से (ङ) सफाई कर्मचारियों को वंशानुगत, अमानवीय तथा घृणित व्यवसायों से मुक्ति दिलाने तथा उपयुक्त वैकल्पिक व्यवसायों में उन्हें पुनर्वास प्रदान करने के लिए सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एन.एस.एल.आर.एस.) वर्ष 1992 में आरंभ की गई। इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 236 करोड़ रु. निर्मुक्त किए गए। इस योजना में आवास एककों के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। इस योजना में व्यक्ति अथवा समूह आधारित आर्थिक कार्यकलापों में सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

हाथ से मैला साफ करने वाले सफाई कर्मचारियों को रोजगार एवं शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 में अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम 26.1.1997 से आन्ध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्य विधान मंडलों ने भी इस अधिनियम को अपनाया है।

गोवा, गुजरात, केरल, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों तथा अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने घोषणा की है कि वे सफाई कर्मचारी मुक्त हैं।

हाथ से मैला साफ करने को पूर्ण रूप से समाप्त करने तथा निम्न लागत स्वच्छता एककों को परिवर्तित/निर्माण करने के लिए सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए शहरी निम्न लागत स्वच्छता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना शहरी विकास मंत्रालय द्वारी कार्यान्वित की जा रही है जिसमें शहरी विकास तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में घरों में शुष्क शौचालयों में परिवर्तन तथा बहाव फ्लश शौचालयों के लिए हुडको के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा ऋण तथा सब्सिडी की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए भी ऋण मंजूर किए जाते हैं।

*विवरण*

*सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत निर्मुक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण*

(नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान) (रु. करोड़ में)

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | केन्द्रीय सहायता |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 16.35 |
| 2. | असम | 3.72 |
| 3. | बिहार | 4.64 |
| 4. | गुजरात | 20.51 |
| 5. | कर्नाटक | 6.95 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 33.34 |
| 7. | महाराष्ट्र | 21.35 |
| 8. | उड़ीसा | 6.97 |
| 9. | राजस्थान | 19.35 |
| 10. | तमिलनाडु | 22.53 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 44.46 |
| 12. | छत्तीसगढ़ | 15.00 |
| 13. | झारखंड | 10.85 |
| 14. | उत्तरांचल | 10.00 |
| | कुल | 236.02 |

**स्टील स्क्रैप का आयात**

***645. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अप्रैल, 2002 के "दि हिन्दु" में "अनएक्सप्लोडेड राकेट अराइव्स इन मैल्टिंग स्टील स्क्रैप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशों से स्टील स्क्रैप का आयात करते समय भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री ( श्री मुरासोली मारन ) :** (क) जी हां।

(ख) दिनांक 2 अप्रैल, 2002 की सुबह आईसीडी, तुगलकाबाद पर 10 कंटेनरों, जिनमें हैवी मैल्टिंग स्टील स्क्रैप भरा हुआ था, की एक खेप को उतारते समय एक विस्फोट हुआ था। इसके परिणामस्वरूप उसके समीप मौजूद और लदान कार्य में लगे चालक और परिचालक घायल हो गए थे। उनका नजदीकी अस्पताल में तुरंत चिकित्सा उपचार कराया गया था। समूची खेप जो, शारजाह से भेजी गई थी और जो अफ्रीका की एक कंपनी के मूल की थी, को तुरंत रोक लिया गया था और उसे खाली किया गया था। आगामी दिनों में विस्फोटक पदार्थ विशेषज्ञों, स्थानीय पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), कंटेनर निगम (कॉनकर)

के अधिकारियों एवं सीमाशुल्क अधिकारियों की उपस्थिति में माल की आगे जांच की गई थी। स्क्रैप की कुल वजन 212 मी. टन (निवल) था। जांच करने पर जिस नग का विस्फोट हुआ था उसे 1969 के मूल के विस्फोट रहित हीट राकेट का एक भाग पाया गया था। शेष भाग को विस्फोटक पदार्थ विशेषज्ञों द्वारा अगली जांच हेतु अपने कब्जे में ले लिया गया था। पुलिस प्राधिकारियों ने अपनी जांच पूरी कर बाद में इस सलाह के साथ उक्त खेप की निकासी की अनुमति दी थी कि इनकी हैंडलिंग सावधानीपूर्वक की जाए। इस मामले में मै. वर्डस विंडो, नई दिल्ली आयातक था। उन्होंने गाजियाबाद की मै. रति इस्पात को उक्त माल की बिक्री समुद्र बीच बिक्री के आधार पर की थी। गाजियाबाद की मै रति इस्पात आईसीडी, तुगलकाबाद पर हैवी मैल्टिंग स्टील स्क्रैप की एक नियमित आयातक है।

(ग) इस प्रकार के स्क्रैप के निपटने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में ''कांकर'' द्वारा अब सामान्य जांच क्षेत्र से दूर एक अलग स्थान को हैवी मेटल स्टील स्क्रैप की जांच हेतु इंगित किया गया है। संदेहास्पद मामलों में स्क्रैप की जांच पुलिस/ विस्फोटक पदार्थ विशेषज्ञों द्वारा का जाएगी और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही उनकी जांच सीमा शुल्क द्वारा की जाएगी।

**संस्थागत विकास निधि**

***646. श्री रामजी मांझी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने संस्थागत विकास निधि के अंतर्गत भारत को अनुदान स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक संस्था-वार कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है;

(घ) क्या परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) जी, हां। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान संस्थागत विकास निधि (आईडीएफ) के अंतर्गत एक अनुदान को अनुमोदित किया है।

(ख) यह अनुदान भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के कार्यालय के आधुनिकीकरण और क्षमता-निर्माण के लिए है। अनुदान की राशि 200,000 अमरीकी डालर है।

(ग) विश्व बैंक द्वारा कुल 13 अनुदानों को अनुमोदित किया गया है। 11 अनुदान भारत सरकार के लिए तथा 2 अनुदान भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के कार्यालय के लिए हैं।

(घ) बारह अनुदान अब बन्द कर दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से घटिया खाद्यान्नों और चीनी का विवरण**

***647. श्री राम टहल चौधरी :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत घटिया स्तर के खाद्यानों और चीनी का वितरण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में राज्य-वार ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने अधिकारी दोषी पाए गए हैं और दंडित किए गए हैं ?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ( श्री शांता कुमार ) :** (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप उचित औसत किस्म के खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली चीनी भारतीय चीनी मानकों के अनुरूप होती है।

गत दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

2000-01 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, सिक्किम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों से घटिया किस्म के खाद्यान्नों विशेषकर छूट दी गई विनिर्दिष्टियों के तहत वसूल किए गए चावल के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उपभोक्ताओं की झिझक को ध्यान में रखते हुए 1997-98 के खरीफ विपणन मौसम में छूट दी गई विनिर्दिष्टियों के चावल की सप्लाई को रोक दिया गया।

2001-02 के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों ने चमकहीन गेहूं की सप्लाई के बारे में शिकायत की थी जबकि गोवा और केरल की सरकारों ने चावल के घटिया स्टाक के बारे में शिकायत की थी। राज्य सरकारों को स्पष्ट किया गया कि केवल दिखने के अलावा चमकहीन गेहूं विशेषकर पौषणिक तत्वों के मामले में ठोस गेहूं से समान अच्छा है। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को अनुदेश दिए गए कि वे यह सुनिश्चित करें कि गोवा और केरल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केवल अच्छी किस्म का चावल सप्लाई किया जाए।

राज्य सरकारें खाद्यानों के स्टाक का निरीक्षण करने और भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से स्टाक को उठाने से पूर्व उसकी गुणवत्ता के बारे में अपने को संतुष्ट के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई कि वे स्टाक की गुणवत्ता की जांच करने के लिए निरीक्षक के स्तर से कम का अधिकारी नियुक्त न करें।

गत दो वर्षों के दौरान किसी भी राज्य सरकार से सार्वजनिक वितरण के तहत घटिया किस्म की चीनी की आपूर्ति के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं था।

*[अनुवाद]*

**भारतीय स्टेट बैंक की परिसम्पत्तियां**

***648. श्री गंता श्रीनिवास राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक की 'इंडिया मिलेनियम डिपोजिट' योजना और इसके कर्मचारियों को बड़ी संख्या में स्वैच्छिक सेवानिवृति दिए जाने के कारण इसकी परिसम्पत्तियों का निवल मूल्य 121 प्रतिशत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो बैंक की गतिविधियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बासासाहिब विखे पाटील ):** (क) और (ख) जी, नहीं। इंडिया मिलेनियम डिपोजिट्स (आईएमडी) और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी आर एस) के कारण भारतीय स्टेट बैंक की आस्तियों के निवल मूल्य में कोई गिरावट नहीं आई। तथापि, बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2000-2001 में इसके निवल लाभ में 21.80 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह गिरावट मुख्यत: आई एम डी निर्गम व्यय तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना से संबंधित खर्चों के एक भाग को इसके लाभ-हानि खाते में समावेशन के कारण थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**यूरोपीय संघ द्वारा भारतीय समुद्री उत्पादों के निर्यात पर पाबंदियां लगाया जाना**

***649. श्री जार्ज ईडन :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने देश से होने वाले समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात हेतु गुणवत्ता संबंधी कोई पाबंदियां लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यूरोपीय संघ द्वारा पाबंदियां लगाए जाने के बाद समुद्री उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ङ) इन पाबंदियों के कारण हमारे समुद्री उत्पादों के निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ा है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री ( श्री मुरासोली मारन ) :** (क) और (ख) : यूरोपीय आयोग ने जुलाई 1991 में मत्स्य उत्पादों के उत्पादन और उन्हें ई.यू. देशों के बाजारों में उतारने के लिए स्वास्थ संबंधी शर्तें निर्धारित की थीं जो मत्स्य जलपोतों, उतराई केन्द्रों, बाजार परिसरों, प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों, परिवहन वाहनों इत्यादि पर लागू होने के साथ-साथ भारत समेत ईयू को निर्यात करने के इच्छुक तीसरे देशों पर लागू होती हैं।

यूरोपीय आयोग ने 1996 में जीवित पशुओं और पशु उत्पादों में कतिपय पदार्थों और उनके अवशिष्ट पर निगरानी रखने हेतु उपाय भी निर्धारित किए थे जिनके फलस्वरूप पशुओं की उत्पादन प्रक्रिया और पशु मूल के प्राथमिक उत्पादों पर जीवित पशुओं, उनके मल एवं शारीरिक द्रव तथा उत्तकों, पशु उत्पादों, पशु चारे और पीने के पानी में अवशिष्ट एवं पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाने के प्रयोजनार्थ निगरानी रखी जाएगी। हाल ही में चीन और थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार जैसे देशों से आयातित झींगों में क्लोरेम्फेनिकोल जैसे एण्टीबायोटिक अवशिष्टों का पता चलाने के कारण ई.यू. ने इन पदार्थों की खेपों की गहन जांच शुरू कर दी है।

(ग) और (घ) यद्यपि समुद्री उत्पादों के निर्यात पर कोई विशिष्ट अध्ययन करवाया गया है तथापि, भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले के ई.यू. को और भारत से सभी देशों को होने वाले निर्यातों की प्रवृत्तियों का सतत् विश्लेषण किया जा रहा है और कार्यनीति में परिवर्तन किए जाते हैं।

(ङ) अगस्त 1997 में भारत से ई.यू. देशों को मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात् जो दिसम्बर, 1999 में हटा लिया था, ई.यू. को होने वाले निर्यातों का स्तर प्रतिबंध लगाने के पूर्व के मौजूदा स्तर तक पहुंच गया है जैसाकि नीचे की सारणी में दिया गया है

*यूरोपीय संघ का निर्यात*

| वर्ष | निर्यातित मात्रा (मी.टन) | मूल्य करोड़ रु. में | मूल्य मिलियन अम. डालर में |
|---|---|---|---|
| 1995-96 | 87212 | 911.87 | 289.48 |
| 1996-97 | 71192 | 790.11 | 221.01 |
| 1997-98 | 34875 | 412.53 | 113.81 |
| 1998-99 | 54261 | 684.62 | 163.78 |
| 1999-2000 | 65402 | 905.56 | 210.45 |
| 2000-01 | 68827 | 1025.36 | 225.37 |
| 2001-02(*) | 69756 | 960.42 | 202.48 |

(*) फरवरी, 2002 तक

**नई वस्त्र नीति**

*650. **श्री जसवंत सिंह बिश्नाई** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई वस्त्र नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को नई वस्त्र नीति के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है क्योंकि इससे भारतीय कपास उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

**वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा)** : (क) राष्ट्रीय वस्त्र नीति, जिसकी घोषणा नवंबर, 2000 में की गयी थी, लक्ष्यों और उद्देश्यों को पुन: परिभाषित करती है और उद्योग के सभी विनिर्मात्री क्षेत्रों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन को सुगम और समर्थ बनाकर वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ करने और इससे वैश्विक रूप में प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए उद्देशित रणनीतिक थ्रस्ट क्षेत्रों, उत्पादकता और गुणवत्ता पर बल देकर कच्चे माल आधार में वृद्धि; विकेन्द्रीकृत और परंपरागत क्षेत्रों में कार्यरत लोगों पर विशेष ध्यान दिए जाने सहित समन्वित मानव संसाधन विकास मजबूत बहु-फाईबर आधार और प्रवर्तक विपणन नीतियों के साथ उत्पादन विविधीकरण पर ध्यान तथा निर्यात पर प्रमुख थ्रस्ट पर केन्द्रित करती है। वस्त्र और अपैरल निर्यात हेतु लक्ष्य वर्ष 2010 तक 50 बिलियन अमरीकी डॉलर है जिसमें परिधान का अंशदान 25 बिलियन अमरीकी डॉलर है। नीति का उद्देश्य उद्योग के विकास द्वारा स्थायी रोजगार बढ़ाना भी है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 की घोषणा किये जाने के पश्चात् अनेक अभ्यावेदन से प्राप्त हुए थे। हालांकि, मंत्रालय में ऐसा कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो कि इस नीति का भारतीय कपास उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

**यूरोपीय संघ द्वारा पाकिस्तान को रियायत**

*651. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूरोपीय संघ (ई.यू.) के बीच प्राथमिकताओं वाली सामान्य प्रणाली के अंतर्गत पाकिस्तान को दी गई रियायतें भारत को भी देने संबंधी मांग पर वार्ता विफल रही है और यूरोपीय संघ ने इस संबंध में भारत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने इस मामले में विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान निकाय में ले जाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कौन-कौन से अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) और (ख) 1 जनवरी, 2002 से 31 दिसम्बर 2004 तक की अवधि के लिए यूरोपीय संघ की सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली की योजना में अन्य बातों के साथ-साथ यूरोपीय संघ द्वारा उन सभी उत्पादों के लिए सीमा शुल्क को स्थगित करने का प्रावधान है जिनका औषधि उत्पादन तथा उसके अवैध व्यापार की रोकथाम करने के लिए विशेष टैरिफ व्यवस्थाओं के तहत अंशाकन किया गया है। पाकिस्तान इस विशेष व्यवस्था के तहत लाभानुभोगी देशों में से एक देश है। चूंकि इससे भारत से यूरोपीय संघ को होने वाले निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए भारत ने यह मुद्दा फरवरी, 2002 में हुए द्विपक्षीय विचार-विमर्शों के जरिए यूरोपीय संघ के साथ उठाया था। विचार-विमर्शों के दौरान इस बात को रेखांकित किया गया था कि पाकिस्तान को चुनिंदा तरीके से दी गई शुल्क रियायतों के कारण भारत को अत्यधिक व्यापारिक घाटा होगा। यूरोपीय संघ से ऐसी रियायतों के कारण व्यापार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने का अनुरोध किया गया है। तथापि, भारत की दृष्टि से इन द्विपक्षीय विचार-विमर्शों का वांछित परिणाम नहीं निकला।

(ग) से (ङ) डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान तंत्र के तहत यूरोपीय संघ के साथ उपरोक्त विवाद को हल करने के प्रथम उपाय के रूप में यूरोपीय संघ के साथ विचार-विमर्श की मांग करने का निर्णय लिया गया था। यूरोपीय संघ के साथ उक्त विचार-विमर्श 25 मार्च, 2002 को हुई थी लेकिन उनका सकारात्मक परिणाम नहीं निकला था। हालांकि, हम ई.यू. पक्ष से उपचारात्मक कार्रवाई करने का मार्ग अभी भी खोले हुए हैं तथापि, अगली कार्रवाही डब्ल्यू टी ओ नियमों के अनुसार की जाएगी।

## निर्यात से अर्जित आय का तेल के आयात पर खर्च किया जाना

***652. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात से अर्जित आय का लगभग 40 प्रतिशत तेल के आयात पर खर्च किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि निर्यात से अर्जित आय में से तेल आयात पर होने वाले व्यय के प्रतिशत को कम किया जा सके; और

(ग) तेल आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) जी, नहीं। वर्ष 2001-02 के अनन्तिम आकडों के अनुसार, तेल आयात का बिल पण्य वस्तुओं के निर्यातों का केवल 31% था।

(ख) और (ग) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपाय किए जाने की जरूरत होती है। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अल्पावधि उपायों की जरूरत पिछले वर्ष अक्तूबर में पड़ी थी। इन उपायों में शामिल थे—निर्यात ऋण पर ब्याज दर में कमी करना, विनिर्माता निर्यातकों को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करना, प्रत्यावर्तन की सामान्य अवधि को बढ़ाकर 360 दिन करना और डीईपीबी के मामले में 400 से अधिक निर्यात मदों के लिए मूल्य की सीमा समाप्त करना।

वर्ष 2002-2007 की अवधि के लिए मध्यावधि निर्यात करना कार्य नीति घोषित की गई है जिसका उद्देश्य वर्ष 2006-2007 तक विश्व निर्यातों का एक प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करना है। इसके अलावा वर्ष 2002-2007 के लिए हाल ही में घोषित की गई एक्जिम नीति में निर्यातों के सकारात्मक संवर्धन हेतु अनेक उपाय समाविष्ट किए गए हैं। इनमें शामिल हैं—विशेष आर्थिक जोनों को चालू करना, कुछेक कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु कुछ अनुमत्य व्यय की प्रतिपूर्ति करना, चुनिंदा शहरी बस्तियों का विकास करना, इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के निर्यातों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करना तथा सौदों की लागत में कमी लाना।

तेल के आयातों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं—संवर्धित तेल प्राप्ति (ईओआर) और उन्नत तेल प्राप्ति (आईओआर) योजनाओं को लागू कर मौजूदा प्रमुख तेल क्षेत्रों से प्राप्ति कारक में सुधार लाना; नव पूर्वेक्षण लाईसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के जरिए पूर्वेक्षण प्रयासों में वृद्धि करना; नए क्षेत्रों में खासकर गहरे जल और दुर्गम सीमान्त क्षेत्रों तथा उत्पादक क्षेत्रों की गहरी सतह में पूर्वेक्षण करना; नव अन्वेषित क्षेत्रों का तेजी से विकास करना और सिजमिक सर्वेक्षणों के लिए नव प्रोद्योगिकियों के प्रयोग में तेजी लाना, प्रचालनों में गति लाना, उत्पादक क्षेत्रों में कुंए आदि खोदना; कोल बेड मिथेन का पूर्वेक्षण एवं दोहन करना; देश में शोधन क्षमता में वृद्धि करना इत्यादि।

## बैंकों के निदेशक

***653. श्री सुकदेव पासवान :**
**श्री चन्द्र नाथ सिंह :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों के निदेशकों द्वारा जमाकर्ताओं के धन को व्यक्तिगत उपयोग हेतु शेयर बाजार और अन्य कार्यों में लगाए जाने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए इन बैंकों पर जुर्माना लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35(6) के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) तथा सहकारी बैंकों का दो वर्षों में एक बार सांविधिक निरीक्षण करता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि निरीक्षण के दौरान उन्हें ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला है, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (सीसीबी) के निदेशकों ने जमाकर्ताओं के धन को व्यक्तिगत उपयोग के लिए शेयर बाजार में लगाया है। तथापि, 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एनडीसीसीबी) की वित्तीय स्थिति के संबंध में किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि एनडीसीसीबी ने सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि एनडीसीसीबी के निरीक्षण के निष्कर्ष भारतीय रिजर्व बैंक एवं सहकारिता आयुक्त तथा रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, महाराष्ट्र सरकार को उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए अग्रेषित किए जा चुके हैं। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंक के बोर्ड को अतिक्रमण करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है और बैंक के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जा चुका है। रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, महाराष्ट्र को राज्य में सभी राज्य स्तरीय एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के निवेश लेनदेनों की विशेष लेखापरीक्षा करवाने की सलाह दी गई है।

*[हिन्दी]*

**विदेशों को ऋण**

***654. श्री रामदास आठवले :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगांडा, तंजानिया, कीनिया और सूडान सहित अनेक देशों ने भारत द्वारा दिए गए ऋण की अदायगी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों की वसूली के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों पर ऋण बकाया है और ऋण राशि का ब्यौरा क्या है और ये ऋण किस-किस तारीख से देय हो गये थे; और

(घ) सरकार द्वारा ऋणों की शीघ्र वसूली के लिए उपाय किये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) से (घ) भारत सरकार ने विभिन्न देशों को ऋण शृंखलाएं प्रदान की हैं। तथापि, भारत सरकार द्वारा सूडान सरकार को कोई ऋण श्रंखला प्रदान नहीं का गई है। यूगांडा, तंजानिया तथा कीनिया जैसे कुछ देश, जिन्होंने भारत सरकार की ऋण शृंखलाएं प्राप्त की हैं तथा जो अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धन देश (एच आई पी सी) हैं, अपनी ऋण अदायगी करने में असमर्थ हैं।

भारत सरकार के प्रति इन देशों की बकाया देनदारियों का विवरण निम्नलिखित है :

| देश | मूल राशि | ब्याज |
|---|---|---|
| यूगांडा | 3.207 मिलियन अम. डालर 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार) | 1.189 मिलियन अम. डालर (30.6.2001 की स्थिति के अनुसार) |
| तंजानिया | 14.17 करोड़ रुपए (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार) | 14.39 करोड़ रुपए (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार) |
| कीनिया | 0.059 करोड़ रुपए (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार) | 0.074 करोड़ रुपए (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार) |

भारत सरकार द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा ऋण की इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करती आ रही है। ऐसे कुछ विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है जैसे—भारतीय कंपनियों द्वारा स्थानीय निवेश, नकद धनराशि से भिन्न रूप में वापसी अदायगी तथा निजीकरण की जा रही सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में इक्विटी भागीदारी।

परन्तु इन अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धन देशों (एच.आई.पी.सी) के ऋण को कम करके वहनीय स्तर तक लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा आरम्भ की गई एच आई पी सी पहल के प्रत्युत्तर में भारत सरकार इन देशों को ऋण राहत प्रदान करने संबंधी कार्य प्रणाली पर विचार कर रही है।

*[अनुवाद]*

## विदेशी कम्पनियों पर नियमित कर

***655. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी कम्पनियों पर निगमित कर को 40 प्रतिशत के बजटीय प्रस्ताव से उत्तरोत्तर रूप से कम करने और पूंजी खाते पर भी रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को अनुमति देने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन):** (क) से (ग) इस समय विदेशी कंपनियों पर निगमित कर को 40% के बजट प्रस्ताव से और कम करने से लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। कतिपय प्रयोजनों के लिए पूंजी खाते को उदार बनाने हेतु उपायों की घोषणा 2001-2002 और 2002-2003 के बजट भाषण में की गई है। इन घोषणाओं के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने कतिपय प्रयोजनों के लिए पूंजी खाते को उदार बनाने हेतु बहुत सी अधिसूचनाएं जारी की थी। तथापि, पूंजी खाते के उदारीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना है और न कि एक मात्र घटना के रूप में। इसे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था से सम्बन्धित उभरने वाले परिदृश्य के निर्धारण के साथ-साथ समग्र सुधारों के एक भाग के रूप में सावधानीपूर्वक प्रारंभ किया जाना है।

*[हिन्दी]*

## पंचायतों के लिए प्रोत्साहन निधि

***656. श्री रामपाल सिंह :**
**श्री पदम सेन चौधरी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसी पंचायतों के लिए प्रोत्साहन निधि बनाने का है जिन्होंने अच्छा काम और अपने संसाधनों का पूरा उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):** (क) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है।

(ख) और (ग) तथापि, अप्रैल, 2002 में नई दिल्ली में आयोजित एक अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि पंचायतों को विशिष्ट पहचान देने और उनके बेहतरीन निष्पादन, विशेषकर स्वीकृत सामाजिक विकास संसूचकों में प्रभावी सुधारों के संबंध में इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य को प्रोत्साहनों का एक समुचित ढांचा तैयार करना चाहिए। चूंकि इस मामले में राज्य सरकारों द्वारा कुछ खास पूर्वोपायों को अपनाने के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श भी अपेक्षित है इसलिए इस संबंध में अंतिम परिणाम की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

## प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगम

***657. श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
**श्री अम्बरीश :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्षों से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) के आगम में लगातार कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान गत दो वर्षों की तुलना में कितना वास्तविक विदेशी निवेश हुआ;

(ग) क्या सरकार ने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आगम में गिरावट की प्रवृत्ति के कारणों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है; और

(ङ) सरकार देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आगम को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण)** : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान एफ डी आई अंतर्वाह में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार अंतर्वाह निम्न प्रकार है :

| वर्ष (अप्रैल-मार्च) | अफ डी आई अंतर्वाह (ए डी आर/जी डी आर और शेयरों का निर्गम लंबित रहने तक अग्रिम राशि को छोड़कर) (रुपये करोड़ में) |
|---|---|
| 1999-2000 | 9,404.05 |
| 2000-2001 | 10,732.61 |
| 2001-2002 | 18,654.11 |

वर्ष 2001-2002 के दौरान अतंर्वाह की राशि वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 की अतंर्वाह राशि क्रमश: 98.36 प्रतिशत और 73.81 प्रतिशत अधिक थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) सरकार, नीति की रूपरेखा, कारकों और संस्थाओं के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक प्रतिस्पर्द्धापूर्ण निवेश वातावरण उपलब्ध कराकर, भारत को अधिमानित निवेश लक्ष्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तरोत्तर सुधार करने के लिए एफ. डी. आई. नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है।

*[अनुवाद]*

**शेयरों से इतर कारोबार में विदेशी संस्थागत निवेशक**

***658. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को शेयरों से इतर अन्य सभी कारोबारों में भाग लेने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्व में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयर बाजार में शेयरों से इतर अन्य सभी कारोबारों में भाग लेने पर पाबंदी थी;

(घ) यदि हां, तो नीति को बदले जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए शेयरों से इतर कारोबार की सीमा बढ़ाए जाने से भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव में वृद्धि होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)**: (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि इसने दिनांक 4 फरवरी, 2002 के अपने परिपत्र के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों को उन सभी व्युत्पादों जिनका एक्सचेंजों में लेन-देन होता है, में कारोबार करने का अनुमति प्रदान की है।

(ग) इसके पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त, 2000 के अपने परिपत्र के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों को सुरक्षा के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में केवल एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स फ्यूचर्स में निवेश करने की अनुमति इस शर्त के अधीन दी थी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का समग्र ओपेन इंटरेस्ट संबंधित विदेशी संस्थागत निवेशक के कुल निवेश के बाजार मूल्य के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(घ) नए व्युत्पादों यथा इंडेक्स आप्शन्स, स्टॉक आप्शन के आरंभ के पश्चात सेबी द्वारा 14 अगस्त, 2001 को गठित व्युत्पाद संबंधी सलाहकार समिति ने विदेशी संस्थागत निवेशकों सहित संस्थाओं द्वारा सभी एक्सचेंज ट्रेडेड व्युत्पादों में बड़ी भागीदारी की अनुशंसा की। तदनुसार, वित्तीय एवं पूंजी बाजार संबंधी उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीसीएम) की अगस्त, 2001 में हुई बैठक में विदेशी संस्थागत निवेशकों को सभी एक्सचेंज ट्रेडेड व्युत्पादों के कारोबार की अनुमति देने के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया। एचएलसीसीएम ने यह निर्णय किया कि व्युत्पाद बाजार में एफआईआई की भागीदारी को उनके कुल निवेश के बाजार मूल्य की सीमा तक प्रतिबंधित करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों को वापस ले लिया जाए, जबकि एफआईआई के लिए व्युत्पाद बाजार में "ओपन इंटरेस्ट" एक्सपोजर पर समग्र सीमा को सरकार के परामर्श से पर्याप्त सुरक्षा उपायों के प्रावधान के अध्यधीन सेबी द्वारा विनिर्धारित किया जाएगा।

सेबी बोर्ड ने 28 दिसम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में एफआईआई को सूचकांक आधारित आप्शन संविदाओं तथा स्टॉक विशिष्ट व्युत्पाद संविदाओं में प्रास्थिति सीमाओं के अध्यधीन कारोबार करने की अनुमति प्रदान की। सेबी ने दिनांक 29 जनवरी, 2002 के अपने पत्र के माध्यम से व्युत्पाद संविदाओं के लिए कारोबार सीमाएं सूचित की हैं तथा तदन्तर, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 4 फरवरी, 2002 के अपने पत्र के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी किए।

(ङ) सभी एक्सचेंज ट्रेडेड व्युत्पादों में एफआईआई की भागीदारी के परिणामस्वरूप संस्थागत निवेशकों सहित, निवेशकों के विभिन्न वर्गों की भागीदारी बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक बाजारों में नकदीकरण में वृद्धि होगी तथा बेहतर मूल्य अन्वेषण होगा।

(च) सेबी ने यह सूचित किया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक प्रास्थिति सीमाओं के अध्यधीन होंगे। प्रास्थिति सीमाओं तथा प्रयोज्य मार्जिनों की संगणना एफआईआई के स्तर पर सकल आधार पर तथा उप-लेखों एवं स्वामित्व की प्रास्थिति के स्तर पर निवल आधार पर की जाएगी।

**विश्व हस्तशिल्प बाजार में भारत का हिस्सा**

***659. श्री अशोक ना. मोहोल :**
**श्री रामशेठ ठाकुर :**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प व्यवसाय को उद्योग का दर्जा दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विश्व हस्तशिल्प बाजार, विशेषत: अमरीकी और यूरोपीय देशों के बाजार में भारत की हिस्सेदारी का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या निष्कर्ष निकला है और सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार की हस्तशिल्प उद्योगों के विकास में क्या प्रमुख भूमिका है?

**वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) हस्तशिल्प के असंगठित एवं विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में होने के कारण इसे एक उद्योग के रूप में घोषित करने की आवश्यकता अभी तक महसूस नहीं की गई है। हस्तशिल्प व्यापारियों एवं निर्यातकों ने भी इस संबंध में कोई मांग नहीं की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश के हस्तशिल्प विकास में भारत सरकार की प्रमुख भूमिका निम्नानुसार है :

(1) उच्च बाजार मांग वाले शिल्पों के उत्पादन आधार को बढ़ाना;

(2) हस्तशिल्प के स्वत:-सतत् विकास के लिए सक्रिय एवं सदस्य-नियंत्रित समुदाय आधारित उद्यमों (सी.बी.ई.एम.) की स्थापना करना;

(3) उच्च कोटि के उत्पादन तथा बढ़ाए गए मूल्य-वर्द्धन के लिए डिजाइनों एवं प्रौद्योगिकीय उन्नयम कार्यक्रमों को जारी रखना;

(4) देश के विशेष तौर पर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना तथा जीवित विरासत के रूप में शिल्पों का परिरक्षण;

(5) भारत तथा विदेश दोनों में हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बाजार का सृजन एवं विस्तार करना; तथा

(6) देश में शिल्पियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।

**डीजल का आयात**

***660. श्री जी.एस. बसवराज** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत डीजल और पेट्रोल का आयात केवल राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा ही किया जाना है;

(ख) क्या पेट्रोलियम क्षेत्र में नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है और इस क्षेत्र में नई विपणन कंपनियां आ गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तेल क्षेत्र की निजी कंपनियों की सहमति के बिना इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा;

(घ) क्या भारत के राज्य व्यापार उद्यमों का पिछला अनुभव निराशाजनक रहा है और प्रमुख राज्य व्यापार निगम बंद होने के कगार पर हैं और इसका विनिवेश किया जाना है;

(ङ) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के संवेदनशील मुद्दे को संभालने के लिए किसी राज्य व्यापार उद्यम की पहचान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) से (च) हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ) तथा मोटर स्पिरिट के आयात की अनुमति हमेशा

केवल इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) के माध्यम से दी गई है। यह नीति आज भी जारी है तथा आई.ओ.सी. एकमात्र निर्दिष्ट राज्य-व्यापार उद्यम है। यह सच है कि डीजल तथा पेट्रोल के विपणन को नई कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। चूंकि, आयात नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए तेल क्षेत्र में निजी कंपनियों की सहमति का प्रश्न नहीं उठा है।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) इन उत्पादों के लिए निर्दिष्ट राज्य-व्यापार उद्यम नहीं है। तथापि, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) का पिछला रिकार्ड खराब नहीं रहा है तथा यह लगातार मुनाफा कमा रही है।

तथापि, सरकार की वर्तमान नीति के तहत एसटीसी का विनिवेश जा रहा है न कि उसका समापन किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**भारतीय जीवन बीमा आवास वित्त निगम**

**6629. श्री कैलाश मेघवाल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा आवास वित्त निगम लिमिटेड की शाखाओं और गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं के अधीन आवास निर्माण के लिए स्वीकृत ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवास निर्माण के लिए ऋण लेने के लिए आवेदन करने वालों की संख्या बहुत अधिक है और उनके आवेदन मंजूरी के लिए लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निगम का विचार इस प्रकार की और शाखाएं खोलने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और उन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) संबंधित सूचना संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) और (ग) एलआईसी हाउसिंग फाईनेंस लि. ने सूचित किया है कि ऋण की मंजूरी और संवितरण के बीच समय-अन्तराल लगभग 1 से 10 दिन का है और इसलिए आवेदन लंबित नहीं रखे जाते।

(घ) और (ङ) एलआईसी हाउसिंग लि. की इस समय नए कार्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है।

***विवरण-I***

*एलआईसी हाउसिंग फाईनेंस लि. के कार्यालयों के ब्यौरे*

ए.ओ. : क्षेत्रीय कार्यालय

ई.सी. : विस्तार काउण्टर

| | |
|---|---|
| **तमिलनाडु** | **उत्तर प्रदेश** |
| चेन्नई ए.ओ.+(5) ई.सी. | आगरा |
| कोयम्बटूर | इलाहाबाद |
| मदुरइ | बरेली |
| सालेम ए.ओ.+(1) ई.सी. | देहरादून |
| तिरूनेलवेली ए.ओ.+(1) ई.सी. | हलद्वानी |
| त्रिची | कानपुर |
| वेल्लोर ए.ओ.+(1) ई.सी. | लखनऊ ए.ओ.+(1) ई.सी. |
| **केरल** | वाराणसी |
| अर्नाकुलम | **मध्य प्रदेश** |
| कोजीकोड | भोपाल ए.ओ.+(1) ई.सी. |
| त्रिवेन्द्रम | इन्दौर |
| **कर्नाटक** | जबलपुर |
| बंगलोर ए.ओ.+(3) ई.सी. | रायपुर* |
| गुलबर्गा | **उड़ीसा** |
| हुबली | भुवनेश्वर |
| मंगलौर | **पश्चिम बंगाल** |
| मैसूर | कोलकाता ए.ओ.+(2) ई.सी. |
| **आंध्र प्रदेश** | सिलीगुड़ी |
| हैदराबाद ए.ओ.+(3) ई.सी. | **असम** |
| कुरनूल | गुवाहटी |
| राजामुंदरी ए.ओ.+(1) ई.सी. | सिल्चर |
| तिरूपति | **बिहार** |
| विजयवाड़ा ए.ओ.+(1) ई.सी. | जमशेदपुर ए.ओ.+(1) ई.सी. |
| विशाखापत्तनम | पटना |
| वारंगल | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **राजस्थान** | अमृतसर | **गुजरात** | वासी |
| अजमेर | चण्डीगढ़ | अहमदाबाद | नासिक |
| बीकानेर | जालंधर | राजकोट | औरंगाबाद |
| जयपुर ए.ओ.+(2) ई.सी. | लुधियाना | सूरत | कोल्हापुर |
| जोधपुर | **हिमाचल प्रदेश** | बड़ोदरा | नागपुर |
| **नई दिल्ली** | शिमला | **महाराष्ट्र** | पुणे |
| नई दिल्ली ए.ओ.+(3) ई.सी. | **हरियाणा** | कल्याण ए.ओ.+(1) ई.सी. | **गोआ** |
| गाजियाबाद ए.ओ.+(1) ई.सी. | करनाल | मुम्बई ए.ओ.+(1) ई.सी. | पणजी |
| **पंजाब** | | नल्लासोपारा | |

## *विवरण-II*

*गत तीन वर्षों में विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. द्वारा दिए गए ऋणों के राज्य-वार ब्यौरे*

(लाख रुपए)

| राज्य | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| तमिलनाडु | 34287.57 | 40732.22 | 42301.41 | 117321.20 |
| केरल | 6079.09 | 5016.68 | 5039.47 | 16135.24 |
| कर्नाटक | 13244.05 | 14392.82 | 15653.26 | 43290.12 |
| आंध्र प्रदेश | 14218.98 | 14694.93 | 20056.54 | 48970.45 |
| राजस्थान | 3457.26 | 4322.98 | 5707.93 | 13488.17 |
| दिल्ली | 3923.61 | 3740.28 | 3700.99 | 11364.88 |
| पंजाब | 2998.28 | 3681.28 | 5252.37 | 11931.93 |
| हिमाचल प्रदेश | 299.01 | 354.90 | 712.24 | 1366.15 |
| हरियाणा | 966.14 | 1223.49 | 1539.70 | 3729.33 |
| उत्तर प्रदेश | 6910.86 | 7581.90 | 8027.76 | 22520.52 |
| मध्य प्रदेश | 4394.85 | 4207.23 | 3547.28 | 12149.36 |
| उड़ीसा | 769.55 | 923.80 | 1577.55 | 3270.90 |
| पश्चिम बंगाल | 3838.94 | 4946.15 | 6311.01 | 15096.09 |
| असम | 727.14 | 741.32 | 918.07 | 2386.53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| बिहार | 1789.05 | 2049.32 | 2418.96 | 6257.32 |
| गुजरात | 2742.33 | 3828.59 | 2783.42 | 9354.34 |
| महाराष्ट्र | 23892.93 | 28884.51 | 26807.66 | 79585.09 |
| गोआ | 925.07 | 639.85 | 518.14 | 2083.06 |
| कुल जोड़ | 127430.36 | 144427.89 | 155946.00 | 427804.24 |

**गुजरात में स्वैच्छिक संगठन**

**6630. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कौन-कौन से स्वैच्छिक संगठन उसके मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन संगठनों ने कितनी वित्तीय सहायता की मांग की और उन्हें वास्तव में कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई;

(ग) इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी मानदंड क्या हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इस प्रकार के किन-किन संगठनों को काली सूची में डाला गया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया)** : (क) से (ग) स्वैच्छिक संगठनों और उनको प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है। स्वैच्छिक संगठन अपने स्वयं के आकलन के अनुसार सहायता की मांग करते हैं, तथापि वित्तीय सहायता विभिन्न योजनाओं के मानदंडों के अनुसार मंजूर की जाती है।

(घ) गुजरात में गत दो वर्षों के दौरान कोई संगठन काली सूची में नहीं डाला गया है।

*[अनुवाद]*

**पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम**

**6631. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 2002 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में वर्ष 1991-92 के निर्धारण वर्ष के दौरान सिटी बैंक को ग्रासिम डिपोजिट के माध्यम से हुए 40 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो लाभ को छिपाने संबंधी समाचार की तरफ आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि बैंक प्रारंभिक तथ्यों को उजागर करने में असफल रहा है और पोर्टफोलियो मैनेजनेंट स्कीम से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो आयकर विभाग द्वारा आयकर योग्य धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चूककर्ता बैंको के विरुद्ध क्या कार्यवाई किए जाने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)**: (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के लिए दी गई बैंक गारंटी**

**6632. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम उन निर्यातकों को चावल पर प्रति क्विंटल बैंक गारंटी देता है जिनके चावल का वह निर्यात के उद्देश्य के बिक्री करता है; और

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 2001 से आज की तारीख तक निर्यातकों द्वारा दी गई विभिन्न बैंक गारंटी का ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अशोक प्रधान )** : (क) जी, नहीं। निर्यातक भारतीय खाद्य निगम को बैंक गारंटी की पेशकश करते हैं, जिसे निर्यातक द्वारा भारतीय खाद्य निगम से उठाई गई मात्रा के वास्तविक निर्यात में होने वाली किसी चूक की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम द्वारा भुनाया जाता है।

(ख) निर्यातक ऊपर (क) के उत्तर में उल्लेख किए गए अनुसार चूक गारंटियां देते हैं।

*[अनुवाद]*

## साधारण बीमा निगम में खर्च

**6633. श्री भेरूलाल मीणा : क्या वित्त मंत्री** साधारण बीमा निगम में खर्च के बारे में दिनांक 22 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3061 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड को कर्मचारी संघ की ओर से कंपनी के अतिथि गृहों का मंत्रालय/कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के संबंधियों को वर्षों तक ठहरने से हुए उनके दुरुपयोग के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई या किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील )**: (क) और (ख) जी, हां। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय साधारण बीमा कर्मचारी संघ ने शिकायत की है कि अतिथि-गृहों में ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जो कंपनी के अधिकारी नहीं हैं और यह भी कि कंपनी के अधिकारी होटलों में/अन्य स्थानों पर रह रहे हैं जिससे कंपनी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो रही है।

कंपनी ने बताया है कि अतिथि-गृह में रहने वाले व्यक्तियों से उनके अतिथि-गृह संबंधी नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही प्रभार लिया जाता है। कंपनी ने यह भी सूचित किया है कि अतिथि-गृह दिल्ली के आधिकारिक दौरे पर आने वाले कंपनी के अध्यक्ष और महाप्रबंधकों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अतिथि-गृह की आवास व्यवस्था उपलब्ध न होने का स्थिति में ही वे अपनी पात्रता के अनुसार होटलों में ठहरते हैं।

सरकार ने सराकारी क्षेत्र की सभी बीमा कंपनियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वे विभिन्न स्थानों पर अपने अतिथि-गृहों का उचित उपयोग करें।

## कर्नाटक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम

**6634. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
**श्री शशि कुमार :**

**क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को दिनांक 19 फरवरी, 2001 के संदर्भ में एसडब्ल्युडी 834 एसईडब्ल्यू 2000 में कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम को पूंजी के अंशगत योगदान में केन्द्रीय हिस्से को जारी करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम द्वारा आर्थिक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं और प्रत्येक वर्ष इसकी शेयर पूंजी हेतु 1000 लाख रु. का बजटीय प्रावधान किया जाता है;

(ग) क्या इस प्रावधान का 51 प्रतिशत हिस्सा राज्य के योगदान द्वारा आता है और शेष 49 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है;

(घ) क्या वर्ष 2000-01 के लिए 1000 लाख रु. की शेयर पूंजी में केन्द्र का योगदान 160.05 लाख रु. है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने धनराशि जारी कर दी है;

(च) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(छ) इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ( डॉ. सत्यनारायण जटिया )** : (क) से (छ) कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (के एस सी एस टी डी सी) को वर्ष 2001-02 के लिए 49% शेयर पूंजी अंशदान के रूप में 395.00 लाख रु. के केन्द्रीय सरकार शेयर की निर्मुक्ति से संबंधित दिनांक 28.8.2001 के राज्य सरकार के प्रस्ताव को सितम्बर, 2001 में प्राप्त किया गया। राज्य सरकार ने 1999-2000 में 1000 लाख रु., 2000-01 में 1020 लाख रु. तथा वर्ष 2001-02 में 955 लाख रु. का बजट प्रावधान किया था। इस मंत्रालय ने के एस सी एस टी डी सी हेतु वर्ष 2000-01 के लिए 49% शेयर पूंजी अंशदान के रूप में 499.80 लाख रु. केन्द्रीय सरकार का अंशदान निर्मुक्त किया है।

**यू. टी. आई. के चूककर्त्ताओं संबंधी समिति**

**6635. डा. एन. वेंकटस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू. टी. आई. ने अपने चूककर्ताओं के मामलों को देखने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी कंपनियां चूककर्ता हो गयी हैं; और

(घ) उनके ऊपर देय धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील )**: (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं**

**6636. डा. जसवन्त सिंह यादव** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को कौन-कौन सी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(ख) इस प्रकार की सभी सुविधाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश तैयार किये गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ( डॉ. सत्यनारायण जटिया )** : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त सहायतानुदान से 609 गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 391 वृद्धाश्रमों, 469 दिवा देखभाल केन्द्रों तथा 83 सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों की स्थापना की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ''अन्नापूर्णा योजना'' के अंतर्गत प्रत्येक माह प्रत्येक निराश्रित वृद्ध व्यक्ति को 10 किलोग्राम अनाज वितरित किया जाता है। अस्पतालों में वृद्ध व्यक्तियों के किए अलग पंक्ति प्रणाली है, वयोवृद्ध व्यक्तियों को दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीफोन कनेक्शन तथा शिकायत को दूर करने में प्राथमिकता दी जाती है, रेल तथा नागर विमानन मंत्रालयों द्वारा किराए में रियायत दी जाती है, वित्त मंत्रालय द्वारा कर रियायतें प्रदान की जाती हैं, जीवन बीमा निगम, न्यू इण्डिया बीमा आदि द्वारा विशेष बीमा योजनाएं तैयार की गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक भी वयोवृद्धों द्वारा जमा राशियों पर अधिक ब्याज की अनुमति देते हैं संबंधित योजनाओं में लाभ प्राप्त करने संबंधी औपचारिकताएं शामिल की जाती हैं।

**देश में मिट्टी के तेल की उपलब्धता**

**6637. श्री बीर सिंह महतो :**
**श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर राज्यों में प्रति व्यक्ति कितनी मिट्टी का तेल उपलब्ध है और यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में कितना कम या अधिक है;

(ख) क्या उपर्युक्त आंकड़ा राष्ट्रीय औसत के बराबर है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद )** : (क) वर्ष 2002-2003 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुशंसित आवंटन के अनुसार पश्चिम बंगाल एवं जम्मू और कश्मीर राज्यों को प्रति व्यक्ति क्रमश: 9.71 किलोग्राम और 8.38 किलोग्राम प्रति वर्ष मिट्टी के तेल का आवंटन किया गया है। वर्ष 2002-03 के लिए अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी का तेल की प्रति व्यक्ति आवंटन संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2002-2003 के लिए पश्चिम बंगाल को किया गया प्रति व्यक्ति आंवटन 9.35 किलोग्राम प्रति वर्ष के राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। जम्मू और कश्मीर के मामले में प्रति व्यक्ति आंवटन राष्ट्रीय औसत से कम है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए प्रति व्यक्ति आंवटन तथा राष्ट्रीय औसत में अंतर का कारण 1993 तक मिट्टी के तेल का आवंटन करने के लिए अपनाया गया मानदंड है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2002-2003 हेतु पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आवंटन पहले ही कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को मिट्टी के तेल के आवंटन में वृद्धि करने हेतु पश्चिम बंगाल और जम्मू व कश्मीर राज्यों से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

*विवरण*

*विभिन्न राज्यों को एस.के. तेल का आबंटन*

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2002-03 के लिए एस.के. तेल का आबंटन (टन में) | प्रति व्यक्ति आबंटन (2002-03) (किग्रा/वार्षिक) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| अंडमान और निकोबार | 5709 | 16.02 |
| आंध्र प्रदेश | 566113 | 7.48 |
| अरुणाचल प्रदेश | 9793 | 8.97 |
| असम | 261081 | 9.80 |
| बिहार | 646618 | 7.80 |
| चंडीगढ़ | 14089 | 15.64 |
| छत्तीसगढ़ | 147977 | 7.12 |
| दादरा और नगर हवेली | 3003 | 13.62 |
| दमन और दीव | 2273 | 14.38 |
| दिल्ली | 188854 | 13.70 |
| गोआ | 21999 | 16.37 |
| गुजरात | 781176 | 15.44 |
| हरियाणा | 155928 | 7.40 |
| हिमाचल प्रदेश | 56509 | 9.30 |
| जम्मू और कश्मीर | 84413 | 8.38 |
| झारखण्ड | 216766 | 8.06 |
| कर्नाटक | 500625 | 9.49 |
| केरल | 236758 | 7.44 |
| लक्षद्वीप | 874 | 14.43 |
| मध्य प्रदेश | 497726 | 8.24 |
| महाराष्ट्र | 1367232 | 14.13 |
| मणिपुर | 20857 | 8.73 |
| मेघालय | 20597 | 8.93 |
| मिजोरम | 6748 | 7.57 |
| नागालैंड | 13332 | 6.70 |
| उड़ीसा | 317443 | 8.65 |
| पांडिचेरी | 13307 | 13.66 |
| पंजाब | 272143 | 11.20 |
| राजस्थान | 417204 | 7.39 |
| सिक्किम | 6403 | 11.85 |
| तमिलनाडु | 582712 | 9.38 |
| त्रिपुरा | 31545 | 9.89 |
| उत्तर प्रदेश | 1261121 | 7.59 |
| उत्तरांचल | 98454 | 11.61 |
| पश्चिम बंगाल | 778784 | 9.71 |
| अखिल भारत | 9606166 | 9.35 |

**उड़ीसा में भांडागारों का निर्माण**

**6638. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य भांडागार निगम की तरफ से राज्य के जिलों में भांडागारों के निर्माण की कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान):** (क) से (ग) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने 7 वर्षीय गारंटी योजना के तहत उड़ीसा के विभिन्न जिलों जैसे कालाहांडी, मलकानगिरी, बोलनगीर, रायागाडा, फुलबनी, संभलपुर, बरगढ़, झारसुगुडा, बालासौर, भदरक, कटक, जाजपुर, केन्द्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, खुदरा और गंजाम के लिए राज्य भंडारण निगम के जरिए 2 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता (ढकी) के सृजन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

हाल में उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा में 1 मिलियन टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के लिए एक और प्रस्ताव भी भेजा है।

सरकार ने 7 वर्षीय गारंटी योजना के तहत उड़ीसा में 2.5 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता (ढकी) के निर्माण के लिए गारंटी की पेशकश से संबंधित अपना अनुमोदन 10.1.2002 को

भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक को पहले ही सूचित कर दिया है। इसमें से 2 लाख टन क्षमता राज्य भण्डारण निगम को सौंपी गई है और शेष 0.50 लाख टन केन्द्रीय भण्डारण निगम को सौंपी गई है।

7-वर्षीय गारंटी योजना के तहत एक मिलियन टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता के हाल के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

*[अनुवाद]*

**एच.एस.सी.एल. का पुनरुद्धार**

**6639. श्री सुनील खां** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास एच.एस.सी.एस. का पुनरुद्धार पैकेज 1998 से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष के बजट में एच.एस.सी.एल. के कर्मचारियों की मजदूरी की बकाया राशि के भुगतान की मांग हेतु आवंटन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एच.एस.सी.एल. दुर्गापुर के कर्मचारियों की मजदूरी की बकाया राशि के पुन: भुगतान सहित पुनरुद्धार पैकेज के कब तक दिए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील )**: (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने बकाया मजदूरी तथा बकाया सांविधिक देनदारियों को आंशिक रूप से निपटाने के लिए एच.एस.सी.एल. को 89.44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। 5000 कर्मचारियों के पृथक्करण के उद्देश्य से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी.आर.एस.) लागू करने के लिए निधियां जुटाने के लिए सरकार ने एच.एस.सी.एल. के पक्ष में बैंकों से 250 करोड़ रुपए की सीमा तक एक गारन्टी का अनुमोदन भी किया है।

*[हिन्दी]*

**जम्मू-कश्मीर के हथकरघा क्षेत्र में भ्रष्टाचार**

**6640. श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर के किन क्षेत्रों ने हथकरघा क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की है;

(ख) क्या राज्य हथकरघा बोर्ड में भ्रष्टाचार के कारण जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हो सकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री वी. धनञ्जय कुमार )** : (क) जम्मू व कश्मीर सरकार ने बताया कि हथकरघा क्षेत्र के संबंध में राज्य की अद्भुत बुनाई परम्परा का संरक्षण तथा उसका संवर्धन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जिन क्षेत्रों में अधिकतम प्रगति विशेष रूप से दर्ज की गई है वे क्षेत्र हैं श्रीनगर, बढ़गांव, पुलवामा, जम्मू-कथुआ, उधमपुर और ढोढा। हथकरघा क्षेत्र का मुख्य योगदान जन-प्रसिद्ध रफल पश्मीना और कानी-जामावार शालें-लोईयां तथा कम्बल, खादी व ऊनी वस्त्रों के रूप में हैं। जम्मू एवं कश्मीर के हथकरघा क्षेत्र की पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई महत्वपूर्ण प्रगति नीचे दर्शाई गई है :

| | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 |
|---|---|---|---|
| फैब्रिक उत्पादन (लाख मीटर में) | 57.33 | 43.35 | 153.70 |
| मूल्य लाख रुपये में | 5137.29 | 4165.96 | 22279.34 |
| प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या | 556 | 678 | 637 |
| बीमा योजना के तहत कवर किये गये लाभार्थियों की संख्या | 650 | 850 | 1412 |
| उपलब्ध कराये गये नये हथकरघे | 62 | 34 | 159 |

(ख से (घ) उपर्युक्त वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। इसके साथ-साथ राज्य सरकार ने यह सूचना भी दी है कि राज्य में कोई हथकरघा बोर्ड नहीं है।

## न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी

**6641. श्री शमशेर सिंह दूलो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को विभिन्न क्षेत्रों से कुछ कर्मचारियों द्वारा फर्जी अनु.जा./अनु.ज.जा. प्रमाणपत्र के आधार पर कंपनी में रोजगार प्राप्त करने संबंधी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इस प्रकार की कुछ शिकायतों पर अनु.जा. और अनु.ज.जा. आयोग द्वारा भी गौर किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक शिकायत की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान विभागीय जांच के बाद कितने कर्मचारियों को दोषी पाये जाने के बावजूद उन्हें कोई दण्ड नहीं दिया गया है; और

(च) इसके क्या कारण हैं और कंपनी द्वारा दण्ड संबंधी आदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) से (घ) जी, हां। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. ने सूचित किया है कि उन्हें अखिल भारतीय साधारण बीमा अनु.जा./अनु.जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ से 14; अखिल भारतीय साधारण बीमा अनु.जाति/अनु.जनजाति परिषद् से 11; अखिल भारतीय अनु.जाति/अनु.जनजाति साधारण बीमा कर्मचारी कल्याण संघ से एक और राष्ट्रीय अनु.जाति/अनु.जनजाति आयोग से दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये सभी मामले जाति के सत्यापन हेतु संबंधित जिला कलेक्टरों के पास भेजे गए हैं। राष्ट्रीय अनु.जाति/अनु.जनजाति आयोग से भी यह अनुरोध किया गया है कि वह संबंधित जिला कलेक्टरों को आवश्यक अनुदेश जारी करे।

(ङ) और (च) फर्जी जाति-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में चार कर्मचारी पकड़े गए थे। इन कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी किए गए हैं। अन्तिम आदेश विभागीय कार्यवाहियों के समाप्त होने तथा संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा जाति-प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद जारी किए जाएंगे। इसलिए, कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

## साधारण बीमा कंपनियों का कार्य-निष्पादन

**6642. श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को निजी बीमा कंपनियों से सख्त प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है और इसके परिणामस्वरूप उनके कारोबार में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान साधारण बीमा कंपनियों के कारोबार में किस सीमा तक गिरावट दर्ज की गयी है;

(ग) क्या बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने से सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के सामने कर्मचारियों की संख्या में कमी, पदोन्नति के अवसरों और नई भर्तियों का समाप्त होना जैसी भारी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप बीमा कर्मचारी आन्दोलन पर उतर आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में साधारण बीमा कंपनियों को सुदृढ़ करने के क्या कदम उठाये गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) और (ख) यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को निजी बीमा कंपनियों से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के कारोबार में कोई गिरावट नहीं आई है। दूसरी ओर, वर्ष 2000-2001 में कारोबार में 3.75% और वर्ष 2001-2002 में 12.14% तक की वृद्धि हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकारी क्षेत्र के विनिवेश/निजीकरण, कामगारों के अधिकारों को कम करने, सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की सरकार की नीति का विरोध करने के लिए कुछ कर्मचारी संघों और एसोसिएशनों ने 16 अप्रैल, 2002 को हड़ताल की थी।

(ङ) निजी क्षेत्र की कंपनियों से स्पर्धा का मुकाबला करने के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा विवेकपूर्ण हामीदारी पद्धतियों पर जोर, व्यक्तिगत आधार पर कारोबार करने पर बल, ग्राहकों की वर्धित सेवाओं में सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उन्नयन और गहन प्रयोग, कार्यालयों का समेकन करके सांगठनिक पुनर्संरचना तथा प्रबंध-व्ययों को कम करने पर जोर देना शामिल है।

**पश्चिम बंगाल में भंडारण सुविधा**

**6643. श्री सनत कुमार मंडल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में पश्चिम बंगाल में भंडारण की मौजूदा सुविधा क्या है;

(ख) क्या सरकार काा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में भंडारण सुविधा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो निर्धारित निधियों सहित इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान)** : (क) 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास पश्चिम बंगाल में उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 10.44 लाख टन (अपनी और किराये की/ढकी हुई और कैप) है।

(ख) से (घ) वार्षिक योजना 2002-2003 के अधीन केन्द्रीय भण्डारण निगम का पश्चिम बंगाल में पानीहाटी में 0.20 लाख टन की भंडारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस केन्द्र के लिए भूमि की लागत सहित निर्माण लागत लगभग 7.5 करोड़ रुपये है।

भारतीय खाद्य निगम ने परम्परागत गोदामों के विकास और परिचालन में निजी भागीदारी के जरिये ''बनाओ और चलाओ'' योजना के अधीन पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में 10000 टन की क्षमता सृजित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

पश्चिम बंगाल में हुगली केन्द्र की ''बनाओ और चलाओ'' योजना के अधीन बल्क खाद्यान्न भंडारण और ढुलाई सुविधाओं के सृजन के लिए भी पहचान की गई है।

**राष्ट्रीय पटसन उत्पादक निगम**

**6644. श्रीमती मिनाती सेन : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय जूट उत्पादक निगम को बंद करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय पटसन उत्पादक निगम की 700 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति 45 करोड़ रुपये में बिक्री हेतु प्रायोजित की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम एक रुग्ण कंपनी है तथा 11 अगस्त, 1992 को इसे बी.आई.एफ.आर. को सुपुर्द किया गया। बी.आई.एफ.आर. के निर्देशों के अनुसार इजिरा ने एन.जे.एम.सी. मिलों की एकक वार अर्थक्षमता के संबंध में एक अध्ययन किया था। अध्ययन में यह सिफारिश की गई कि निगम की केवल तीन मिलें अर्थक्षम हैं तथा वे केवल निजी क्षेत्र में हैं। तथापि, सरकार का सभी मिलों का पुनरुद्धार करने का प्रयास है और बी.आई.एफ.आर. को यह प्रस्ताव किया है कि कामगारों की सहकारिता, राज्य सरकार अथवा निजी निविदाकर्त्ताओं को मिलों को बेचकर/हस्तांतरण के माध्यम से मिल-वार पुनरुद्धार के प्रयास किए जा सकते हैं। बी.आई.एफ.आर. ने सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है तथा परिचालन अभिकरण (ओ ए) से खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने को कहा है। प्रत्याशित खरीदकर्ताओं को इस शर्त पर मिलों को सौंपने का प्रस्ताव किया गया है कि परिसंपत्तियों को दस वर्ष के लिए हस्तांतरित नहीं किया जा सकता तथा स्थायी कामगारों के हितों की सुरक्षा की जाएगी। प्रत्याशित खरीदकर्ताओं से खुले विज्ञापन के प्रति प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया तथा दिनांक 4.4.2002 को बी.आई.एफ.आर. की हुई सुनवाई में इन्हें प्रस्तुत किया गया। इस मामले में बी.आई.एफ.आर. ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

**गोदामों में अतिशय खाद्यान्न भंडार**

**6645. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब स्थित केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के गोदामों में अतिशय खाद्यान्न भंडार हैं;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने खाद्यान्नों के सड़ने की संभावना के मद्देनजर अपने गोदामों से खाद्यान्नों को हटाने का अनुरोध किया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अशोक प्रधान )** : (क) 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार पंजाब में भारतीय खाद्य निगम की अपनी कुल 131.81 लाख टन भंडारण क्षमता की तुलना में 109.42 लाख टन स्टाक था।

पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर 6.5.2002 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों के पास 167.40 लाख टन गेहूं है। इन स्टाकों के लगभग 80% को पक्के प्लिंथ पर और शेष 20% को कच्चे प्लिंथ पर भंडारित किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) पंजाब राज्य से स्टाक से संचलन और भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) यद्यपि, प्राप्तकर्ता राज्यों में सीमित भंडारण क्षमता के कारण संचलन में बाधाएं हैं। तथापि, अक्तूबर, 2001 और जनवरी, 2002 के मध्य भारतीय खाद्य निगम, राज्य एजेंसियों के पास पड़े 12.3 लाख टन गेहूं का संचलन करने में सक्षम रहा है।

(2) भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्र अधिकारियों को राज्य एजेंसियों जैसे राज्य सरकार/केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों और निजी पार्टियों से, आवश्यकता होने पर अतिरिक्त भंडारण क्षमता किराये पर लेने के लिए पूरी शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(3) इसके अलावा, पंजाब राज्य भंडारण निगमों को सात वर्षीय गारंटी योजना के अधीन 46.01 लाख टन (41.60 लाख टन ढकी हुई और 4.41 लाख टन कैप) अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसमें से, 17.55 लाख टन (14.86 लाख टन ढकी हुई और 2.69 लाख टन कैप) का पहले ही सृजन किया जा चुका है।

(4) चालू वार्षिक योजना (2002-03) के दौरान, भारतीय खाद्य निगम का पंजाब के मालौल में 5000 टन और टांडा में 23340 टन स्वयं की भंडारण क्षमता का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है।

**यू.टी.आई. द्वारा स्वचालित ट्रीगर सुविधा**

**6646. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अपने यूनिट धारकों को स्वचालित ट्रीगर सुविधा युक्त करने को तैयार है, जिसमें निवेशक अपने पूर्ण निवेश को वापस ले सकते हैं या इसका आगे विस्तार कर सकते हैं जैसा कि दिनांक 16 अप्रैल, 2002 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा के अंतर्गत शामिल की जाने वाली योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) निवेशकों को ये सुविधाएं कब तक दे दिये जाने की सम्भावना है;

(घ) इस योजना द्वारा निवेशकों को कितना लाभ होने की सम्भावना है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधा का लाभ उठाने से पूर्व सेबी के मार्ग-निर्देशों का पालन किया जाना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील )**: (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) सेबी के अनुसार, सीमित अवधि वाली स्कीम चलाने की अनुमति दी जा सकती है, यदि स्कीम शुरू करने का प्रयोजन, अवधि और अन्य शर्तें तथा स्कीम के सभी अन्य महत्वपूर्ण ब्यौरे, जिसमें शुरूआत से तुरन्त पूर्व के परिसंपत्तियों का सम्भावित संघटन निवल परिसंपत्तियों और स्कीम के निवल परिसम्पत्ति मूल्य का यूनिट धारकों को प्रकट किया जाता है तथा उसकी एक प्रति बोर्ड के पास दर्ज की जाती है। ऐसी शुरूआत की केवल उन्हीं यूनिट धारकों के मामले में अनुमति दी जाएगी जो लिखित में अपनी सहमति देता हैं और उन यूनिट धारकों को, जो शुरूआत का विकल्प नहीं देते अथवा जिन्होंने लिखित सहमति नहीं दी है, उन्हें अपनी सम्पूर्ण धारिताओं को, निवल परिसम्पत्ति मूल्य आधारित कीमत पर मोचन करने की अनुमति दी जाएगी।

**यूरोपीय संघ को बासमती चावल का निर्यात**

**6647. श्री शशि कुमार: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय संघ को बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002-2003 के लिए भारत से कितनी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात किए जाने का अनुमान है;

(घ) सरकार द्वारा राज्यवार निर्यात हेतु चावल की किन अन्य किस्मों को अनुमति दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान)** : (क) और (ख) सरकार ने यूरोपीय संघ को बासमती चावल का निर्यात करने के लिए कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) गैर-बासमती चावल का निर्यात मुक्त है। गैर-बासमती चावल के निर्यात हेतु कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) के साथ अनुबंधों के पंजीकरण की आवश्यकता को भी हाल में समाप्त कर दिया गया है।

**आई.आई.बी.आई. में पेंशन योजना**

**6648. श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विनिवेश बैंक लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए अब तक कोई पेंशन योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि. (आईआईबीआई) ने सूचित किया है कि इसके निदेशक मण्डल ने दिसम्बर 2001 में पेंशन संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया और यह महसूस किया कि आईआईबीआई की चालू वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए पेंशन योजना को लागू करना उचित नहीं होगा।

*[हिन्दी]*

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग**

**6649. श्री राममूर्ति सिंह वर्मा** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आई.ए.एस./पी.सी.एस./मेडिकल/इंजीनियरिंग/पी.ओ./स्टेनोग्राफी/लिपिक श्रेणी की परीक्षाओं मे मान्यता प्राप्त संस्थानों और मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यर्थियों के लिए क्या पारिवारिक आय सीमा निर्धारित की गई है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और तत्संबंधी संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बाद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चे इस प्रशिक्षण का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन हेतु वार्षिक आय सीमा को 44,500 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया)** : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए पारिवारिक आय सीमा 44,500/-रु. से बढ़ाकर पहले ही 1,00,000/-रु. प्रति वर्ष कर दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित 30769 उम्मीदवारों को कोचिंग प्रदान की गई। संस्था-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

*विवरण*

*कोचिंग और संबद्ध योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान परीक्षापूर्व कोचिंग प्रदान किए गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारों की संख्या का ब्यौरा*

**क. राज्य सरकारों द्वारा संचालित परीक्षापूर्ण प्रशिक्षण केन्द्र**

| क्रम. सं. | राज्य का नाम | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-02 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 387 | शून्य | शून्य |
| 2. | अण्डमान और निकोबार | शून्य | शून्य | 120 |
| 3. | दिल्ली | 476 | 282 | 210 |
| 4. | हरियाणा | 320 | शून्य | 252 |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | 4 | शून्य | शून्य |
| 6. | कर्नाटक | 1184 | शून्य | 70 |
| 7. | केरल | 825 | 440 | 1024 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 4338 | 3280 | शून्य |
| 9. | मेघालय | 80 | बकाया | शून्य |
| 10. | उड़ीसा | 280 | शून्य | 260 |
| 11. | पंजाब | 100 | 100 | शून्य |
| 12. | राजस्थान | शून्य | 3320 | शून्य |
| 13. | तमिलनाडु | शून्य | शून्य | 200 |
| 14. | त्रिपुरा | 14 | शून्य | शून्य |
| 15. | उत्तर प्रदेश | शून्य | शून्य | 60 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | शून्य | शून्य | 60 |
| | कुल | 800 | 7422 | 2256 |

**ख. विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कोचिंग केन्द्र**

| क्र.सं. | विश्वविद्यालयों का नाम | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | जे.एन. टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, आन्ध्र प्रदेश | 40 | शून्य | शून्य |
| 2. | ककातिया यूनिवर्सिटी, वारंगल | शून्य | 60 | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | नगरजूना यूनिवर्सिटी, गुन्टुर, आन्ध्र प्रदेश | 369 | 400 | शून्य |
| 4. | ओसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद | 160 | शून्य | 80 |
| 5. | श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, त्रिरुपति, आन्ध्र प्रदेश | 60 | 60 | शून्य |
| 6. | अरुणाचल यूनिवर्सिटी | शून्य | शून्य | शून्य |
| 7. | जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली | शून्य | शून्य | 80 |
| 8. | कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी | शून्य | शून्य | 40 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला | शून्य | शून्य | 150 |
| 10. | गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद | शून्य | शून्य | शून्य |
| 11. | कर्नाटक यूनिवर्सिटी | शून्य | शून्य | शून्य |
| 12. | मैसूर यूनिवर्सिटी | शून्य | शून्य | 300 |
| 13. | मंगलोर यूनिवर्सिटी | शून्य | शून्य | 200 |
| 14. | बंगलौर | शून्य | शून्य | 340 |
| 15. | ए.पी.एस. यूनिवर्सिटी, रेवा, मध्य प्रदेश | 216 | शून्य | 80 |
| 16. | एम पी भोज यूनिवर्सिटी, भोपाल | शून्य | शून्य | 135 |
| 17. | देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इन्दौर, म.प्र. | शून्य | शून्य | शून्य |
| 18. | विक्रम यूनिवर्सिटी | 240 | 190 | 220 |
| 19. | बी आर अम्बेडकर मारथवारथ यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद | 35 | शून्य | शून्य |
| 20. | नागपुर यूनिवर्सिटी | शून्य | शून्य | शून्य |
| 21. | पुणे यूनिवर्सिटी | 40 | शून्य | शून्य |
| 22. | पांडिचेरी यूनिवर्सिटी | शून्य | शून्य | 180 |
| 23. | गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर | 110 | 140 | 140 |
| 24. | पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला | 284 | 123 | शून्य |
| 25. | जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर | शून्य | शून्य | 190 |
| 26. | मोतीलाल सुखदिया यूनिवर्सिटी, उदयपुर | शून्य | शून्य | 180 |
| 27. | सिक्किम गर्वमेंट कालेज, सिक्किम | 26 | शून्य | शून्य |
| 28. | मद्रास यूनिवर्सिटी | शून्य | शून्य | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 29. | अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी | शून्य | शून्य | 200 |
| 30. | इलाहाबाद यूनिवर्सिटी | 165 | 147 | 214 |
| 31. | बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा | 100 | शून्य | शून्य |
| 32. | एच.एन. बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, गढ़वाल | 120 | 80 | 120 |
| 33. | कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी | 40 | शून्य | शून्य |
| 34. | लखनऊ यूनिवर्सिटी | 170 | 120 | 150 |
| 35. | मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद | 120 | 76 | 67 |
| | कुल | 2286 | 1396 | 3166 |

**ग. गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित कोचिंग केन्द्र**

| क्र.सं. | गैर-सरकारी संगठन का नाम | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | जागृति एजु. एंड रूरल डेव. सोसायटी हैदराबाद | शून्य | 80 | 290 |
| 2. | राव स्टडी सर्कल, हैदराबाद | 30 | शून्य | 80 |
| 3. | सोशल इंस्टि. एंड रूरल डेव. सोसाइटी, हैदराबाद | शून्य | 150 | 40 |
| 4. | वेनीला एजु. एंड रूरल डेव. सोसाइटी, हैदराबाद | शून्य | 40 | 80 |
| 5. | महाकौशल एकेडमी रायपुर | शून्य | 40 | शून्य |
| 6. | दिल्ली एजु. सेन्टर, नई दिल्ली | 260 | दूसरी किस्त | 80 |
| 7. | एस एन दास गुप्ता कॉलेज, नई दिल्ली | 400 | दूसरी किस्त | 200 |
| 8. | आई एम पी ए, श्रीनगर | 120 | शून्य | शून्य |
| 9. | अशोक कोचिंग सेन्टर, भिंड मध्य प्रदेश | 60 | शून्य | शून्य |
| 10. | अशोक महिला मंडल, भिंड मध्य प्रदेश | 320 | शून्य | शून्य |
| 11. | ज्ञान विकास समिति, भोपाल | 80 | 80 | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | जगन्नाथ शिक्षण संस्थान | 50 | शून्य | शून्य |
| 13. | कृष्णा कोचिंग इंस्टि., जबलपुर | 40 | 100 | 120 |
| 14. | कृष्णा कोचिंग इंस्टि, भोपाल | शून्य | शून्य | 120 |
| 15. | डा. बी.आर. अम्बेडकर नेशनल सोशल इंस्टि. मऊ, मध्य प्रदेश | 40 | शून्य | शून्य |
| 16. | रीचा समाज सेवा, मध्य प्रदेश | 50 | शून्य | शून्य |
| 17. | श्री लाल बहादुर शिक्षा, मध्य प्रदेश | 40 | शून्य | शून्य |
| 18. | श्री लव शिक संस्थान, मध्य प्रदेश | 50 | शून्य | शून्य |
| 19. | सुरुचि शिक्षण संस्थान, ग्वालियर | शून्य | 160 | शून्य |
| 20. | चेतन्य बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान, नागपुर | 80 | 80 | 200 |
| 21. | चाणक्य मंडल पुणे | शून्य | 180 | शून्य |
| 22. | नाइस नागपुर | 225 | शून्य | शून्य |
| 23. | स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान, लातुर | शून्य | 130 | शून्य |
| 24. | एल सी इंस्टि, सोशल एंड अपलाइड सांइस, भुवनेश्वर | 100 | 40 | 60 |
| 25. | उड़ीसा आइ ए एस स्टडी सर्कल, भुवनेश्वर | 30 | दूसरी किस्त | 70 |
| 26. | उदयपुर स्टडी सर्कल, उदयपुर | शून्य | 200 | शून्य |
| 27. | डा. जी आर दामोदरन, कॉलेज ऑफ साइंस, कोयमबतुर | शून्य | शून्य | 150 |
| 28. | आई सी ई कैरियर गाइडेंस त्रिवरूर | शून्य | 170 | शून्य |
| 29. | सहारा अकेडमी, कानपुर | शून्य | 160 | शून्य |
| 30. | ए पी स्टडी सर्कस, मेहबुबनगर, आंध्र प्रदेश | शून्य | शून्य | 80 |
| 31. | डा. बी आर अम्बेडकर युथ एसो. खमाम, आंध्र प्रदेश | शून्य | शून्य | 120 |
| 32. | ट्रस्ट एजु. फाउनडेशन, नौगांव, असम | शून्य | शून्य | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 33. | योगी नारायण एजु, सेन्टर, बंगलौर | शून्य | शून्य | 30 |
| 34. | असारिया जन विद्याकेन्द्र, तीरूवनन्तपुरम | शून्य | शून्य | 40 |
| 35. | इंस्टि. आफ मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट तीरूवनन्तपुरम | शून्य | शून्य | 40 |
| 36. | कृष्णा कोचिंग इंस्टि, ग्वालियर | शून्य | शून्य | 40 |
| 37. | ग्राम भारती संस्थान, ग्वालियर | शून्य | शून्य | 80 |
| 38. | पदमाकर शिक्षा समिति, भोपाल | शून्य | शून्य | 120 |
| 39. | कुन्दन कल्याण समिति, भोपाल | शून्य | शून्य | 120 |
| 40. | आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल, धुले महाराष्ट्र | शून्य | शून्य | 40 |
| 41. | नवलभाऊ प्रतिष्ठान विजयकैरियर अकेडमी, औरंगाबाद | शून्य | शून्य | 60 |
| 42. | दी वीमेंस इकोनोमिक डेव. सोसाइटी, खोंगमाम, इम्फाल | शून्य | शून्य | 40 |
| 43. | दी इंस्टि. आफ सोसल डेव. फार विकर सेक्शन, इम्फाल | शून्य | शून्य | 40 |
| 44. | सचदेवा न्यु पी टी कॉलेज, पुरी | शून्य | शून्य | 30 |
| 45. | मयुर वेलफेयर एजु. सोसाइटी बांसवारा, राजस्थान | शून्य | शून्य | 40 |
| 46. | सोशल साइंस सुधार रिसर्च इंस्टि, कानपुर | शून्य | शून्य | 40 |
| 47. | आंचल, लखनऊ | शून्य | शून्य | 120 |
| 48. | स्टडी पॉइंट समिति, देहरादून | शून्य | शून्य | 40 |
| | कुल | 1975 | 1610 | 2650 |

*[अनुवाद]*

**वरिष्ठ नागरिकों को लाभ**

6650. **श्री बी.के. पार्थसारथी :**
**श्री गंता श्रीनिवास राव :**

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी विभाग वरिष्ठ नागरिकों को कतिपय लाभ प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 28 फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार विभाग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन लाभों को प्राप्त करने हेतु वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ आयु सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो 28 फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार लाभ-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया)** : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त सहायतानुदान से 609 गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 391 वृद्धाश्रमों, 469 दिवा देखभाल केन्द्रों तथा 83 सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों की स्थापना की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ''अन्नपूर्णा योजना'' के अंतर्गत प्रत्येक माह प्रत्येक निराश्रित वृद्ध व्यक्ति को 10 किलोग्राम अनाज वितरित किया जाता है। अस्पतालों में वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग पंक्ति प्रणाली है, वयोवृद्ध व्यक्तियों को दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीफोन कनेक्शन तथा शिकायत को दूर करने में प्राथमिकता दी जाती है, रेल तथा नागर विमानन मंत्रालयों द्वारा किराए में रियायत दी जाती है, वित्त मंत्रालय द्वारा कर रियायतें प्रदान की जाती हैं, जीवन बीमा निगम, न्यू इण्डिया बीमा आदि द्वारा विशेष बीमा योजनाएं तैयार की गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक भी वयोवृद्धों द्वारा जमा राशियों पर अधिक ब्याज की अनुमति देते हैं।

(ग) और (घ) अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत 60 या 65 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है।

## प्रवर्तन निदेशालय को अधिकार

**6651. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंतकवादियों के वित्त पोषण को रोकने हेतु प्रवर्तन निदेशालय को और अधिकार प्रदान करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ग) प्रवर्तन निदेशालय को ये अधिकार कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे और इससे आतंकवादियों के वित्त पोषण को रोकने में कितनी मदद मिलेगी?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन)**: (क) से (ग) आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों को क्रियान्वित करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति से निपटने के लिए समय-समय पर विभिन्न कानूनी और प्राशसनिक उपाय कर रही है।

## आंध्र प्रदेश में गोदामों का निर्माण

**6652. श्रीमती रेणूका चौधरी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने खाद्यान्नों हेतु गोदामों के निर्माण के लिए 125 करोड़ रुपये की राजसहायता का आवंटन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान)** : (क) और (ख) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान ''गोदामों के निर्माण'' संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन कुल 18000 टन क्षमता के 30 गोदामों का निर्माण करने के लिए 360 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव योजना में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार नहीं था।

*[हिन्दी]*

## तम्बाकू का उत्पादन

**6653. श्री राम सिंह कस्वां** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तम्बाकू उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन-से हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में तम्बाकू का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) देश में तम्बाकू की वार्षिक खपत कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश से तम्बाकू की वर्ष-वार कुल कितनी मात्रा का और कितने मूल्य का निर्यात किया गया?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूड़ी)** : (क) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक फ्लू क्योर्ड वर्जिनिया (एफ सी वी) तंबाकू के उत्पादन में दो अग्रणी राज्य हैं।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एफ सी वी तंबाकू के उत्पादन, उसकी खपत तथा उसके निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

मात्रा टनों में; मूल्य करोड़ रु. में

| वर्ष | उत्पादन | घरेलू खपत | निर्यात | |
|---|---|---|---|---|
| | | | मात्रा | मूल्य |
| 1999-2000 | 165,190 | 65,094 | 136,221 | 1050.22 |
| 2000-2001 | 45,220 | 64,864 | 1115,390 | 903.38 |
| 2001-2002* | 171,160 | 62,700 | 102,086 | 888.52 |

*अनंतिम
स्रोत : तंबाकू बोर्ड

*[अनुवाद]*

**सहकारी बैंकों को सहायता**

**6654. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना के अंतर्गत वित्तीय आबंटन को बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**शहरी गरीबों को क्रेडिट कार्ड**

**6655. श्री कोडीकुनील सुरेश :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यवसाय और पेशे में जरूरतों के लिए शहरी गरीबों को क्रेडिट जारी करने पर विचार किया है या विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने लघु उधारकर्ताओं अर्थात लघु व्यावसायिक इकाइयों, खुदरा व्यापारियों, कारीगरों, लघु औद्योगिक इकाइयों और अति लघु इकाइयों, व्यावसायिकों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों आदि को 2 लाख रुपए तक की ऋण सीमाओं तथा पिछले तीन वर्षों के लिए बैंक के साथ संतोषजनक लेन-देन करने वाले उधारकर्ताओं को 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण सीमा मंजूर की जा सकती है और उधारकर्ता की विशेष हैसियत के पहचानस्वरूप क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**चीनी मिलें**

**6656. श्री जयभान सिंह पवैया :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन चीनी मिलों की संख्या कितनी है जिन्होंने चालू पेराई मौसम के दौरान चीनी उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) वर्तमान में कितनी चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं और उन्हें पुन: चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) चालू पेराई मौसम के दौरान चीनी उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद ):** (क) वर्तमान पेराई

मौमस 2001-2002 के दौरान देश में 428 चीनी मिलों ने चीनी का उत्पादन आरम्भ किया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान चीनी मौसम अर्थात् 2001-2002 के दौरान 99 चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं जबकि पिछले चीनी मौसम में 72 चीनी मिलें बन्द पड़ी थीं। यद्यपि उत्तर प्रदेश में स्थित एक चीनी मिल, जो पिछले चीनी मौसम में बन्द पड़ी थी, ने वर्तमान मौसम में चीनी का उत्पादन किया है। देश में 28 मिलों ने चीनी का उत्पादन नहीं किया। इनमें से महाराष्ट्र में स्थित 20 मिलों ने मुख्य रूप से सूखे जैसी स्थिति के कारण गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता की वजह से चीनी का उत्पादन नहीं किया। बन्द चीनी मिलों में से 11 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की हैं तथा 15 चीनी मिलें बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बन्द किए जाने की निर्णय किया गया है।

चीनी मिलों का बन्द होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, अलाभकर आकार, संयंत्र और मशीनरी का पुराना होना और खराब स्थिति, तकनीकी और प्रबंधकीय अक्षमता, अत्यधिक गन्ना मूल्य जिसका बिक्री वसूली के अनुरूप न होना, आदि।

सरकार ने देश में चीनी उद्योग की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. चीनी मिलों की लेवी देयता, जो 1.2.2001 से 30 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत कर दी गई थी, 1.3.2002 से उसे और कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

2. देश में आयातित चीनी की आमद को कम करने के लिए 9.2.2000 से सीमा शुल्क बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। आयातित चीनी को रिलीज व्यवस्था के अधीन लाया गया है।

3. जरूरतमंद चीनी मिलों को खुली ब्रिकी की चीनी की अग्रिम रिलीज की जा रही है ताकि वे किसानों को गन्ने के मूल्य की देय धनराशि की अदायगी कर सकें।

4. सरकार ने खुली बिक्री की चीनी की मासिक रिलीज की बजाय त्रैमासिक रिलीज व्यवस्था आरम्भ की है। चीनी मिलों को अपने तिमाही कोटे की 10% तक मात्रा तिमाही के दौरान अतिरिक्त कोटे के रूप में बेचने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि अतिरिक्त कोटे की ब्रिकी से प्राप्त धनराशि का उपयोग गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य की देय धनराशि के भुगतान के लिए किया जाए।

5. 1.4.2001 से चीनी के निर्यात पर मात्रात्मक सीमा समाप्त कर दी गई है।

6. निर्यात के लिए निर्धारित चीनी को लेवी देयता से मुक्त कर दिया गया है।

(ग) चीनी के उत्पादन के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, वर्तमान पेराई मौसम के दौरान लगभग 175 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का आशा है।

*[अनुवाद]*

**गुजरात में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली**

**6657. श्री दिलीप संघाणी :**
**श्री जी.जे. जावीया :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन परिवारों की पहचान की है जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक परिवार को विशेष राशन कार्ड प्रदान किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन लोगों की क्रय शक्ति कम होने के कारण शीघ्र राशन कार्ड प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अशोक प्रधान )** : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। जहां केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वस्तुओं की वसूली करने तथा उनको राज्यों के प्रमुख वितरण केन्द्रों में उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं का वितरण, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान और राशन कार्डों को जारी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे के 33.89 लाख परिवारों की पहचान की है जबकि 1.3.2000 के जनसंख्या प्रक्षेपणों के आधार पर वर्ष 1993-94 हेतु योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के हिसाब से 21.20 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का अनुमान लगाया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। गुजरात सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 33.63 लाख राशन कार्ड जारी करने की सूचना दी है।

**'नर्मदा बचाओ आंदोलन' को दान**

**6658. श्री पी.एस. गढ़वी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनरॉन निगम ने एक स्वैच्छिक संगठन, 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' को 10 लाख रुपए का दान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दान सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन):** (क) जी, नहीं। संबंधित प्राधिकारियों के पास उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार एनरॉन कार्पोरेशन द्वारा नर्मदा बचाओ आन्दोलन को 10 लाख रु. का दान देने के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

**आयकर छापे**

**6659. श्री चन्द्रेश पटेल :**
**श्री आदि शंकर :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के अधिकारियों ने ऋणदाताओं के परिसरों, होटल मालिकों और कुछ अन्य स्थानों पर मार्च एवं अप्रैल, 2002 के दौरान देशव्यापी और विशेषकर मुम्बई में 16 अप्रैल, 2002 को छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो की गई जब्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने और इसमें शामिल लोगों को पकड़ने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन):** (क) और (ख) मार्च और अप्रैल, 2002 के दौरान ऋणदाताओं और होटल मालिकों के परिसरों में आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशियों और वहां से की गई जब्ती के विवरण नीचे दिए गए हैं :

(लाखों में)

| कारोबार का स्वरूप | स्थान | तलाशी की तारीख | की गई जब्ती |
|---|---|---|---|
| ऋणदाता | चेंगान्नूर एलेप्पी (केरल) | 13.3.2002 | 133.00 |
| | फुलेरा, राजस्थान | 20.3.2002 | 20.55 |
| होटल और | चेन्नई | 11.4.2002 | 140.00 |
| रेस्तरां | मुम्बई | 11.4.2002 | 925.81 |
| | | योग | 1219.36 |

(ग) तलाशी के दौरान जब कभी अवैध क्रियाकलापों के संबंध में कोई सूचना पाई जाती है, तो वह सूचना संबंधित अधिकरणों को भेज दी जाती है। जहां तक आयकर विभाग का संबंध है, उस माह जिसमें पिछले 6 वर्षों की अप्रकटित आय का निर्धारण करने के लिए तलाशी की जाती है, से 2 वर्षों की अवधि के भीतर ब्लॉक निर्धारित किए जाते हैं। कर के लिए जब्त परिसम्पत्तियों का समायोजन किया जाता है और ब्लॉक निर्धारण के पूरा होने पर ब्याज लगाया जाता है। आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत विभिन्न चूकों के लिए अभियोजन भी चलाये जाते हैं।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा**

**6660. श्री रतन लाल कटारिया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को व्यावसायिक, तकनीकी और पेशेवर शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर भागीदारी के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक सुधार में अब तक क्या सकारात्मक और हस्तक्षेप करने वाली भूमिका अदा की गई है;

(ग) क्या सरकार को व्यावसायिक, शैक्षिक और पेशेवर संस्थानों में आरक्षण को विभिन्न स्तरों पर न क्रियान्वित किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के द्वारा असमानताओं के हटने शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल देती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए अनेक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं तैयार की गई हैं। दाखिलों में सीटों का आरक्षण वजीफे, छात्रावास सुविधा, पुस्तक बैंक आदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा की पहुंच को आसान बनाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

*[हिन्दी]*

**फटे-पुराने नोटों को बदलना**

**6661. श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फटे-पुराने नोटों को बदलने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत बैंक कौन-कौन से हैं; और

(ख) छोटे शहरों/कस्बों को ये सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)**: (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की शाखाओं को निर्देश दिए गए हैं कि उनके काउन्टर पर दिए गये सभी गन्दे नोटों को निर्बाध रूप से बदल दें, चाहे ये नोट उनके ग्राहकों ने दिए हों या अन्य लोगों ने दिए हों। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के 46,095 बैंकों को गन्दे नोट बदलने के लिए प्राधिकृत किया है। इस प्रकार यह सुविधा पूरे देश में उपलब्ध है।

इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और साथ ही गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी करेंसी चेस्ट बैंक शाखाओं को जनता द्वारा प्रस्तुत किए गए कटे-फटे नोटों के संबंध में निर्णय देने की पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। देश में 4409 करेन्सी चेस्ट हैं।

**बकाया करों की वसूली के लिए विशेष अभियान**

**6662. श्री मोहन रावले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज की तिथि के अनुसार आयकर, निगम कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में कारपोरेट्स को 65,000 करोड़ रुपये की भारी राशि देनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बकाया कर की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन)**: (क) और (ख) दिनांक 28.2.2002 की स्थिति के अनुसार आयकर और निगमित कर की बकाया राशि 62134.53 करोड़ रुपए है। आयकर और निगमित कर के अलग-अलग आकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बकाया राशि 8439.55 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) बकाया देयताओं की वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सांविधिक उपबन्धों का उपयोग शामिल है। इनमें ब्याज लगाना, शास्ति लगाना, चल एवं अचल सम्पत्तियों की जब्ती एवं बिक्री इत्यादि शामिल है। अधिक मांग वाले मामलों की उच्च प्राधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर आवधिक समीक्षा और निगरानी की जाती है और करों को वसूल करने के लिए समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय (पी.डी.ओ.)**

**6663. श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के लिए परंपरागत तौर से कार्य करने वाले विभिन्न लोक ऋण कार्यालयों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अलग किए गए लोक ऋण कार्यालयों की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है;

(ग) अलग होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार का निर्णय लेने से क्या सुधार आने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां**

**6664. श्री थावर चन्द गेहलोत :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन काम करने वाली बीमा कंपनियां कौन-कौन सी हैं और उनके बीमा कारोबार की प्रकृति क्या है;

(ख) मार्च, 2002 के दौरान उक्त बीमा कंपनियों के कारोबार की कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों से कुछ बीमा कंपनियां घाटे में चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) घाटे में चल रही कंपनियों को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

(करोड़ रु.)

| निगम/कंपनियों के नाम | कारोबार का स्वरूप | मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के दौरान कुल कारोबार (अनन्तिम) |
|---|---|---|
| भारतीय जीवन बीमा निगम | जीवन बीमा | 50,000.00* |
| भारतीय साधारण बीमा निगम | पुनर्बीमा | 2500.00 |
| नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. | साधारण बीमा | 2353.00 |
| न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. | साधारण बीमा | 3503.09 |
| ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. | साधारण बीमा | 2461.81 |
| यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. | साधारण बीमा | 2672.48 |

*इसमें पहले वर्ष का प्रीमियम, नवीकरण प्रीमियम, पेंशन योजनाओं से प्राप्त प्रीमियम, पी एण्ड जीएस कारोबार प्रीमियम, जीवन सुरक्षा प्रीमियम शामिल है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सभी कंपनियों ने कुल मिलाकर मुनाफा दर्ज किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) हालांकि गत तीन वर्षों के दौरान कंपनियों ने कुल मिलाकर मुनाफा दिखाया है, फिर भी उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा अनेक सुधार उपाय किए गए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ विवेकपूर्ण हामीदारी पद्धतियों पर जोर, व्यक्तिगत आधार पर कारोबार करने पर बल देना, ग्राहकों की सेवाओं को सुधारने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा गहन प्रयोग, कार्यालयों का समेकन करके सांगठनिक पुनर्संरचना तथा प्रबंध-व्ययों को कम करने पर जोर देना शामिल है।

**खुले बाजार से खाद्यान्नों की खरीद**

**6665. श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में किसानों से सीधी खरीद करने की बजाय खाद्यान्न खुले बाजार से खरीदे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या इन राज्यों में खाद्यान्न की बिक्री कम हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रबी और खरीफ विपणन मौसम, 2001-2002 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ राज्यों से खाद्यान्नों की मजबूरन बिक्री करने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। तथापि, जांच से पता चला है कि केवल गैर उचित औसत किस्म के खाद्यान्न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बेचे गए थे।

(घ) प्रत्येक विपणन मौसम शुरू होने से पूर्व अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे खाद्यान्नों की मजबूरन बिक्री की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए नियंत्रण कक्ष खोलें।

जब कभी मजबूरन बिक्री की शिकायतें प्राप्त होती हैं तब उन्हें आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार को भेज दिया जाता है।

*[हिन्दी]*

## टकसालों का आधुनिकीकरण

**6666. श्री वाई.जी. महाजन :**
**योगी आदित्यनाथ :**
**श्री सुरेश रामराव जाधव :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टकसालों का आधुनिकीकरण करने की निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी टकसाल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन टकसालों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(घ) टकसालों का आधुनिकीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)**: (क) से (ग) सरकार ने वर्ष 1989 के दौरान कोलकाता, मुम्बई और हैदराबाद स्थित भारत सरकार टकसालों (आई जी एम) के आधुनिकीकरण के लिए 118.28 करोड़ रुपए लागत की एक स्कीम को अनुमोदित किया था। स्कीम में 1994 में पुन: संशोधन किया गया और इसका लागत अनुमान 118.28 करोड़ रुपए से बढ़कर 301.82 करोड़ रुपए हो गया। अनुमोदित लागत का टकसाल-वार विवरण निम्नानुसार है :

| टकसाल का नाम | करोड़ रुपए |
|---|---|
| भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद | 117.49 |
| भारत सरकार टकसाल, मुम्बई | 96.48 |
| भारत सरकार टकसाल, कोलकाता | 87.85 |

(घ) टकसालों के आधुनिकीकरण का कार्य जून, 2001 के दौरान पूरा हो चुका है।

## केन्द्र सरकार की वित्त व्यवस्था में स्थायित्व

**6667. श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्र सरकार की वित्त व्यवस्था के स्थायित्व और सततता के संबंध में कतिपय क्षेत्रों का जिक्र किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)**: (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह टिप्पणी की है कि बढ़ते हुए संसाधन अन्तर तथा परिणामी वृद्धिकारी उधार आवश्यकताओं से लोक ऋण का संचयन हो गया। प्राथमिक घाटे के जारी रहने तथा सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि तथा ब्याज दरों की समाभिरूपता से ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात पर अधोमुखी जड़ता लगती है। मध्यावधि

से दीर्घावधि ब्याज दरों के निकट सुमेलन तथा सकल घरेलू उत्पाद में मामूली वृद्धि के ऋण सकल घरेलू उत्पाद के स्थायित्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव है।

(ग) केन्द्र सरकार अपने वित्तपोषणों के स्थायित्व तथा निरन्तरता को उच्च प्राथमिकता देती है। राजकोषीय समेकन प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से, अनेक व्यय प्रबन्धन उपायों नामत: शून्य आधारित बजटीय व्यवस्था, सब्सिडियों तथा उनका यौक्तिकीकरण, प्रशासित ब्याज दरों में कटौती, आदि को अपनाया गया है। सरकार ने दिनांक 1.3.2002 से अधिकांश प्रशासित दरों को 50 आधार अंकों से संशोधित किया है। सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन विधेयक, 2000 भी पेश किया है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ राजस्व घाटा दूर करने, राजकोषीय घाटा कम करने तथा एक समयबद्ध सीमा में लोक ऋण की वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी तथा सांस्थानिक ढांचे का प्रावधान है।

**निर्यात संवर्धन परिषदें**

**6668. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान निर्यात संवर्धन परिषदों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार निर्यात के नए क्षेत्रों की जरूरतों और निर्यात की जा रही नई वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए अधिक निर्यात संवर्धन परिषदों का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो विचाराधीन नई निर्यात संवर्धन परिषदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार का वर्तमान निर्यात संवर्धन परिषदों को किस प्रकार सुदृढ़ करने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार इन परिषदों के शासी निकायों के चुनाव की प्रक्रिया में कतिपय परिवर्तन करने का भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी)** : (क) वर्तमान निर्यात संवर्धन परिषदों का स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है।

(ख) और (ग) निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) की स्थापना उद्योग जगत द्वारा उद्योग के एक विशेष खण्ड से संबंधित उत्पादों के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए की जाती है और तत्पश्चात् नई ईपीसी की मान्यता हेतु निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने पर सरकार द्वारा उन्हें मान्यता प्रदान की जाती है। निर्यातों के नए क्षेत्रों और नई मदों के निर्यातों के लिए और अधिक ईपीसी को मान्यता प्रदान करने के लिए उद्योग जगत से मानदण्डों को पूरा करते हुए हाल ही में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) हाल ही के वर्षों, विशेषकर उरूग्वे दौर की समाप्ति और डब्ल्यू टी ओ की स्थापना के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के मद्देनजर निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) का पुनर्गठन करना आवश्यक समझा गया था ताकि उन्हें अपने सदस्यों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया जा सके और साथ ही साथ उनके सदस्यों को उपलब्ध कराई जी रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अधिक व्यावसायिकता लाई जा सके। तदनुसार सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा अपनाए जाने के लिए आदर्श उपलब्धियां निर्धारित की हैं जिनसे उनकी प्रशासनिक और चुनाव संबंधी क्रियाविधियां युक्तिसंगत बनेगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ईपीसी के प्रबंधन में वास्तविक निर्यातकों की अधिक प्रभावी भूमिका रहती है और इस प्रकार वे उनके कार्यकलापों में अधिक कुशलता और पारदर्शिता लाने में योगदान करते हैं।

(ङ) और (च) निर्यात संवर्धन परिषदों को परिचालित आदर्श उपविधियों/संस्था के अन्तर्नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव किया गया है कि वोट देने का अधिकार और ईपीसी विभिन्न पदों पर चुनाव में खड़े होने का अधिकार केवल ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जिनका कम से कम तीन वर्षों की अवधि का कोई सुस्थापित आधार हो। यह भी निर्धारित किया गया है कि सदस्यों की दो श्रेणियां होंगी अर्थात् सम्बद्ध सदस्य और सामान्य सदस्य। नए सदस्यों को पहले सम्बद्ध सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाएगा और कम से कम तीन वर्षों तक लगातार सदस्य बने रहने के पश्चात वे परिषद की सामान्य सदस्यता के लिए पात्र बन जाएंगे बशर्ते कि जिस कंपनी का उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है उसके क्रेडिट में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान न्यूनतम निर्धारित औसत निर्यात हों। सामान्य सदस्य के पास वोट देने और परिषद में विभिन्न पदों पर चुनाव के लिए अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

*विवरण*

*निर्यात संवर्धन परिषदों के मुख्यालयों के स्थानवार ब्यौरे*

कोलकाता

1. रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद
2. इंजीनियरी निर्यात संबर्धन परिषद
3. चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद

चेन्नई

1. चर्म निर्यात
2. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद

कोचीन

1. काजू निर्यात संवर्धन परिषद

मुम्बई

1. मूल रसायन, भेषज तथा सौन्दर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद (कैमोक्सिल)
2. रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद
3. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद
4. प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद
5. पावरलूम विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद
6. सिंथैटिक एवं रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद
7. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद

नई दिल्ली

1. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद
2. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद
3. इलैक्ट्रानिक एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद
4. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद
5. ओवरसीज कन्स्ट्रक्शन कांउसिल ऑफ इंडिया
6. खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद
7. वूल एंड वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल।

**आई.एस.आई. प्रमाण-पत्रों का दुरूपयोग**

**6669. श्री अरुण कुमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों/उत्पादकों द्वारा आई.एस.आई. प्रमाण-पत्रों का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रमाण-पत्र के दुरूपयोग की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ग) व्यापारियों/उत्पादकों द्वारा आई.एस.आई. प्रमाणपत्रों का दुरूपयोग किये जाने पर उन्हें क्या दण्ड दिया गया?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद)** : (क) व्यापारियों/विनिर्माताओं द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन चिह्न (आई एस आई) के दुरुपयोग के कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन चिह्न के दुरुपयोग के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दर्ज शिकायतों का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

| वर्ष | दर्ज शिकायतें |
|---|---|
| 1999-2000 | 51 |
| 2000-2001 | 41 |
| 2001-2002 | 36 |

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय ब्यूरो के प्रमाणन चिह्न के दुरुपयोग के उपयुक्त मामलों में कानूनी कार्रवाई करता है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान 18 कार्रवाइयों में दोष सिद्ध हुए। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन चिह्न के गलत इस्तेमाल के अपराध में लिप्त होने पर 50000/-रुपए तक जुर्माना या एक वर्ष तक की सजा अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

**चीनी का विनियंत्रण**

**6670. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी को पूरी तरह से विनियंत्रित किए जाने के बाद से खुले बाजार में इसकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठए गए हैं कि चीनी की कीमतें अत्यधिक न बढ़ें और यह बाजार में उचित मूल्य पर उपलब्ध रहे?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद)** : (क) से (ग) जी, नहीं। चीनी का विनियंत्रण अभी किया जाना है। तथापि, मुक्त बिक्री की चीनी के खुले बाजार मूल्यों में बढ़ोतरी नहीं हुई है जैसाकि देश के चार प्रमुख बाजारों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में एस-30 ग्रेड की चीनी के थोक मूल्यों से देखा जा सकता है। अप्रैल, 2002 में चीनी की उक्त ग्रेड के थोक मूल्य उक्त चार प्रमुख बाजरों में 1400-1580 रुपये प्रति क्विंटल की रेंज में हैं जो अप्रैल, 2001 में 1420-1620 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में कम हैं।

## भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए महत्वपूर्ण भागीदार

**6671. श्री रामचन्द्र पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक महत्वपूर्ण भागीदार खोज रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कितने का कारोबार किया गया और सरकार को इससे कितना लाभ हुआ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)**: (क) और (ख) वित्त मंत्री ने 2002-2003 के अपने बजट भाषण में आगामी वर्ष के अन्दर आईडीबीआई का निगमीकरण करने के लिए विधायी परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है ताकि उसे उपयुक्त लचीलापन प्रदान किया जा सके।

(ग) पिछले तीन वर्षों से दौरान आईडीबीआई द्वारा मंजूर एवं संवितरित की गई राशि और सरकार द्वारा आईडीबीआई से प्राप्त लाभांश नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

| वर्ष | मंजूरी | संवितरण | सरकार द्वारा प्राप्त लाभांश |
|---|---|---|---|
| 1998-99 | 21829 | 14471 | 218.51 |
| 1999-2000 | 26966 | 17059 | 218.51 |
| 2000-2001 | 28711 | 17498 | 171.80 |

## गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान

**6672. श्री ए. नरेन्द्र :**
**कर्नल (सेवानिवृत) सोनाराम चौधरी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कार्यरत गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में जमा लोगों की धनराशि के कोई आंकड़े एकत्रित किए हैं :

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों की अनुमानित धनराशि तथा हजारों भोले-भाले लोगों के पैसे लेकर भूमिगत हो जाने वाली कंपनियों की कुल धनराशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भोले-भाले निवेशकों को उबारने के लिए किसी पैकेज पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)**: (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्ष के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास सार्वजनिक जमाराशियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रुपए करोड़ में)

| समाप्त वर्ष | कुल सार्वजनिक जमाराशियां |
|---|---|
| 31.3.1999 | 20428.93 |
| 31.3.2000 | 19341.72 |
| 31.3.2001 | 18450.57 |

(ग) और (घ) व्यापक विनियामक ढांचा तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ठोस एवं स्वास्थ्यकर ढंग से कार्य करें। विनियामक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्तियों का रख-रखाव, निवल लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत आरक्षित निधि में अंतरण और भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को निदेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करना शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न चूकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए दोषी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की कार्रवाई करता है। सरकार ने लोक सभा में 13 दिसम्बर, 2000 को वित्तीय

कंपनी विनियमन विधेयक, 2000 पेश किया है। माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा इस विधेयक को स्थायी वित्त समिति के पास भेजा गया है।

**हथकरघा बुनकर**

**6673. श्री रमेश चेन्नितला :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई आयात-निर्यात नीति के कारण भारत से पश्चिमी देशों को वस्त्र निर्यात का संवर्धन करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है;

(ख) निर्यातकों को गत वर्ष के दौरान राजसहायता के तौर पर कुल कितनी राशि दी गयी; और

(ग) हथकरघा बुनकरों और हथकरघा क्षेत्र के कल्याण सहित वस्त्र उद्योग के सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) :** (क) 1.4.2002 को घोषित नयी आयात-निर्यात नीति 2002-07 में परिधान निर्यात जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, पर विशिष्ट ध्यान देते हुए अनेक विशेषताएं/योजनाएं शामिल हैं :

(1) ट्रिमिंग्स और सजावटी मदों की सूची में नमूना फैब्रिकों (एक वित्तीय वर्ष में 200 मी. तक) को समावेश शुल्क-मुक्त आधार पर आयात की जाने की अनुमति दी गयी।

(2) ग्राम प्रति वर्ग मी. में 10% परिवर्तन शुल्क, मुक्त अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत आयात किए गए फैब्रिकों के लिए अनुमति दी गयी है।

(3) जिप फास्टनर्स, इनके कार्डस; आइलेट्स, रिवेट्स, आइज, टॉगल्स, वेल्क्रो टेप, कॉर्ड और कॉर्ड स्टॉपर जैसी अतिरिक्त मदों को अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत परिधान निर्यात हेतु इनपुट-आउटपुट मानदंडों में शामिल किया गया।

(4) होजियरी के लिए तिरूपुर, पानीपत में ऊनी कंबलों, लुधियाना में ऊनी निटवियर जैसे आर्थिक तथा निर्यात उत्कृष्टता के केन्द्रों से और आगे विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, साझा सेवा दाता के लिए इ पी सी जी, बाजार पहुंच पहल योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संघों द्वारा निधियों का मूल्यांकन और 15 करोड़ रु. के स्थान पर 5 करोड़ रु. की निर्यात सदन दर्जा हेतु हकदारी जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

(5) निष्क्रिय उच्च ईंधन लागत का प्रावधान किया गया।

आयात-निर्यात नीति की इन विशेषताओं/योजनाओं को अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा परिधान निर्यातकों के बीच व्यापक प्रचार किया गया है ताकि उन्हें स्वयं इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सुगम बनाया जा सके।

अन्य कारकों के साथ-साथ, उपरोक्त पहलों के फलस्वरूप पश्चिमी देशों सहित परिधान निर्यात में समग्र वृद्धि हुई है। अप्रैल, 2002 माह के दौरान यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों तथा अमरीका को परिधानों का कोटा निर्यात अप्रैल, 2001 की तुलना में मूल्य में 17.1% तथा मात्रा में 20.6% तक वृद्धि हुई है।

(ख) सरकार परिधान निर्यात के मामले में कोई सब्सिडी वितरित नहीं करती है। हालांकि, शुल्क छूट पास बुक, शुल्क वापसी, अग्रिम लाईसेंसिंग योजना आदि जैसी अनेक निर्यात संवर्द्धन योजनाएं सिले-सिलाये परिधानों के निर्यात को बढ़ाने के लिए चालू हैं।

(ग) सरकार वस्त्र उद्योग तथा हथकरघा बुनकरों तथा हथकरघा क्षेत्र का संवर्द्धन तथा इसे सुदृढ़ करने हेतु समय-समय पर कदम उठाती रही है। कुछ महत्वपूर्ण पहल हैं :

1. सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले-सिलाए परिधान के वूवन क्षेत्र तो अनारक्षित कर दिया है। साथ ही इसने वर्ष 2002-2003 के बजट में निटिड क्षेत्र के अनारक्षण की भी घोषणा की है?

2. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी. यू. एफ. एस.) प्रचालित की गयी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।

3. टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत शामिल बुनाई प्रसंस्करण और परिधान का मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्य ह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीति के उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत को भी घटाया गया है।

4. पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से, शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गयी है।

5. वस्त्र क्षेत्र में कुछ विशिष्ट रिआयतों के साथ स्वचालित मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान की गयी है।

6. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन विशेषकर अपैरल क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

7. सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। मिशन का एक महत्वपूर्ण संघटक मौजूदा जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रियों का उन्नयन/आधुनिकीकरण करके कपास प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार लाना है।

8. पारि-परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधाएं प्रदान करते हुए आयातक देशों की पारिस्थितिकी संबंधी आवश्यकताओं के अनुकूल वस्त्र उद्योग को तैयार करना सुग्राही बनाना।

9. हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, हथकरघा क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों के कल्याण और विकास हेतु निम्नलिखित प्लान योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है :

(1) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना

(2) निर्यात योग्य उत्पादों का विकास और उनका विपणन

(3) कार्यशाला-सह-आवास येजना

(4) स्वास्थ्य पैकेज योजना।

(5) समूह बीमा योजना।

(6) नयी बीमा योजना।

(7) थ्रिफ्ट निधि योजना।

**नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कैम्प**

**6674. श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नि:शक्त व्यक्तियों के लिए "समग्र पुनर्वास कैम्प" आयोजित करने के आदेश की पुनरीक्षा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समग्र पुनर्वास कैम्प की संकल्पना पर क्या आपत्तियां हैं;

(ग) क्या इन कैम्पों में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है;

(घ) क्या सरकार को संबद्ध कार्यकर्ताओं के साथ इस अवधारणा पर चर्चा के करने में कोई आपत्ति हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो खुले दिमाग से इस विषय पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) :** (क) और (ख) जी, हां। समग्र शिवरों की संकल्पना के प्रति आपत्ति यह है कि मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिक समय और ध्यान और विभिन्न विशेषज्ञों की जरूरत होती है। यह सुझाव दिया गया है कि मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए अलग से शिविर आयोजित किए जाने चाहिएं।

(ग) से (ङ) शिविरों में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सभी श्रेणियों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। सरकार ने, जहां कर व्यवहार्य हो सके, विभिन्न प्रकार की नि:शक्तता वाले व्यक्तियों को एक साथ शिविर में शामिल करने का निर्णय लिया है जिससे कि निर्धारण, नि:शक्तता प्रमाणपत्रों को जारी करने और सहायक यंत्र/उपकरण प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में निश:क्त व्यक्तियों को शामिल किया जा सके। इससे जहां भी जरूरत हो, मानसिक रूप से विकलांगों के लिए अलग से शिविर आयोजित करने में भी बाधा नहीं होती।

**गृह निर्माण अग्रिम**

**6675. श्री एस. मुरूगेसन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को देखते हुए दो बार गृह निर्माण अग्रिम देने का प्रस्ताव किया गया है कि कई सरकारी कर्मचारी अपने गृह नगर और पदस्थापन स्थल पर घर बनाना चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम स्कीम का उद्देश्य उन्हें अपने लिए एक मकान/अपना फ्लैट अर्जित

कराने/बनवाने में सहायता उपलब्ध कराना है। सरकारी कर्मचारियों को अपने मौजूदा मकानों के विस्तारण के लिए भी यह सहायता देय है। तथापि, निधि की सीमित उपलब्धता के कारण, सरकारी कर्मचारियों के लिए दूसरी बार गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा रहा है।

**उत्पाद शुल्क का अपवंचन**

**6676. श्री एन.टी. षणमुगम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उद्योगों द्वारा भेजे जा रहे माल की खेपों के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी/सत्यापित गेट पासों की पूर्व प्रणाली पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान में देश में कई उद्योग बिक्री बीजकों/खेपों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो कन्द्रीय उत्पाद शुल्क पूल से केन्द्र सरकार के लिए राजस्व अर्जित करने के लिए इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन )**: (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग ''क'' के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। शुल्क अपवंचन के कुछेक मामले ध्यान में आए हैं।

(घ) जब कभी शुल्क अपवंचन का मामला देखने में आता है तो उसकी जांच-पड़ताल की जाती है और शुल्क वसूल करने और राजस्व को सुरक्षित करने के लिए कानूनी उपबंधों के अनुसार कदम उठाए जाते हैं।

**गुजरात को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से ऋण**

**6677. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के राहत और पुनर्वास कार्यक्रम के लिए राज्य को 498 करोड़ रुपये प्रदान किये थे; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कार्यक्रमवार और क्षेत्रवार कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील )**: (क) जी, हां। विश्व बैंक ने गुजरात भूकम्प कार्यक्रम (चरण-1) के लिए 293.90 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 1421 करोड़ रु.) की वचनबद्धता की है। एशिया विकास बैंक ने भी गुजरात भूकम्प पुनर्वास और पुनर्निर्माण परियोजना के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 2425 करोड़ रु.) की राशि की मंजूरी दी है। लेकिन अब ऋण-राशि कम करके 350 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 1697 करोड़ रु.) कर दी गई है क्योंकि आईडीए से प्राप्त होने वाली कम महंगी निधियां उपलब्ध हैं।

(ख) आवास, सामाजिक, आधार संरचना और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के लिए अब तक विश्व बैंक द्वारा 253.58 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 1229.86 करोड़ रु.) की राशि संवितरित की जा चुकी है। गुजरात के भूकम्प-प्रभावित इलाकों में निजी मकानों, बाधों, सड़कों, सार्वजनिक भवनों, स्कूलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण से संबंधित कार्य भी शुरू किए गए हैं। कच्छ, राजकोट, जामनगर, सुरेन्द्र नगर, अहमदाबाद, पाटन, सूरत, पोरबंदर, जूनागढ़, अमेरेली, भावनगर और बानसकांठा में निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। गुजरात के 21 जिलों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को भी वित्तीय सहायता दी गई है।

*[हिन्दी]*

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कारोबार**

**6678. श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अप्रैल, 2002 के 'जनसत्ता' के पृष्ठ 5 पर 'पी.एन.बी. का कारोबार एक लाख करोड़ के ऊपर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पी.एन.बी. की भांति सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा कितनी राशि का कारोबार किया गया?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील )**: (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार मार्च 2002 के लिए पंजाब नैशनल बैंक के कारोबार (टर्नओवर) के अलेखा परीक्षित आंकड़ों पर आधारित है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार लेखा परीक्षित आंकड़ों (अद्यतन उपलब्ध) के हिसाब से 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के दौरान पंजाब नैशनल बैंक द्वारा दिए गए कुल अग्रिम तथा जुटाई गई जमाराशियां क्रमश: 28029.05 करोड़ रुपए तथा 56131.13 करोड़ रुपए थीं। उसी अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों में से प्रत्येक द्वारा दिए गए अग्रिमों और जुटाई गई जमाराशियों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

*विवरण*

*कुल अग्रिम (31 मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार)*

(करोड़ रुपए)

| बैंक का नाम | 2001 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 113590.27 |
| स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर | 5168.12 |
| स्टेट बैंक आफ हैदराबाद | 7091.49 |
| स्टेट बैंक आफ इन्दौर | 3427.48 |
| स्टेट बैंक आफ मैसूर | 4286.71 |
| स्टेट बैंक आफ पटियाला | 6833.39 |
| स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र | 3595.56 |
| स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर | 6397.49 |
| स्टेट बैंक समूह के लिए योग | 150390.51 |
| इलाहाबाद बैंक | 9582.70 |
| आन्ध्रा बैंक | 7423.17 |
| बैंक आफ बड़ौदा | 27420.68 |
| बैंक आफ इंडिया | 31823.14 |
| बैंक आफ महाराष्ट्र | 7672.53 |
| केनरा बैंक | 27831.77 |
| सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया | 18833.38 |
| कार्पोरेशन बैंक | 8666.09 |
| देना बैंक | 7001.90 |
| इंडियन बैंक | 9433.90 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 13095.51 |
| ओरियंटल बैंक औफ कामर्स | 11076.41 |
| पंजाब एंड सिंध बैंक | 5180.87 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 28029.05 |
| सिंडिकेट बैंक | 13116.16 |
| यूको बैंक | 10085.44 |
| यूनियन बैंक आफ इंडिया | 17505.35 |
| युनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 5739.35 |
| विजया बैंक | 5720.00 |
| राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए योग | 264237.40 |
| सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए योग | 414627.91 |

*कुल जमाराशियां (31 मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार)*

(करोड़ रुपए)

| बैंक का नाम | 2001 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 242828.38 |
| स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर | 10326.08 |
| स्टेट बैंक आफ हैदराबाद | 14841.86 |
| स्टेट बैंक आफ इन्दौर | 6698.40 |
| स्टेट बैंक आफ मैसूर | 7608.29 |
| स्टेट बैंक आफ पटियाला | 11574.17 |
| स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र | 6667.53 |
| स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर | 11572.79 |
| स्टेट बैंक समूह के लिए योग | 312117.50 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| इलाहाबाद बैंक | 20106.02 |
| आन्ध्रा बैंक | 18291.52 |
| बैंक आफ बड़ौदा | 53985.78 |
| बैंक आफ इंडिया | 51678.81 |
| बैंक आफ महाराष्ट्र | 17024.56 |
| केनरा बैंक | 59069.93 |
| सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया | 41517.90 |
| कार्पोरेशन बैंक | 16560.13 |
| देना बैंक | 14572.99 |
| इंडियन बैंक | 21692.99 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 27414.16 |
| ओरियंटल बैंक औफ कामर्स | 24680.43 |
| पंजाब एंड सिंध बैंक | 11904.71 |
| पंजाब नैशनल बैंक | 56131.13 |
| सिंडिकेट बैंक | 25094.84 |
| यूको बैंक | 21535.66 |
| यूनियन बैंक आफ इंडिया | 34888.06 |
| युनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 18477.35 |
| विजया बैंक | 12632.24 |
| राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए योग | 547259.21 |
| सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए योग | 859376.71 |

**औद्योगिक विकास से संबंधित भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट**

6679. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**
**श्री टी.एम. सेल्वागनपति :**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा कराये गये हाल के एक सर्वेक्षण ने यह दर्शाया है कि अधिकांश क्षेत्रों ने सामान्य विकास दर दर्शायी है और कुछ क्षेत्रों ने पुनरुत्थान के स्पष्ट संकेत प्रकट किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सर्वेक्षण में मार्च-अप्रैल 2001-2002 के लिए गत वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 116 विनिर्माण क्षेत्रों और 12 सेवा क्षेत्रों को शामिल किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार मे इस सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने सामान्य से कम विकास दर के विस्तृत कारणों का पता लगाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उद्योग भविष्य में बेहतर विकास दर प्राप्त कर सकें इसके लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और इस पर क्या विचार किया जा रहा है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) :** (क) जी, हां।

(ख) से (छ) संघ परिषद् (ए एस सी ओ एन) के सर्वेक्षण (अप्रैल-मार्च 1001-2002) से यह पता चला है कि 116 विनिर्माणकारी क्षेत्रों में से, 65 क्षेत्रों अर्थात् 56 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों ने 0 से 10 प्रतिशत की सामान्य विकास दर दर्शायी है, 15 क्षेत्रों ने 10 से 20 प्रतिशत की उच्च विकास दरें दर्शायी हैं, 6 क्षेत्रों ने 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़िया विकास दरें दर्शायी हैं। तथापि, 30 क्षेत्रों ने ऋणात्मक विकास दरें दर्शायी हैं। इस सर्वेक्षण में 12 सेवा क्षेत्रों को भी लिया गया है।

कम विकास मुख्यत: समग्र आर्थिक मंदी; विश्व भर में मांग की कमी, ऑटो क्षेत्र में मंदी तथा कच्चा तेल, उर्वरक, कोल्ड रोल्ड स्टील व उपभोक्ता टिकाऊ मदों जैसी बुनियादी वस्तुओं के उत्पादन में मंदी के कारण है।

सरकार ने देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक नीतिगत पहलें की हैं। इन उपायों का लक्ष्य सामान्यत: भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार करना और विशेषकर समग्र मांग में वृद्धि करना, अवसंरचनात्मक आधार में सुधार लाना, प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, श्रम में नम्यता लाना तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों को प्रोत्साहित करना है। अन्य बातों के साथ-साथ कुछ पहलें इस प्रकार हैं–वर्ष 2002-2003 के केन्द्रीय बजट में विद्युत, सड़कों, नागर विमानन और पतन क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन; स्वर्णिम

चतुर्भुजीय परियोजना को पूरा करना; चरणबद्ध रूप से प्रमुख पत्तनों का निगमीकरण, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिये वर्ष 2002-2003 हेतु 2500 करोड़ रुपये का आवंटन; आठ मदों को छोड़कर शेष सभी मदों पर 16 प्रतिशत विशेष उत्पाद-शुल्क को समाप्त करना तथा नये संयंत्र व मशीनरी पर अतिरिक्त 15 प्रतिशत मूल्य ह्रास।

**जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी) कार्यालय में चोरी**

**6680. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में जीवन बीमा निगम की प्रत्येक शाखा और मुख्यालय में डकैतों/अपराधियों द्वारा कुल कितनी धनराशि लूटी गयी;

(ख) इन घटनाओं के लिए कितने डकैत/अपराधी/विभागीय कर्मचारियों को उत्तरदायी पाया गया;

(ग) क्या मार्च, 2002 के दौरान नकद राशि ले जाते समय जीवन बीमा निगम के बामगंडा, गिरडी, झारखंड स्थित मुख्यालयों में डकैती/लूट की गयी।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों और उत्तरदायी पाये गये अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी और सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालयों और कार्यालय परिसरों के बाहर नकद राशि की लूट, डकैती और अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए कौन-कौन से उपाय/कार्रवाई की गयी है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)**: (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एसआईसी) ने सूचित किया है कि गत तीन वित्तीय वर्षों 1999-2000, 2000-20001 और 2001-2002 के दौरान एलआईसी के शाखा कार्यालयों और इसके मुख्यालय से डकैतों/शरारती तत्वों द्वारा लूटी गई कुल राशि 2,44,74,171.21 रुपए थी जिसका शाखा-वार/मंडलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक चालू वर्ष 2002-2003 का संबंध है, निगम ने अब तक किसी डकैती/लूट का मामला समुचित नहीं किया है।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसी डकैती/लूट के लिए जिम्मेदार पाए गए निगम के आठ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। 28 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि दिनांक 27.3.2002 को गिरीडीह शाखा, हजारीबाग मण्डल के सहायक शाखा प्रबंधक (बिक्री) और उनका सहायक-स्टाफ नकद 10,000.00/-रु. बैंक को ले जा रहे थे। शरारती तत्वों ने बंदूक की नोक पर उनसे यह नकद धनराशि लूट ली।

(ङ) एलआईसी ने सूचित किया है कि जब नकद धनराशि की हानि की कोई घटना घटती है तो स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई जाती है। वे ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी के पास दावे दायर करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय को भी सूचित करते हैं। साथ ही साथ सतर्कता विभाग को भी एक स्वतंत्र जांच करने के लिए कहा जाता है। उक्त जांच के पूर्ण होने पर, अपराधी/लापरवाह पाए गए संबंधित कर्मचारी को निन्दा, पदावनति, राशि की वसूली अथवा सेवा से बरखास्तगी जैसा उपयुक्त दण्ड दिया जाता है। नकदी की लूट/डकैती/अन्य आपराधिक गातिविधियों को रोकने के लिए निगम ने अनेक कदम उठाए हैं/उपाय किए हैं जिनमें बैंकरों से शाखा कार्यालयों से नकद संग्रहण ले जाने का अनुरोध भी शामिल है। इसके अलावा, जब नकद निर्धारित सीमाओं से अधिक हो सकता है तो निगम द्वारा अधिकारी/उच्च श्रेणी के सहायक/वरिष्ठ सहायक/कैशियर को सहायता स्टाक के साथ बैंक जाने के लिए तैनात किया जाता है। ऐसे स्थानों पर जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति असन्तोषजनक होती है, वहां शाखा प्रबंधक/वरिष्ठ मंडल प्रबंधक/प्रबंधक (एफ एंड ए) बैंक में नकद जमा करने के लिए आंचलिक प्रबंधक के अनुमोदन से बाहरी सुरक्षा सेवाओं की सेवाएं लेते हैं।

*विवरण*

| 1999-2000 | | 2000-2001 | | 2001-2002 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शाखा/मंडल | राशि | शाखा/मंडल | राशि | शाखा/मंडल | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| शाखा कार्यालय-3 अमृतसर | 290,530.00 | बीओ यूनिट 124, दिल्ली डीओ-1 | 562,141.30 | यमुना नगर करनाल | 215,000.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| शाखा 129, कीर्ति नगर, नई दिल्ली | 8,711.00 | जगरांव, लुधियाना | 266,969.20 | बीओ-II एम, दिल्ली डीओ-II | 79,076.50 |
| नरेला, दिल्ली डीओ-II | 100,369.60 | बहादुरगढ़, करनाल | 1,047,894.70 | बीओ यूनिट-III, लुधियाना | 678,441.50 |
| सीबीओ-IV, आगरा | 173,997.70 | गोमती, लखनऊ | 98,971.80 | लालबाग, लखनऊ | 820,018.30 |
| बलरामपुर, लखनऊ | 339,008.54 | ऐटा, अलीगढ़ | 402,159.12 | जिला बीओ, कानपुर | 181,189.00 |
| बीओ न.-3, कानपुर | 197,050.60 | सीबीओ-II, फिरोजाबाद, आगरा | 304,485.10 | सीबीओ-I, देहरादून | 207,515.10 |
| | | सीबीओ-II, मेरठ | 510,834.90 | | |
| | | सीबीओ-I, इलाहाबाद | 334,000.00 | | |
| | | | | सीबीओ-II, इन्दौर | 449,305.10 |
| | | | | न्यूएल, रायपुर | 803,351.30 |
| | | | | सीबीओ-IV, इंदौर | 181,078.50 |
| | | | | मंदसौर, इंदौर | 76584.00 |
| गोविन्दपुर, हजारीबाग | 14,812.00 | सहरसा, भागलपुर | 629,096.10 | कटिहार, भागलपुर | 1,110,000.00 |
| मालीगांव, गुवाहटी | 320,627.00 | बीओ-I, मुजफ्फरपुर | 314,863.95 | धनबाद, हजीराबाग | 266,829.70 |
| भुवनेश्वर, कटक | 662,964.20 | सीएबी, मुजफ्फरपुर | 93,129.10 | भवानीपुर, कोलकाता | 237,777.00 |
| | | | | एमडीओ-II | |
| महाराजगंज, मुजफ्फरपुर | 195,222.10 | बड़, पटना | 199,258.90 | डायमंड हार्बर, कोलकाता एमडीओ-II | 900,076.80 |
| | | सहरसा, भागलपुर | 11,200.00 | सीवन, मुजफ्फरपुर | 1,035,000.00 |
| | | हिनू, जमशेदपुर | 698,089.40 | सीएबी, पटना | 315,276.60 |
| | | झूमरीतलैया, हजारीबाग | 1,317,464.05 | दार्जीलिंग, जलपाइगुड़ी | 324,270.50 |
| | | | | बांका, भागलपुर | 561,107.50 |
| | | | | गिरिडीह, हजारीबाग | 1,000,000.00 |
| पालामानेर, नेल्लोर | 5,000.00 | गुलबर्गा, रायचूर | 192,979.50 | मुख्य बीओ, राजामुंदरी | 279,411.20 |
| सीबीओ-II, हैदराबाद | 1,183,000.00 | कोलार, बंगलौर डीओ-II | 269,248.70 | देवनगेरे, उडिपि | 409,752.70 |
| कल्लकुरिची, वेल्लोर | 288,000.00 | होसुर, सालेम | 301,921.20 | | |
| दाहोद, नाडियाड | 72,320.30 | परभनी, नांदेड़ | 259,037.40 | बीओ-964, नासिक | 132,351.00 |
| वर्धा, नागपुर | 238,733.20 | जलगांव, नासिक | 125,366.20 | श्रीरामपुर, पुणे | 303,759.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सीबीओ-2/854, अहमदाबाद | 152,474.50 | बीओ-955, पुणे | 255,596.55 |
| | | वलसाड बीओ-I, सूरत | 235,173.90 | | |
| | | वाशी, थाने | 118,793.20 | | |
| | | सीएओ-879, वड़ोदरा | 18,242.50 | | |
| | | जूनागढ़, राजकोट | 261,640.50 | | |
| | | बीओ-1/846, नाडियाड | 445,621.90 | | |
| कुल जोड़ | 4,090346.24 | कुल जोड़ | 9,161,057.12 | कुल जोड़ | 11,222,767.85 |

*[हिन्दी]*

**सोयाबीन के तेल का आयात**

**6681. श्री तूफानी सरोज:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सोयाबीन के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आयातित सोयाबीन तेल में प्रोटीन का अभाव होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तेल में प्रोटीन की मात्रा कितनी है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयातित सोयाबीन तेल में प्रोटीन नहीं होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का अधिक मूल्य**

**6682. श्री रघुनाथ झा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अन्य भागों की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का मूल्य अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में मूल्य कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद):** (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों तथा देश के अन्य महानगरों में 3 मई, 2002 की स्थिति के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मामूली अन्तर मुख्यत: पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्तुओं के संचलन में अधिक परिवहन लागत आने के कारण है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के प्रचलित मूल्यों की देश के अन्य भागों में प्रचलित मूल्यों के साथ तुलना की जा सकती है। गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बाजार मूल्य से कम मूल्य पर की जाती है। राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की बारीकी से दैनिक तथा साप्ताहिक आधार पर निगरानी करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए समुचित उपाय किये जाते हैं।

*विवरण*

*3.5.2002 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के चुनिंदा केन्द्रों में तथा अन्य महानगरों में आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य*

(रुपये प्रति कि.ग्रा.)

| वस्तु | अगरतला | आइजौल | गुवाहटी | शिलांग | दिल्ली | मुंबई | चेन्नई | कोलकाता | हैदराबाद | बंगलौर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चावल | 9.50 | 13.40 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 |
| गेहूं | प्राप्त नहीं | 8.00 | प्राप्त नहीं | 10.00 | 7.50 | 11.50 | 11.00 | प्राप्त नहीं | 9.50 | 12.00 |
| चना दाल | 23.50 | 26.80 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 27.50 | 23.00 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
| तूर दाल | 25.00 | 30.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | 33.00 |
| चीनी | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 15.50 | 16.50 | 14.30 | 16.50 | 15.00 | 16.00 |
| मूंगफली का तेल | व्यापार नहीं | व्यापार नहीं | व्यापार नहीं | व्यापार नहीं | 74.00* | 45.00 | 46.00 | 64.00* | 46.00 | 43.00 |
| सरसों का तेल | 44.00 | 41.00 | 39.00 | 36.00 | 40.00 | 60.00* | प्राप्त नहीं | 40.00 | 48.00 | प्राप्त नहीं |
| वनस्पति | 47.00 | 48.00 | 42.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 43.00 | 38.00 | 40.00 | 44.00 |
| चाय (खुली) | 80.00 | 92.00 | 70.00 | 120.00 | 115.00 | 130.00 | 120.00 | 80.00 | 100.00 | 196.00** |
| आलू | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 9.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 |
| प्याज | 10.00 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
| नमक (पैकेट में) | 5.00 | 6.75 | प्राप्त नहीं | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |

*रिफाइण्ड तेल **श्री रोजेज

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

**खाद्यान्नों का निर्यात**

**6683. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
**श्री नवल किशोर राय:**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने निर्यात के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम से किस मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदा है;

(ख) प्रत्येक देश के लिए गेहूं और चावल का देशवार कितना औसत बिक्री मूल्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य आर्थिक लागत से पृथकत: किस सीमा तक कम है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान):** (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय पूल से निर्यात हेतु निम्नलिखित दरों पर गेहूं और चावल की पेशकश करने की अनुमति दी गई है-

**गेहूं**

| दर (प्रति टन) | से | तक |
|---|---|---|
| 4150 रुपये | 20.10.2000 | 31.03.2001 |
| 4300 रुपये | 01.04.2001 | 16.08.2001 |
| 4200 रुपये | 17.08.2001 | 30.11.2001 |
| 4250 रुपये | 01.12.2001 | 10.05.2002 |
| 4310 रुपये | 11.05.2002 | 30.06.2002 |

**चावल**

| दर (प्रति टन) | से | तक |
|---|---|---|
| 6750 रुपये | 27.02.01 | 31.03.01 |
| 5650 रुपये (रॉ) | 26.05.01 | 10.05.02 |
| 6000 रुपये (सेला) | 26.05.01 | 10.05.02 |
| 5760 रुपये (रॉ) | 11.05.02 | 30.06.02 |
| 6115 रुपये (सेला) | 11.05.02 | 30.06.02 |

चावल और गेहूं के संबंध में भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत निम्नानुसार है:

(रुपये प्रति टन)

| वर्ष | चावल | गेहूं |
|---|---|---|
| 2000-2001 (सं.अ.) | 11480 | 8296 |
| 2001-2002 (सं.अ.) | 12044 | 8713 |
| 2002-2003 (ब.अ.) | 12064 | 8792 |

**बैंकों के लिए आचार संहिता**

**6684. श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार सभी बैंकों के लिए 'अपना ग्राहक पहचानो' दिशा-निर्देश का पालन करने और किसी भी खाते में धन के असामान्य आगम के संबंध में विनियामक को सूचित करने के लिए आचार-संहिता जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व के प्रमुख बैंकरों ने 11 सितम्बर, 2001 को अमरीका पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के आलोक में स्विट्जरलैंड में वोल्फ्सबर्ग में एक स्वनियामक तंत्र पर विचार करने के लिए एक बैठक आयोजित की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने धन शोधन विधेयक का प्रारूप पुन: तैयार करते समय वोल्फ्सबर्ग सिद्धान्त से प्रेरणा लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि वह बैंकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नीति एवं पद्धतियों को शुरू करने के लिए बैंकों को नए दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया में है जिसमें काले धन को वैध करने के लिए बैंकिंग प्रणाली के दुरूपयोग को रोकने के लिए 'अपना ग्राहक पहचानो' पद्धतियों के महत्व पर दोबारा बल देना शामिल है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के वोल्फ्सबर्ग दल ने विश्व की वित्तीय प्रणाली के माध्यम से आतंकवादी निधियों के प्रवाह को रोकने के लिए भाग लेने वाले वित्तीय संस्थाओं की भूमिका का उल्लेख करने के लिए दिनांक 9 से 11 जनवरी, 2002 तक वोल्फ्सबर्ग में बैठक की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**बंगलादेश को धागे का निर्यात**

**6685. योगी आदित्यनाथ** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बंगलादेश को धागे का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) इससे भारत ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है;

(ग) क्या सरकार बंग्लादेश को निर्यात किये जा रहे धागे की मात्रा में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री वी. धनंजय कुमार ):** (क) और (ख) बंग्लादेश को पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए यार्न की मात्रा तथा अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार थी:

| वर्ष | मात्रा (टन में) | मूल्य (लाख रु. में) |
|---|---|---|
| 1998-1999 | 27989.12 | 31174.67 |
| 1999-2000 | 35585.10 | 40870.35 |
| 2000-2001 | 68340.76 | 74147.89 |

(ग) और (घ) वर्ष 2002-2007 की आयात-निर्यात नीति के अनुसार बंग्लादेश को किये जाने वाले यार्न का निर्यात सभी प्रतिबंधों से मुक्त है।

*[अनुवाद]*

**विदेशी मुद्रा डीलर**

**6686. श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि विदेशी मुद्रा के कई डीलर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके करोड़ों रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा को गैर-कानूनी ढंग से निकालने में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के डीलरों की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन ):** (क) प्रवर्तन निदेशालय ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके गैर-कानूनी विदेशी मुद्रा के व्यापार में कथित संलिप्तता के लिए पूर्ण धन परिवर्तकों के विरुद्ध कुछ मामले दर्ज किए हैं।

(ख) ऐसे मामलों का वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय प्राप्त सूचना/एकत्रित आसूचना के आधार पर गैर-कानूनी विदेशी मुद्रा व्यापार में संलिप्त विदेशी मुद्रा व्यापारियों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई करता है।

***विवरण***

| क्र.सं. | पार्टी का नाम व पता | उल्लंघन की प्रकृति एवं संलिप्त राशि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | मै. न्यू लाइन फाइनान्स लि.<br>श्री मुथुस्वामी, प्रबंध निदेशक<br>श्री कृष्णा मणि, उपाध्यक्ष न. 26,<br>प्रथम स्ट्रीट, सैट कालोनी,<br>इगमोर, चैन्नई-8 | फेरा, 1973 की धारा 49 के साथ पठित धारा<br>6(4), 6(5), 7, 8(1)<br>30,00,000 अमरीकी डालर | विशेष निदेशक, प्रवर्तन के समक्ष लंबित न्याय निर्णयन |
| 2. | मै. न्यू लाइन्स फाइनान्स लि.<br>मदुरई रोड, त्रिची | फेरा, 1973 की धारा 49 के साथ पठित धारा<br>6(4), 6(5), 7, 8(1)<br>2,23,600 अमरीकी डालर | -वही- |
| 3. | मै. लक्ष्मी ट्रेड क्रेडिट्स लि.<br>बी-28 जाने प्लाजा, त्रिची | फेरा, 1973 की धारा<br>6(5), 7(1), 7(2), 7(3), 8(1)<br>20,00,000 अमरीकी डालर<br>15,00,000 अमरीकी डालर | -वही- |
| 4. | भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय अनिवासी शाखा, 7वां तल,<br>103ए, अन्नासलाई, चैन्नई-2 | फेरा की धारा 6(4),<br>6(5), 73(3), और<br>68(1) 1,08,86,244.65 रुपए | -वही- |
| 5. | मै. इन्टरनेशनल मनी एक्सचेंज कार्पोरेशन 54, केथेड्रल रोड,<br>चेन्नई-86 | फेरा 1973 की धारा 6 (4),<br>6(5), 49 और 8(1) के साथ<br>पठित धारा 7<br>1,000 अमरीकी डालर 4000<br>संयुक्त अरब अमीरात देहरम | न्यायनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 4,6002415 ड्यूशमार्क 23,250 फ्रांसीसी फ्रेंक 5,520 यू.के. पौंड, 3,700 सऊदी रियाल, 1100 कतार रियाल, 1800 मोरिशियन रुपया और 4000 सिंगापुरी डालर | |
| 6. | मै. फेयरवे एण्ड कं. दुकान नं. 14, प्रिन्स प्लाजा, नं. 46, पेनथियोन रोड, इगमोर, चेन्नई-8 | फेरा 1973 की धारा 6(4), 6(5), 48, 49 के साथ पठित धारा 7(2), 7(4) 15,80,52,096.50 रुपए | विशेष निदेशक प्रवर्तन के समक्ष लम्बित न्याय निर्णयन |
| 7. | मै. कन्हैया ट्रैवल एजेन्सी नं. 71-72 वालाजाह रोड, चेन्नई-2 | फेरा 1973 की धारा 6(4), 6(5) के साथ पठित धारा 7(2), 7(4) 27,05,04,900 रुपए | -वही- |
| 8. | मै. स्टरलिंग एक्सचेंज, कार्पो. पालाकरई, त्रिची-1 | धारा 8(1), 9(1)(क) 2,00,000 अमरीकी डालर | -वही- |
| 9. | मै. गुडलक फोरेक्स इंडिया प्रा. लि., 90 वेलिंगटन, प्लाजा माउंट रोड, चेन्नई-2 | धारा 8(1) 9(1)(क) 1,50,000 अमरीकी डालर | -वही- |
| 10. | मै. रहीम ट्रैवल सर्विसिज 5, जनरल पेटर्स रोड, चेन्नई-2 | धारा 8(1)9(1)(क) 1,50,000 अमरीकी डालर | -वही- |
| 11. | मै. स्टरलिंग एक्सचेंज कार्पो. 90, वेलिंगटन प्लाजा, माऊंट रोड चेन्नई-2 | एफ.एल.एम. ज्ञापन के खण्ड 11, 22, 23, 24, 26 के साथ पठित धारा 6(4), 6(5) 8(1), 8(2) 48, 49 के साथ पठित धारा 7(2) 7(4) 1,68,68,000 अमरीकी डालर | -वही- |
| 12. | मै. गुडलक फोरेक्स इंडिया प्रा.लि., माऊंट रोड, चेन्नई | यथा उपर्युक्त धाराएं 34,12,000 अमरीकी डालर | -वही- |
| 13. | मै. रहीम ट्रैवल सर्विसिज माऊंट रोड, चेन्नई-2 | यथा उपर्युक्त धाराएं 52,14,000 अमरीकी डालर | -वही- |
| 14. | मै. स्टरलिंग एक्सचेंज कार्पो. पालाकरई, त्रिची | यथा उपर्युक्त धाराएं 52,14,000 अमरीकी डालर | -वही- |

## बैंकों का कार्यकरण

**6687. श्री टी. गोविन्दन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

. (क) बैंकों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण की निगरानी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास कौन-सा तंत्र उपलब्ध है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण में कोई विसंगतियां पाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील )**: (क) भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के दैनंदिन कार्यपद्धति की निगरानी नहीं करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऋण प्रबंधन, निवेश प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा कार्य एवं व्यवस्था आदि से संबंधित मार्गनिर्देश जारी करता है तथा दिन-प्रतिदिन के कार्य की निगरानी करना बैंक प्रबंधन का दायित्व है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आमतौर पर पाई गई खामियां ये हैं: पूंजी जोखिम आस्ति अनुपात में गिरावट, अनुपयोज्य आस्तियों में वृद्धि, आय में कमी तथा आंतरिक लेखा कार्य एवं व्यवस्था के क्षेत्र में गिरावट। उपचारी कार्रवाई के लिए इन खामियों से संबंधित बैंक को अवगत कराया जाता है।

## ऋणों पर ब्याज

**6688. कर्नल ( सेवानिवृत्त ) सोना राम चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋणों जैसे योजना सहायता और विकास/सामाजिक योजनाओं आदि पर ब्याज दर क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से ऋणों पर ब्याज दर कम करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या कारण दिये गये हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील )**: (क) 1 अप्रैल, 2002 से राज्य सरकारों पर लागू विभिन्न किस्म के ऋणों पर ब्याज की दरें निम्नानुसार हैं:

| ऋण की किस्म | प्रतिवर्ष ब्याज की प्रतिशत दर |
|---|---|
| (1) अर्थोपाय अग्रिम | 8.00 |
| (2) अन्य ऋण | 11.50 |

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## आतंकवादी कृत्यों के पीड़ितों के लिए पूल

**6689. श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा कंपनियों ने आतंकवादी कृत्यों के फलस्वरूप पीड़ित हुए व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपये की राशि का पूल बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौन-कौन सी बीमा कंपनियों ने उक्त पूल में शामिल होने के प्रति अपनी सहमति जताई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील )**: (क) और (ख) आतंकवादी गतिविधियों से होने वाले घाटों को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के सभी भारतीय बीमाकर्ताओं ने 1 अप्रैल, 2002 से एक पूल बनाया है। इस पूल की प्रबंध-व्यवस्था भारतीय पुनर्बीमाकर्ता अर्थात् भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा की जाएगी। इसमें प्रति स्थान प्रति घटना उस स्थान पर सभी प्रकार के बीमा के अंतर्गत हानियों पर 200 करोड़ रु. की बीमित राशि तक की क्षमता होगी। आतंकवाद से जुड़े जोखिमों के लिए दरों, कटौतियों और अन्य शर्तों के संबंध में टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त पूल में शामिल होने के लिए राजी बीमा कंपनियों के नाम निम्नानुसार हैं:-

- भारतीय साधारण बीमा निगम
- नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि.
- न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.
- ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.
- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.

- बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
- आईसीआईसीआई-लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
- इफ्फको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
- रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
- रॉयल सुन्दरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लि.
- टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.।

**नाबार्ड द्वारा वित्त पोषण**

**6690. श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने उड़ीसा में विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान परियोजनावार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) इन परियोजनाओं के चयन का मानदण्ड क्या है;

(घ) क्या निधियों में वृद्धि के बावजूद नाबार्ड द्वारा प्रदान किया गया ऋण कम होता जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) नाबार्ड द्वारा उड़ीसा को अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अधीन ग्रामीण अवसंरचना के सृजन के लिए राज्य सरकारों को ऋण देता है। ग्रामीण आधारिक विकास निधि के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य के लिए मंजूर की गई परियोजनाओं तथा राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा आर.आई.डी.एफ. के अधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है और चुना जाता है तथा नाबार्ड की परियोजना मंजूरी संबंधी समिति द्वारा इन्हें मंजूर किया जाता है।

(घ) और (ङ) हालांकि, आर.आई.डी.एफ. की विभिन्न श्रृंखलाओं के अधीन समग्र मंजूरियां प्रत्येक आर.आई.डी.एफ. के लिए कार्पस सृजन के अनुरूप होती है, फिर भी प्रत्येक राज्य के लिए मंजूरियां राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर आश्रित होती हैं।

(च) नाबार्ड ने उड़ीसा राज्य में ग्रामीण अवसंरचना के सृजन के लिए आर.आई.डी.एफ. के अधिक उपयोग के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में कुछ उपाय परियोजनाओं को पेश करने एवं इनके शीघ्र निष्पादन के लिए राज्य सरकार से लगातार सम्पर्क बनाए रखना, आर.आई.डी.एफ. के अधिक उपयोग के लिए प्रतिबंधों को हटाने के लिए उच्चाधिकार समिति का गठन, राज्य को यदि अपेक्षित हो, अग्रिम प्रदान करना, परामर्शदाता नियुक्त करना, आर.आई.डी.एफ. के शीघ्र उपयोग के लिए राज्य के कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित करना आदि है।

***विवरण***

*वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02 के दौरान ग्रामीण आधारिक विकास निधि के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार को मंजूर राशि का ब्यौरा*

(लाख रु. में)

| परियोजना | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 |
|---|---|---|---|
| ग्रामीण पूल | 4695.14 | 4359.51 | 7973.97 |
| ग्रामीण सड़क | 896.14 | — | 862.39 |
| लघु सिंचाई | 4388.14 | 5384.87 | 6195.53 |
| मध्यम सिंचाई | 2800.88 | 17.81 | 293.46 |
| कृषि | 681.50 | 980.58 | — |
| कुल | 13461.80 | 10742.77 | 15325.35 |

**आयकर विभाग का पुनर्गठन**

**6691. डा. संजय पासवान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त वर्ष 2001-2002 में आरम्भ किया गया आयकर विभाग के पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयकर के संयुक्त आयुक्त के मध्यम प्रबंधन स्तर पर स्वीकृत 647 पदों में से 300 पद अब भी रिक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे आयकर विभाग का राजस्व संग्रहण प्रभावित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन)**: (क) से (ङ) वर्ष 2000-2001 में आयकर विभाग के पुनर्गठन का अनुमोदन किया गया था। पुनर्गठन के क्रियान्वयन से विभिन्न संवर्गों में प्रोन्नतियां आवश्यक हो गई थीं जिसके बाद उपलब्ध व्यक्तियों को तैनात कर दिया गया है।

आयकर विभाग के पुनर्गठन से प्रत्यक्ष करों की अधिक वसूली के प्रति सहायता की आशा की जाती है।

**थाईलैंड के साथ व्यापार वार्ता**

6692. **श्री के.पी. सिंह देव :**
**श्रीमती जसकौर मीणा :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव थाईलैंड के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से क्षेत्रों में भारत-थाईलैंड व्यापार संबंध स्थापित हुए हैं;

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार के लिए कौन-कौन से नये क्षेत्रों की पहचान की गयी है;

(घ) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो उक्त समझौते के निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(च) दोनों देशों के बीच कौन-कौन सी मुख्य मदों का व्यापार किये जाने का प्रस्ताव है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी)**: (क) से (च) नवम्बर 2001 में थाईलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी करार करने की संभावना पर संयुक्त अध्ययन करने के प्रति सहमति व्यक्त की थी। अध्ययन कार्य चल रहा है और दोनों पक्षों द्वारा गठित संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक 12-13 अप्रैल, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस संबंध में अब तक किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

भारत से होने वाले निर्यात की मुख्य मदों में शामिल हैं - रत्न एवं आभूषण, अकार्बनिक/कार्बनिक/कृषि रसायन, तेल खाद्य, भेषज, औषधि तथा परिष्कृत रसायन, समुद्री उत्पाद, प्राथमिक एवं अर्द्धप्रसंस्कृत लोहा एवं इस्पात तथा थाईलैंड से आयात की जाने वाली मुख्य मदें हैं - इलैक्ट्रानिक वस्तुएं, इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रानिक्स को छोड़कर मशीनरी, कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री इत्यादि, मोती, बेशकीमती एवं कीमती पत्थर इत्यादि।

दिनांक 10-11 सितम्बर, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित पिछली भारत आई संयुक्त व्यापार परिषद (जेटीसी) की बैठक के दौरान भारत द्वारा अभिज्ञात किए गए निर्यात हित के अन्य क्षेत्रों में शामिल हैं - मशीनरी एवं पुर्जे, वस्त्र मशीनरी एवं पुर्जे, विद्युत उपकरण एवं पुर्जे, काटन यार्न एवं फैबिक्र, ऑटो पुर्जे, रेलवे रोलिंग स्टाक, रंजक एवं रंजक पदार्थ, प्रोसेस इंजीनियरिंग एवं डिजाइन सहित परामर्शी सेवाएं, ट्रांसमीशन लाइन टावर, अरंडी तेल, फाइबर आप्टिक केबल सहित दूरसंचार उपकरण, ग्रेनाइट, अयस्क एवं खनिज इत्यादि। थाईलैंड द्वारा निर्यात हेतु अभिज्ञात की गई हित की मदों में शामिल हैं - आटोमेटैक डाटा प्रोसैसिंग मशीनें एवं पुर्जे, मोटर वाहन, पुर्जे एवं सहायक उपकरण, प्राथमिक स्वरूप में एथीलीन, प्रोपेलीन इत्यादि के पोलीमर, रासायनिक उत्पाद, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि।

**अनु. जाति/अनु. जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा तमिलनाडु को ऋण**

6693. **श्री ए. कृष्णास्वामी** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम ने चालू वर्ष में तमिलनाडु को ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक दी गई ऋणराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऋण जारी करने में विलम्ब के क्या कारण है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)**: (क) से (ग) वर्तमान वित्त वर्ष में, तमिलनाडु आदि द्राविडर आवास एवं विकास निगम लि. (टी.ए.एच.डी.सी.ओ.) ने एक परियोजना के लिए 2.00 लाख रुपयों की निर्मुक्ति के लिए 26.4.2002 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा इसे अनुमोदित कर निर्मुक्त कर दिया गया है।

**चाय विकास योजना**

**6694. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "चाय विकास योजना" नाम से एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस योजना को किन-किन चाय-उत्पादक राज्यों में चलाया जा रहा है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत चाय-उत्पादकों को राज्यवार क्या-क्या प्रोत्साहन दिये गये?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी)**: (क) और (ख) जी, हां। चाय की उत्पादकता तथा गुणवत्ता बढ़ाने समेत चाय क्षेत्र के विकास के संवर्धन हेतु सरकार/चार्य बोर्ड ने अनेक चाय विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया है जिनमें चाय उद्योग को विस्तार रोपण, पुनर्रोपण, नवीकरण, छंटाई, भराव, सिंचाई तथा जल निकासी सुविधाओं के सृजन, चाय मशीनरी के उन्नयन, आर एण्ड डी इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) चाय विकास योजनाएं देश के सभी चाय उत्पादक राज्यों में लागू हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिये गये वित्तीय प्रोत्साहन, सावधि ऋण तथा पूंजी इमदाद के रूप में हैं। योजना स्कीमों के संबंध में विगत तीन वर्षों में ऋण तथा इमदाद का क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार है:-

(लाख रु. में)

| वर्ष | पूर्वोत्तर | | दक्षिण भारत | | शेष भारत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ऋण | इमदाद | ऋण | इमदाद | ऋण | इमदाद |
| 1998-99 | 570.55 | 878.68 | 163.59 | 361.93 | 424.68 | 438.33 |
| 1999-2000 | 530.31 | 950.78 | 52.28 | 369.66 | 451.51 | 358.42 |
| 2000-01 | 299.13 | 1719.28 | 59.70 | 461.20 | 306.15 | 590.54 |
| कुल | 1399.99 | 3548.74 | 275.57 | 1192.79 | 1182.34 | 1387.29 |

*[हिन्दी]*

**पड़ोसी देशों से तस्करी**

**6695. श्री सुबोध राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नेपाल और बंगलादेश जैसे पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर विदेश निर्मित रेशमी धागे, गांजा, अफीम जैसे स्वापक पदार्थों और यहां तक कि, हथियारों की तस्करी होने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तस्करी की गतिविधि में संलिप्त गिरोहों और व्यक्तियों की पहचान की है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन)**: (क) से (ग) नेपाल और बंगलादेश जैसे पड़ोसी देशों से विदेश में बने रेशमी धागों, स्वापक औषधियों, गांजा, अफीम और हथियारों की बड़े पैमाने पर तस्करी नहीं हो रही है। तथापि, राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय पड़ोसी देशों से भारत में निषिद्ध माल की तस्करी का पता लगाने और उसको रोकने के लिए सतर्क एवं चौकस हैं। तस्करी की गतिविधियों में शामिल पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत पात्र मामलों में अर्थदण्ड लगाकर और मुकदमा चलाकर कार्यवाही की जा रही है।

*[अनुवाद]*

**तम्बाकू उत्पादन पर प्रतिबंध**

**6696. श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने तम्बाकू की खेती पर लगे प्रतिबंध को हटाने के संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या तम्बाकू की खेती पर प्रतिबंध निर्धारित करने के लिए तम्बाकू बोर्ड ने क्या मापदण्ड रखा था; और

(ङ) तम्बाकू की खेती पर प्रतिबंध निर्धारित करने के क्या कारण हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राजीव प्रताप रूडी ):** (क) से (ग) जी, नहीं। तंबाकू की खेती पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का समर्थन करते हुए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) तंबाकू बोर्ड प्रत्येक वर्ष फ्लू क्योर्ड वर्जिनिया (एफ.सी.वी.) तंबाकू के फसल आकार का निर्धारण करते समय घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मांग, स्टाक की मौजूदा स्थिति तथा भारत एवं विदेश दोनों में सिगरेट के उत्पादन और उसकी खपत के रुझानों को ध्यान में रखता है।

(ङ) एफ.सी.वी. तंबाकू के उत्पादन पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य लाभकारी कीमतें प्राप्त करने में तंबाकू किसानों की मदद करना है।

## योजनागत राशि का अन्यत्र उपयोग

**6697. श्री होलखोमांग हौकिप :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनके राज्यों ने योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) वित्त मंत्रालय के विरुद्ध मणिपुर राज्य की घाटे, ऋण और अन्य देयताओं की वित्तीय स्थिति क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) और (ख) जी, हां। चूंकि अधिकांश राज्य अपने बजटों में भारी राजस्व घाटे का सामना कर रहे हैं, अत: अनेक मामलों में योजना निधियों को आकस्मिक गैर-योजनागत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्तरित कर दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवेदित योजना व्यय में कमी के लिए राज्य सरकारों को आबंटित केन्द्रीय सहायता में से अनुपातिक कटौती की जाती है। ऐसे अन्तरणों को रोकने का प्रभावी उपाय केवल यह है कि राज्य यह सुनिश्चित करें कि राजस्व घाटा पूरी तरह समाप्त हो सके। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के उत्तरवर्ती क्रम में वित्त मंत्रालय ने राज्यों की राजकोषीय सुधार सुविधा नामक एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के तहत राज्यों द्वारा वर्ष 2004-05 तक अपने राजस्व घाटे में कमी लाने पर उन्हें समुचित रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ग) वर्ष 2001-02 के बजटीय अनुमान के अनुसार मणिपुर राज्य का राजस्व घाटा और अन्य बकायों समेत बकाया ऋण क्रमश: 25.20 करोड़ रुपए और 1681 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय के अनुसार 31.3.2002 तक मणिपुर सरकार पर कुल बकाया ऋण 402.40 करोड़ रुपयों का था।

## आंतरिक ऋण

**6698. श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार ऋण की सकल राशि 1985-86 में 5543 करोड़ रुपए से बढ़कर 2000-01 में 100206 करोड़ रुपए हो गई है और इसकी औसत वृद्धि दर 22.74 प्रतिशत रही है तथा बाजार ऋण की बकाया देनदारी भी 18.32 प्रतिशत बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले सोलह वर्षों के दौरान आंतरिक ऋण 10 गुने से अधिक बढ़कर, 1985-86 में 35688 करोड़ रुपए से 2000-2001 में 354905 करोड़ रुपए हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या बाजार से ऋण/आंतरिक ऋण लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी ली गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) बाजार ऋणों से सकल प्राप्तियां वर्ष 1985-86 में 5543 करोड़ रुपए से 46.61 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 100206 करोड़ रुपए हो गई, जबकि बकाया बाजार ऋणों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 18.23 प्रतिशत रही है।

(ख) आंतरिक ऋण (निवल) वर्ष 1985-86 में 12502 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 89443 करोड़ रुपए हो गया है।

(ग) से (ङ) बाजार उधार संसद द्वारा अनुमोदित बजट में अपेक्षित स्तरों के भीतर लिए जाते हैं।

*[हिन्दी]*

**भारतीय खाद्य निगम से चावल की खरीद**

6699. **श्री सुकदेव पासवान :**
**श्री सुबोध मोहिते :**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न निर्यातकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम से कुल कितना चावल (टेरीकाट-बी) खरीदा गया और विदेशों को निर्यात किया गया;

(ख) इससे वर्षवार कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा घरेलू बाजार में उक्त किस्म का कुल कितना चावल बेचा गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान और 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार, इस किस्म के चावल का कुल भंडार कितना था?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान):** (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम केवल लम्बाई-चौड़ाई के अनुपात के आधार पर चावल की वसूली करता है न कि किस्मवार। यह केवल ग्रेड ''ए'' तथा कामन चावल की ही वसूली तथा पेशकश करता है।

**बैंकों के नामनिर्दिष्ट निदेशक**

6700. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत चार वर्षों के दौरान राजस्थान के विभिन्न बैंकों में कितने निदेशकों को नामनिर्दिष्ट किया गया तथा इसके लिए अपनाया गया मापदण्ड क्या रहा;

(ख) क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कुछ निदेशकों ने केन्द्र में सरकार के परिवर्तन के बाद त्यागपत्र दे दिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैंकों में निदेशकों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया और प्रथा अपनाई जाती है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):** (क) और (घ) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर सरकारी क्षेत्र का एक बैंक है जिसका मुख्यालय राजस्थान में है। स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के निदेशक मण्डल में निदेशकों को भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार नामांकित किया जाता है। माननीय संसद सदस्यों, अन्य पात्र व्यक्ति/विशेषज्ञों द्वारा संस्तुत व्यक्तियों के नामों में से केन्द्र सरकार द्वारा 14 निदेशकों में से सिर्फ तीन को नामित किया जाता है। अन्यों को भारतीय स्टेट बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

**भिक्षावृत्ति निरोधन योजना**

6701. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**
**श्री शशि कुमार :**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को, अ.शा.प. संदर्भ सं. 12-3/98-एसडी, दिनांक 22 अप्रैल, 1998 के तहत नवीन प्रस्तावों/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए भिक्षावृत्ति निरोधन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू करने हेतु एक प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार ने 2.52 लाख रु. प्रति केन्द्र की दर से सात कार्य-केन्द्रों के लिए 17.64 लाख रु. का आवर्ती अनुदान मंजूर करने का प्रस्ताव किया था, और दो नये कार्य-केन्द्रों के स्थापनार्थ 7.04 लाख रु. की राशि मांगी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने यह धनराशि जारी कर दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इसके कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया):** (क) से (ङ) वर्ष 1998-99 से भिक्षावृत्ति निवारण के लिए केन्द्रीय योजना के और जुड़ जाने से कर्नाटक सरकार सहित किसी राज्य सरकार को कोई निधियां निर्मुक्त नहीं की जा रही हैं।

**राजस्थान को वित्तीय सहायता**

6702. **डा. जसवंत सिंह यादव :**
**श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :**

**क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) राजस्थान में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कल्याण योजनाओं के लिए राज्य सरकार को योजनावार कितनी राशि संस्वीकृत की गई;

(ग) इस धनराशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(घ) क्या सरकार का राजस्थान के जोधपुर जिले के एक संगठन को दी जा रही सहायता बंद करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या धनराशि के दुरूपयोग को लेकर गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया):** (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार को निर्मुक्त सहायता अनुदान का योजनावार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

| क्र.सं. | योजना का नाम | निर्मुक्त राशि (रु. लाख में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देना | 88.13 | 93.99 | 155.81 |
| 2. | मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण | 66.54 | 72.69 | 79.67 |
| 3. | अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास | 57.48 | — | — |
| 4. | अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता | — | — | 11.74 |
| 5. | अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग | — | — | 0.38 |
| 6. | सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता (एडीआईपी योजना) | 348.78 | 369.00 | 382.92 |
| 7. | वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम | 1.35 | — | 3.15 |
| 8. | अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान | 66.05 | 94.90 | 257.09 |
| 9. | वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूह को सहायता | 10.00 | 2.50 | — |
| 10. | आर्थिक मानदंड के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग | 5.25 | 2.45 | 4.43 |
| 11. | बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम | 25.67 | 17.68 | 37.92 |

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**गारंटीकृत ऋणों का रूपांतरण**

**6703. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सरकार से, विभिन्न राज्य नियंत्रणाधीन निकायों को प्रदत्त गारंटीकृत ऋणों को संस्वीकृत प्रतिभूतियों में रूपांतरित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि को संस्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रूपांतरित कर दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष रहा;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी इस प्रस्ताव को स्वीकृति दिया जाना आवश्यक है;

(च) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):** (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार 106 मामलों के संबंध में राज्य सरकार की गारंटियां कुल 934.93 करोड़ रु. की बैठती हैं।

(ग) से (छ) इस प्रस्ताव के पक्ष में विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा लिए गये ऋणों के लिए राज्य सरकार की गारंटियों का प्रभाव कम हो जाएगा।

**चाय कामगारों को पारिश्रमिक**

**6704. श्रीमती मिनाती सेन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक त्रिपक्षीय समझौते से आबद्ध चाय उद्योग 1 अप्रैल, 2002 से लगभग 3.5 लाख से अधिक कामगारों का दैनिक पारिश्रमिक 4.10 रु. और बढ़ाने को वचनबद्ध है;

(ख) क्या चाय उद्योग ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, पारिश्रमिक-वृद्धि को एक अनिर्दिष्ट अवधि के लिए आस्थगित रखने की मांग की है;

(ग) क्या सरकार ने 1 अप्रैल, 2002 से चाय उद्योग के समक्ष उत्पन्न होने वाली विषम स्थिति का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) दिनांक 5.2.2001 को हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य के दुआर्स, तराई तथा दार्जिलिंग में चाय बागानों के मजदूरों की दिहाड़ी प्रत्येक वयस्क मजदूर के लिए 4.10 रु. तक बढ़ा दी जाएगी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) उद्योग से उपलब्ध सूचना के अनुसार, मजदूर संघों ने दिहाड़ी के आस्थगन को स्वीकार नहीं किया है और उक्त दिहाड़ी दर 1.4.2002 से प्रभावी हो गयी है।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का पुनरुद्धार**

**6705. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम अथवा उसके प्रबंधन द्वारा संचालित मध्य प्रदेश की वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार की संस्वीकृति देने विषयक कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों के नाम क्या हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार):** (क) बी.आई.एफ.आर. ने एन.टी.सी. (एम.पी.) लि. के लिए एक पुनर्वासन योजना की स्वीकृति प्रदान की है।

(ख) इस योजना में एन.टी.सी. (एम.पी.) लि. की निम्नलिखित दो मिलों का पुनरुद्धार करना निहित है:-

(1) बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर

(2) न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स, भोपाल

*[अनुवाद]*

**निगमित क्षेत्र के प्रशासन के लिए रेटिंग-प्रणाली**

**6706. श्री राम मोहन गाइडे :**
**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेशकों के विश्वास को पुन: जागृत करने के प्रयास स्वरूप 'सेबी' ने भविष्य में निगमित क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक रेटिंग प्रणाली रखने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में रेटिंग एजेंसियों के साथ कोई बैठक की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहा?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक चरणबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से कार्पोरेट अभिशासन की कतिपय सर्वोत्तम परम्पराओं को अनिवार्य बना दिया है। सेबी कार्पोरेट अभिशासन के माप के लिए रेटिंग प्रणाली की संकल्पना की जांच कर रहा है;

(ख) सेबी ने यह सूचित किया है कि इस संबंध में रेटिंग अभिकरणों के साथ कोई औपचारिक बैठकें आयोजित नहीं की गई हैं।

(ग) उक्त (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

**प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में "फिक्की" का सर्वेक्षण**

**6707. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "फिक्की" द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में वर्ष 2002 में किये गये तथा हाल में जारी सर्वेक्षण की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के अनुसार विदेशी निवेशकों के नकारात्मक और सकारात्मक कार्यनिष्पादन के संबंध में क्या ब्यौरा प्राप्त हुआ है;

(ग) सर्वेक्षण के अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आगम का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगम कम होने के लिए इसमें क्या कारण दिये गये हैं;

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगम और बढ़ाने के संबंध में सर्वेक्षण में क्या उपाय सुझाए गए हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डा. रमण ):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में फिक्की के सर्वेक्षण 2002 की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

- रिपोर्ट में अनेक सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि; केन्द्र में अनुमोदनों का जांच द्वारा जबर्दस्त 93 प्रतिशत निपटान अच्छा औसत है; 61 प्रतिशत प्रत्यार्थियों ने लाभ अथवा न लाभ न हानि की स्थिति की सूचना दी है और 51 प्रतिशत निकट भविष्य में भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।
- रिपोर्ट में कुछ क्षेत्रों जैसे कि भारत की छवि, प्रणालियों व प्रक्रियाओं तथा अवसंरचना की प्रस्तुति में सुधार लाने का भी विशेष रूप से उल्लेख है।
- राज्यों के बीच एफ.डी.आई. का परस्पर वितरण उनके द्वारा प्रस्तुत स्थापना स्थलों के लाभ से निर्धारित होता है। नीतिगत वातावरण और अवसंरचना सहित निवेश के समग्र वातावरण के आधार पर उक्त सर्वेक्षण ने आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को सुधारोन्मुख राज्यों के रूप में; हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को मध्यम सुधारक राज्यों के रूप में तथा असम, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को पीछे रह जाने वाले सुधारक राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया है।

(ङ) से (छ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दृष्टि से, सरकार ने एक पारदर्शी एवं निवेशक अनुकूल एफ.डी.आई. नीति पहले ही लागू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत अधिकांश क्षेत्रों में स्वत: मार्ग पर 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है तथा विदेशी निवेशकों को निधियां लाने के 30 दिनों और फिर शेयर जारी करने के 30 दिनों के भीतर आर.बी.आई. को मात्र सूचना देनी पड़ती है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार किए गए एफ.डी.आई. प्रस्तावों पर सरकार के निर्णय की सूचना 30 दिन की समय सीमा के भीतर दे दी जाती

है। एफ.डी.आई. संबंधी कार्यान्वयन के मुद्दों का समाधान करने के लिए विदेशी निवेशकों और केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच एक एकल संपर्क बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) की स्थापना अगस्त, 1999 में की गई है।

**मछुआरा संघ का अनुरोध**

**6708. श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यंत्रचालित मछलीमार-नौकाओं में प्रयुक्त होने वाले एच.एस.डी.-तेल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में, केन्द्रीय धनांश के रूप में कोई राशि मुहैया करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के तहत, वर्ष 2001-2002 के दौरान महाराष्ट्र के पक्ष में कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(घ) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार, मछुआरा संघ और महाराष्ट्र के संसद सदस्यों ने इस प्रयोजनार्थ कम से कम 4 करोड़ रु. की धनराशि मंजूर करने हेतु कई बार अनुरोध किया है/अभ्यावेदन दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन):** (क) और (ख) जी, हां। 20 मीटर से कम लम्बाई की यांत्रिक मछलीमार नौकाओं को आपूरित उच्च गति तेल (एच.ए.डी.) पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 9वीं योजना के अंत तक कार्यान्वयन में थी जिसके अनुसार राज्य मत्स्य पालन विभाग के पास पंजीकृत मछलीमार-जलयान एक पास बुक प्रणाली के माध्यम से एच.एस.डी. तेल ले सकते थे और 351.75 रुपए प्रति के.एल. की दर (35 पैसे प्रति लीटर) से उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते थे। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के मामलों को छोड़कर जिन्होंने एच.एस.डी. तेल पर पूरे बिक्री कर से छूट दी हुई है और उन संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर जिन्हें केन्द्र द्वारा 100% आधार पर वित्तीय मदद मिलती है अन्य मामलों में योजना केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 80 : 20 अर्थात् केन्द्र द्वारा प्रतिपूर्ति लागत का 80% और राज्यों द्वारा 20% के आधार पर वित्त पोषित थी।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान "समुद्री मत्स्य-पालन का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत 20 मीटर से कम लम्बाई के यांत्रिक मछलीमार-जलयानों को आपूरित एच.एस.डी. तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के प्रति 168 लाख रुपए की धनराशि मंजूर कर दी गई थी और इसे जारी कर दिया गया था।

(घ) और (ङ) जी नहीं। तथापि इस योजना के तहत एच.एस.डी. तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति की लागत के प्रति 288 लाख रुपए जारी करने का एक प्रस्ताव वर्ष 2001-2002 के दौरान महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ था किन्तु अन्य राज्यों से प्राप्त मांग तथा वर्ष 2001-2002 के दौरान इस योजना के अंतर्गत किए गए समग्र केन्द्रीय आवंटन पर विचार करते हुए राज्य सरकार से प्राप्त मांग को अनुपातिक रूप से 168 लाख रुपए तक सीमित कर दिया जाना था।

**आयुर्वेदिक उपचार के लिये मेडीक्लेम बीमा**

**6709. श्री किरीट सोमैया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक उपचार की समस्याओं और मेडीक्लेम बीमा योजना के अन्तर्गत इस सुविधा की अनुपलब्धता का अध्ययन किया है;

(ख) क्या मेडीक्लेम बीमा के अंतर्गत रोगियों के लिए हर तरह का एलोपैथिक उपचार शामिल है लेकिन इस बीमा में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के लाभ नहीं दिये जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक उपचार को मेडीक्लेम बीमा नीति के अन्तर्गत लाकर इसको सुरक्षा और सहायता देने हेतु कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो यह कब तक किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):** (क) और (ख) मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों प्रकार के उपचार शामिल किए गए हैं। तथापि प्राकृतिक चिकित्सा इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत इसे विशिष्ट तौर पर बाहर रखा गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

**आई.डी.बी.आई. के लिये पेंशन योजना**

6710. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.डी.बी.आई. के वर्तमान प्रबंधन ने अपने पहले के बोर्ड द्वारा 9 अगस्त, 1997 को स्वीकृत पेंशन मानदंडों को परिवर्तित करने और आई.डी.बी.आई. तथा आर.बी.आई. समेत वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये एक समान पेंशन योजना हेतु केन्द्र सरकार के नीति दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजना की बुनियादी संरचना में काट-छांट किये बगैर आई.डी.बी.आई. में पेंशन योजना कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील )**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में पेंशन योजना भारत सरकार के अनुमोदन से 1.11.1993 से लागू की गई थी। यह योजना सामान्यत: भारतीय रिजर्व बैंक में प्रचलित पेंशन योजना के ही अनुरूप है।

**प्रधान लेखा कार्यालय**

6711. **श्री रामजी मांझी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अपनी विभिन्न रिपोर्टों और वर्ष 2000 की रिपोर्ट संख्या 1 के पैरा 8.3 में पृष्ठ 99 पर उल्लेख किया गया है कि प्रधान लेखा कार्यालयों ने अपनी शेष राशि की समीक्षा नहीं की;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिविल लेखा नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन के कारणों की जांच और इस मामले में कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील )**: (क) से (ग) बहुत से प्रधान लेखा कार्यालयों ने वर्ष 1999-2000 के लिए शेष राशि की वार्षिक समीक्षा पूरी कर ली है तथा रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। बाकी प्रधान लेखा कार्यालयों को शेष राशि की वार्षिक समीक्षा पूरी करने के लिए फिर से अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

*[हिन्दी]*

**आधार संरचना क्षेत्र में निवेश**

6712. **श्री रामटहल चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्यिकरण संबंधी विशेषज्ञ ने आधार संरचना क्षेत्र में जारी निवेश की जरूरत पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक देश में कितना विदेशी और घरेलू निवेश हुआ है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितना निवेश हुआ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील )**: (क) आधार संरचना परियोजना के वाणिज्यिकरण से संबंधित विशेषज्ञ दल ने यह आकलन किया कि वर्ष 1996-97 से 2000-01 के लिए करीब 4,300 बिलियन रुपए के और 2001-02 से 2005-06 के लिए 7,500 बिलियन रुपए के कुल आधार संरचना निवेश की आवश्यकता होगी।

(ख) घरेलू और विदेशी निवेश का विवरण नीचे दिया गया है:

| वर्ष | घरेलू निवेश (करोड़ रुपए) | विदेशी निवेश (मिलियन अमरीकी डालर) |
|---|---|---|
| 1998-99 | 243697 | 2401 |
| 1999-00 | 268374 | 5181 |
| 2000-01 | 274917 | 5099 |

(ग) राज्यवार निवेश के आशय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

*घरेलू निवेश आशय का वर्षवार और राज्यवार विवरण*

| राज्य का नाम | 1999 आईईएम+ एलओआई | | 2000 आईईएम+ एलओआई | | 2001 आईईएम+ एलओआई | | 2002 (मार्च तक) आईईएम+ एलओआई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | निवेश | संख्या | निवेश | संख्या | निवेश | संख्या | निवेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| अंडमान और निकोबार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश | 205 | 3943 | 207 | 2222.93 | 258 | 46494 | 95 | 1429 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| असम | 10 | 102 | 20 | 581 | 71 | 1413 | 21 | 147 |
| बिहार | 7 | 82 | 14 | 101 | 7 | 23 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 62 | 4085 | 33 | 2257 | 7 | 25 | 7 | 74 |
| चंडीगढ़ | 4 | 188 | 2 | 11 | 45 | 2268 | 0 | 0 |
| दादर और नगर हवेली | 129 | 1787 | 81 | 1069.7 | 114 | 2112 | 42 | 254 |
| दमन और दीव | 61 | 377 | 35 | 139.2 | 45 | 166 | 19 | 90 |
| दिल्ली | 5 | 19 | 10 | 52.41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| गोवा | 25 | 212 | 39 | 355.15 | 60 | 1058 | 10 | 103 |
| गुजरात | 246 | 15066 | 282 | 10153.7 | 285 | 11596 | 72 | 1499 |
| हरियाणा | 116 | 1217 | 200 | 3594.05 | 148 | 778 | 51 | 184 |
| हिमाचल प्रदेश | 17 | 260 | 17 | 557 | 26 | 470 | 5 | 16 |
| जम्मू व कश्मीर | 6 | 114 | 4 | 40 | 7 | 141 | 2 | 6 |
| झारखंड | 23 | 505 | 99 | 5606 | 15 | 66 | 3 | 7 |
| कर्नाटक | 144 | 2985 | 146 | 3853.28 | 182 | 4307 | 49 | 1184 |
| केरल | 32 | 1388 | 26 | 316 | 32 | 533 | 2 | 4 |
| लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 126 | 4164 | 110 | 1060.8 | 84 | 771 | 14 | 24 |
| महाराष्ट्र | 877 | 51338 | 756 | 22182.4 | 646 | 7554 | 206 | 3972 |
| मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मेघालय | 9 | 55 | 14 | 68.19 | 49 | 331 | 10 | 33 |
| मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 |
| उड़ीसा | 28 | 7253 | 25 | 1899 | 39 | 1289 | 6 | 78 |
| पांडिचेरी | 33 | 202 | 41 | 1587 | 41 | 253 | 10 | 52 |
| पंजाब | 113 | 13722 | 171 | 2382.31 | 89 | 1239 | 29 | 10354 |
| राजस्थान | 92 | 2002 | 221 | 4938.98 | 108 | 2255 | 27 | 1229 |
| सिक्किम | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| त्रिपुरा | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 789 | 4 | 4 |
| तमिलनाडु | 259 | 6472 | 286 | 3892.91 | 264 | 2147 | 69 | 1622 |
| उत्तर प्रदेश | 228 | 5355 | 252 | 1938 | 238 | 2260 | 66 | 465 |
| उत्तरांचल | 11 | 131 | 15 | 88 | 21 | 553 | 3 | 24 |
| पश्चिम बंगाल | 209 | 6661 | 149 | 2401.59 | 206 | 1608 | 76 | 475 |
| एक से अधिक राज्य | 2 | 33 | 3 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जोड़ | 3080 | 129719 | 3261 | 73373.8 | 3098 | 92575 | 899 | 23329 |

टिप्पणी : निवेश करोड़ रुपए में दर्शाया गया है।
आई.ई.एम. : औद्योगिक उद्यम ज्ञापन
एलओआई : आशय पत्र

**अल्पसंख्यकों का कल्याण**

**6713. श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुपालन में उपाय किये है ताकि इस समुदाय के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार विद्यार्थियों के लिये शुरू किए गए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम की राज्यवार स्थिति क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया):** (क) से (ग) जी, हां। सभी राज्य सरकारों से राज्य पुलिस बलों में भर्ती में अल्पसंख्यकों को विशेष महत्व देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि चयन समितियों का संघटन प्रतिनिधित्वपूर्ण हो और राज्य पुलिस बलों/सशस्त्र बटालियन में अल्पसंख्यकों का समुचित प्रतिनिधित्व हो। केन्द्रीय पुलिस बलों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रोजगार अवसरों/भर्ती कार्यक्रमों के प्रति अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को जागरूक बनाकर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए। केन्द्रीय पुलिस बलों के भर्ती बोर्ड केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने हेतु अल्पसंख्यक समुदाय संस्थाओं/संगठनों को सूचना भेजते हैं।

भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत समूह "ग" या समूह "घ" के पदों/सेवाओं में 10 या अधिक रिक्तियों की भर्ती करने के लिए गठित

चयन समितियों/बोर्डों में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित किसी सदस्य को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग कक्षाओं की एक योजना इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिससे कि सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं में सफलतापूर्वक स्पर्धा करने हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को तैयार किया जा सके। विश्वविद्यालयों/कालेजों में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी ऐसे ही एक कोचिंग योजना कार्यान्वित की जा रही है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत, अनौपचारिक रोजगार उन्मुख व्यवसायों में ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए चुने हुए डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में सामुदायिक पॉलीटेक्निक की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

**राजस्व और डाक टिकटों की कमी**

6714. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :**
**श्री एस. मुरूगेसन :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर तमिलनाडु में राजस्व और डाक टिकटों की भारी कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन):** (क) और (ख) जी, हां। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक जो इन टिकटों की राज्य सरकारों को आपूर्ति करता है, ने सूचित किया है कि तमिलनाडु में राजस्व टिकटों और डाक टिकटों की कुछ कमी है।

तमिलनाडु में इन टिकटों के मांगपत्र और आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है:-

(इश्यू शीटों में सभी आंकड़े हजार में)

| वर्ष | वार्षिक मांग पत्र | वार्षिक आपूर्ति |
|---|---|---|
| 2000-01 | 8168 | 3926 |
| 2001-02 | 6405 | 3899 |

(ग) और (घ) राजस्व टिकटों के मुद्रण के लिए अन्य टिकट मुद्रण की क्षमता का अपवर्तन करके भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

**उत्पाद शुल्क लेखा-परीक्षा की अवसंरचना**

6715. **श्री अधीर चौधरी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में देश की उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा की अवसंरचना के पुनरुद्धार का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को वर्तमान उत्पाद शुल्क अवसंरचना में अड़चनों के बारे में जानकारी मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अद्यतन उत्पाद शुल्क अवसंरचना के किस सीमा तक प्रभावी होने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन):** (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, और अधिकारियों की तैनाती द्वारा लेखा-परीक्षा संगठन को मजबूत बनाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) उत्पाद शुल्क ढांचे का सुधार एक सतत् प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शुल्क ढांचे को सरल बनाना, छूटों में कमी करना और अधिक मदों को उत्पाद के दायरे और सेनवेट कड़ी के अंतर्गत लाना है और इसके साथ ही इसका उद्देश्य राजस्व वसूली में सुधार करना और कर अनुपालन को प्रोत्साहित करना है।

**चंदन की लकड़ी और उससे निर्मित उत्पादों का निर्यात**

6716. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
**श्री आर.एस. पाटिल :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश से विशेषकर कर्नाटक से कितनी मात्रा में चंदन-लकड़ी, अगरबत्ती, चंदन सुगंध, चंदन तेल और चंदन साबुन का निर्यात किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राजीव प्रताप रूडी ):** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यातित, चंदन तेल, अगरबत्ती तथा चंदन की लकड़ी की कुल मात्रा निम्नानुसार है। किसी भी उत्पाद के लिए राज्यवार निर्यात संबंधी आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

| उत्पाद | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 |
|---|---|---|---|
| चंदनी तेल | 7387 किग्रा. | 8484 किग्रा. | 10308 किग्रा. |
| अगरबत्ती | 7503266 किग्रा. | 8431799 किग्रा. | 13264835 किग्रा. |
| चंदन की लकड़ी | शून्य | शून्य | 22 कम |

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

चंदन साबुन तथा चंदन इत्र के संबंध में अलग निर्यात संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इन उत्पादों के लिए अलग से कोई आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण नहीं हैं।

(ख) से (घ) उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार चंदन तेल, अगरबत्ती तथा चंदन की लकड़ी के निर्यात की मात्रा में कोई कमी नहीं आई है।

## सिर पर मैला ढ़ोने वालों का पुनर्वास

**6717. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिर पर मैला ढ़ोने वालों की मुक्ति और उनके पुनर्वास के लिये स्वच्छता मार्ट का सिद्धान्त शुरू किया हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने स्वच्छता मार्टों की स्थापना की गई है और इसके लिये राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) स्वच्छता मार्टों की बहुत धीमी गति से स्थापना किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) योजना के समुचित और शीघ्र क्रियान्वयन हेतु क्या नये कदम उठाये गये हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ( डा. सत्यनारायण जटिया ):** (क) और (ख) जी हां, गत तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता और स्थापित सैनेटरी मार्टस के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सैनेटरी मार्ट अवधारण में पुनर्वास में समूह दृष्टिकोण को स्वीकार्यता प्राप्त करने में समय लगा है।

(घ) इस समूह में सफाई कर्मचारियों की संख्या तथा आर्थिक कार्यकलाप के स्वरूप के संबंध में एक लचीला दृष्टिकोण इस कार्यक्रम के उन्नत कार्यान्वयन में सहायता कर रहा है।

***विवरण***

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | स्वीकृत राशि गत तीन वर्षों में (रु. करोड़ में) | स्थापित कुल सैनिटरी मार्ट |
|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 10.41 | 241 |
| 2. | असम | 3.72 | एन.ए. |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 15 | 6 |
| 4. | गुजरात | 11.61 | 5 |
| 5. | झारखण्ड | 10.85 | एन.ए. |
| 6. | कर्नाटक | 4.67 | 1 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 8.83 | 7 |
| 8. | महाराष्ट्र | 15.81 | 1 |
| 9. | उड़ीसा* | 0.00 | 3 |
| 10. | राजस्थान | 16.62 | एन.ए. |
| 11. | तमिलनाडु | 22.58 | 128 |
| 12. | उत्तर प्रदेश | 0.00 | 151 |
| | कुल | 120.05 | 543 |

नोट- *राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (एस.सी.डी.सी.) के पास उपलब्ध पूर्ववर्ती खर्च न की गई शेष राशि में से।

एन.ए.-राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

**बहुराष्ट्रीय बैंकों की ग्रामीण शाखायें**

**6718. श्री जार्ज ईडन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में बहुराष्ट्रीय बैंकों की राज्यवार कुल कितनी ग्रामीण शाखायें चल रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय बैंक केवल शहरों में ही अपनी शाखायें खोल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखायें खोलने की कोई बाध्यता नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार भारत में 40 विदेशी बैंक अपनी 191 शाखाओं के साथ कार्य कर रहे थे। इनकी कोई शाखा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। इन बैंकों की शाखाएं केवल महानगर, शहरी और अर्धशहरी केन्द्रों में है तथा उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) विदेशी बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए दबाव नहीं डाला गया है क्योंकि उन्हें केवल सीमित संख्या में शाखाएं चलाने की अनुमति दी गई है और उनकी उपस्थिति का लक्ष्य कारपोरेट वित्त राजकोष प्रबन्धन, निर्यात वित्त पोषण तथा अन्तर्राष्ट्रीय ऋण समूहन आदि में उनकी मुख्य क्षमता का उपयोग करना है।

***विवरण***

*30.4.2002 की स्थिति के अनुसार*

*भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपस्थिति*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | केन्द्र का नाम | केन्द्र का प्रकार | विदेशी बैंकों की संख्या | शाखाओं की संख्या | शाखाओं की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | हैदराबाद | एम | 8 | 8 | |
| | | विशाखापटनम | यू | 1 | 1 | 9 |
| 2. | असम | गुवाहटी | यू | 1 | 1 | |
| | | सिलीगुड़ी | यू | 1 | 1 | 2 |
| 3. | चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) | चंडीगढ़ | यू | 1 | 1 | 1 |
| 4. | दिल्ली | दिल्ली | एम | 20 | 34 | 34 |
| 5. | गुजरात | अहमदाबाद | एम | 6 | 6 | |
| | | बड़ौदा | एम | 2 | 2 | 8 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | एस यू | 1 | 1 | 1 |
| 7. | हरियाणा | गुड़गांव | यू | 1 | 1 | 1 |
| 8. | कर्नाटक | बंगलौर | एम | 12 | 12 | 12 |
| 9. | केरल | एर्नाकुलम | यू | 1 | 1 | |
| | | कोची | यू | 2 | 2 | |
| | | त्रिवेंद्रम | यू | 1 | 1 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | महाराष्ट्र | मुम्बई | एम | 36 | 56 | |
| | | पूना | एम | 6 | 6 | 62 |
| 11. | पंजाब | अमृतसर | यू | 1 | 1 | |
| | | लुधियाना | एम | 1 | 1 | 2 |
| 12. | राजस्थान | जयपुर | एम | 1 | 1 | 1 |
| 13. | तमिलनाडु | चेन्नई | एम | 13 | 16 | |
| | | कोयंबटूर | यू | 3 | 3 | 19 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | कानपुर | एम | 2 | 2 | 2 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | कलकत्ता | एम | 11 | 32 | |
| | | दार्जिलिंग | एस यू | 1 | 1 | 33 |
| 16. | अरुणाचल प्रदेश | | | | | |
| 17. | बिहार | | | | | |
| 18. | मणिपुर | | | | | |
| 19. | मेघालय | | | | | |
| 20. | मिजोरम | | | | | |
| 21. | मध्य प्रदेश | | | | | |
| 22. | नागालैंड | | | | | |
| 23. | उड़ीसा | | | | | |
| 24. | राजस्थान | | | | | |
| 25. | सिक्किम | | | | | |
| 26. | त्रिपुरा | | | | | |
| 27. | अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह | | | | | |
| 28. | गोवा | | | | | |
| 29. | दमन एंड द्वीव | | | | | |
| 30. | लक्षद्वीप | | | | | |
| 31. | दादर और नगर हवेली | | | | | |
| 32. | पांडिचेरी | | | | | |
| | कुल | | | | | |

*एम-महानगर *यू - शहरी *एसयू - अर्द्धशहरी

30.4.2002 तक की स्थिति के अनुसार विदेशी बैंकों की शाखाओं की स्थिति।

*[हिन्दी]*

**भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनियों में निवेश**

**6719. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा किन कंपनियों में निवेश के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम को सलाह दी गई है और निवेश की गई धनराशि का कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने जिन कंपनियों में निवेश किया है, इनका वर्तमान में अस्तित्व है;

(ग) यदि नहीं, तो इस तरह के निवेश हेतु कौन अधिकारी उत्तरदायी है; और

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश की गई धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) से (घ) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार, निगम को अपनी निधियों का निवेश करने का पूरा अधिकार है। उक्त अधिनियम की धारा 19(2) के अनुसार, निगम ने अपनी निधियों को निवेश से संबंधित मामलों पर इसे सलाह देने के प्रयोजन से एक निवेश समिति का गठन किया है। इस प्रकार, केन्द्र सरकार निगम को किसी कंपनी विशेष में निवेश करने की सलाह नहीं देती।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी योजनाओं का प्रचार**

**6720. श्री कोडीकुनील सुरेश :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी योजनाओं को पर्याप्त प्रचार नहीं दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों को अपने अधिकारियों और विशेषाधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन योजनाओं को पर्याप्त प्रचार देने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संपर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ( डा. सत्यनारायण जटिया ):** (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया यूनिटों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ अभिप्रेत योजनाओं तथा कार्यक्रमों सहित सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार कर रहा है। आकाशवाणी के 30 व्यापारिक प्रसारण केन्द्रों (विविध भारती), 73 स्थानीय स्टेशनों तथा पूर्वोत्तर के 15 प्राइमरी चैनलों/स्टेशनों के माध्यम से संवरती जाएं जीवन की राहें नामक एक साप्ताहिक रेडियों कार्यक्रम हिन्दी तथा 19 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा रेडियो स्पॉट्स/जिंगल्स तैयार किए गए हैं जिन्हें आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल से प्रसारित किया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा तैयार योजनाओं तथा कार्यक्रमों के संबंध में वीडियो फिल्में दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क तथा इसके क्षेत्रीय केन्द्रों से प्रसारित की जा रही हैं। ये फिल्में क्षेत्र प्रसार निदेशालय जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक मीडिया यूनिट है, के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई जा रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**बांग्लादेश से कुछ वस्तुओं की शुल्क-मुक्त बाजार में पहुंच**

**6721. श्री नरेश पुगलिया :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बांग्लादेश से 16 श्रेणियों के अंतर्गत 40 वस्तुओं की शुल्क-मुक्त बाजार में पहुंच की अनुमति देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांग्लादेश सरकार ने इस सूची में कुछ और वस्तुओं को शामिल करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राजीव प्रताप रूडी ):** (क) से (ङ) बांग्लादेश की सरकार 25 उत्पाद

श्रेणियों के सदृश छः अंकीय एचएस स्तर पर 191 टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच की मांग कर रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर पर ढाका में 8-10 अप्रैल, 2002 को आयोजित व्यापार वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष ने बांग्लादेश के उत्पादों की 16 श्रेणियों में सदृश छः अंकीय सुमेलीकृत प्रणाली (एचएस) स्तर पर 40 टैरिफ लाइनों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी जिसका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। तथापि, इन 40 टैरिफ लाइनों की वास्तविक अधिसूचना बांग्लादेश सरकार द्वारा भारत के कॉटन यार्न के निर्यातों के लिए भू-मार्ग की बहाली करने के पश्चात् जारी की जाएगी।

*विवरण*

*बांग्लादेश को शून्य शुल्क पहुंच प्रदान करने हेतु विचारार्थ मदें*

| क्र.सं. | एच.एस. कोड | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **1. तैयार खाद्य** | | |
| 1. | 1905.30 | मीठे बिस्कुल, वैफल्स एवं वैफर्स |
| 2. | 1905.40 | रस्क, टोस्टेड ब्रेड और इसी प्रकार के टोस्टेड उत्पाद |
| **2. ग्रंथियां और टीके** | | |
| 3. | 3001.10 | ग्रंथि और अन्य अंग, पाउडर युक्त अथवा नहीं |
| 4. | 3001.20 | ग्रंथि अथवा अन्य अंगों का निस्सारण अथवा उसका स्राव |
| 5. | 3001.90 | अन्य |
| 6. | 3002.10 | एण्टिसेरा और अन्य रक्त अंश और संशोधित प्रतिरक्षण उत्पाद चाहे जैव प्रौद्योगिकीय प्रक्रिया के प्राप्त हो अथवा नहीं |
| 7. | 3002.20 | मानव औषधि हेतु टीके |
| 8. | 3002.30 | पशु चिकित्सा औषधि हेतु टीके |
| 9. | 3002.90 | अन्य |
| **3. भेषजीय उत्पाद** | | |
| 10. | 3004.40 | अल्कालोइड युक्त अथवा उससे प्राप्त उत्पाद लेकिन हार्मोनयुक्त नहीं, शीर्ष संख्या 29.37 के अन्य उत्पाद अथवा एण्टीबायोटिक |
| 11. | 3004.90 | अन्य |
| 12. | 3006.40 | दंत सीमेंट और अन्य दंत भराई सामग्री, हड्डी पुनर्निर्माण सीमेंट |
| 13. | 3006.60 | हार्मोन आधारित रासायनिक गर्भ निरोधक अथवा शुक्राणुनाशक उत्पाद |
| **4. शृंगार प्रसाधन** | | |
| 14. | 3304.10 | होंठ मेकअप उत्पाद |
| 15. | 3304.30 | मेनिक्योर अथवा मेडिकयर उत्पाद |
| **5. टायलेटरी** | | |
| 16. | 3305.30 | हेयर लेकर्स |
| 17. | 3305.90 | अन्य |
| 18. | 3306.10 | डेन्टिफ्रिसेस |
| 19. | 3306.20 | दांतों (दन्त हानि) के बीच सफाई करने में प्रयुक्त यार्न |
| 20. | 3306.90 | अन्य |
| **6. साबुन** | | |
| 21. | 3401.11 | टायलेट में प्रयुक्त साबुन |
| 22. | 3401.19 | अन्य |
| **7. चर्म उत्पाद** | | |
| 23. | 4202.32 | प्लास्टिक शीट अथवा वस्त्र सामग्री का बाहरी आवरण |
| 24. | 4202.39 | अन्य |
| **8. नकली फूल** | | |
| 25. | 6702.10 | नकली फूल, बेल बूटा एवं फल, नकली फूलों से निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक के बेल-बूटा एवं फल |
| 26. | 6702.90 | नकली फूल, बेल बूटा एवं फल, नकली फूलों से निर्मित वस्तुएं, अन्य सामग्रियों के बेल-बूटा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **9. विद्युत-तार** | | |
| 27. | 8544.60 | 1000 वाट से अधिक वोल्टेज के लिए अन्य विद्युत चालक |
| **10. एल्यूमिनियम उत्पाद** | | |
| 28. | 7610.10 | दरवाजे, खिड़कियां और उनके फ्रेम और दरवाजों के लिए दहलीज |
| 29. | 7610.90 | अन्य |
| **11. ट्रांसफार्मर्स** | | |
| 30. | 8504.33 | 16 केवीए से अधिक लेकिन 500 केवीए से अनधिक विद्युत हैंडल क्षमता वाले |
| 31. | 8504.34 | 500 केवीए से अधिक विद्युत हैंडलिंग क्षमता वाले |
| 32. | 8504.40 | स्टेटिक कन्वर्टर-यूपीएस |
| **12. बैटरी** | | |
| 33. | 8506.90 | ड्राई सैल बैटरी |
| **13. इलैक्ट्रिकल सामान** | | |
| 34. | 8529.90 | टेलीविजन का प्लास्टिक कैबिनेट |
| **14. कार्बन रॉड** | | |
| 35. | 8545.90 | यूएम-1, यूएम-2, यूएम-3, कार्बन रॉड |
| **15. वोल्टेड स्टेबलाइजर** | | |
| 36. | 9032.89 | अन्य स्वनियामक अथवा नियंत्रक यंत्र |
| **16. फर्नीचर एवं उसके अंग** | | |
| 37. | 9403.30 | कार्यालयों में प्रयुक्त एक किस्म का काष्ठ फर्नीचर |
| 38. | 9403.40 | किचन में प्रयुक्त एक किस्म का काष्ठ फर्नीचर |
| 39. | 9403.50 | शयन कक्ष में प्रयुक्त एक किस्म का काष्ठ फर्नीचर |
| 40. | 9403.60 | अन्य काष्ठ फर्नीचर |

*[हिन्दी]*

**बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल**

**6722. श्री चन्द्रेश पटेल :**
**श्री ए. नरेन्द्र :**
**श्री रूपचंद पाल :**
**श्री विलास मुत्तेमवार :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 16 अप्रैल, 2002 को बैंक, बीमा कंपनियों और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण थे;

(ग) एक दिन की इस हड़ताल से कुल कितना घाटा हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) जी, हां।

(ख) यह हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश करने जैसी सरकार की कुछ नीतियों के विरोध में की गई थी।

(ग) घाटे की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(घ) विधिवत विचार-विमर्श करने के बाद और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की उचित मांगों पर नीतिगत निर्णय लिये जाते हैं।

**विश्व बैंक ऋण**

**6723. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश समुद्र तट पर डॉप्लर वेदर रडार की स्थापना हेतु ऋण राशि में से 9 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता के लिए भारत सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अस्वीकृत किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से भारतीय मौसम विभाग की मौसम संबंधी चेतावनी की क्षमता बढ़ाने हेतु तटीय आंध्र प्रदेश में तीन डॉप्लर वेदर रडार की स्थापना हेतु इस मामले को विश्व बैंक के सम्मुख पुन: उठाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के तट पर डॉप्लर वेदर रडार (डीडब्ल्यूआरएस) संस्थापित करने के लिए निर्धारित की गई 9 मिलियन अमरीकी डालर की राशि रद्द कर दी है। राशि रद्द किए जाने का मुख्य कारण यह था कि बोलियों का मूल्यांकन सम्यक तत्परता से नहीं किया जा रहा था और मूल्यांकन की प्रक्रिया समय से पूरी नहीं की जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप संविदा प्रदान करने में अनुचित विलम्ब हो रहा था।

(ग) और (घ) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ यह मामला उठाया था। परन्तु विश्व बैंक अपना निर्णय रद्द करने पर सहमत नहीं हुआ है।

## हस्तशिल्प बाजार

**6724. श्री सुन्दरलाल तिवारी :**
**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्वालियर में आयोजित व्यापार मेले में हस्तशिल्प बाजार खोलने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह हस्तशिल्पियों और कारीगरों को अपने उत्पादों की पृथक पहचान दिलाने और उन्हें बाजार मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बाजार हेतु बाकी बची स्वीकृत धनराशि को मध्य प्रदेश सरकार को देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस धनराशि के कब तक वितरित किये जाने की संभावना है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री वी. धनंजय कुमार ):** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) जी हां। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, भोपाल के वर्ष 2001-2002 के दौरान लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त नहीं हुए अत: ग्वालियर में हस्तशिल्प बाजार आयोजित कराने हेतु देय धनराशि का शेष भाग चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान रिलीज कर दिया जाएगा।

*[अनुवाद]*

## खाद्यान्नों का भंडारण

**6725. श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने के बाद भी भारतीय खाद्य निगम और सरकारी गोदामों में भंडारण क्षमता आवश्यकता से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार भंडारण की उपलब्ध क्षमता और मौजूदा भंडार कितना है और इस वर्ष खरीदे गए नए खाद्यान्नों हेतु अनुमानित भंडारण क्षमता की राज्यवार आवश्यकता कितनी है;

(ग) क्या हाल में गेहूं उत्पादक राज्यों से फालतू गेहूं को बिहार और अन्य राज्यों को भेज दिया गया है जिसके कारण चालू मौसम की नई उपज हेतु कोई और भंडारण क्षमता उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अशोक प्रधान ):** (क) और (ख) पहली अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 358.40 लाख टन की भण्डारण क्षमता है जिसके प्रति उसके पास 293.00 लाख टन का कुल स्टाक है और इस प्रकार 65.60 लाख टन के लिए रिक्त स्थान है।

भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता की आवश्यकता किसी क्षेत्र विशेष में खाद्यान्नों का आमद और निर्गम पर निर्भर करती है। वसूली वाले राज्यों में अतिरिक्त भण्डारण आवश्यकताओं को उस समय तक जब तक की स्टाक को खपत वाले राज्यों को भेज नहीं दिया जाता है, उपयुक्त भण्डारण सुविधाओं को किराये पर लेकर पूरा किया जाता है।

संलग्न विवरण-I में 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास राज्यवार भण्डारण क्षमता (अपनी और किराये की/ढकी और कैप), रखा हुआ स्टाक, रिक्त स्थान और वसूली लक्ष्य दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) संलग्न विवरण-II में नवम्बर, 2001 से मार्च, 2002 तक वसूली वाले राज्यों से बिहार को भेजे गए स्टाक का विवरण दर्शाया गया है। संलग्न विवरण-III में वसूली वाले राज्यों से विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का संचलन दर्शाया गया है।

वसूली वाले राज्यों से स्टाक का संचलन हर महीने तैयार की गई संचलन योजना के अनुसार किया जाता है और ऐसा करते समय उपलब्ध रिक्त भण्डारण क्षमता, रखा हुआ स्टाक, उठान, बफर स्टाक की आवश्यकता ओर अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

*विवरण-I*

पहली अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार
(लाख टन में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | भारतीय खाद्य निगम की कुल भंडारण क्षमता (ढकी हुई और कैप/अपनी और किराये पर) | भारतीय खाद्य निगम के पास रखा हुआ स्टाक | भारतीय खाद्य निगम के पास रिक्त स्थान | रबी विपणन मौसम 2002-2003 हेतु भारतीय खाद्य निगम का वसूली लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बिहार | 5.28 | 3.11 | 2.17 | 1.00 |
| 2. | झारखण्ड | 1.09 | 0.62 | 0.47 | — |
| 3. | उड़ीसा | 5.65 | 5.83 | — | — |
| 4. | पश्चिम बंगाल | 10.44 | 5.81 | 4.63 | — |
| 5. | सिक्किम | 0.08 | 0.01 | 0.07 | — |
| 6. | असम | 2.95 | 1.16 | 1.79 | — |
| 7. | अरुणाचल प्रदेश | 0.18 | 0.05 | 0.13 | — |
| 8. | मेघालय | 0.19 | 0.06 | 0.13 | — |
| 9. | मणिपुर | 0.19 | 0.08 | 0.11 | — |
| 10. | मिजोरम | 0.17 | 0.10 | 0.07 | — |
| 11. | नागालैण्ड | 0.31 | 0.17 | 0.14 | — |
| 12. | त्रिपुरा | 0.31 | 0.18 | 0.13 | — |
| 13. | दिल्ली | 3.75 | 3.26 | 0.49 | 0.50 |
| 14. | हरियाणा | 27.10 | 22.66 | 4.44 | 9.00 |
| 15. | हिमाचल प्रदेश | 0.23 | 0.13 | 0.10 | — |
| 16. | जम्मू और कश्मीर | 1.20 | 0.90 | 0.30 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | पंजाब | 131.81 | 109.42 | 22.39 | 34.00 |
| 18. | चंडीगढ़ | 1.48 | 0.67 | 0.81 | — |
| 19. | राजस्थान | 18.64 | 15.60 | 3.04 | 7.50 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 39.67 | 33.28 | 6.39 | विकेन्द्रीकृत वसूली |
| 21. | उत्तरांचल | 2.32 | 2.01 | 0.31 | 0.30 |
| 22. | आन्ध्र प्रदेश | 29.13 | 23.93 | 5.20 | — |
| 23. | केरल | 6.12 | 6.14 | — | — |
| 24. | कर्नाटक | 8.36 | 7.68 | 0.68 | — |
| 25. | तमिलनाडु | 10.95 | 10.84 | 0.11 | — |
| 26. | पांडिचेरी | 0.98 | 0.93 | 0.05 | — |
| 27. | गुजरात | 10.55 | 7.37 | 3.18 | — |
| 28. | महाराष्ट्र | 20.69 | 16.65 | 4.04 | — |
| 29. | गोवा | 0.15 | 0.12 | 0.03 | — |
| 30. | मध्य प्रदेश | 9.86 | 6.35 | 3.51 | 1.00 |
| 31. | छत्तीसगढ़ | 8.57 | 7.83 | 0.69 | — |
| | सकल जोड़ (अखिल भारत) | 358.40 | 293.00 | 65.60 | |

*विवरण-II*

*वसूली करने वाले राज्यों से बिहार को भेजे गए स्टाक का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण*

(लाख टन में)

| माह | भंडारण क्षमता | स्टाक स्थिति | | | संचलन योजना | | | वास्तविक प्रेषण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गेहूं | चावल | जोड़ | गेहूं | चावल | जोड़ | गेहूं | चावल | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| नवम्बर, 2001 | 5.30 (31.10.2001 की स्थिति के अनुसार) | 1.78 | 1.95 | 3.73 | 0.80 | 0.20 | 1.00 | 0.75 | — | 0.75 |
| दिसम्बर, 2001 | 5.28 (30.11.2001 की स्थिति के अनुसार) | 1.82 | 1.93 | 3.75 | 0.60 | — | 0.60 | 0.66 | 0.02 | 0.68 |
| जनवरी, 2002 | 5.28 (31.12.2001 की स्थिति के अनुसार) | 1.55 | 1.76 | 3.31 | 0.90 | 0.10 | 1.00 | 0.76 | 0.09 | 0.85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| फरवरी, 2002 | 5.28 (31.1.2002 की स्थिति के अनुसार) | 1.23 | 1.64 | 2.87 | 0.70 | 0.20 | 0.90 | 1.19 | 0.20 | 1.39 |
| मार्च, 2002 | 5.28 (28.2.2002 की स्थिति के अनुसार) | 1.18 | 1.70 | 2.88 | 1.50 | 0.30 | 1.80 | 1.07 | 0.39 | 1.46 |
| अप्रैल, 2002 | 5.28 (30.3.2002 की स्थिति के अनुसार) | 1.23 | 1.82 | 3.05 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | — | — | — |

*विवरण-III*

*उत्तर से, मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से और अखिल भारत खाद्यान्नों का अंतर-राज्यीय संचलन*

(लाख टन में)

अनंतिम

| | पंजाब भेजी गई मात्रा | | | हरियाणा भेजी गई मात्रा | | | जोड़ उत्तर से भेजी गई मात्रा | | | मध्य प्रदेश से भेजी गई मात्रा | | | आंध्र प्रदेश से भेजी गई मात्रा | | | अखिल भारत भेजी गई मात्रा | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गेहूं | चावल | जोड़ | गेहूं | चावल | जोड़ | गेहूं | चावल | जोड़ | गेहूं | चावल | जोड़ | गेहूं | चावल | जोड़ | गेहूं | चावल | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1998-99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जोड़ | 32.18 | 47.09 | 79.27 | 20.26 | 8.64 | 28.90 | 57.09 | 62.00 | 119.09 | 1.00 | 5.85 | 6.85 | 2.57 | 14.68 | 17.25 | 75.80 | 86.81 | 162.41 |
| औसत/माह | 2.68 | 3.92 | 6.61 | 1.69 | 0.72 | 2.41 | 4.76 | 5.17 | 9.92 | 0.08 | 0.49 | 0.57 | 0.21 | 1.22 | 1.44 | 6.30 | 7.23 | 13.53 |
| 1999-2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जोड़ | 75.71 | 39.16 | 114.87 | 36.40 | 4.63 | 41.03 | 112.47 | 48.23 | 160.70 | 0.34 | 4.41 | 4.75 | 0.02 | 28.26 | 28.28 | 114.15 | 83.83 | 197.98 |
| औसत/माह | 6.31 | 3.26 | 9.57 | 3.03 | 0.39 | 3.42 | 9.37 | 4.02 | 13.39 | 0.03 | 0.37 | 0.40 | 0.00 | 2.36 | 2.36 | 9.51 | 6.99 | 16.50 |
| 2000-2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अप्रैल-00 | 5.73 | 3.04 | 8.77 | 2.26 | 0.41 | 2.67 | 8.00 | 3.91 | 11.91 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 2.46 | .246 | 8.00 | 7.03 | 15.03 |
| मई | 3.27 | 4.43 | 7.70 | 1.46 | 0.14 | 1.60 | 4.72 | 4.89 | 9.61 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | 4.72 | 6.51 | 11.23 |
| जून | 3.73 | 6.52 | 10.25 | 1.21 | 0.05 | 1.26 | 4.94 | 6.63 | 11.57 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 4.95 | 7.97 | 12.92 |
| जुलाई | 4.11 | 4.75 | 8.86 | 1.84 | 0.01 | 1.85 | 5.96 | 4.93 | 10.89 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 5.96 | 6.09 | 12.05 |
| अगस्त | 2.21 | 2.58 | 4.79 | 1.52 | 0.10 | 1.62 | 3.73 | 2.86 | 6.59 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 1.16 | 1.23 | 3.80 | 4.27 | 8.07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सितम्बर | 2.30 | 3.31 | 5.61 | 1.12 | 0.10 | 1.22 | 3.43 | 3.56 | 6.98 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.42 | 5.83 | 9.25 |
| अक्तूबर | 2.91 | 3.51 | 6.42 | 1.39 | 1.05 | 2.44 | 4.30 | 4.55 | 8.85 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 4.29 | 6.35 | 10.64 |
| नवम्बर | 2.68 | 2.36 | 5.04 | 1.76 | 0.37 | 2.13 | 4.42 | 2.72 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 2.93 | 4.44 | 5.75 | 10.19 |
| दिसम्बर | 3.62 | 2.95 | 6.57 | 1.65 | 0.33 | 1.98 | 5.27 | 3.28 | 8.55 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 4.03 | 4.03 | 5.27 | 7.42 | 12.69 |
| जनवरी, 2001 | 3.23 | 2.36 | 5.59 | 2.12 | 0.34 | 2.46 | 5.35 | 2.70 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.56 | 4.58 | 5.38 | 7.36 | 12.74 |
| फरवरी | 2.85 | 2.71 | 5.56 | 1.85 | 0.57 | 2.42 | 4.60 | 3.31 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.68 | 3.70 | 4.77 | 7.06 | 11.83 |
| मार्च | 4.29 | 2.60 | 6.89 | 1.85 | 0.87 | 2.72 | 6.14 | 3.46 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.39 | 3.45 | 6.23 | 7.02 | 13.25 |
| जोड़ | 40.93 | 41.12 | 82.05 | 20.03 | 4.34 | 24.37 | 60.85 | 46.80 | 107.65 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 0.17 | 28.79 | 28.96 | 61.23 | 78.66 | 139.89 |
| औसत/माह | 3.41 | 3.43 | 6.84 | 1.67 | 0.36 | 2.03 | 5.07 | 3.90 | 8.97 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 2.40 | 2.41 | 5.10 | जोड़ | 11.66 |
| 2001-2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अप्रैल | 3.99 | 2.76 | 6.75 | 1.58 | 0.38 | 1.96 | 5.96 | 3.14 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.97 | 3.09 | 6.47 | 6.14 | 12.61 |
| मई | 4.32 | 2.54 | 6.86 | 1.73 | 0.34 | 2.07 | 6.56 | 2.87 | 9.43 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 2.94 | 3.00 | 6.79 | 5.99 | 12.78 |
| जून | 2.52 | 2.27 | 4.79 | 1.11 | 0.29 | 1.40 | 4.74 | 2.96 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.02 | 3.06 | 4.94 | 6.21 | 11.15 |
| जुलाई | 4.54 | 1.73 | 6.27 | 1.21 | 0.14 | 1.35 | 6.49 | 1.86 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | 6.54 | 4.00 | 10.54 |
| अगस्त | 3.48 | 3.09 | 6.57 | 1.38 | 0.34 | 1.72 | 5.52 | 3.56 | 9.08 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.48 | 2.53 | 3.01 | 6.11 | 6.37 | 12.48 |
| सितम्बर | 4.08 | 2.82 | 6.90 | 2.15 | 0.29 | 2.44 | 6.53 | 3.63 | 10.16 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 2.24 | 2.31 | 6.76 | 6.05 | 12.81 |
| अक्तूबर | 5.75 | 2.36 | 8.11 | 2.38 | 0.80 | 3.18 | 9.44 | 3.87 | 13.31 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 9.68 | 6.23 | 15.91 |
| नवम्बर | 5.23 | 2.55 | 7.78 | 1.68 | 0.46 | 2.14 | 8.04 | 3.43 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 1.76 | 1.99 | 8.73 | 5.36 | 14.09 |
| दिसम्बर | 6.00 | 2.97 | 8.97 | 1.95 | 0.45 | 2.40 | 8.75 | 4.04 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 2.59 | 2.84 | 9.39 | 6.87 | 16.26 |
| जनवरी | 7.63 | 3.75 | 11.38 | 2.09 | 0.39 | 2.48 | 10.74 | 4.77 | 15.51 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 2.68 | 2.73 | 11.08 | 7.88 | 18.96 |
| फरवरी | 7.17 | 3.11 | 10.28 | 2.49 | 0.24 | 2.73 | 10.63 | 3.81 | 14.44 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 3.47 | 3.67 | 11.02 | 7.72 | 18.74 |
| मार्च | 7.43 | 3.78 | 11.21 | 3.02 | 0.54 | 3.56 | 11.92 | 4.89 | 16.81 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 2.38 | 2.43 | 11.99 | 8.32 | 20.31 |
| जोड़ | 62.14 | 33.73 | 95.87 | 22.77 | 4.66 | 27.43 | 95.32 | 42.83 | 138.15 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.60 | 30.54 | 32.14 | 99.50 | 77.14 | 176.64 |
| औसत/माह | 5.18 | 2.81 | 7.99 | 1.90 | 0.39 | 2.29 | 7.94 | 3.57 | 11.51 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 2.55 | 2.68 | 8.29 | 6.43 | 14.72 |

## भिक्षावृत्ति जैसी बुराई

**6726. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश से भिक्षावृत्ति जैसी बुराई को पूरी तरह से समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरे देश में राज्यवार कुल कितने कार्य केन्द्र स्थापित किये गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों को कुल कितनी वित्तीय सहायता/अनुदान सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा देश से भिक्षावृत्ति को समाप्त करने हेतु कोई समय-सीमा तय की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया):** (क) और (ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपने राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासकों के लिए भिक्षावृत्ति निवारण कानूनों के अधिनियम तथा कार्यान्वयन की सलाह दी है। 17 राज्य सरकारों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने ऐसे कानूनों को अधिनियमित किया है।

(ग) और (घ) भिक्षावृत्ति निवारण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना को समाप्त कर दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

## मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण और पुनर्वास

**6727. श्री मोहन रावले :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और 31 दिसम्बर, 2001 तक महाराष्ट्र सरकार से मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास हेतु नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) मंजूरी के लिए कितने आवेदन अभी भी लंबित हैं; और

(ङ) सभी परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया):** (क) से (ङ) 31 दिसम्बर, 2001 तक 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 6.95 लाख रु. की कुल राशि की 7 परियोजनाएं मंजूर की गई है तथा 3 आवेदन लंबित है। शेष प्रस्ताव दस्तावेजों तथा कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरणों की कमी के कारण लंबित हैं। सभी कमियां दूर होने पर इनकी निकासी पर विचार किया जाएगा।

## फ्लिंट पर उत्पाद शुल्क

**6728. श्री सुनील खां :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्लिंट विदेशों से आयात की सस्ती दर से आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू फ्लिंट उद्योग की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

## नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्र

**6729. श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों हेतु कितने पुनर्वास केन्द्रों को स्थापित किया गया है और तत्संबंधी स्थान कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और ऐसे केन्द्रों को स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया):** (क) देश में 82 पुनर्वास केन्द्र [11 जिला पुनर्वास केन्द्र (डी.आर.सी.) तथा 71 जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र (डी.डी.आर.सी.)] कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों के स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

***विवरण***

*जिला पुनर्वास केन्द्रों/जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों की राज्यवार सूची*

| राज्य | जिला |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 1. विजयवाड़ा |
| | 2. अनंतपुरा |
| | 3. विशाखापट्टनम |
| | 4. कृष्णा |
| अरुणाचल प्रदेश | 1. ईटानगर |
| | 2. दिबांग घाटी |
| असम | 1. डिब्रूगढ़ |
| | 2. सिलचर |
| | 3. तेजपुर |
| बिहार | 1. छपरा |
| | 2. दरभंगा |
| | 3. गया |
| | 4. नवादा |
| | 5. मुजफ्फरपुर |
| छत्तीसगढ़ | 1. बिलासपुर |
| | 2. रायगढ़ |
| गुजरात | 1. अहमदाबाद |
| | 2. बड़ौदा |
| | 3. जामनगर |
| | 4. सूरत |
| | 5. राजकोट |
| गोवा | 1. पणजी |
| हरियाणा | 1. भिवानी (डीआरसी) |
| | 2. कुरूक्षेत्र |
| | 3. सोनीपत |
| | 4. भिवानी (डीडीआरसी) |
| हिमाचल प्रदेश | 1. शिमला |
| | 2. धर्मशाला |
| झारखंड | 1. रांची |
| | 2. हजारीबाग |
| कर्नाटक | 1. मैसूर |
| | 2. गुलबर्गा |
| | 3. बेलारी |
| | 4. तुमकार |
| | 5. बेलगांव |
| केरल | 1. कोजीकोड |
| | 2. थ्रिसूर |
| | 3. तिरूवनंतपुरम |
| मेघालय | 1. शिलांग |
| महाराष्ट्र | 1. विरार |
| | 2. वर्धा |
| | 3. औरंगाबाद |
| | 4. कोल्हापुर |
| | 5. लातूर |
| | 6. बुल्दाना |

| 1 | 2 |
|---|---|
| मध्य प्रदेश | 1. ग्वालियर |
| | 2. इंदौर |
| | 3. राजगढ़ बिआओरा |
| | 4. उज्जैन |
| | 5. सागर |
| | 6. झबुआ |
| नागालैंड | 1. दीमापुर |
| पंजाब | 1. पटियाला |
| | 2. फिरोजपुर |
| | 3. संगरूर |
| राजस्थान | 1. कोटा |
| | 2. उदयपुर |
| सिक्किम | 1. गंगतोक |
| तमिलनाडु | 1. चेंगलपट्टू (डीआरसी) |
| | 2. थुथुकडी |
| | 3. मदुरे |
| | 4. सेलेम |
| | 5. विरूथुनगर |
| | 6. चेंगलपट्टू (डीडीआरसी) |
| उत्तर प्रदेश | 1. जगदीशपुर (सुल्तानपुर) |
| | 2. सीतापुर |
| | 3. पीलीभीत |
| | 4. बलिया |
| | 5. इलाहाबाद |
| | 6. झांसी |
| | 7. फरूखाबाद |
| उत्तरांचल | 1. अल्मोड़ा |
| | 2. टेहरी गढ़वाल |
| | 3. हरिद्वार |
| पश्चिम बंगाल | 1. मिदानपुर |
| | 2. दक्षिण दीमापुर |
| | 3. जलपाईगुड़ी |
| | 4. मुर्शीदाबाद |

**लेवी चीनी की खरीद**

**6730. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
**श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चीनी मिलों से लेवी के रूप में निर्धारित मूल्य पर कतिपय प्रतिशत चीनी की खरीद करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लेवी चीनी के रूप में कितनी धनराशि की चीनी खरीदी गई है;

(ग) उपरोक्त वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(घ) सरकार ने किस दर पर लेवी चीनी की खरीद की है और उपरोक्त वर्षों में चीनी की उत्पादन लागत क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चीनी मौसम अक्तूबर से सितम्बर तक होता है। तद्नुसार, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 (31.3.2002 तक) के चीनी मौसमों के दौरान चीनी के उत्पादन और प्रोद्भूत की स्थिति निम्नानुसार है:-

(लाख टन में)

| क्र.सं. | मौसम | कुल उत्पादन | प्रोद्भूत लेवी चीनी |
|---|---|---|---|
| 1. | 1998-99 | 154.52 | 45.30 |
| 2. | 1999-2000 | 181.93 | 50.16 |
| 3. | 2000-2001 | 184.21 | 37.53 |
| 4. | 2001-2002 (31.3.2002 तक) | 158.46 (अनंतिम) | 20.83 (जून, 2002 तक) |

(घ) लेवी चीनी के निकासी मूल्य/खरीद मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखकर जोनल आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तद्नुसार 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के चीनी मौसमों के लिए औसत लेवी चीनी मूल्य/खरीद मूल्य क्रमश: 1050.99 रुपये प्रति क्विंटल, 1110.71 रुपये प्रति क्विंटल, 1165.79 रुपये प्रति क्विंटल तथा 1191.72 रुपये प्रति क्विंटल था। गन्ने के लिए अधिसूचित सांविधिक न्यूनतम मूल्य, चीनी की विनिर्माण लागत अर्थात् परिवर्तन लागत, उस पर अदा किया गया अथवा देय कर या शुल्क, यदि कोई हो, तथा लगाई गई पूंजी पर उचित लाभ को ध्यान में रखकर लेवी चीनी के उत्पादन की जोनवार लागत का निर्धारण किया जाता है। तथापि, मिलें, गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक अदा कर रही हैं और इसलिए चीनी की वास्तविक उत्पादन लागत लेवी चीनी के निकासी मूल्यों से अधिक हो सकती है। इसके अलावा, सरकार विभिन्न चीनी मिलों द्वारा चीनी के उत्पादन पर वहन की गई वास्तविक लागत का लेखा-जोखा नहीं रखती है।

**कार्पोरेट ऋण पुनर्संरचना ढांचा मंच**

**6731. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल "मानक" परिसंपत्तियों को कार्पोरेट ऋण ढांचा (सीडीआर) मंच कब भेजा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मानक परिसंपत्तियों की क्या परिभाषा है;

(ग) जिन कंपनियों को ऋण ढांचे की आवश्यकता है उसे यह परिभाषा किस प्रकार सहायता प्रदान करेगी;

(घ) इसकी स्थापना से अब तक ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन्हें ऋण के निपटारे हेतु सीडीआर स्थायी मंच को भेजा गया है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक कार्पोरेट ऋण ढांचे की संपूर्ण प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु अन्य क्या कदम उठा रहा है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार, मानक और अवमानक दोनों आस्तियां कार्पोरेट ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) मंच को भेजी जा सकती हैं।

(ख) मानक आस्ति में कारबार से संबद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम नहीं होता है। ऐसी आस्ति अनुपयोज्य आस्ति (एन.पी.ए.) नहीं होती है। एन.पी.ए. को ऐसी ऋण सुविधा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्तें 180 दिनों के लिए अतिदेय रही हो।

(ग) यह बी.आई.एफ.आर., डी.आर.टी. और अन्य कानूनी कार्यवाहियों के क्षेत्राधिकार के बाहर, समस्याओं का सामना करने वाली अर्थक्षम संस्थाओं के कार्पोरेट ऋण पुनर्संरचना के लिए, सभी संबंधितों के लाभार्थ, समय पर और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करेगा। विशेष रूप से, सीडीआर ढांचे का उद्देश्य कतिपय आंतरिक और बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित अर्थक्षम कम्पनी की सुरक्षा करना और व्यवस्थित एवं समन्वित पुनर्संरचना कार्यक्रम के माध्यम से ऋणदाताओं और अन्य शेयरधारकों को होने वाली हानियों को कम करना है।

(घ) 30 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार, सी डी आर प्रणाली को उसके आरंभ से सोलह मामले भेजे गए हैं।

(ङ) केन्द्रीय बजट 2002-2003 में वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीडीआर योजना के परिचालन की समीक्षा करने, परिचालन संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने और योजना के परिचालन को अधिक सक्षम बनाने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उपगवर्नर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है।

**विश्वव्यापी सर्वेक्षण**

**6732. श्री अशोक ना. मोहोल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लंदन बिजनेस स्कूल एंड बॉबसन कालेज (यू.एस.ए.) द्वारा कराए गए एक विश्वव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार भारत की उद्यमियों के प्रति अपने दृष्टिकोण और उद्योगों को शुरू करने की असफलता के भय के संदर्भ में स्थिति खराब है;

(ख) यदि हां, तो क्या उचित वास्तविक अवसंरचनात्मक ढांचे का अभाव अप्रचलित नीतियां और कार्यक्रम प्रमुख कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):** (क) विश्वव्यापी उद्यमी अनुवीक्षण (जी.ई.एम.), 2001 जो कि लंदन बिजनेस स्कूल एवं बॉबसन कॉलेज (संयुक्त राज्य अमरीका) का एक संयुक्त उपक्रम है, ने भारत सहित विश्व की उनतीस राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की उद्यम गतिविधियों के स्तर का मूल्यांकन किया है। हालांकि भारत का कुल उद्यम गतिविधि स्तर (11.2 प्रतिशत) अन्य देशों, जिनका सर्वेक्षण किया गया है, की तुलना में उच्च है लेकिन रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि भारत में एक प्रतिशत से भी कम व्यस्क कारोबार शुरू करने के लिए निवेश करते हैं जो कि सर्वेक्षण किए गए देशों की तुलना में न्यूनतम है।

(ख) अपर्याप्त वास्तविक आधार ढांचा, कार्यशील पूंजी की ऊंची लागत, प्रशासनिक रूकावटें और उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास की कमी को भारत की मुख्य समस्याओं के रूप में जाना गया है।

(ग) आधार ढांचे का विकास सरकार की एक मुख्य प्राथमिकता रही है। प्रमुख आधार ढांचा क्षेत्रकों में निजी भागीदारी और विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए समर्थक नीतियां अपनाई गई हैं। वर्ष 2002-03 के केन्द्रीय बजट में आधार ढांचा क्षेत्रकों के लिए बजटीय परिव्यय में काफी वृद्धि की गई है। सरकार प्रमुख आधारढांचा क्षेत्रकों में सक्षम विनियामक प्रणालियां शुरू करने के लिए भी निरन्तर प्रयास कर रही है।

**नीति छूट संबंधी समिति के पास लंबित मामले**

**6733. श्री बी.के. पार्थसारथी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नीति छूट संबंधी समिति के पास निटपान हेतु लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या अनेक मामले कार्रवाई के लिए छः महीनों से ज्यादा समय से लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके लंबे समय से लंबित होने के क्या कारण हैं;

(घ) लंबित मामलों के कब तक निपटाये जाने की संभावना है; और

(ङ) उनके शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) से (ङ) एक्जिम नीति के पैराग्राफ 2.5 में इस आधार पर नीति के उपबंधों अथवा किसी क्रियाविधि में ढील देने का प्रावधान है कि आवेदन के लिए वास्तविक कठिनाई है और यह कि नीति अथवा क्रियाविधि का कड़ाई से अनुपालन किए जाने से व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। जैसा कि उक्त प्रावधान से देखा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रावधान है जिसका उपयोग आपवादिक मामलों में पूरी समझदारी और सावधानी के साथ किया जाना है। इस प्रावधान में उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशक को नीति छूट समिति (पीआरसी) से परामर्श करना होता है।

पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान, समिति की सोलह बैठकें हुई थीं और चालू वर्ष में समिति की अप्रैल तथा मई 2002 में दो बैठकें बुलाई जा चुकी हैं और समिति ने आज की तारीख तक उसे प्रस्तुत सभी मामलों पर विचार किया है।

**निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लाभ**

**6734. श्री जी.एस. बसवराज :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुटीर और हस्तशिल्प क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु एक विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना के अंतर्गत लाभ की पात्रता हेतु छूट का इन क्षेत्रों तक विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात में योगदान करने वाले विशेष भौगोलिक स्थानों पर कतिपय शहरों में आम सेवा प्रदाताओं हेतु आयात-निर्यात योजनाओं का लाभ लेने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इन योजना हेतु कौन-कौन से शहर चुने गये है; और

(ङ) इन शहरों के निर्यातकों को क्या-क्या लाभ दिये जाने का प्रस्ताव है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी)**: (क) और (ख) जी हां। सरकार ने नई एक्जिम नीति 2002-07 में कुटीर और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट निर्यात संवर्धन पैकेज की घोषणा की है। इसमें खादी एवं ग्रामोद्योग निगम (केवीआईसी) के अधीन आने वाले कुटीर क्षेत्र के निर्यातों के लिए बाजार पहुंच संबंधी उपाय (एमएआई) के तहत 5 करोड़ रुपए का आबंटन शामिल हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र के तहत निर्यातों के मामले में इस नीति में उनके निर्यातों के एफओबी मूल्य के 3% तक अलंकरण के रूप में मदों की संवर्धित सूची की शुल्क मुक्त आयात हकदारी और वास्तविक वेबसाइट के विकास के लिए बाजार पहुंच संबधी उपाय के तहत निधियों की उपलब्धता का प्रावधान है। इन दोनों क्षेत्रों की इकाइयों के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के तहत निर्यातों के औसत स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी और अन्य मामलों में 15 करोड़ रुपए की तुलना में 5 करोड़ रुपए का कम औसत निर्यात निष्पादन प्राप्त करने पर निर्यात घराने के रूप में मान्यता प्राप्त करने की हकदार होगी।

(ग) से (ङ) सरकार ने निर्यात उत्कृष्टता वाले तीन कस्बों का अभिज्ञात किया है जिनमें शामिल हैं - होजरी के लिए तिरूपुर, ऊनी कम्बलों के लिए पानीपत और वुलन नेटवियर के लिए लुधियाना। इन कस्बों में सामान्य सेवा प्रदाता ईपीसीजी योजना की सुविधा के हकदार होंगे। इन कस्बों को दिए जाने वाले अन्य प्रस्तावित लाभ हैं - इन कस्बों के मान्यता प्राप्त उद्योग संघों के लिए एमएआई निधियों की उपलब्धता और निर्यात हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों की सहायता के तहत निर्यात हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देना। इन कस्बों में लघु इकाइयां 5 करोड़ रुपए तक के कम औसत निर्यात निष्पादन प्राप्त करने पर निर्यात घराने का दर्जा प्राप्त करने में समर्थ होंगी।

## तम्बाकू की खेती का बंद होना

**6735. श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए तंबाकू की खेती को बंद करने और तम्बाकू की खेती को कम करने के लिए वैकल्पिक फसल को उगाने का सुझाव देने और किसानों की सहायता करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी)**: (क) और (ख) देश में तम्बाकू की फसल की खेती का संवर्धन करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तम्बाकू किसानों को ऐसी वैकल्पिक फसलों के बारे में सलाह देती है जो उनके द्वारा उगाई जा सकती हैं।

## कालीनों के निर्यात में गिरावट

**6736. श्री ए. नरेन्द्र** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-02 के दौरान कालीनों के निर्यात में अप्रत्याशित गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, उनके निर्यात में भारी गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) कालीनों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश और उत्तरांचल में कितनी धनराशि के कालीन का निर्यात किया गया है और कुल निर्यात में अर्जित धनराशि के निर्यात से अर्जित धनराशि की प्रतिशतता कितनी है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कालीन के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों से, क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन, विदेश में प्रचार, डिजाइन विकास पर कार्यशालाओं का आयोजन, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दलों को प्रायोजित करना और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा नई दिल्ली में भारतीय कालीन एक्सपो का वार्षिक आयोजन शामिल है।

(घ) देश से निर्यात होने वाले कालीनों के कोई राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 2001-2002 के दौरान भारत ने 2436.13 करोड़ रुपये अर्थात् 514.07 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हाथ से बुने कालीन तथा अन्य फर्श बिछावन निर्यात किए जो देश के कुल निर्यात का $^{1}/_{2}$% है।

*[हिन्दी]*

**सुपर बाजारों पर बकाया धनराशि**

**6737. श्री राम सिंह कस्वां : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुपर बाजार को आपूर्तिकर्ताओं का उनके द्वारा की गई आपूर्ति के लिए कुल कितनी धनराशि का भुगतान करना है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त धनराशि का भुगतान करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार सुपर बाजार के कर्मचारियों को कहीं और समायोजित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद)**: (क) सुपर बाजार, दिल्ली ने सूचित किया है कि 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार सप्लायरों की बकाया राशि 32.50 करोड़ (गैर लेखा परीक्षित) रुपए है।

(ख) और (ग) सुपर बाजार एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति है तथा इसके दिन-प्रतिदिन के मामलों में निर्णय लेने के लिए इसका अपना निदेशक मंडल है। सप्लायरों की बकाया राशि का भुगतान सुपर बाजार द्वारा ही किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**अनाथ बच्चों के लिए गैर-सरकारी संगठन**

**6738. श्री रमेश चेन्नितला : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा केरल राज्य में अनाथ बच्चों के गोद लेने और परवरिश हेतु कितने संस्थानों को अनुमति प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन संस्थाओं के क्रियाकलापों को समय-समय पर सत्यापित किया है;

(ग) क्या केरल से अभी तक किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की बात सामने आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने संस्थानों के चयन और लाईसेंस जारी करने हेतु मानदंड निर्धारित किये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)**: (क) और (ख) हालांकि, बेसहारा बच्चों को गोद लेने और परवरिश के लिए अनुमति देने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, मंत्रालय "बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" नामक एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2001-02 के दौरान, केरल में एक संगठन ने बेसहारा बच्चों की परियोजना चलाने के लिए अनुदान प्राप्त किया राज्य सरकार और मंत्रालय की खुद की नोडल एजेंसियों द्वारा अनुदान प्राप्त संगठनों का नियमित आधार पर निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) हालांकि मंत्रालय बेसहारा बच्चों की परियोजनाएं चलाने के लिए संस्थाओं को कोई लाईसेंस जारी नहीं करता है, बेसहारा बच्चों की परियोजना चलाने के लिए सहायता-अनुदान हेतु संगठनों के चयन के लिए कतिपय मानदंडों निर्धारित किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के अलावा, यह उल्लेख है कि संगठन समुचित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और उसकी विधिवत रूप में गठित प्रबंध समिति होनी चाहिए और किसी व्यक्ति विशेष या लोगों के समूहों द्वारा इसका संचालन लाभ के लिए नहीं करना चाहिए।

**निर्यातकों के लिए वेबसाइट की सुविधा**

**6739. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजीएफटी ने देश में बड़े निर्यातकों की सहायता हेतु एक वेबसाइट खोला है;

(ख) यदि हां, तो यह वेबसाइट निर्यातकों की किस प्रकार से सहायता मिलेगी;

(ग) क्या डीजीएफटी अपनी संविदा निर्यातकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम कर रही है;

(घ) क्या डीजीएफटी को अप्लिकेशन-आल-लाइन प्राप्त हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या आवेदनों को प्राप्त करने की यह ऑनलाइन प्रणाली कितनी प्रभावी और पूरी तरह सुरक्षित रही है; और

(च) ऐसे अविष्कारों के परिणामों का ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) से (च) जी, हां। डीजीएफटी ने एक वेबसाईट अर्थात् एचटीटीपी://डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.निक.इन./इग्जिमपोल शुरू की है जो छोटे तथा मंझोले निर्यातकों समेत सभी उपयोगकर्त्ताओं की जरूरतों को पूरा करती है। वेबसाइट पर यह एग्जिम नीति तथा इसकी प्रक्रियाओं को उपलब्ध कराता है। अधिसूचनाओं, सार्वजनिक सूचनाओं इत्यादि द्वारा निर्यात तथा आयात नीति में किए गए संशोधनों को भी तुरंत तथा शीघ्र परिचालन हेतु वेबसाइट पर साथ-साथ रखा जाता है। सभी नियम तथा अधिसूचनाएं डीजीएफटी की वेबसाइट पर हर समय उपलब्ध होते है जिनका निर्यातकों द्वारा प्रत्येक वर्ष कई-कई बार लाभ उठाया जाता है।

एक पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत संगठन के रूप में डीजीएफटी, पंजीकृत निर्यातकों को अपने 31 क्षेत्रीय कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय में लाइसेंस हेतु आवेदनों की आन-लाइन/ऑफ लाइन फाइलिंग की सुविधा मुहैया कराता है तथा स्थिति को उसी वेबसाइट पर कुछ-ही-घंटों में वापस उपलब्ध कर देता है। इससे न केवल निर्यातकों के लिए सौदों के समय तथा लागत में बचत होती है बल्कि निर्यातकों तथा डीजीएफटी के कर्मचारियों के बीच वास्तविक सम्पर्क में भी कमी आई है। किसी भी कार्य-दिवस को 12 बजे तक अपने आवेदन दाखिल करने वाले आवेदक उसी दिन अपने लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा इतनी लोकप्रिय है कि लाइसेंसिंग 2001-2002 के दौरान 60% से अधिक आवेदन इसी विधि द्वारा लिखित किए गए थे। जिनका लाभ निर्यातकों द्वारा प्रत्येक वर्ष कई-कई बार उठाया जा रहा है।

### उत्पाद शुल्क का अपवंचन

**6740. श्री एन.टी. षणमुगम :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय देश में अनेक उद्योग कोर्न यार्न और हैंक यार्न के बिक्री बीजकों/खेपों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का अपवंचन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पूल से केन्द्र सरकार की राजस्व भागीदारी का सृजन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन):** (क) जी, हां। पर अपवंचन के कुछ मामले देखने में आए हैं।

(ख) जब कभी शुल्क अपवंचन देखने में आता है तब उसकी जांच-पड़ताल की जाती है और कानूनी प्रावधानों के अनुसार शुल्क वसूली और राजस्व सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं।

### पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार

**6741. श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-02 की प्रथम छमाही में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार में कोई उलेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यात में 7.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा पाकिस्तान द्वारा भारत से किए जाने वाले आयात में 17.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पाकिस्तान को निर्यात की गई और वहां से आयात की गई प्रमुख वस्तुएं कौन सी हैं; और

(घ) वर्ष 2001-02 के दौरान भारत-पाक व्यापार में समग्र रूप से कितनी वृद्धि हुई है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) भारत तथा पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार अप्रैल-सितम्बर, 2002 के दौरान 440.58 करोड़ रुपए से बढ़कर अप्रैल-सितम्बर, 2001 की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2001-02 के प्रथम छः महीनों में 583.10 करोड़ रुपए का हो गया है।

(ख) अप्रैल-सितम्बर, 2001 के दौरान भारत को पाकिस्तान का निर्यात अर्थात् भारत का पाकिस्तान से आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, 2000 के दौरान 151.01 करोड़ रुपए के हमारे आयातों की तुलना में 150.79 करोड़ का हुआ था। इसलिए, इस अवधि में पाकिस्तान से भारतीय आयातों के स्तर में

कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ था। दूसरी तरफ अप्रैल-सितम्बर, 2001 के दौरान भारत से पाकिस्तान के आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, 2001 के दौरान भारत से पाकिस्तान के आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, 2000 में हुए 289.57 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 432.31 करोड़ रुपए का हो गया है जिसमें 49.29% की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

(ग) अप्रैल-सितम्बर, 2001 की अवधि के दौरान पाकिस्तान से हुए आयातों की मुख्य मदें काजू गिरी, मसालों तथा चीनी को छोड़कर दालें, फल तथा काष्ठफल थे। उक्त अवधि के दौरान भारत से पाकिस्तान को हुए निर्यात की मुख्य मदों में शामिल थे - मसालें, चीनी, तेल, खाद्य-पदार्थ, लौह, अयस्क, औषधि तथा भेषज, रंजक तथा मध्यवर्ती, रसायन, फुटवियर को छोड़कर, रबड़ के विनिर्मित उत्पाद, प्लास्टिक तथा लिनोलियम उत्पाद, मशीनरी तथा उपकरण इत्यादि।

(घ) वित्तीय वर्ष 2001-02 में अप्रैल-दिसम्बर की अवधि के दौरान भारत-पाकिस्तान समग्र द्विपक्षीय व्यापार (नवीनतम उपलब्ध), पिछले वर्ष 2000-01 की इसी अवधि के दौरान हुए 843.49 करोड़ रुपए के समग्र व्यापार की तुलना में घटकर 791.03 करोड़ रुपए हो गया है।

**परीक्षा पूर्व कोचिंग**

**6742. श्री अम्बरीश : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के प्रतिनिधित्व को विभिन्न पदों एवं सेवाओं में बढ़ाने के लिए उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु राज्य सरकारों द्वारा सहायता अनुदान जारी करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल कितना सहायता अनुदान उपलब्ध कराया गया?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया):** (क) से (ग) विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से वार्षिक आधार पर प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए उनको प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा*

(रु. लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 11.44 | + | + |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | + | + | + |
| 3. | असम | + | + | + |
| 4. | बिहार | + | + | + |
| 5. | छत्तीसगढ़ | + | + | + |
| 6. | गोवा | + | + | + |
| 7. | गुजरात | + | + | + |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | हरियाणा | 1.54 | + | 2.19 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | + | + | + |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0.25 | + | + |
| 11. | झारखण्ड | + | + | + |
| 12. | कर्नाटक | 1.19 | + | 2.15 |
| 13. | केरल | 10.15 | 8.69 | 20.86 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 66.09 | 44.03 | + |
| 15. | महाराष्ट्र | + | + | + |
| 16. | मणिपुर | + | + | + |
| 17. | मेघालय | 1.79 | 1.79 | + |
| 18. | मिजोरम | + | + | + |
| 19. | नागालैंड | + | + | + |
| 20. | उड़ीसा | 4.99 | + | 4.99 |
| 21. | पंजाब | 1.89 | 2.39 | + |
| 22. | राजस्थान | + | 43.10 | + |
| 23. | सिक्किम | + | + | + |
| 24. | तमिलनाडु | + | + | 11.15 |
| 25. | त्रिपुरा | 0.67 | + | + |
| 26. | उत्तर प्रदेश | + | + | 2.61 |
| 27. | उत्तरांचल | + | + | + |
| 28. | प. बंगाल | + | + | 2.68 |
| 29. | अंडमान व निकोबार | + | + | 2.79 |
| 30. | चंडीगढ़ | + | + | + |
| 31. | दादर व नगर हवेली | + | + | + |
| 32. | दमन और दीव | + | + | + |
| 33. | दिल्ली | 6.79 | 2.95 | 1.90 |
| 34. | लक्षद्वीप | + | + | + |
| 35. | पांडिचेरी | + | + | + |
| | कुल | 106.79 | 102.95 | 51.32 |

+ = शून्य

### कर अवकाश

**6743. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 1 अप्रैल, 1995 को अथवा उससे पहले अपनी सेवाएं आरंभ करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को धारा 80ाक के अन्तर्गत कर अवकाश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अगस्त, 1994 के महीने में दूरसंचार के क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सितम्बर, 1994 एवं मार्च, 1995 के बीच सेवाएं आरंभ करने वाली कम्पनियों को भी धारा 80ाक के अन्तर्गत कर अवकाश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्णय को कब से लागू किया है; और

(ङ) निजी निवेश के क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों को कर अवकाश न दिए जाने के क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन):** (क) से (घ) जी, नहीं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80झक में दूर संचार सेवाएं, चाहे वे मूलभूत हों अथवा सेल्युलर प्रदान करने वाले उन उपक्रमों के लिए करावकाश का प्रावधान है जिन्होंने 1.4.1995 को अथवा उसके उपरान्त इन सेवाओं को प्रारंभ किया था।

(ङ) करावकाश प्रदान करने का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में नये निवेश को आकर्षित करने और बेसिक और सेल्यूलर दोनों दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में नये उपक्रमों को स्थापित हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना था।

*[हिन्दी]*

### बर्डस् जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड

**6744. श्री तूफानी सरोज :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कई वर्षों से नेशनल जूट मन्यूफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी 'दि बर्डस् जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड' घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कंपनी की वित्तीय हालत में सुधार करने हेतु प्रभावी कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) एनजेएमसी की एक सहायक कंपनी, दि बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्टस् लि. पिछले अनेक वर्षों से घाटे में चल रही है जिसके अनेक कारण है जैसे संयंत्र और मशीनों की घटिया स्थिति, कम क्षमता उपयोग, निरंतर नकदी घाटे होने के कारण कार्यशील पूंजी की कमी। 31.3.2001 तक की स्थिति के अनुसार 3587.70 लाख रुपये का संचित घाटा हुआ। वर्ष 1998-2001 तक की अवधि के दौरान कंपनी को हुए घाटे निम्नानुसार हैं:-

| | |
|---|---|
| 1998-99 | 398.96 लाख रुपये |
| 1999-2000 | 440.50 लाख रुपये |
| 2000-2001 | 447.38 लाख रुपये |

(घ) और (ङ) कंपनी का मामला बीआईएफआर को भेजा गया है। प्रचालन एजेंसी द्वारा एक पुनर्वासन योजना का मसौदा तैयार किया गया है। अंतिम निर्णय बीआईएफआर द्वारा लिया जाना है।

### एन.आई.ए.सी.एल. में भ्रष्टाचार के मामले

**6745. श्री शमशेर सिंह दूलो :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली तथा मुम्बई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सरकारी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कितने अधिकारियों के विरुद्ध कंपनी-वार जांच-पड़ताल अथवा अभियोजन चलाया जा रहा था;

(ख) गत छह माह में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा परामर्श/अन्वेषण हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) पिछले छह माह में कंपनी के सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा की गई लंबी जांच पड़ताल के बाद गलत आचरण के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनमें

से कितने लोगों के विरुद्ध आज तक आरोप पत्र जारी नहीं किए गए हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और अधिकारियों के गलत आचरण के लिए उनके विरुद्ध कब तक आवश्यक कार्रवाई आरम्भ किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के ऐसे 38 अधिकारी थे जिनके विरुद्ध गत दो वर्षों में दिल्ली और मुम्बई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कार्य अथवा मुकदमा चलाया जा रहा है/था, कम्पनी-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

| | |
|---|---|
| भारतीय साधारण बीमा निगम | शून्य |
| नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. | 17 |
| न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि. | 13 |
| ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. | 8 |
| यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. | शून्य |

(ख) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा गत 6 महीनों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सलाह/जांच हेतु 24 मामले भेजे गए हैं।

(ग) और (घ) गत छह महीनों में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. के सतर्कता सेल द्वारा लम्बी जांच-कार्रवाई के बाद 41 व्यक्तियों को गलत आचरण करने का दोषी पाया गया। इनमें से छह व्यक्तियों को आरोप-ज्ञापन जारी नहीं किये गये है क्योंकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग से "प्रथम स्तर की राय" मांगी गई है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की राय प्राप्त होने पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

### निगमित कर निर्धारण प्रणाली

**6746. श्री विनय कुमार सोराके :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बड़े वस्त्र निर्माताओं एवं वाहन निर्माताओं के मामलों को देखने वाले कर निर्धारण अधिकारियों ने गलत कर निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप करों में 400.00 करोड़ रुपये से ज्यादा का अल्प प्रभार वसूला गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इन गलत कर निर्धारणों की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो निर्धारितियों से कितना कर वसूला गया था; और

(घ) आयकर विभाग के निगमित कर निर्धारण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन ):** (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या 12क (मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) जिसे 15 मार्च, 2002 को संसद में रखा गया था, मे कुछ वस्त्र निर्माताओं के कर-निर्धारण में कुछ गलतियों का उल्लेख किया है, जहां उनके अनुसार, 186.09 करोड़ रुपये के कर का न्यून प्रभार सूचित किया गया था। उन्होंने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कर-निर्धारण में गलतियों के बारे में सूचित किया है जिसके परिणामस्वरूप 234.46 करोड़ रुपये का न्यून प्रभार हुआ।

(ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इन कर-निर्धारणों की लेखा परीक्षा पुनरीक्षा की जानी थी और इसे 2002 की रिपोर्ट संख्या 12क के अध्याय 4 में समाविष्ट किया गया है।

(ग) उपरोक्त लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की शुद्धता अथवा अन्यथा निर्धारित करने के उद्देश्य से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में और क्षेत्रीय कार्यालयों में भी की जा रही है। जहां कहीं भी आवश्यक हो, क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उपचारी कार्रवाई की जाएगी।

(घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कर निर्धारण में उचित सावधानी बरतने और गलतियों से बचने के लिए निर्धारण अधिकारियों/क्षेत्रीय कार्यालयों को पहले ही निर्देश जारी कर चुका है। एक मॉनिटरिंग प्रणाली भी है जिसमें की गई अशुद्धियों को दर्ज करने के लिए लेजर कार्ड रखे जाते हैं और जब संबंधित अधिकारियों को ऐसी अशुद्धियां करते हुए पाया जाता है, तो उनका स्पष्टीकरण मांगा जाता है। निदेशक, आयकर (लेखा परीक्षा) लेखा परीक्षा कार्य का निरीक्षण करता है और कर-निर्धारण अधिकारियों के मार्ग दर्शन के लिए जांच-सूची विनिर्धारित करता है।

### एन.टी.सी. मिलों का पुनरूद्धार

**6747. श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्वरित उपायों के रूप में रुग्ण हो रही एन.टी.सी. इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु अंतरिम योजना को अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन.टी.सी. की अर्थक्षम, कम अर्थक्षम एवं न्यूनतम अर्थक्षम इकाइयों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एन.टी.सी. की रुग्ण हो रही इकाइयों के पुनरूद्धार पर कितना धन व्यय किए जाने का प्रस्ताव है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री वी. धनंजय कुमार ):** (क) से (ग) सरकार ने सभी पुनरुद्धार मिलों का पुनरुद्धार करने और प्रभावित कर्मचारियों को वीआरएस देने के बाद गैर-अर्थक्षम

मिलों को बंद करने का निर्णय लिया है। वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा एनटीसी मिलों के लिए तकनीकी-आर्थिक अर्थक्षमता अध्ययन किये गये है। अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार 53 मिलें अर्थक्षम हैं और 66 मिलें गैर-अर्थक्षम है। बीआईएफआर ने एनटीसी की 8 रुग्ण सहायक निगमों से 6 के लिए पुनर्स्थापना योजनाओं का अनुमोदन किया है।

(घ) इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संसाधनों की व्यवस्था बाजार से ऋण लेने और परिसम्पत्तियों को बेच कर की जायेगी। वास्तविक व्यय जुटाये गये संसाधनों पर निर्भर होगा।

## उड़ीसा में वृद्धाश्रम

**6748. श्री भर्तृहरि महताब : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में वृद्धाश्रमों के संचालन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक संगठन को कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा संस्वीकृत धनराशि का इन संगठनों द्वारा पूरी तरह उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया):** (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान वृद्धाश्रमों को चलाने के लिए दी गई वित्तीय सहायता का संगठनवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पहले निर्मुक्त राशि के सम्बन्ध में संगठन से उपयोग प्रमाण पत्र के प्राप्त होने पर ही सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*गत तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-01, 2001-02 के दौरान वृद्धाश्रमों को चलाने के लिए उड़ीसा में संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा*

(रु. लाख में)

| क्र.सं. | जिला का नाम | संगठन का नाम | परियोजना | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | अंगुल | ग्राम सेवा मंडल | ओएएच-1 | 2.76 | 1.38 | 2.76 |
| 2. | बालांगीर | ग्राम मंगल पथागार | ओएएच-1 | 2.15 | 3.88 | 1.38 |
| 3. | भुवनेश्वर | उड़ीसा मल्टीपर्पज डेवलपमेंट सेंटर | ओएएच-1 | 1.1 | 0 | 5.42 |
| 4. | भुवनेश्वर | जनकल्याण समिति | ओएएच-1 | 2.38 | 0 | 2.38 |
| 5. | भुवनेश्वर | आर्गनाइजेशन फॉर सोशल चेन्ज एम्ड रूरल डेवलपमेंट | ओएएच-1 | 2.2 | 0 | 3.94 |
| 6. | कटक | एसोसिएशन फॉर सोशल रिकांस्ट्रक्टिव एक्टीविटीज | ओएएच-1 | 2.76 | 0 | 4.14 |
| 7. | कटक | बासुदेव पथागार | ओएएच-1 | 0.87 | 2.54 | 3.42 |
| 8. | कटक | डा. अम्बेडकर रूरल ओलम्पिक एसोसिएशन | ओएएच-1 | 0 | 0 | 0.76 |
| 9. | धेनकनाल | आदर्श सेवा संस्थान | ओएएच-1 | 0.88 | 2.47 | 1.38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | धेनकनाल | अरूण इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल एफेयर्स (एआईआरए) | ओएएच-1 | 0.74 | 2.7 | 1.38 |
| 11. | धेनकनाल | महर्षि दयानन्द सर्विस मिशन | ओएएच-1 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
| 12. | धेनकनाल | सोसाइटी फॉर रूरल एडवांसमेंट एण्ड डेमाक्रेटिक ह्यूमनटेरियन एक्शन | ओएएच-1 | 0.89 | 2.47 | 1.34 |
| 13. | गंजाम | इन्स्टीट्यूट फॉर वीमेन्स वेल्फेयर | ओएएच-1 | 1.67 | 0 | 2.18 |
| 14. | कलाहंडी | श्री रामकृष्ण आश्रम | ओएएच-1 | 2.76 | 1.39 | 2.76 |
| 15. | केन्द्रपडा | जन सेवा परिषद | ओएएच-1 | 2.13 | 2.14 | 3.95 |
| 16. | केन्द्रपडा | इण्डियन विलेज डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन | ओएएच-1 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | केन्द्रपडा | लुथरन महिला समिति | ओएएच-1 | 2.65 | — | 1.32 |
| 18. | केन्द्रपडा | जनकल्याण सेवा संस्थान | ओएएच-1 | 0.88 | 2.53 | 1.38 |
| 19. | कियोंझार | विष्णुप्रिया बालाश्रम | ओएएच-1 | 1.11 | 0 | 4.11 |
| 20. | खुर्दा | नेशनल रिसोर्सेज सेन्टर फॉर वीमेन डेवलपमेंट | ओएएच-1 | 0 | 0 | 1.25 |
| 21. | खुर्दा | भैरबी क्लब | ओएएच-1 | 2.33 | 2.33 | 2.44 |
| 22. | खुर्दा | जुबा ज्योति क्लब | | 2.58 | 0 | 2.67 |
| 23. | खुर्दा | यूनियन फॉर लर्निंग ट्रेनिंग एण्ड रिफॉर्मेटिव एक्टिव | ओएएच-1 | 2.54 | 0 | 2.54 |
| 24. | खुर्दा | विश्व जीवन सेवा संघ | ओएएच-2 | 5.21 | 5.52 | 5.52 |
| 25. | कोरापुट | गांधियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेकनिकल एडवांसमेंट | ओएएच-1 | 0 | 0 | 1.25 |
| 26. | नयागढ़ | नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल वेल्फेयर एण्ड सोशल एक्शन | ओएएच-1 | 0 | 0 | 6.58 |
| 27. | नयागढ़ | जनविकास | ओएएच-1 | 1.84 | 4.14 | 1.38 |
| 28. | फूलबनी | बनबासी सेवा समिति | ओएएच-1 | 2.37 | 2.37 | 2.36 |
| 29. | फूलबनी | सुभद्रा मेहताब सेवा सदन | ओएएच-1 | 4.82 | 0 | 2.67 |
| 30. | पुरी | एसोसिएशन फॉर वालुन्टरी एक्शन | ओएएच-1 | 2.63 | 0. | 2.76 |
| 31. | पुरी | बंकेश्वरी जुबक संघ | ओएएच-1 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
| 32. | पुरी | नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान | ओएएच-2 | 2.76 | 2.76 | 8.28 |
| 33. | पुरी | रतनाचिरा | ओएएच-1 | 2.76 | 2.76 | 1.38 |
| 34. | पुरी | जयकिशन यूथ क्लब | ओएएच-1 | 0 | 0 | 1.51 |
| 35. | पुरी | अदद-बदल महिला समिति | ओएएच-1 | 0 | 0 | 1.52 |
| 36. | मयूरभंज | रूरल डेवलपमेंट एक्शन सैल | ओएएच-1 | 1.24 | 0 | 4.72 |

ओएएच - वृद्धाश्रम

*[हिन्दी]*

**राजस्थान में जाली कंपनियां**

**6749. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान की उन जाली कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने छोटे निवेशकों से धनराशि प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान राज्य सरकार से सरकार को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) ऐसी कंपनियों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए किस प्राधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि निधियां जुटाने वाली राजस्थान की बारह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अपने उल्लिखित कार्यालय पतों पर उपलब्ध न होने की सूचना है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) वित्तीय बाजार निकाय सेबी/भारतीय रिजर्व बैंक/कंपनी कार्य विभाग द्वारा विनियमित होते हैं, जो कि उनकी क्रियाकलापों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अपनी देयताओं को पूरा करने में असफल रहने वाले निकायों के विरुद्ध विनियामकों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है जिसमें उन्हें तथा उनके प्रवर्तकों/निदेशकों आदि को पूंजी बाजार से विवर्जित करना; अभियोजन तथा परिसमापन कार्रवाईयां आदि शामिल हैं।

**ब्रांड नामगत रॉयल्टी का भुगतान**

**6750. श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रांड नामगत रॉयल्टी के भुगतान के संबंध में मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डा. रमण ):** (क) और (ख) वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बिना ब्रांड नाम/ट्रेड मार्क का प्रयोग करने पर स्वत: मार्ग के तहत निर्यात बिक्रियों पर 2 प्रतिशत की दर से और घरेलू बिक्रियों पर 1 प्रतिशत की दर से रायल्टी का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है जिसकी गणना निर्धारित फार्मूले के अनुसार होती है।

*[हिन्दी]*

**नागपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक**

**6751. श्री माणिकराव होडल्या गावित :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में नागपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस घाटोले में कितने लोगों को दोषी पाया गया और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा नागपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डी.सी.सी.बी.) के निरीक्षण के दौरान यह पता चला कि बैंक ने निवेश नीति संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था और कुछ दलाल फर्मों के जरिए मूर्त रूप में सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार कर रहा था। यह बताया गया है कि 29 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा दलालों के जरिए खरीदी गई 153.04 करोड़ रु. की प्रतिभूतियों का वितरण नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने नागपुर डी.सी.सी.बी. के निवेश पोर्टफोलियों की जांच पड़ताल की है, जिससे पता चला है कि बैंक ने निवेश संबंधी लेन-देन करने के लिए न तो प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की है और न ही ऐसे लेन-देनों में जोखिम कम करने संबंधी कोई सीमा निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, बैंक में समवर्ती लेखा-परीक्षा या आन्तरिक निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। निरीक्षण/जांच-पड़ताल से पता चली गंभीर अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों के आधार पर बैंक-बोर्ड का अधिक्रमण करने के

लिए कार्रवाई शुरू की गई है और बैंक के लिए प्रशासक की नियुक्ति की गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने बैंक के अध्यक्ष और महाप्रबन्धक तथा साथ ही उन पांच निवेश कंपनियों के विरुद्ध प्राथमिकी दायर की है, जिनसे सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी गई थीं। बैंक के अध्यक्ष को अब गिरफ्तार कर लिया गया है।

*[अनुवाद]*

**शर्करा संस्थान**

**6752. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कर्नाटक के मंडवा में शर्करा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत से इस संस्थान की स्थापना की जाएगी; और

(ग) उक्त संस्थान के लिए आवंटित धनराशि में केन्द्र का अंशदान कितना है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद ):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**शासकीय व्यय**

**6753. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्याज भुगतान में होने वाली वृद्धि राजस्व व्यय की वृद्धि से ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राजस्व व्यय में कमी करने तथा सरकारी कार्यालयों द्वारा दैनिक आवश्यकता की स्टेशनरी एवं अन्य वस्तुओं की खरीद की लागत को कम करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त (ग) पर होने वाले अतिरेक व्यय का कभी अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार का आयोजन-भिन्न, विकास-भिन्न व्यय को नियंत्रित करने का सतत् प्रयास है। निरर्थक व्यय से बचने के लिए समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए गए हैं। इन उपायों में पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध, स्वीकृत पदों की संख्या में कटौती, रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबन्ध, कार्यालय व्यय में कटौती, वाहनों की खरीद पर प्रतिबन्ध, विदेशी यात्रा तथा मनोरंजन/आतिथ्य व्यय पर प्रतिबन्ध, आदि शामिल हैं। यह एक चालू तथा अनवरत प्रक्रिया है। व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट इस संबंध में पहले ही जानकारियां उपलब्ध करा चुकी है।

*[हिन्दी]*

**बैंक ऋण चूककर्त्ता**

**6754. श्री सुकदेव पासवान : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण लेने वाले किन्तु चूककर्ता के रूप में सूचीबद्ध खाता धारकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त चूककर्त्ताओं में से उन खाता धारकों की संख्या कितनी है जिनके बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से नये ऋण प्राप्त करने संबंधी आवेदन लंबित हैं; और

(ग) उनमें से उन चूककर्त्ताओं की संख्या कितनी है जिन्हें दो से ज्यादा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा चूककर्त्ता घोषित किया गया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में पतों वाले 83 उधारकर्त्ताओं के 5 करोड़ रुपए और इससे अधिक के बकाया ऋण 'संदिग्ध' या 'हानि' या मुकदमा दायर के रूप में वर्गीकृत किए गए थे। इन 83 उधारकर्ताओं में से, 20 उधारकर्ता एक से अधिक बैंक/वित्तीय संस्था के चूककर्ताओं के रूप में बताए गए थे।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं होती है।

*[अनुवाद]*

## कर्नाटक में आवासीय विद्यालय

**6755. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**
**श्री शशि कुमार :**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को दिनांक 24 अक्तूबर, 2000 के संदर्भ एस डब्ल्यू डी 6 एस एल आई और पी 98 के अंतर्गत बेलगाम, चिकमंगलूर एवं कोडागू जिलों में तीन आवासीय विद्यालय भवनों के निर्माण के मद में 400 लाख रुपये जारी करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को पहले से शुरू हो चुके दो विद्यालयों के संबंध में 50 लाख रुपये के अनुरक्षण अनुदान जारी करने के लिए कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने धनराशि जारी की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इसे कब तक जारी करने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ( डा. सत्यनारायण जटिया ):** (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## हस्तशिल्प का विकास

**6756. डा. जसवंतसिंह यादव :**
**श्री बीर सिंह महतो :**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में हस्तशिल्प का विकास करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास हेतु वर्षवार और योजनावार क्या कितना धन उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) इससे राज्यवार कितने कारीगरों/हस्तशिल्पियों को लाभ हुआ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री वी. धनंजय कुमार ):** (क) और (ख) जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के हस्तशिल्प के विकास एवं संवर्धन के लिए स्कीम के ब्यौरों में - कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण, विपणन, विकास सहायता, लुप्तप्राय शिल्पों का पुनरूत्थान डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, शिल्प विकास केन्द्र तथा सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, वर्कशेड-सह-आवास की स्थापना आदि शामिल है।

इस क्षेत्र का सतत् विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने "बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना" नामक एक नई व्यापक स्कीम हाल ही में आरम्भ की है, जिसका प्रयास चयनित कारीगर समूहों को प्रभावी सदस्य भागीदारी एवं पारस्परिक सहयोग के सिद्धान्तों पर व्यावसायिक प्रबंध एवं आत्म निर्भर समुदाय उद्यमियों के रूप में विकसित करना है। 10वीं योजना के दौरान स्कीमों को और अधिक व्यापक बनाया गया है किन्तु ये राज्य/क्षेत्र विशिष्ट नहीं हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए मुहैया कराई गई निधियों का वर्षवार, स्कीमवार और स्कीम से लाभान्वित हुए कारीगरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

## विवरण

### हस्तशिल्प उद्योग

### वर्ष 2001-2002 के दौरान प्लान स्कीमों के तहत् रिलीज की निधियां

(लाख रुपये में)

| क्रमांक | राज्य | निर्यात | विपणन सहायता | प्रदर्शनी | प्रचार | डिजाइन | प्रशिक्षण | विपणन विकास | सर्वेक्षण एवं अध्ययन | कल्याण स्कीम | यू.एन.डी.पी. | सीडीसी/सीएफ | एएच वीआई | सभी स्कीमों का योग | पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित हुए कारीगरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | — | 2.50 | 11.71 | 4.59 | — | 6.21 | 46.7 | 4.83 | 11.14 | 11.00 | — | 17.6 | 102.78 | 7863 |
| 2. | अ. एवं नि. द्वीप समूह | — | — | — | — | — | 2.75 | — | 0.09 | — | — | — | — | 2.84 | — |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 196.11 | — | 1.73 | 197.84 | 1430 |
| 4. | असम | 2.25 | 18.71 | 8.22 | 8.35 | 10 | 1.32 | 24.51 | 9.19 | 13.6 | — | 3.4 | 34.05 | 133.6 | 5828 |
| 5. | बिहार | — | — | 4.17 | 0.21 | 5.5 | 9.46 | 2.51 | — | — | 60.21 | — | 0.25 | 82.31 | 2480 |
| 6. | दिल्ली | 243.87 | — | 29.04 | 166.33 | 6.21 | 21.42 | 19.17 | 26.99 | 0.15 | — | — | 3.06 | 516.24 | 9561 |
| 7. | गोवा | — | — | — | — | — | 0.98 | — | — | — | — | — | — | 0.98 | 243 |
| 8. | गुजरात | — | — | 20.62 | 2.16 | 21.89 | 7.02 | 12.11 | 5.23 | 2.25 | — | — | 12.92 | 84.2 | 6465 |
| 9. | हरियाणा | — | — | 2.32 | — | — | — | 19.45 | — | — | — | — | 12.68 | 34.45 | 3006 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | — | 7.5 | 11.58 | 1.28 | — | 10.14 | 10 | — | — | 21.7 | 7.12 | 26.73 | 96.05 | 4064 |
| 11. | झारखण्ड | — | — | — | — | — | 0.94 | — | — | 0.27 | 57.92 | 1.91 | 1.77 | 62.81 | 776 |
| 12. | जम्मू एवं कश्मीर | — | 14.95 | 5.86 | 0.58 | 0.45 | 3.38 | 5.62 | — | 5.6 | — | — | 5.6 | 42.04 | 5004 |
| 13. | कर्नाटक | — | 7.5 | 2.4 | 1.91 | — | 1.49 | 29.1 | — | 1.33 | 40.72 | 3.62 | 7.55 | 95.62 | 14692 |
| 14. | केरल | — | — | 2.39 | 0.14 | — | 1.76 | 9.99 | — | 0.14 | — | — | 6.37 | 20.79 | 13035 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 2.36 | 10.22 | 13.72 | 6.4 | 9.5 | 16.49 | 23.44 | — | — | 14.95 | — | 41.62 | 138.7 | 7473 |
| 16. | महाराष्ट्र | — | — | 10.72 | — | — | 4.37 | 24.05 | — | — | — | — | 15.54 | 54.68 | 3337 |
| 17. | मणिपुर | — | — | 3.2 | 1.58 | 1.47 | 3.34 | — | — | 21.14 | — | 3.28 | 0.54 | 34.55 | 2451 |
| 18. | मेघालय | — | — | — | 1.03 | 1.2 | — | — | 1.2 | 0.54 | — | — | 0.45 | 4.42 | 495 |
| 19. | मिजोरम | — | — | 3.56 | 1.98 | 10 | — | 3.08 | — | — | — | — | 1.8 | 20.42 | 416 |
| 20. | नागालैण्ड | — | 3.7 | 5.6 | — | 18.7 | 1.76 | 7.91 | — | 17.65 | — | 1.23 | 7 | 63.55 | 2033 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | उड़ीसा | — | — | 8.71 | 3.9 | 2 | 22.22 | 2.97 | 1.22 | 21.78 | — | — | 14.62 | 77.42 | 15917 |
| 22. | पंजाब | — | — | — | — | — | 12.68 | 13.6 | — | — | — | — | 4.05 | 30.33 | 1105 |
| 23. | पांडिचेरी | — | — | — | — | — | — | 5.04 | — | — | — | — | 0.85 | 5.89 | 676 |
| 24. | राजस्थान | — | 9.44 | 5.58 | 2.6 | — | 0.98 | 5 | 0.23 | — | — | — | 24.65 | 48.48 | 13337 |
| 25. | सिक्किम | — | — | — | — | — | 0.34 | — | — | — | 10.47 | — | — | 10.81 | 438 |
| 26. | तमिलनाडु | 2 | — | 1.2 | — | 0.45 | 1.67 | 11.02 | — | 0.74 | — | — | 18 | 35.08 | 8954 |
| 27. | त्रिपुरा | — | 14.68 | 12.98 | — | 1 | — | — | — | 7.35 | — | 5.3 | 5.29 | 46.6 | 3162 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | — | — | 28.74 | 9.66 | 18.8 | 54.66 | 74.2 | 3.19 | 14 | — | 7.87 | 51.82 | 262.94 | 16024 |
| 29. | उत्तरांचल | — | — | 2.38 | — | — | 14.19 | 5 | — | 16.7 | — | 0.46 | 4.25 | 42.98 | 2060 |
| 30. | पश्चिम बंगाल | — | 1 | 5.34 | 3.36 | 1 | 2.2 | 11.72 | 3.05 | 2.97 | — | 9 | 23.01 | 62.65 | 14664 |
| 31. | छत्तीसगढ़ | — | — | — | 11.32 | — | — | 5.36 | — | 137.35 | — | — | 31.15 | 185.18 | 1595 |
| | योग | 250.48 | 87.7 | 188.33 | 222.79 | 108.17 | 192.81 | 324.85 | 50.3 | 263.56 | 205.97 | 43.19 | 355.62 | 2293.77 | 166604 |

## *हस्तशिल्प उद्योग*

### *वर्ष 2000-2001 के दौरान रिलीज की गई निधियां*

(लाख रुपये में)

| क्रमांक | राज्य | प्लान स्कीमों के नाम | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निर्यात | प्रदर्शनी | प्रचार | डिजाइन | प्रशिक्षण | विपणन | विपणन वि. सहायता | सर्वेक्षण एवं अध्ययन | कल्याण | यूएनडीपी | सीडीसी/ सीएफ | सभी स्कीमों का योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 10.00 | 13.65 | 6.89 | — | 7.92 | 32.26 | — | 0.06 | 30.13 | — | — | 100.91 |
| 2. | अ. एवं नि. द्वीप समूह | — | — | — | — | 2.02 | — | — | — | — | — | — | 2.02 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | — | 1.45 | — | — | 6.00 | — | — | — | 17.00 | — | — | 24.45 |
| 4. | असम | — | 16.45 | 3.12 | 29.40 | 5.53 | 11.14 | 21.25 | 22.94 | 12.27 | — | 7.85 | 129.95 |
| 5. | बिहार | — | 1.12 | 0.21 | — | 13.40 | — | — | — | 1.00 | — | — | 15.73 |
| 6. | दिल्ली | 651.66 | 29.33 | 72.75 | 125.19 | 12.89 | 47.12 | — | 26.73 | 1.22 | 315.85 | — | 1282.74 |
| 7. | गोआ | — | — | — | — | 0.85 | — | — | — | — | — | — | 0.85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | गुजरात | — | 15.17 | — | 2.40 | 13.25 | 43.54 | — | 8.00 | — | 4.00 | 11.25 | 97.61 |
| 9. | हरियाणा | — | 5.47 | — | — | 1.71 | — | 2.50 | 2.12 | — | — | — | 11.80 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | — | 21.08 | 3.41 | — | 10.68 | — | 12.73 | — | — | — | — | 47.90 |
| 11. | जम्मू एवं कश्मीर | 3.00 | 7.87 | 0.58 | 0.50 | 14.19 | — | — | — | — | — | 3.75 | 29.89 |
| 12. | कर्नाटक | — | 6.34 | — | 7.08 | 3.39 | 16.23 | 7.20 | — | 9.63 | 24.00 | — | 73.87 |
| 13. | केरल | — | 4.75 | 0.14 | — | 3.51 | — | 5.02 | — | 1.08 | 51.15 | — | 65.65 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 2.52 | 19.52 | 6.41 | 3.40 | 10.79 | 19.24 | 27.25 | — | — | — | 1.31 | 90.44 |
| 15. | महाराष्ट्र | — | 7.58 | — | 3.88 | 7.80 | 33.14 | — | — | — | 15.00 | — | 67.40 |
| 16. | मणिपुर | — | 3.20 | — | 15.00 | 10.61 | 14.41 | — | — | 29.33 | — | 1.07 | 73.62 |
| 17. | मेघालय | 6.75 | — | 2.41 | 5.00 | 3.33 | 4.44 | 6.25 | — | 0.04 | 16.70 | — | 44.92 |
| 18. | मिजोरम | — | 5.71 | 1.99 | — | — | — | 7.95 | — | 0.03 | — | 3.94 | 19.62 |
| 19. | नागालैण्ड | — | 4.05 | 0.58 | 25.00 | 5.02 | 9.91 | 13.70 | — | 27.63 | — | 13.22 | 99.11 |
| 20. | उड़ीसा | — | 5.26 | 1.38 | 0.50 | 26.46 | — | — | — | 31.73 | — | 2.76 | 68.09 |
| 21. | पंजाब | — | — | — | — | 10.38 | — | — | — | — | — | 1.16 | 11.54 |
| 22. | पांडिचेरी | — | — | — | — | 0.45 | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
| 23. | राजस्थान | — | 7.00 | — | 2.40 | 6.34 | — | — | — | 1.50 | 16.38 | — | 33.62 |
| 24. | सिक्किम | — | — | — | 15.00 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | 15.45 |
| 25. | तमिलनाडु | 0.37 | 8.53 | 1.54 | — | 4.30 | 22.75 | 6.33 | — | 4.40 | — | — | 48.42 |
| 26. | त्रिपुरा | — | 11.37 | — | 5.50 | 8.07 | — | 5.72 | — | 1.35 | — | 9.02 | 41.03 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 48.80 | 22.93 | 5.25 | 0.74 | 67.25 | 45.05 | 29.22 | 12.00 | 24.50 | 25.75 | 46.42 | 327.91 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | — | 2.06 | 6.58 | 9.16 | 7.86 | 14.63 | 2.73 | 0.17 | 7.20 | — | 14.45 | 64.84 |
| 29. | उत्तरांचल | — | — | — | — | 15.25 | — | — | — | 3.60 | — | — | 18.85 |
| 30. | छत्तीसगढ़ | — | — | — | — | 6.73 | — | — | — | — | — | — | 6.73 |
| | योग | 723.10 | 219.89 | 113.24 | 250.15 | 286.43 | 313.86 | 147.85 | 72.02 | 203.64 | 468.83 | 116.20 | 2915.21 |

नोट : उपर्युक्त आंकड़े गैर-सरकारी संगठनों/निगमों को रिलीज की गई केवल विकासात्मक स्कीमों के हैं।

## हस्तशिल्प उद्योग

### वर्ष 1999-2000 के दौरान रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपये में)

| क्रमांक | राज्य | प्लान स्कीमों का नाम | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निर्यात | प्रदर्शनी | प्रचार | डिजाइन | प्रशिक्षण | विपणन वि. सहायता | विपणन | सर्वेक्षण एवं अध्ययन | सीडीसी | कल्याण | यूएनडीपी | सभी स्कीमों का योग | उपयोगिता धनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | — | 9.70 | — | — | 18.62 | 53.41 | — | 5.49 | — | 2.03 | — | 89.25 | 89.25 |
| 2. | अ. एवं नि. द्वीप समूह | — | — | — | — | — | 5.75 | — | — | — | — | — | 5.75 | 5.75 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | — | — | — | — | 0.06 | 6.64 | — | — | — | — | — | 6.70 | 6.70 |
| 4. | असम | — | 13.70 | 6.87 | 14.91 | 4.59 | 38.24 | 10.97 | — | 8.81 | 18.61 | — | 116.7 | 99.00 |
| 5. | बिहार | — | 6.57 | — | 0.50 | 4.40 | 53.20 | — | — | 1.88 | — | — | 66.55 | 66.55 |
| 6. | दिल्ली | 47.00 | 22.29 | 28.09 | 138.99 | 15.30 | 57.09 | — | 22.62 | — | 1.90 | 66.90 | 400.18 | 400.18 |
| 7. | गोवा | — | — | — | — | 1.30 | 6.00 | 7.50 | — | — | — | — | 14.80 | 14.80 |
| 8. | गुजरात | — | 16.05 | 1.71 | 4.50 | 28.91 | 10.38 | 10.50 | — | 1.98 | — | — | 74.03 | 74.03 |
| 9. | हरियाणा | — | 4.47 | — | — | 7.34 | 60.03 | 5.00 | — | — | 2.25 | — | 79.09 | 72.34 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | — | 14.26 | — | — | 0.04 | 8.59 | 2.50 | — | 1.69 | — | — | 27.08 | 27.08 |
| 11. | जम्मू एवं कश्मीर | — | 10.56 | 1.97 | 1.90 | 5.49 | 56.22 | 20.45 | — | 1.88 | — | — | 98.47 | 98.47 |
| 12. | कर्नाटक | — | 1.09 | — | 3.36 | 2.71 | 23.31 | 6.73 | 3.55 | 0.31 | 24.35 | 43.00 | 108.41 | 88.41 |
| 13. | केरल | — | 3.24 | — | — | 8.13 | 9.74 | 2.53 | — | 0.05 | 2.11 | 25.98 | 51.78 | 51.78 |
| 14. | मध्य प्रदेश | — | 11.73 | 10.98 | 7.58 | 16.87 | 32.18 | 10.50 | 0.24 | 6.92 | — | — | 97.00 | 97.00 |
| 15. | महाराष्ट्र | — | 7.36 | — | 10.00 | 6.79 | 42.79 | 0.85 | — | — | — | 23.37 | 91.16 | 91.16 |
| 16. | मणिपुर | — | — | 1.58 | 0.50 | 16.79 | 21.85 | 9.73 | — | 4.12 | 3.78 | — | 58.35 | 52.85 |
| 17. | मेघालय | — | — | — | — | — | 9.58 | — | — | — | — | — | 9.58 | 9.58 |
| 18. | मिजोरम | — | — | — | — | — | 1.30 | 10.01 | — | — | — | — | 11.31 | 11.31 |
| 19. | नागालैण्ड | — | 8.40 | 0.93 | 0.50 | 5.01 | 8.09 | 12.50 | — | — | 5.25 | — | 40.68 | 37.29 |
| 20. | उड़ीसा | — | 22.95 | — | 4.68 | 32.09 | 20.99 | 10.32 | 1.60 | 3.61 | 24.20 | — | 120.44 | 108.51 |
| 21. | पंजाब | — | — | — | 0.34 | 3.54 | 18.34 | — | — | 2.99 | — | — | 25.21 | 25.21 |
| 22. | पांडिचेरी | — | 4.69 | — | — | 4.07 | 8.57 | — | — | — | — | — | 17.33 | 17.33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | राजस्थान | — | 8.75 | 8.95 | — | 2.66 | 17.56 | — | 8.92 | — | — | 10.76 | 57.6 | 57.6 |
| 24. | सिक्किम | — | — | — | — | 16.16 | 5.59 | — | 1.75 | 0.66 | — | — | 24.16 | 24.16 |
| 25. | तमिलनाडु | — | 15.08 | — | 1.20 | 7.54 | 26.07 | 10.38 | 1.44 | 1.03 | 0.65 | — | 63.39 | 45.89 |
| 26. | त्रिपुरा | — | 5.16 | 2.55 | 1.57 | 2.64 | 10.80 | 7.00 | — | — | — | — | 29.72 | 29.72 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 75.00 | 21.63 | — | 4.18 | 131.48 | 73.10 | 20.60 | 2.06 | 2.48 | 15.23 | 45.02 | 390.78 | 380.78 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | — | 14.80 | 0.80 | 6.41 | 4.65 | 49.87 | 10.86 | 1.11 | — | 3.10 | — | 91.60 | 91.60 |
| | कुल | 122.00 | 222.48 | 64.43 | 201.12 | 347.18 | 735.28 | 168.93 | 48.78 | 38.41 | 103.46 | 215.03 | 2267.10 | 2174.33 |
| | प्रतिशत (%) | 5.38 | 9.81 | 2.84 | 8.87 | 15.31 | 32.43 | 7.45 | 2.15 | 1.69 | 4.56 | 9.48 | | |

नोट : उपर्युक्त आंकड़े गैर-सरकारी संगठनों/निगमों को रिलीज की गई केवल विकासात्मक स्कीमों के हैं।

**कनाडा के व्यापार प्रतिनिधिमंडल का दौरा**

**6757. श्री अधीर चौधरी :**
**श्री राम मोहन गाड्डे :**
**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
**श्रीमती श्यामा सिंह :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा के व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया है और उनसे चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच के व्यापार सम्पर्कों में और सुधार हुआ है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ङ) भारत को कनाडा की फर्मों से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी)**: (क) से (घ) जी, हां। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री पियरे पेटीग्रीव ने व्यापारियों के एक विशाल प्रतिनिधिमंडल के साथ अप्रैल, 2002 में भारत की यात्रा की थी। द्विपक्षीय व्यापार के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी और यह आशा है कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए अपेक्षित उपायों को बेहतर ढंग से समझने लगे हैं।

(ङ) इससे दोनों देशों के व्यापारियों के बीच पारस्परिक लाभ के लिए आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग का संवर्धन सुविधाजनक बनने की संभावना है।

**निर्यात को प्रोत्साहन**

**6758. श्री राम मोहन गाड्डे :**
**श्री जे.एस. बराड़ ;**
**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का किन-किन देशों के साथ अनुकूल व्यापार संतुलन रहा है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अप्रैल, 2002 के "द पायनियर" में अफ्रीका फीचरस एज "वस्ट इक्सपोर्ट इडेस्टनेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालयों द्वारा क्या आंकड़े संकलित किए गए है;

(घ) किन-किन देशों में निर्यात विकास नकारात्मक है;

(ङ) क्या सरकार ने इसके कारणों का मूल्यांकन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार द्वारा इन देशों में निर्यात में सुधार करने के लिये क्या और कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने की संभावना है और वर्ष 2002-03 के लिये क्या लक्ष्य निधारित किये गये हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी)**: (क) भारत का जिन देशों के साथ व्यापार संतुलन अनुकूल हैं वे हैं - डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, बंगलादेश, श्रीलंका, हांगकांग, थाइलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमरिका और रूस।

(ख) जी, हां।

(ग) उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा संकलित किये गये आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र के जिन देशों ने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है वे हैं - लेसौथा, नामीबिया, जिम्बाबे, कैनरी आई, कप वर्डे आई, घाना लाइबेरिया, साओ टोम, सेंट हेलेना, चाड़, मालावी, रवान्डा, जैरे गणराज्य, कामोरस तथा सोमालिया।

(ङ) से (छ) ऋणात्मक वृद्धि के मुख्य कारण है। दूरी, भाषा, अवरोध, व्यापार अवसरों के बारे में सूचना की अपर्याप्तता, नागरिक संघर्ष की अधिक घटनाएं, वृहत-आर्थिक अस्थिरता इत्यादि। उप-सहारा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 31 मार्च 2002 का "फाकस: अफ्रीका" कार्यक्रम शुरू किया है। निर्यातों को संभावित मिश्रित वृद्धि दर 20% प्रति वर्ष की है अगले 4-5 वर्षों में निर्यातों को दुगुना किये जाने की योजना है।

***विवरण***

*भारत के विदेश व्यापार की सांख्यिकी से संबंधित प्रणाली*

*(प्रमुख वस्तुएं एवं देश)*

*उप सहारा क्षेत्र के लिए व्यापार आंकड़े*

(अवधि : अप्रैल-मार्च)

मूल्य : करोड़ रु. में

| देश एवं क्षेत्र | 1999-2000 | | | 2000-2001 | | | % वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | निर्यात | आयात | व्या. सं. | निर्यात | आयात | व्या. सं. | निर्यात | आयात |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| अंगोला | 25.31 | 0.02 | 25.29 | 68.76 | — | — | 171.70 | — |
| बोत्सवाना | 9.14 | 0.00 | 9.14 | 25.40 | — | — | 178.10 | — |
| लेसोथो | 0.93 | — | — | 0.36 | 0.05 | 0.30 | -61.72 | — |
| मोजाम्बिक | 138.18 | 146.05 | -7.87 | 145.76 | 90.63 | 55.13 | 5.48 | -37.95 |
| नामीबिया | 13.49 | 0.97 | 12.52 | 12.37 | 1.97 | 10.41 | -8.28 | 102.04 |
| द. अफ्रीका | 1236.56 | 8719.20 | -7482.65 | 1411.99 | 4582.38 | -3170.39 | 14.19 | -47.44 |
| स्वाजीलैंड | 4.60 | 3.89 | 0.71 | 6.89 | 4.28 | 2.61 | 49.63 | 9.91 |
| जामिबया | 100.71 | 112.45 | -11.74 | 102.28 | 52.95 | 49.33 | 1.57 | -52.91 |
| जिम्बाब्वे | 80.05 | 60.78 | 19.26 | 67.75 | 37.71 | 30.04 | -15.36 | -37.96 |
| दक्षिणी अफ्रीका | 1608.96 | 9043.37 | -7434.41 | 1841.56 | 4769.97 | -2928.41 | 14.46 | -47.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बेनिन | 122.90 | 185.21 | -62.31 | 205.22 | 237.67 | -32.45 | 66.98 | 28.32 |
| बुकिना फासो | 19.01 | 55.24 | -36.23 | 30.80 | 38.91 | -8.11 | 61.99 | -29.56 |
| कैमरून | 26.63 | 40.93 | -14.30 | 44.82 | 26.98 | 17.85 | 68.34 | -34.09 |
| केनरु आई | 30.43 | — | — | 17.41 | — | — | -42.79 | — |
| केप वर्डे आई. | 0.07 | — | — | 0.07 | — | — | -4.26 | — |
| कांगो ज. गण. | 96.87 | 4.21 | 92.66 | 180.03 | 38.38 | 141.65 | 85.85 | 811.68 |
| इक्वि. गुयाना | 0.08 | — | — | 1.25 | — | — | 1483.82 | — |
| गेबन | 18.81 | 22.77 | -3.96 | 22.65 | 59.58 | -36.93 | 20.44 | 161.70 |
| जाम्बिया | 69.14 | 2.74 | 66.40 | 70.35 | 1.07 | 69.28 | 1.75 | -60.94 |
| घाना | 268.34 | 48.92 | 219.42 | 267.66 | 121.59 | 146.07 | -0.25 | 148.54 |
| गुयाना | 41.17 | 20.65 | 20.52 | 61.02 | 20.53 | 40.49 | 48.23 | -0.56 |
| गुयाना विसाठ | 38.91 | 156.39 | -117.48 | 65.96 | 281.75 | -215.80 | 69.49 | 80.16 |
| आइवरी कोस्ट | 149.43 | 422.39 | -272.96 | 210.04 | 547.81 | -337.77 | 40.56 | 29.69 |
| लाइबेरिया | 53.12 | 50.88 | 2.24 | 47.79 | 19.72 | 28.07 | -10.04 | -61.24 |
| माली | 62.41 | 37.66 | 24.75 | 76.25 | 71.72 | 4.52 | 22.18 | 90.44 |
| मारीतानिया | 39.81 | 0.07 | 39.74 | 62.46 | 0.02 | 62.44 | 56.89 | -64.93 |
| नाइजर | 55.85 | 0.37 | 55.49 | 119.55 | 7.98 | 111.57 | 114.05 | 2081.01 |
| नाइजीरिया | 1272.66 | 12689.52 | -11416.86 | 1734.92 | 280.97 | 1453.95 | 36.32 | -97.79 |
| साओ टोम | 0.04 | — | — | 0.02 | — | — | -40.98 | — |
| सेनेगल | 86.91 | 378.34 | -291.43 | 107.92 | 198.96 | -91.04 | 24.18 | -47.41 |
| सियरा लिओन | 14.33 | 0.48 | 13.85 | 19.10 | 4.68 | 14.42 | 33.34 | 881.17 |
| सेट लेलेना | 3.48 | — | — | 0.20 | 0.09 | 0.11 | -94.28 | — |
| टोगो | 69.47 | 61.67 | 7.80 | 180.70 | 51.92 | 128.78 | 160.11 | -15.82 |
| प. अफ्रीका | 2539.86 | 14178.44 | -11638.57 | 3526.20 | 2010.33 | 1515.87 | 38.83 | -85.82 |
| बुरूंडी | 6.47 | — | — | 13.83 | 0.35 | 13.48 | 113.87 | — |
| म. अफ्रीका गण. | 1.23 | — | — | 3.94 | 0.65 | 3.29 | 220.77 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चाड | 25.01 | — | — | 9.90 | 0.01 | 9.89 | -60.43 | — |
| मालावी | 87.39 | 2.72 | 84.67 | 84.57 | 1.57 | 83.00 | -3.23 | -42.20 |
| रवांडा | 15.22 | — | — | 15.12 | — | — | -0.66 | — |
| यूगांडा | 169.18 | 9.83 | 159.35 | 205.54 | 14.28 | 191.26 | 21.49 | 45.20 |
| जैरे गण. | 21.43 | 0.80 | 20.63 | 20.01 | 1.27 | 18.74 | -6.65 | 58.11 |
| म. अफ्रीका | 325.93 | 13.35 | 312.57 | 352.89 | 18.11 | 334.78 | 8.27 | 35.65 |
| कोमोरस | 6.07 | — | — | 5.25 | 0.00 | 5.25 | -13.48 | — |
| जिबूती | 47.59 | 0.97 | 46.62 | 95.60 | 2.08 | 93.52 | 100.90 | 115.04 |
| इथोपिया | 248.43 | 3.76 | 244.67 | 299.26 | 17.50 | 281.76 | 20.46 | 365.24 |
| केन्या | 505.45 | 91.08 | 414.37 | 636.16 | 85.50 | 550.66 | 25.86 | -6.13 |
| मालागासी गण. | 39.73 | 14.63 | 25.10 | 48.28 | 1.74 | 46.54 | 21.51 | -88.12 |
| मारीशस | 734.81 | 17.01 | 717.80 | 910.15 | 28.67 | 881.48 | 23.86 | 68.55 |
| रियूनियन | 14.38 | — | — | 17.23 | 0.92 | 16.31 | 19.82 | — |
| सेशेल्स | 22.30 | 0.07 | 22.22 | 35.85 | 0.09 | 35.76 | 60.80 | 20.21 |
| सोमालिया | 37.35 | 3.48 | 33.87 | 31.75 | 14.73 | 17.02 | -14.99 | 323.47 |
| तंजानिया गण. | 355.24 | 539.50 | -184.27 | 463.81 | 271.51 | 192.30 | 30.56 | -49.67 |
| पू. अफ्रीका | 2011.33 | 670.51 | 1340.82 | 2543.33 | 422.74 | 2120.59 | 26.45 | -36.95 |
| कुल उप सहारा | 6486.08 | 23905.67 | -17419.60 | 8263.99 | 7221.16 | 1042.83 | 27.41 | -69.79 |
| कुल भारत | 159095.20 | 215528.53 | -56433.33 | 202509.76 | 226773.47 | 24263.71 | 27.29 | 5.22 |
| % हिस्सा | 4.08 | 11.09 | — | 4.08 | 3.18 | — | — | |

आंकड़ों का स्रोत : डी.जी.सी.आई. एण्ड एस., कलकत्ता।

**विकलांगों के लिये विशेष रोजगार कार्यालय**

**6759. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
**श्री जयभान सिंह पवैया :**

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये विशेष रूप से विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को विशेषकर कर्नाटक को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये विशेष रोजगार कार्यालय और सामान्य रोजगार कार्यालयों में विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करने के लिये राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता करने के लिये राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या विशेष रोजगार कार्यालय प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन कार्यालयों के माध्यम से राज्यवार कितने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पंजीकृत किये गये हैं और कितने ऐसे लोगों को रोजगार दिया गया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया):** (क), (ख), (घ) और (ङ) जी, हां। विशेष रोजगार कार्यालयों में अद्यतन रजिस्टर में नि:शक्त व्यक्तियों तथा दिए गए रोजगारों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों के रोजगार की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत विशेष रोजगार कार्यालयों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

*विवरण-I*

| राज्य | विशेष रोजगार कार्यालयों की सं. (31.12.2000 को) | 1998 | | 1999 | | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अद्यतन रजिस्टर | स्थापन (रोजगार) | अद्यतन रजिस्टर | स्थापन (रोजगार) | अद्यतन रजिस्टर | स्थापन (रोजगार) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| आन्ध्र प्रदेश | 01 | 5059 | 13 | 5700 | 01 | 6040 | 09 |
| असम* | 01 | — | — | — | — | — | — |
| गुजरात | 04 | 6378 | 193 | 6684 | 250 | 7097 | 193 |
| हिमाचल प्रदेश* | 01 | — | — | — | — | — | — |
| कर्नाटक | 04 | 9082 | 150 | 8797 | 92 | 12309 | 107 |
| केरल | 04 | 4126 | 95 | 5463 | 329 | 5770 | 258 |
| मणिपुर | 01 | 1472 | 12 | 1599 | 01 | 1634 | — |
| महाराष्ट्र | 01 | 4451 | 39 | 4898 | 41 | 5330 | 14 |
| मध्य प्रदेश | 01 | 2945 | 28 | 3025 | 15 | 3138 | 01 |
| उड़ीसा | 01 | 2027 | 6 | 2070 | 04 | 2037 | 02 |
| पंजाब* | 01 | — | — | — | — | — | — |
| राजस्थान | 03 | 6171 | 93 | 6293 | 75 | 6761 | 88 |
| तमिलनाडु | 01 | 12401 | 244 | 12654 | 245 | 13193 | 242 |
| उत्तर प्रदेश | 10 | 10790 | 34 | 12716 | 14 | 11949 | 23 |
| चंडीगढ़ | 01 | — | — | — | — | — | — |
| दिल्ली | 02 | 6275 | 89 | 6929 | 19 | 7519 | 09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| त्रिपुरा | 01 | 1978 | 34 | 1523 | 55 | 1167 | 28 |
| पश्चिम बंगाल | 01 | 8819 | 11 | 9013 | 11 | 9212 | 21 |
| बिहार | 01 | 6162 | 11 | 6321 | 01 | 7914 | — |

*इन कार्यालयों में केवल डुप्लीकेट कार्ड रखे जा रहे हैं।

*विवरण-II*

*गत दो वर्षों के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों के रोजगार की योजना के अन्तर्गत निर्मुक्त राज्य/संघ राज्यवार राशि*

(रु. लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | वर्ष | |
|---|---|---|---|
| | | 2000-2001 | 2001-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 8.17 | शून्य |
| 2. | असम | शून्य | शून्य |
| 3. | बिहार | शून्य | शून्य |
| 4. | गुजरात | 14.25 | शून्य |
| 5. | हरियाणा | 0.52 | शून्य |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | शून्य | शून्य |
| 7. | कर्नाटक | शून्य | 14.44 |
| 8. | केरल | शून्य | 64.46 |
| 9. | मणिपुर | शून्य | शून्य |
| 10. | महाराष्ट्र | शून्य | शून्य |
| 11. | मध्य प्रदेश | शून्य | शून्य |
| 12. | नागालैंड | शून्य | शून्य |
| 13. | उड़ीसा | शून्य | शून्य |
| 14. | पंजाब | 6.46 | 6.27 |
| 15. | राजस्थान | 39.26 | 10.41 |
| 16. | तमिलनाडु | शून्य | शून्य |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 17.63 | 29.05 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | शून्य | शून्य |
| 19. | चंडीगढ़ | 4.56 | 5.72 |
| 20. | दिल्ली | शून्य | 6.03 |
| 21. | त्रिपुरा | शून्य | शून्य |
| 22. | पांडिचेरी | 8.71 | 1.97 |
| 23. | मिजोरम | – | 15.21 |
| | कुल | 99.56 | 154.56 |

**इलायची उत्पादकों से उपकर का संग्रहण**

**6760. श्री जार्ज ईडन** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मसाला बोर्ड ने केरल में इलायची के उत्पादकों से किसी प्रकार के उपकर का संग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) पिछले वर्ष के दौरान उपकर की कुल कितनी राशि संग्रहित की गई है; और

(घ) इस राशि का किस तरीके से उपयोग किया जाएगा?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी)**: (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**प्रतिबंधित वस्तुओं का निर्यात**

**6761. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन वस्तुओं का उनके निर्यात पर प्रतिबंध होने के बावजूद निर्यात किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई जांच कराने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) से (ङ) निर्यात तथा आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण 2002-2007 में सूचीबद्ध अधिकांश मदें मुक्त रूप से निर्यात योग्य हैं। कुछ मदें निर्यात हेतु प्रतिबंधित हैं तथा उनके निर्यात को लाइसेंस के तहत अनुमति दी जाती है। बहुत कम मदें निर्यात हेतु निषिद्ध हैं। आपवादिक मामलों में समक्ष प्राधिकारी द्वारा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की सहमति से निषिद्ध मदों के निर्यात की सामान्यत: अनुमति कूटनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को पूरा करने के प्रयोजनार्थ अनुमति दी जाती है। जैसेकि देशों, राज्य के गणमान्य व्यक्तियों को जानवरों का उपहार, चिड़ियाघर के आदान-प्रदान कार्यक्रम इत्यादि।

आवश्यक लाइसेंस के बिना निषिद्ध मदों का निर्यात किए जाने की कोई शिकायत इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

*[अनुवाद]*

**घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम**

**6762. श्री नरेश पुगलिया :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2002 की तिथि के अनुसार कौन-कौन से प्रमुख दस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे हैं; और

(ख) 31 मार्च, 2002 की तिथि के अनुसार प्रत्येक ऐसे उपक्रम का कुल जमा घाटा कितना है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया):** (क) और (ख) 31.3.2001 तक की सूचना उपलब्ध है, जिसके अनुसार सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले शीर्ष के 10 उपक्रमों के नामों तथा संचयी घाटे से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है और यह सूचना 7-3-2002 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000-2001 में भी दी गई है, जो कि एक प्रकाशित दस्तावेज है।

***विवरण***

*31.3.2001 के अनुसार घाटा उठाने वाले शीर्ष 10 उद्यम*

(करोड़ रुपए)

| क्र.सं. | उद्यम का नाम | निवल घाटा | संचित घाटा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपो. लि. | 1956.58 | 6149.55 |
| 2. | भारत कोकिंग कोल लि. | 1276.70 | 4065.85 |
| 3. | फर्टिलाइजर कारपो. आफ इंडिया लि. | 948.84 | 6852.95 |
| 4. | इस्टर्न कोलफील्ड्स लि. | 917.19 | 3846.50 |
| 5. | सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. | 792.90 | 991.22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. | 728.66 | 753.73 |
| 7. | कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि. | 381.62 | 1302.46 |
| 8. | हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. कंपनी लि. | 328.16 | 1474.91 |
| 9. | नेशनल जूट मैन्यु. कारपोरेशन लि. | 320.74 | 2762.66 |
| 10. | राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. | 291.30 | 4906.81 |
| | जोड़ | 7942.69 | 33106.64 |

**राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान**

**6763. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने विश्व के अग्रणीय फैशन संस्थानों के साथ सहयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थानवार और देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे सहयोगों के माध्यम से कितना लाभ अर्जित किये जाने की संभावना है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**चाय बागानों के अन्तर्गत क्षेत्र**

**6764. श्री रामदास आठवले :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में चाय बागानों के अन्तर्गत कुल कितना भू-क्षेत्र है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में चाय बागानों के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रुडी):** (क) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र निम्नानुसार है:-

| | राज्य का नाम | चाय के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में) |
|---|---|---|
| 1. | असम | 269.00 |
| 2. | त्रिपुरा | 6.70 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 2.25 |
| 4. | मणिपुर | 0.95 |
| 5. | नागालैंड | 1.27 |
| 6. | मेघालय | 0.37 |
| 7. | मिजोरम | 0.40 |
| 8. | सिक्किम | 0.30 |
| | पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल क्षेत्र | 281.24 |
| | अखिल भारतीय | 509.40 |
| | पूर्वोत्तर का % हिस्सा | 55.21 |

*अनुमानित और इसमें संशोधन किया जा सकता है।

(ख) और (ग) दसवीं योजना अवधि के दौरान चाय की खेती का विस्तार करने की अपेक्षा मौजूदा क्षेत्र से चाय की उत्पादकता और गुणवत्ता को सुधारने पर जोर दिया जा रहा है ताकि चाय की मांग और आपूर्ति के बीच समानता को बनाए रखा जा सके।

*[अनुवाद]*

**धनशोधन रैकेट**

**6765. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसूचना एजेंसियों ने 350 करोड़ रु. के व्यापक धनशोधन आपरेशन का भंडाफोड़ किया है जैसा कि दिनांक 12 अप्रैल, 2002 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रैकेट में कितने व्यक्ति/फर्में संलिप्त पाई गई हैं;

(घ) अब तक कितनी गिरफ्तारियां की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन ):** (क) और (ख) जी, हां। जांच से मुम्बई में विभिन्न बैंकों की शाखाओं में कुल 333 करोड़ रुपए से भी अधिक की संदिग्ध नकद जमा राशियों का पता चला है। इन बैंकों में इस प्रकार जमा की गई राशि तार अन्तरण द्वारा केरल और अन्य राज्यों को अन्तरित कर दी गई थी। बाद में ये राशियां इन शाखाओं से नकद निकाल ली गई थीं।

(ग) और (घ) इस गिरोह में लगभग 13 व्यक्तियों और उनकी कारोबारी संस्थाओं के शामिल होने की आशंका है। तथापि, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(ङ) इस मामले में कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

*[हिन्दी]*

**खाद्यान्नों के भंडारण में अनियमितताएं**

**6766. श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यानों के भंडारण में अनियमितताओं के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं;

(ख) इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री अशोक प्रधान ):** (क) और (ख) 2000 और 2001 के दौरान खाद्यान्नों के भंडारण से संबंधित शिकायतों सहित कथित अनियमितताओं के बारे में शिकायतों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। वर्ष 1999 के लिए जोनवार सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में विभिन्न अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

*विवरण-I*

| क्र.सं. | राज्य/कार्यालय का नाम | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | *उत्तरी जोन* | | |
| 1. | आंचलिक कार्यालय (उत्तर) | 197 | 221 |
| 2. | क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब | 21 | 6 |
| 3. | क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब | 101 | 45 |
| 4. | क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा | 35 | 7 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 90 | 147 |
| 6. | राजस्थान | 24 | 37 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | — | — |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | — | — |
| | जोड़ | 468 | 463 |
| | *पश्चिमी जोन* | | |
| 9. | आंचलिक कार्यालय (पश्चिम) | 45 | 12 |
| 10. | क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र | 52 | 8 |
| 11. | क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश | 19 | 67 |
| 12. | क्षेत्रीय कार्यालय, गुजरात | 4 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | संयुक्त प्रबंधक (पत्तन प्रचालन), कांडला | — | 32 |
| | जोड़ | 120 | 130 |
| | *पूर्वी जोन* | | |
| 14. | आंचलिक कार्यालय (पूर्वी) | 7 | 3 |
| 15. | क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम बंगाल | 2 | — |
| 16. | बिहार | 5 | — |
| 17. | उड़ीसा | 8 | 3 |
| | जोड़ | 22 | 6 |
| | *उत्तर पूर्वी जोन* | | |
| 18. | आंचलिक कार्यालय (उत्तर पूर्व) | 14 | — |
| 19. | क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्व) | 8 | — |
| 20. | असम | 16 | 3 |
| | जोड़ | 38 | 3 |
| | *दक्षिणी जोन* | | |
| 21. | आंचलिक कार्यालय (दक्षिण) | 10 | 126 |
| 22. | तमिलनाडु | 10 | 2 |
| 23. | केरल | 1 | 2 |
| 24. | कर्नाटक | — | 3 |
| 25. | आंध्र प्रदेश | 8 | 6 |
| | जोड़ | 29 | 139 |
| 26. | मुख्यालय श्रेणी क | 6 | 5 |
| | सकल जोड़ | 683 | 746 |

*विवरण-II*

| क्र.सं. | जोन का नाम | 1999 |
|---|---|---|
| 1. | उत्तर | 329 |
| 2. | पश्चिम | 62 |
| 3. | पूर्व | 2 |
| 4. | उत्तर पूर्व | 12 |
| 5. | दक्षिण | 83 |
| | जोड़ | 488 |

*विवरण-III*

| क्र.सं. | लगाये गए दंड की प्रकृति | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | निकाले गए/हटाए गए/अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त | 3 | 13 | 45 |
| 2. | रैंक में कमी | 18 | 16 | 50 |
| 3. | सांवधिक वेतनमान में कमी | 126 | 230 | 415 |
| 4. | वेतनवृद्धि रोकना/वेतन से वसूली | 679 | 575 | 647 |
| 5. | पदोन्नति रोकना | 13 | 19 | 14 |
| 6. | निंदा प्रस्ताव | 165 | 140 | 196 |
| | जोड़ | 1004 | 993 | 1367 |

**हवाला के माध्यम से प्राप्त धन**

6767. **श्री भालचन्द्र यादव :**
**श्री सईदुज्जमा :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तथाकथित मरकजी जमात उलेमा-ए-हिन्द के स्वयंभू महासचिव द्वारा हवाला के माध्यम से विदेश से लगातार भारी धन प्राप्त करने और उसे देश में कार्यरत कुछ आतंकवादी दलों को देने संबंधी कोई विशिष्ट शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन):** (क) और (ख) इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**लातीनी अमरीकी देशों को निर्यात**

6768. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लातीनी अमरीकी देशों को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि करने की व्यापक सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में इस संबंध में किन-किन संभावनाओं का पता लगाया गया है; और

(ग) वर्ष 2002-03 में इन देशों को किन-किन नई वस्तुओं का निर्यात किए जाने की संभावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) जी, हां।

(ख) लैटिन अमेरिका को निर्यात संभावना वाले मुख्य उत्पाद समूह है:-

* औषधि/भूषण समेत रासायनिक उत्पाद
* इंजीनियरिंग उत्पाद
* आई.टी. उत्पाद
* सिलेसिलाए वस्त्र समेत वस्त्र, कालीन तथा हस्तशिल्प

(ग) निर्यात संभावना वाली कुछ नई मदें हैं - मसालें, चाय, हस्तशिल्प, पेट्रोलियम उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद।

सरकार ऐसी पहचान तथा व्यापार सुविधा उपायों के लिए उद्यमियों के संपर्क में है।

**स्वर्ण जमा योजना**

6769. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को मंदिर न्यासों में पड़े अप्रयुक्त सो का दोहन करने के लिए अपनी स्वर्ण जमा योजनाओं का उपयोग करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों ने मंदिरों से सोने को संग्रहित करने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किया है;

(घ) क्या उन बैंकों को कोई प्रोत्साहन दिया जाएगा जो कि इस विधि के माध्यम से सफलता अर्जित करेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो उन प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है जो बैंकरों को दिए जाएंगे?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):** (क) और (ख) अन्य बातों के अलावा जनता के पास निष्क्रिय रखे स्वर्ण को जुटाने तथा इसका उत्पादक उपयोग करने के उद्देश्य से 14 सितम्बर, 1999 को सरकार द्वारा एक स्वर्ण जमा योजना अधिसूचित की गई थी। इस योजना का प्रचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों द्वारा किया जाता है तथा यह व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों, न्यासों तथा कंपनियों समाहित निवासी भारतीयों के लिए खुली है। भारतीय रिजर्व बैंक योजना के अन्तर्गत यथासंभव अधिकाधिक स्वर्ण जुटाने के लिए मार्ग निकालने हेतु बैंकों से निरंतर आग्रह करता आ रहा है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि व्यष्टि जमाकर्त्ताओं को आकृष्ट करने के लिए योजना का प्रचार करने के अतिरिक्त बैंक मंदिर न्यासों को अपना स्वर्ण बैंकों के पास जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास करते रहे है।

(घ) जी, हां।

(ङ) ऊपर (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

**औद्योगिक हड़ताल**

6770. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण हुए घाटे का आंकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो इससे देश को कितना घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न श्रमिक संघों की मांग के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया):** (क) से (घ) हड़ताल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश/बिक्री, कर्मचारियों की संख्या कम करने तथा सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को बन्द करने इत्यादि के सम्बन्ध में सरकारी नीति के विरोध के लिए थी।

हड़ताल के कारण हुए घाटे की सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती।

सरकार की नीति कर्मचारियों के लाभ के लिए सुरक्षा तंत्र प्रदान करके उद्यम के पुनर्गठन की प्रक्रिया में श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है।

**भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को अधिकार**

6771. **श्री जी.एस. बसवराज :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नियामक की तलाशी लेने और जब्त करने के अधिकारों पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम के महत्वपूर्ण खंड के संबंध में संशोधन लाने और इसके अन्तर्गत दिए जाने वाले दंड के निर्धारण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी कार्य विभाग ने इस अधिनियम के अन्तर्गत तलाशी और जब्ती की स्वीकृति का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):** (क) से (ग) सरकार ने संभावी विधायी परिवर्तनों की जांच आरंभ की है जिनमें पर्याप्त सुरक्षोपायों सहित सेबी को तलाशी लेने तथा जब्ती करने की शक्तियां प्रदान करना शामिल है। इन विधायी परिवर्तनों का उद्देश्य निवेशक संरक्षण हेतु तथा पूंजी बाजारों के नियमन एवं विकास के लिए सेबी को एक और भी अधिक कारगर संस्था बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को और अधिक सुदृढ़ करना है।

**भारतीय अर्थव्यवस्था**

6772. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्तमान स्थिति से उबारने के लिए कतिपय सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित कई प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार की अनिश्चितता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था किस सीमा तक प्रभावित हुई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):** (क) से (ङ) सी.आई.आई. सहित विभिन्न वाणिज्य और उद्योग मंडल सरकार को बजट पूर्व ज्ञापन सहित विभिन्न ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं जिनमें कुछ रियायतें और छूट की मांग सहित अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं। ऐसे प्रतिवेदन जब भी प्राप्त होते हैं, सरकार द्वारा गुण-दोष के आधार पर उनकी जांच की जाती है और जब भी जरूरी हो ऐसे मामलों के संबंध में उचित कार्रवाई की जाती है। आर्थिक प्रगति को त्वरित करने के लिए बजट 2002-03 में कृषि में दूरगामी सुधारों की घोषणा की गई है, प्रवासी भारतीयों के लिए पूंजी नियंत्रण को हटा दिया गया है और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र को भी समाप्त कर दिया गया है। इस बजट में औद्योगिक

वृद्धि को प्रोन्नत करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है जैसे अधिकांश प्रशासित ब्याज दरों में 50 आधार बिंदुओं की कमी, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र से 50 से अधिक वस्तुओं को अनारक्षित करना, बहुत सी वस्तुओं पर 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को समाप्त करना और शीर्ष सीमा शुल्क को 35 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत करना। चूंकि आर्थिक वृद्धि से संबंधित विभिन्न उपाय उद्देश्यपूर्ण मानदंडों तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट सुधार संबंधी बुनियादी मार्गनिर्देशों पर आधारित हैं, इसलिए इस संबंध में कोई बड़ी अनिश्चितता नहीं है।

## मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के माता-पिता को सहायता

**6773. श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के माता-पिता की सहायता करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के कोई कार्यक्रम हैं;

(ख) क्या देश में 16 वर्ष से कम आयु के मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके लिए किन्हीं विशेष स्कूलों की स्थापना की गई है;

(घ) क्या इस क्षेत्र में कार्य कर रही सरकारी एजेंसियों को पर्याप्त धनराशि नहीं दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिए कार्यक्रम चलाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)**: (क) सरकार मानसिक रूप से मंद बच्चों के माता-पिताओं को स्व-रोजगार उद्यमों के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण, परामर्श तथा वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने वर्ष 1991 में 0-14 वर्ष आयु समूह के मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण किया है।

(ग) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने संबंधी योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष स्कूलों सहित 320 परियोजनाएं चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## रुपए की परिवर्तनीयता

**6774. श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने रुपए की परिवर्तनीयता के बारे में भारत को आगाह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने कुछ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बारे में यह कहा है कि इन्हें उदारीकृत बनाये जाने के कारण भयानक परिणाम भुगतने पड़े हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक वैश्वीकरण के बारे में सावधानी बरतने की बात कहता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)**: (क) से (घ) हाल ही की विश्व बैंक रिपोर्ट "विश्वव्यापीकरण, विकास और निर्धनता (2002)" में यह तर्क दिया गया है कि जबकि व्यापार अवरोधों को कम करने से व्यापक और स्पष्ट रूप में लाभ मिलता है, विश्व के बाजारों में प्रवेश करने से जहां लाभ मिलता है वहीं काफी जाखिम भी रहता है। वित्तीय समाकलन से सुदृढ़ एवं दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के लिए देशों के अच्छी संस्थाओं और नीतियों की जरूरत होती है। एक ठोस वित्तीय प्रणाली के बिना विश्वव्यापी पूंजी बाजारों के साथ समेकन के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं जैसाकि 1997 में थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया और कोरिया गणराज्य में हुआ था।

भारत सरकार बहुत सावधानी और योजनाबद्ध रूप से कुछ समय से व्यापक नियंत्रण प्रणाली से हट कर चालू खाता परिवर्तनीयता और बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर की ओर अग्रसर हुई है। सरकार ने अपने विदेशी मुद्रा आरक्षित भण्डारों में निरंतर वृद्धि करते हुए स्थिरता के साथ विकास को सुनिश्चित करते हुए अपने पूंजीगत खाते की व्यवस्था की है। इसके साथ ही सरकार को

विनिमय दरों में बार-बार घट-बढ़ के समय जैसा कि पूर्वी एशिया में हुआ था, भी सतर्क रहने की जरूरत है। इन हालातों में सरकार समन्वित नीति संरचना का अनुपालन करते हुए नीतिगत साधनों का सावधानपूर्वक मूल्यांकन करती है ताकि अर्थव्यवस्था के निष्पादन को असहनीय आघात पहुंचाए बिना पूंजी प्रवाहों की कारगर व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके।

**बुनियादी टेलीफोन सेवा हेतु सीमा शुल्क में छूट**

**6775. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से लाइसेंस प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा आयातित उपकरणों पर सीमा शुल्क की छूट देने के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार ने अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी, राष्ट्रीय लम्बी दूरी, अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-एक और दो प्रदान करने हेतु उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आई.एल.डी., एन.एल.डी.ओ, आई.पी. एक और दो लाइसेंस, धारकों द्वारा उपकरण के आयात पर सीमा शुल्क में छूट प्रदान न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन ):** (क) दूरसंचार अवसंरचना की लागत में कटौती करने के उद्देश्य से बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से लाइसेंस प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा आयातित विशिष्ट उपकरणों के लिए 5% का रियायती मूल सीमा शुल्क निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**आरपीजी कम्पनी पर यू.टी.आई. का देय**

**6776. श्री तूफानी सरोज :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) की कोई राशि किसी आरपीजी ट्रांसमिशन लि. कम्पनी पर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बकाया ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने आरपीजी ट्रांसमिशन लि. कम्पनी को उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त कम्पनी की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अनुसार, 7 मई, 2002 की स्थिति के अनुसार, आर.पी.जी. ट्रांसमिशन लिमिटेड से कुल देय बकाया राशि 174.67 लाख रु. है।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि इसने देय राशि की वसूली के लिए कम्पनी को नवम्बर, 2001 और अप्रैल, 2002 के बीच 7 पत्र जारी किए और 2 मई, 2002 को एक अनुस्मरण नोटिस भी जारी किया।

(घ) कम्पनी ने इससे पहले भी भारतीय यूनिट ट्रस्ट को परिशोधन के पुन: अनुसूचीकरण और ब्याज दर में कटौती करने पर विचार करने का अनुरोध किया था, जिस पर भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई। कम्पनी की अभी भी दिनांक 2 मई, 2002 के भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अनुस्मरण नोटिस का उत्तर देना है।

(ङ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट में डिबेंचर न्यासियों (आई.सी.आई.सी.आई. लि. नई दिल्ली) को कम्पनी से भारतीय यूनिट ट्रस्ट की सम्पूर्ण बकाया राशियों की वसूली करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का परामर्श दिया है।

*[अनुवाद]*

**पेंशन क्षेत्र का अलग विनियामक**

**6777. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने पेंशन क्षेत्र की निगरानी करने हेतु सरकार को

एक अलग विनियामक स्थापित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई कार्यविधि का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि असंगठित क्षेत्र के लिए नई पेंशन प्रणाली हेतु विनियम तैयार करने का कार्य उन्हें सौंपा जाए। इस संबंध में निर्णयों को अंतिम रूप देते समय सरकार आई.आर.डी.ए. द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखेगी।

**उड़ीसा कॉटन मिल, चांदवार से क्लोरीन गैस लीक होना**

**6778. श्री के.पी. सिंह देव :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा कॉटन मिल चांदवार से बार-बार क्लोरीन गैस लीक होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस मिल से क्लोरीन गैस लीक होना रोकने हेतु पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री वी. धनंजय कुमार ):** (क) जी नहीं। भगतपुर, जिला कटक में स्थित एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीओ) लि. की उड़ीसा कॉटन मिल में क्लोरीन गैस के रिसने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**एचएमटी ट्रेक्टर्स की बिक्री और उत्पादन**

**6779. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **भारी और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ट्रैक्टरों के विभिन्न मॉडलों के उत्पादन और बिक्री के मामले में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.) का क्या कार्य निष्पादन रहा है;

(ख) क्या 2002-2003 में ट्रैक्टरों के उत्पादन में एच.एम.टी. द्वारा कोई उच्च लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डा. वल्लभभाई कथीरिया ):** (क) ट्रैक्टरों का उत्पादन और बिक्री निम्नानुसार है:

| मॉडल | 1999-2000 | | 2000-2001 | | 2001-2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | उत्पादन | बिक्री | उत्पादन | बिक्री | उत्पादन | बिक्री |
| 2511/2522/ओएस | 2513 | 2255 | 1410 | 1462 | 1067 | 1254 |
| 3022 | 1213 | 1131 | 533 | 510 | 146 | 244 |
| 3511/पीएम | 20 | 26 | 10 | 8 | 35 | 23 |
| 3522/सीएस/डीएक्स | 8233 | 7860 | 7318 | 7327 | 5625 | 5998 |
| 4511/सीएस/डीएक्स | 1410 | 1336 | 930 | 904 | 213 | 318 |
| 4922/डीएक्स | — | — | 292 | 84 | 1216 | 1391 |
| 5911/पीएस | 2936 | 2872 | 2901 | 2669 | 1450 | 1747 |
| 7511 | 10 | 8 | 65 | 37 | 48 | 76 |
| कुल | 16335 | 15488 | 13459 | 13001 | 9800 | 11051 |

(ख) और (ग) हां, 2002-2003 के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मॉडलवार विवरण निम्नानुसार है:

| मॉडल | 2002-2003 (उत्पादन) लक्ष्य |
|---|---|
| 2522 ओएस/मार्क-II | 3150 |
| 3022 | 500 |
| 3522/सीएस/डीएक्स/मार्क-II | 6700 |
| 4022 | 1500 |
| 4511 | 250 |
| 4922/डीएक्स/सीएस | 3500 |
| 5911 IV/6522/पीएस | 3200 |
| 7911 | 200 |
| कुल | 19000 |

**विनायक लोकल एरिया बैंक**

**6780. श्री राममूर्ति सिंह वर्मा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनायक लोकल एरिया बैंक, सीकर (राजस्थान) के प्रबंधन ने विनायक बैंक को बंद करने के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय के विरुद्ध अपनी स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक बैठक करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई बैठक हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम निकले?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):** (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि विनायक लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सीकर के प्रतिनिधियों ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से मौखिक सुनवाई के लिए मिलने का समय मांगा था। बैठक 13 नवम्बर, 2001 को हुई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बैंक द्वारा निधियों के अन्यत्र प्रयोगसहित की गई गम्भीर अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 13 नवम्बर, 2001 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान की गई चूकों को मानते हुए प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने अनियमितताओं को 22 दिसम्बर, 2001 तक दूर करने की प्रतिबद्धता की थी। बैंक को इसके अनुरोध पर अनियमितताओं को दूर करने तथा प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए 10 जनवरी, 2002 तक का और समय दिया गया था। तथापि बैंक ने अनियमितताओं को दूर नहीं किया और एक माह का और समय मांगा। चूंकि बैंक के कार्य इस प्रकार संचालित किए जा रहे थे जो वर्तमान और भावी जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर थे तथा बैंक का बने रहना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। बैंक का लाइसेंस बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के उपबंधों के अंतर्गत 16 जनवरी, 2002 को रद्द कर दिया गया था।

बैंक के लाइसेंस को बहाल करने के संबंध में अपील के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पुन: एक बैठक करनी चाही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को 2 फरवरी, 2002 तथा 13 फरवरी, 2002 को उचित सलाह दी थी कि भारतीय रिजर्व बैंक को कोई अपील स्वीकार्य नहीं है अपितु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(5) के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को अपील की जा सकती है।

**राजस्थान को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति**

**6781. डा. जसवंतसिंह यादव :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उचित दर की दुकानों के द्वारा कौन-कौन सी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) तत्संबंधी वस्तु-वार ब्यौरा क्या है और उनकी कीमतें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का राजस्थान में इस समय कार्यरत उचित दर की दुकानों को और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान):** (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में उचित दर दुकानों के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं अर्थात् गेहूं, चावल चीनी और मिट्टी तेल का आबंटन संबंधी विवरण

नीचे दिया गया है:-

(लाख टन में)

| वस्तु | आबंटन |
|---|---|
| गेहूं | 129.32 |
| चावल | 170.76 |
| चीनी | 2.69 |
| मिट्टी का तेल | 10.03 |

खाद्य तेल का आबंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के आधार पर किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मांग न किए जाने के कारण वर्ष 2001-2002 के दौरान खाद्य तेल का कोई आबंटन नहीं किया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सप्लाई किए गए खाद्यान्नों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार है:

(रुपये प्रति किलोग्राम)

| वस्तु | गरीबी रेखा से नीचे | | गरीबी रेखा से ऊपर | अंत्योदय अन्न योजना |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | 6.10 | 5.10* | 4.15 | 2.00 |
| चावल | 8.30 | 7.30* | 5.65 | 3.00 |
| | | 6.95** | | |

*1.4.2002 से गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी हेतु गेहूं और चावल के मूल्य कम कर दिए गए हैं।

**इन राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए लागू।

1.3.2002 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का भंडारण बिन्दु निकासी मूल्य 6.86 रुपये प्रति लीटर है।

1.3.2002 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि उचित दर दुकान मालिकों को गैर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुओं को बिक्री हेतु शामिल कर अपनी वस्तु सूची को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि कारोबार में वृद्धि के जरिए उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता में वृद्धि की जा सके।

मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के साथ-साथ, उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता में सुधार करने और उचित मूल्यों पर, गुणवत्ता वाली उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'सर्वप्रिय' नामक एक योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में लाभ-न-हानि के आधार पर दैनिक उपयोग की 11 चुनिंदा वस्तुओं नामत: अरहर दाल, लाल मलका, साबुत उड़द, नमक, चाय, नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन, अभ्यास पुस्तिका, खाद्य तेल और टूथ पेस्ट के वितरण की परिकल्पना की गई है।

प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान सरकार उचित दर दुकानों के जरिए लाभभोगियों को चाय, साबुन, आयोडीनयुक्त नमक, जनता कपड़ा, दियासलाई, अभ्यास पुस्तिकाएं, टार्च, ब्लेड और रेजर अतिरिक्त वस्तुओं के रूप में उपलब्ध करा रही है।

### आय कर कानून

**6782. श्री अधीर चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर वसूली को प्रोत्साहन देने के लिए आयकर तथा उत्पाद शुल्क विभागों की आधारभूत कमियों में सुधार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या ठोस कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार विद्यमान आयकर तथा अन्य कर कानूनों में खामियों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विद्यमान कानूनों में बाधाओं को किस प्रकार दूर करने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन )**: (क) और (ख) सरकार द्वारा कर राजस्वों के संग्रहण को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में एक उपाय आयकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। इस संबंध में किए गए उपायों में क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक ढांचे की पुनर्संरचना करना, अतिरिक्त वाहनों, कार्यालय स्थान, उपस्कर आदि के प्रावधान के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों को सुदृढ़ करना, प्रचालनों का व्यापक कम्प्यूटरीकरण, नियमों तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

(ग) और (घ) कानूनों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है तथा इनमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं, संग्रहणों को बढ़ाने, स्वैच्छिक अनुपालन में बढ़ोत्तरी तथा कराधार को विस्तृत करने के उद्देश्य से गत्यावरोधों को दूर करके वार्षिक बजट कार्य के समय पर विशेष कर के संशोधन किए जाते हैं।

### मोबाइल फोनों की तस्करी

**6783. श्री राम मोहन गाड्डे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई मोबाइल फोनों की तस्करी के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान डी.आर.आई. द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन जब्त किए गए; और

(ग) सरकार द्वारा चेन्नई में मोबाइल फोनों की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन )**: (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान चेन्नई में 7410 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में मोबाइल फोन सहित निषिद्ध माल की तस्करी रोकने हेतु सतर्क और जागरूक हैं।

**बैंकों के लेखापरीक्षक**

**6784. श्री सुकदेव पासवान :**
**श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति में और विलम्ब न करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/केन्द्रीय सरकार द्वारा गत वर्षों में एक व्यापक प्रणाली तैयार की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के तत्वावधान में एक उप-समिति (लेखा परीक्षा) गठित की है जो लेखापरीक्षा के संबंध में नीति तैयार करती है और सांविधिक लेखापरीक्षकों की सूची बनाने के लिए मानदंड निर्धारित करती है। तत्पश्चात स्थायी सलाहकार समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से प्राप्त पात्र लेखापरीक्षा फर्मों की सूची में से राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखापरीक्षकों का एक पैनल तैयार करती है।

**क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज**

**6785. श्री मोहन रावले :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों को संकट से उबारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह सूचित किया है कि हाल के वर्षों में अनेक क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों का टर्नओवर क्षीण हुआ है। वर्ष 2001-2002 में कुछ क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों का टर्नओवर काफी निम्न अथवा नगण्य था। वर्ष 2001-2002 में एक्सचेंजों के टर्नओवर के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों के संबंध में सेबी ने अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे ही एक कदम के रूप में इन स्टॉक एक्सचेंजों को सहायक कंपनियों का गठन करने तथा बड़े एक्सचेंजों का सदस्य बनने की अनुमति दी गई थी। अनेक स्टॉक एक्सचेंजों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और सहायक कंपनियों की स्थापना की है। सहायक कंपनियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

***विवरण***

| स्टॉक एक्सचेंज | टर्नओवर (करोड़ रुपए) | टर्नओवर (शेयरों की संख्या लाख में) | सहायक कंपनी का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| एनएसईआई | 513166.92 | 278408.81 | शून्य |
| मुंबई | 307292.36 | 182196.00 | शून्य |
| कलकत्ता | 27074.71 | 19547.63 | शून्य |
| दिल्ली | 5828.00 | 6811.00 | डीएसई सिक्यूरिटीज लिमिटेड |
| अहमदाबाद | 14843.54 | 7622.43 | एएसई कैपिटल मार्किट लिमिटेड |
| यूपीएसई | 25237.31 | 7997.00 | यूपीएसई सिक्यूरिटीज लिमिटेड |
| बंगलौर | 70.26 | 34.71 | बीजीएसई फायनेंशियल सर्विसेज लि. |
| लुधियाना | 856.61 | 764.85 | एलएसई सिक्यूरिटीज लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| पुणे | 1171.03 | 395.91 | पीएसई सिक्यूरिटीज लिमिटेड |
| ओटीसीईआई | 3.79 | 5.43 | ओटीसीईआई सिक्यूरिटीज लिमिटेड |
| हैदराबाद | 41.26 | 142.51 | एचएसई सिक्यूरिटीज लिमिटेड |
| आईसीएसई | 55.35 | 122.76 | आईएसई सिक्यूरिटीज लिमिटेड |
| मद्रास | 24.14 | 51.91 | शून्य |
| बड़ोदरा | 10.12 | 6.97 | वीएसई सिक्यूरिटीज लिमिटेड |
| भुवनेश्वर | 0.00 | 0.00 | भुवेश्वर शेयर्स एंड सिक्यूरिटीज लिमिटेड |
| कोयम्बटूर | 0.00 | 0.00 | शून्य |
| एम.पी. | 15.93 | 11.31 | एमपीएसई सिक्यूरिटीज लिमिटेड |
| मगध | 0.00 | 0.00 | एमएसईए सिक्यूरिटीज लिमिटेड |
| जयपुर | 0.00 | 0.00 | जेएसई सिक्यूरिटीज लिमिटेड |
| मंगलौर | 0.00 | 0.00 | शून्य |
| एसकेएसई | 0.00 | 0.00 | एसकेएसई सिक्यूरिटीज लिमिटेड |
| कोचीन | 26.60 | 29.46 | कोचीन स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड |
| गुवाहाटी | 0.03 | 0.13 | शून्य |

**विदेशी बैंकिंग इकाइयां**

**6786. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उन विदेशी बैंकिंग इकाइयों के लिए दिशानिर्देश दिये हैं जो निर्यात के लिए स्थापित किये जा रहे विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कार्य करेगी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दिशानिर्देश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए एकमुश्त लाइसेंस शुल्क भी वसूल कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे शुल्क तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ करने के लिए विदेशी बैंकिंग इकाइयों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) से (घ) निर्यात-आयात नीति 2002-2007 के अनुसार, विशेष आर्थिक अंचलों में अपतट बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी इकाइयां स्थापित करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार कर रहा है।

**वस्त्र संबंधी वस्तुओं का निर्यात**

**6787. श्री अशोक ना. मोहोल :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत की विभिन्न प्रकार की वस्त्र संबंधी वस्तुओं का निर्यात किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गए है और वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा विश्व में अभी तक कितना बाजार खोजा गया?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बी. धनंजय कुमार ):** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए वस्त्र सामान का मूल्य नीचे दिया गया हैं:

(मूल्य मिलियन में)

| मदें | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 |
|---|---|---|---|
| सिलेसिलाए परिधान | 4364.7 | 4765.1 | 5569.5 |
| सूत्री वस्त्र | 2820.9 | 3107.4 | 3548.2 |
| मानवनिर्मित वस्त्र | 719.6 | 855.1 | 1095.3 |
| ऊन व ऊनी वस्त्र | 74.6 | 50.0 | 63.8 |
| रेशम | 178.2 | 245.4 | 318.9 |
| कुल (1-5) | 8158.1 | 9022.9 | 10595.6 |
| हस्तशिल्प (क+ख) | 1176.6 | 1313.7 | 1249.7 |
| (क) कालीन व अन्य फ्लोर कवरिंग्स | 543.5 | 645.1 | 581.5 |
| (ख) अन्य हस्तशिल्प | 633.1 | 668.6 | 668.2 |
| कयर व कयर विनिर्माण | 75.2 | 46.1 | 48.3 |
| पटसन | 138.2 | 125.7 | 203.8 |
| कुल | 9548.2 | 10508.5 | 12097.4 |

स्रोत : डीजीआई एण्ड एस, कोलकाता।

विभिन्न वस्त्र उत्पादों के निर्यात के मात्रा-वार, मद-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

हमारे वस्त्र सामान के प्रमुख आयातक देश है: संयुक्त राज्य अमेरिका, ई.यू. सदस्य राज्य, यू.ए.ई, सी.आई.एस. देश, जापान, सऊदी अरब, स्विटजरलैंड, मेक्सिको, आस्ट्रेलिया आदि।

(ख) सरकार वस्त्र निर्यात को सुदृढ़ बनाने तथा इसके संवर्धन हेतु समय-समय पर कदम उठाती रही है। कुछ उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:-

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले-सिलाए परिधान के वूवन क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही इसने वर्ष 2002-2003 के बजट में निटिड क्षेत्र के अनारक्षण की भी घोषणा की है।

(2) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गयी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।

(3) टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान की मशीनों की 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीति के उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत को भी घटाया गया है।

(4) पिछड़े समूहों के एकीकरण के प्रोत्साहन की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है।

(5) वस्त्र क्षेत्र में कुछ विशिष्ट रियायतों के साथ स्वचालित मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान की गई है।

(6) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (ए.टी.डी.सी.), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के

क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

(7) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के माध्यम से आयातक देशों की पारिस्थितिकी अनुकूल आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उद्योग को तैयार करना और सुग्राही बनाना।

अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद ने लैटिन अमरीकी देशों, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लिया और इन्टरनेशनल मेन्सवियर कोलाग्ने फेयर, जर्मनी और हांगकांग फैशन वीक, हांगकाग में भाग लिया। इनके अतिरिक्त परिषद ने नए अवसरों का पता लगाने के लिए लैटिन अमेरिकी देशों में भी प्रतिनिधिमण्डल भेजे। परिषद प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म, शीतकालीन और वसंत मौसमों के लिए परिधानों के संबंध में विदेशी क्रेताओं के लिए सीधे विपणन के अवसर प्रदान करने और प्रदर्शन के लिए भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय परिधान मेले और भारत निट मेले का आयोजन करती रही है।

**आयकर रिकार्ड में सहकारी समितियां**

**6788. श्री जी.एस. बसवराज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त वर्ष 1999-2000 में 4,25,000 से अधिक सहकारी समितियों की पहचान की गई थी परन्तु केवल 18,800 सहकारी समितियां ही आयकर विभाग के रिकार्ड में विद्यमान थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर विभाग सहकारी समितियों के पंजीकरण प्राधिकारी के साथ समन्वय सुनिश्चित करने में असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सहकारी क्षेत्र के आकलन की निगरानी हेतु कोई उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी सहकारी समितियों को आयकर के दायरे में लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन )**: (क) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत सभी सहकारी समितियां आयकर विभाग के रिकार्ड में विद्यमान नहीं हैं। ऐसी सहकारी समितियों में ग्रुप हाऊसिंग समितियां, रेजिडेंट कल्याण समितियां, कर्मचारी कल्याण समितियां आदि शामिल हैं। कई समितियां, जिनकी कुछ कारोबार के कार्यकलापों से आय होती है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80त के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी आय कराधेय सीमा से कम है और कोई विवरणी दायर नहीं की जाती। ऐसी किसी भी सहकारी समिति को पारस्परिकता के सिद्धान्त पर कर देना नहीं पड़ता है जिसमें अंशदाताओं के वर्ग और भागीदारों के वर्ग के मध्य पूर्ण तादात्म्य स्थापित होता है।

(ख) विभाग थोड़े-थोड़े अन्तराल पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास नई पंजीकृत सहकारी समितियों की सूचना/सूची प्राप्त करता रहा है।

(ग) सहकारी क्षेत्र समेत सभी मामलों में आकलन की निगरानी के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है।

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) वे सहकारी समितियां, जो कराधेय आय होने पर अपनी आय-विवरणियां दायर नहीं कर रही हैं, का पता लगाया जा रहा है और विवरणी दायर न करने वाली समितियों का पता लग जाने के पश्चात् कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

**वेतन एवं लेखा कार्यालयों को आधुनिक बनाना**

**6789. श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेतन और लेखा कार्यालयों में लेखों का कम्प्यूटरीकरण और अन्य कार्यों का आधुनिकीकरण सिलसिलेवार ढंग से नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को दावों और पेंशन भुगतान के शीघ्र निपटान के मामले में सरकार से बेहतर सेवा नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों के आधुनिकीकरण और उनका कम्प्यूटरीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील )**: (क) और (ख) लेखों का कम्प्यूटरीकरण और वेतन तथा लेखा कार्यालयों के कार्यों का आधुनिकीकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र

की सहायता से सुव्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। साफ्टवेयर पैकेज इम्प्रूव और कांटिक्ट के अनेक वर्षों तक प्रचालन में रहने के अतिरिक्त, वेतन तथा लेखा कार्यालयों के लिए काम्पेक्ट नामक एक विस्तृत पैकेज का विकास और परीक्षण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा किया जा रहा है। सिविल मंत्रालयों में पेंशन संबंधी कार्य केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालयों को सौंपा गया है जो 1990 से अस्तित्व में है और पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत है।

(ग) जी, हां। ऐसी योजना है कि काम्पेक्ट को सभी सिविल मंत्रालयों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।

(घ) साफ्टवेयर काम्पेक्ट का व्यापक परीक्षण चल रहा है।

**खाद्य उत्पादों के लिए जीएमओ सुरक्षा प्रमाणन योजना**

**6790. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
**श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ठीक लेबलिंग और उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु देश में आयात किए जा रहे सभी खाद्य पदार्थों के लिए जीएमओ सुरक्षा प्रमाणन योजना शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा कानून बनाने पर भी विचार कर रही है जहां सरकार विश्व व्यापार संगठन के सीमा शुल्क प्रशुल्क पर भारत की प्रतिबद्धताओं पर दबाव के बिना किसी खाद्य उत्पादों के अन्तर्वाह को आसानी से रोक सकेगी;

(ग) क्या इस संबंध में किसी कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) से (ङ) देश में आयात किए जा रहे सभी उत्पादों के लिए जीएमओ सुरक्षा प्रमाणन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित खतरनाक-माइक्रो-आर्गेनिज्म/जेनेटिकली इंजिनियर्ड, आर्गेनिज्म अथवा शैलों के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण नियमावली, 1989 के नियम-II में जेनेटिकली इंजिनियर्ड आर्गेनिज्म अथवा शैलों से युक्त अथवा उनकी उपस्थिति वाले खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों के तत्वों तथा प्रसंस्करण सहायक सहित परिवर्द्धकों का उत्पादन, बिक्री, आयात अथवा उनका उपयोग जेनेटिक इंजिनियरिंग अनुमोदन समिति के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

**भारतीय जीवन बीमा निगम**

**6791. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम की कंपनियों में सरकारी धनराशि को बैंकों में जमा करने संबंधी वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम में रखी सरकारी धनराशि बिना जमानत के जमा कराने का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे कार्यों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):** (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रीमियम संग्रहणों को बैंक ले जाने के संबंध में कतिपय दिशानिर्देश तथा नकद राशि की सीमाएं निर्धारित की हैं। निगम के सभी शाखा कार्यालयों द्वारा इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

(ख) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि जब नकद राशि निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाती है तो नकद-राशि को बैंक ले जाने वाले सहायक-स्टाफ के साथ जाने के लिए अधिकारी/उच्च श्रेणी के सहायक/वरिष्ठ सहायक/कैशियर को तैनात करने की उनकी विशेष व्यवस्था है। ऐसे स्थानों पर जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति असन्तोषजनक है, वहां शाखा प्रबंधक/वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक/प्रबंधक (एफ एण्ड ए) बैंक में नकदी जमा कराने के लिए आंचलिक प्रबंधक के अनुमोदन से बाहरी सुरक्षा सेवाओं की सेवाएं लेते हैं।

**वियतनाम के साथ व्यापार वार्ता**

**6792. श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वियतनाम के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में भारत-वियतनाम व्यापार संबंध बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या वियतनाम के शिष्टमण्डल की पिछले वर्ष नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत-वियतनाम व्यापार के विस्तार पर कोई संयुक्त चर्चा हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रतार रूडी):** (क) से (घ) भारत और वियतनाम दोनों ने अनेक अवसरों पर भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग और निजी क्षेत्र की भारत-वियतनाम संयुक्त व्यापार परिषद जैसे मंचों पर द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने तथा उनका विस्तार करने की मंशा व्यक्त की है। विभिन्न विचार-विमर्शों के दौरान व्यापार के विस्तार हेतु भारत से निर्यात के लिए अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों में शामिल हैं - लोहा एवं इस्पात, दुपहिया वाहन, टायर और ट्यूब, आटो पुर्जे, भेषज, लोकोमोटिव, आईटी उत्पाद इत्यादि तथा वियतनाम से आयात हेतु अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों में शामिल हैं- अलौह धातुएं, प्राकृतिक रबड़, लकड़ी का फर्नीचर, हस्तशिल्प मदें, निर्माण सामग्री, चाय राकफासफेट, अपरिष्कृत तेल, कोयला इत्यादि।

वियतनाम के उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 17-19 मार्च, 2002 के दौरान भारत की यात्रा की थी। वियतनाम के उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री तथा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ बैठकें शामिल थीं। फिक्की द्वारा एक व्यापारिक बैठक का आयोजन भी किया गया था। विचार-विमर्शों के दौरान सामान्यत: व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों के मुद्दे को ही उठाया गया था।

## निशक्त व्यक्तियों के लिए नौकरियों की पहचान संबंधी विशेषज्ञ समिति

**6793. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निशक्त व्यक्तियों के लिए नौकरियों की पहचान करने वाली विशेषज्ञ समिति ने निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अन्तर्गत तीन श्रेणियों के प्रावधान में प्रत्येक श्रेणी के लिए एक उप-समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उप-समितियों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या विस्तृत सिफारिश की गई है;

(घ) क्या निशक्त व्यक्तियों को अपने आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप सरकारी सेवाओं में नौकरियां नहीं मिल रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा अपने विभागों और राज्य सरकारों के इस संबंध में क्या अनुदेश जारी किए गए है;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को विकलांग बंधु योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(छ) सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में निशक्त व्यक्तियों को उचित भागीदारी प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया):** (क) से (ग) जी, नहीं। विशेषज्ञ समिति ने 1996 में किए गए पदों की पहचान की समीक्षा की है तथा विभिन्न विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त के रूप में 1900 से अधिक पदों की पहचान की गई है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है तथा अभिज्ञात पदों की नई सूची, दिनांक 30.6.2001 को अधिसूचित की गई है।

(घ) और (ङ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचान किए गए पदों में प्रतिनिधित्व सभी समूहों में 3% से अधिक है।

(च) विकलांग बंधुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संगठनों को निर्मुक्त राशि वर्ष 1999-2000 में शून्य 2000-01 में 1.60 लाख रु. तथा 2001-02 में 81.94 लाख रु. है।

(छ) विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियां भरने हेतु भर्ती एजेंसियों द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी मंत्रालयों/विभागों से भर्ती एजेंसियों को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण से सम्बन्धित नीति को ध्यान में रखा गया है।

## कंट्रोल रजिस्टर

**6794. श्री रामजी मांझी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च प्राधिकारियों द्वारा उचित प्रलेखन को सुनिश्चित करने और नियमित निगरानी को सुचारू बनाने के उद्देश्य से अनेक कंट्रोल रजिस्टर निर्धारित किए गए हैं किन्तु लेखा परीक्षण जांच से पता चला है कि अनेक निर्धारित रजिस्टरों का या तो रख रखाव नहीं किया जा रहा है अथवा उनका अनुचित रूप से रख-रखाव किया जा रहा है जिससे कंट्रोल का उद्देश्य ही समाप्त हो रहा है जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 2002 की अपनी रिपोर्ट में 12ए पर बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित किए गए कंट्रोल रजिस्टरों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है अथवा अनुचित रूप से किया जा रहा है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन ):** (क) जी, हां। बड़ी संख्या में नियंत्रण रजिस्टर रखे जाने के लिए निर्धारित किये गये हैं। नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी 2002 (प्रत्यक्ष कर) की रिपोर्ट सं. 12क में टिप्पणी की है कि कतिपय राज्यों में की गई लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पात्र सहकारी समितियों की विवरणी की प्राप्ति के लिए कोई पृथक नियंत्रण रजिस्टर नहीं रखा गया है।

(ख) 127 नियंत्रण रजिस्टर निर्धारित किए गए हैं। यह ज्ञात नहीं है कि उनमें से कितने रखे ही जा रहे हैं अथवा गलत ढंग से रखे जा रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी को गम्भीरता से लिया है और वह आयकर विभाग के अधिकारियों को नियंत्रण रजिस्टर को सही ढंग से रखने के लिए निदेश देगी। सरकार इस बात की भी समीक्षा करेगी कि क्या रखे जाने वाले अपेक्षित रजिस्टरों की संख्या को तर्कसंगत बनाया जा सकता है।

## औद्योगिक क्षेत्र हेतु ऋण नीति

**6795. श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान स्थिति पर काबू पाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई ऋण नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल ही में घोषित ऋण नीति के तहत उद्योगपतियों को क्या रियायत दी गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) से (ग) वर्ष 2002-03 की मौद्रिक एवं ऋण नीति संबंधी हाल ही में घोषित वार्षिक विवरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ऋण वितरण तंत्र में सुधार लाने तथा औद्योगिक क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुकर बनाने के लिए कई उपाय शुरू किए गए थे। सम्पार्श्विक प्रतिभूतियां प्रदान करने की आवश्यकता को अत्यन्त लघु एककों को बैंक ऋण के प्रवाह में अवरोध के रूप में पहचान करके, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 2000 के वार्षिक नीति विवरण में अत्यन्त लघु क्षेत्र के लिए 5 लाख रु. तक के ऋ हेतु सम्पार्श्विक अपेक्षा से छूट देने की घोषणा की। छूट तदनन्तर, इस छूट का विस्तार सभी लघु उद्योग एककों तक किया गया। लघु उद्योग एककों को ऋण के प्रवाह में और सुधार लाने के उद्देश्य से एककों के अच्छे कार्यनिष्पादन रिकार्ड तथा एककों की वित्तीय स्थिति के आधार पर, बैंक ऋणों की सम्पार्श्विक अपेक्षा की छूट की सीमा में वृद्धि करके इसे वर्तमान 5 लाख रु. से 15 लाख रु. कर सकते है।

बैंक से उन लघु उद्योग एककों के पुनर्वास के लिए समय पर सहायता प्रदान करने के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा जाता है जो औद्योगिक मंदी तथा उनके द्वारा बड़े एवं अन्य एककों को की गई आपूर्ति के बदले भुगतान में देरी से प्रभावित हैं। जनवरी, 2002 में उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह की रिपोर्ट का अनुपालन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक से संभावित रूप से अर्थक्षम लघु उद्योग एककों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को व्यापक मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे एककों के लिए दंडात्मक ब्याज दर की माफी और प्रचलित निर्धारित प्राथमिक उधार दरों से नीचे 1.5 प्रतिशत बिन्दु पर कार्यशील पूंजी का विस्तार करने की व्यवस्था है। घटे हुए ब्याज दर पर सावधि ऋण का विस्तार करने के लिए इन मार्गनिर्देशों में प्रावधान किया गया है। बैंकों से लघु उद्योग एककों को सहायता देने के लिए इन मार्गनिर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए कहा है।

## विदेशी ऋण

**6796. श्री रामदास आठवले :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बैंक निजी कंपनियों को मंजूर विदेशी ऋण की धनराशि जमा धनराशि के रूप में लेने से मना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा किन विदेशी वित्त कंपनियों को मान्यता दी गई और किन भारतीय बैंकों से विदेशी ऋण प्राप्त किया जा सकता है;

(घ) क्या विदेशी ऋण के नाम पर धोखाधड़ी के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति के अनुसार, उधारकर्ता बैंकों, निर्यात ऋण एजेंसियों, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं, विदेशी सहयोगियों, विदेशी इक्विटी धारकों, अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त स्रोतों से बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने के लिए स्वतंत्र है। उन स्रोतों के प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है।

(घ) से (च) सरकार ने वाह्य वाणिज्यिक उधार सम्बन्धी कुछ आवेदनों को अस्वीकार कर दिया है जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता प्राप्त स्रोतों से प्राप्त नहीं हुए थे।

## सहायता अनुदान

**6797. श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, अन्य सांविधिक निकायों और गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता अनुदान जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सांविधिक निकायों और गैर-सरकारी निकायों के लिए अनुदानों की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है लेकिन उनमें से कई निकाय इन प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो भी उन्हें अनुदान जारी किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) से (ग) ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान जारी किए जा रहे हैं। ई.एफ.सी. ने वर्ष 2000-2005 की अधिनिर्णय अवधि के प्रत्येक वर्ष के गैर-योजनागत राजस्व खाते पर अनुमानित घाटे को पूरा करने के लिए राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, स्तरोन्नयन और विशेष समस्याओं, स्थानीय निकायों, प्राकृतिक आपदाओं तथा राजकोषीय सुधारों के लिए प्रोत्साहन अनुदानों जैसे विशेष प्रयोजनगत अनुदान भी वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी किए जा रहे हैं। इन अनुदानों के उपयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ निश्चित शर्तों के पूरा होने पर ही यह अनुदान जारी किए जाते हैं जिसमें पहले के जारी अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी शामिल है। गैर-योजनागत राजस्व घाटा अनुदानों को जारी करने के लिए किसी उपयोगिता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये अनिर्धारित अनुदान हैं।

## भारतीय पुनर्वास परिषद

**6798. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद विभिन्न संस्थाओं के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण संस्थाओं को दी गई मंजूरी घटिया कार्यनिष्पादन के कारण वापिस ले ली है; और

(घ) भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा पुनर्वास क्षेत्र में व्यावसायियों के लिए किन कदमों का प्रस्ताव किया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ( डा. सत्यनारायण जटिया ):** (क) से (घ) भारतीय पुनर्वास परिषद कर्मचारी, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाओं सहित शिक्षा के स्तर की पर्याप्तता के संबंध में पुनर्वास व्यावसायिकों के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान का निरीक्षण करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 की धारा 15(1) के अंतर्गत निरीक्षकों की नियुक्ति करती है। डी.एस.ई.(एच.आई.) पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान को पूर्व में दी गई अनुदान की अनुमति वर्ष 2000 से वापस ले ली गई। सभी अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित मध्यावधि रिपोर्ट की परिषद द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

**प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष**

**6799. श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्री उत्पाद क्षेत्र के लिए 700 करोड़ रुपए के प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कोष समुद्री उत्पाद क्षेत्र की प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रौद्योगिकी कोष से कौन सी एजेंसी धन उपलब्ध करायेगी; और

(च) इस कोष से यूनिटों का वित्तपोषण किस ढंग से किया जाएगा?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी)**: (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

**अतिरिक्त भूमि को बेचना**

**6800. श्री अशोक ना. मोहोल :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.सी. का विचार पुनरूद्धार योजना के वित्तपोषण हेतु अतिरिक्त भूमि को बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भूमि बेचकर कितनी संभावित धनराशि प्राप्त किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या एन.टी.सी. ने कुछ सम्पत्ति परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर अनुमानित कितना खर्च होने की संभावना है;

(ङ) क्या भूमि बेचने हेतु स्थलों की पहचान कर ली गई है;

(च) यदि हां, तो शहर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) कितनी मिलों के पुनरुद्धार हेतु बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया है;

(ज) बी.आई.एफ.आर. द्वारा पुनरूद्धार हेतु कितनी एन.टी.सी. मिलों को स्वीकृति दी गई है; और

(झ) अतिरिक्त भूमि बेचकर प्राप्त धनराशि से कितनी एन.टी.सी. मिलों का पुनरूद्धार किए जाने का प्रस्ताव है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार)**: (क) और (ख) एनटीसी द्वारा पुनरूद्धार योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए गैर-अर्थक्षम मिलों की समग्र भूमि और अर्थक्षम मिलों की बेशी भूमि बेचने का प्रस्ताव है। भूमि और अन्य परिसम्पत्तियों को बेचने से 3638.00 करोड़ रु. प्राप्त होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) एनटीसी ने अपनी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करने और उन्हें बेचने में सहायता करने के लिए 5 परिसम्पत्ति सलाहकारों को नियुक्त किया है। ये निम्न अनुसार हैं:

1. जोन्सलैंग लसाले, क.गां. मार्ग, नई दिल्ली।
2. चेस्टर्टन मेघ राज, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
3. आई.सी.आई.सी.आई. होम फाईनान्स, मुम्बई।
4. सल्लमन्नम इण्डिया प्रा.लि., नई दिल्ली।
5. नाइट फ्रैंक, नई दिल्ली।

इसकी शर्तें निम्न अनुसार हैं:

1. एन.टी.सी. (धारक कंपनी) लि. द्वारा कोई मूल्यांकन शुल्क नहीं दिया जाएगा और न ही कोई अग्रिम राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. भूमि की बिक्री पर कमीशन, भूमि के बिक्री मूल्य के 0.31% की दर से होगा जिसमें सेवा कर भी शामिल है और यह जेब खर्च में से दिया जाएगा।
3. एनटीसी द्वारा लागू दरों के अनुसार आय कर और प्रभार की कटौती की जाएगी।
4. बिक्री मूल्य प्राप्त हो जाने के बाद ही कमीशन/शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
5. एनटीसी, मूल्यांकन और बेचने के लिए किसी भी मिल की परिसम्पत्ति को वापस ले सकता है।

(ङ) और (च) बेचने के लिए अभिज्ञात की गई मिलों की अवस्थिति और क्षेत्र को दर्शाने वाली सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(छ) और (ज) 104 मिलों के साथ, 8 सहायक निगमों के मामले बीआईएफआर को भेजे गए हैं। बीआईएफआर ने 6 सहायक निगमों की 27 मिलों का पुनरुद्धार करने का अनुमोदन कर दिया है। बीआईएफआर द्वारा दो अन्य सहायक निगमों के पुनरूद्धार के प्रस्तावों का अभी अनुमोदन किया जाना है।

(झ) भूमि और अन्य परिसम्पत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली राशि से 53 मिलों का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव है।

*विवरण*

| क्रमांक | मिलों के नाम | अवस्थिति | बेशी भूमि क्षेत्र (एकड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. एनटीपीसी (डीपीआर) लि.** | | | |
| दिल्ली | | | |
| | 1. अनुराधा टेक्सटाइल मिल्स | आजादपुर, दिल्ली | 8.98 |
| पंजाब | | | |
| | 2. दयालबाग स्पि. एंड वि. मिल्स | पल्टीगढ़, अमृतसर | 9.84 |
| | 3. खरड़ टेक्सटाइल मिल्स | खरड़ | 26.38 |
| | 4. पानीपत वूलन मिल्स | खरड़ | 20.29 |
| | 5. सूरत टेक्सटाइल मिल्स | जीटी रोड, मलौट | 7.05 |
| राजस्थान | | | |
| | 6. इडवार्ड मिल्स | ब्यावर | 18.28 |
| | 7. महालक्ष्मी मिल्स | ब्यावर | 5.17 |
| | 8. श्री विजय कॉटन मिल्स | विजयनगर | 7.83 |
| | 9. उदय कॉटन मिल्स | उदयपुर | 29.77 |
| **II. एनटीसी (मध्य प्रदेश) लि.** | | | |
| छत्तीसगढ़ | | | |
| | 10. बैगल नागपुर कॉटन मिल | राजनंदगांव | 52.10 |
| मध्य प्रदेश | | | |
| | 11. बुरहानपुर ताप्ती मिल्स | बुरहानपुर | 42.85 |
| | 12. हीरा मिल्स | उज्जैन | 69.20 |
| | 13. इंदौर माल्वा यूनाइटिड मिल्स | इंदौर | 103.80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | 14. कल्याणमल मिल्स | इंदौर | 33.57 |
| | 15. न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स | भोपाल | 79.10 |
| | 16. स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स | इंदौर | 15.32 |
| **III. एनटीसी (उत्तर प्रदेश) लि.** | | | |
| उत्तर प्रदेश | | | |
| | 17. अथर्टन मिल्स | कानपुर | 20.70 |
| | 18. बिजली टेक्सटाइल मिल्स | मांडू रोड, हाथरस | 5.82 |
| | 19. लक्ष्मीरतन कॉटन मिल्स | काल्पी रोड़, कानपुर | 13.48 |
| | 20. लॉर्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स | नकुड़ रोड, सहारनपुर | 24.70 |
| | 21. म्यूर मिल्स | सिविल लाइंस, कानपुर | 37.28 |
| | 22. न्यू विक्टोरिया मिल्स | 14/1 सिविल लाइंस, कानपुर | 29.67 |
| | 23. रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स | सुल्तान पुर रोड़, रायबरेली | 30.43 |
| | 24. श्री बिक्रम कॉटन मिल्स | तुलसीदर मार्ग (तालकटोरा रोड) एलयू | 8.14 |
| | 25. स्वदेशी कॉटन मिल्स मऊ | माउनाथमंजन, आजमगढ़ | 9.20 |
| | 26. स्वदेशी कॉटन मिल्स कान. | जूही, कानपुर | 55.86 |
| | 27. स्वदेशी कॉटन मिल्स नैनी | नैनी, इलाहाबाद | 12.62 |
| **IV. एनटीसी (दक्षिण महाराष्ट्र) लि.** | | | |
| महाराष्ट्र | | | |
| | 28. अपोलो टेक्सटाइल मिल्स | एन.एम. जोशी रोड, मुंबई | 9.98 |
| | 29. औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स | कोटवालपुरा, औरंगाबाद | 15.74 |
| | 30. बारसी टेक्सटाइल मिल्स | बारसी (शोलापुर) | 36.50 |
| | 31. भारत टेक्सटाइल मिल्स | गनपत राव कदम मार्ग, मुंबई | 8.37 |
| | 32. चालिसगांव टेक्सटाइल मिल्स | चालिसगांव | 17.54 |
| | 33. धूले टेक्सटाइल मिल्स | धूले | 12.80 |
| | 34. दिग्विजय टेक्सटाइल मिल्स | लालबाग, मुंबई | 9.33 |
| | 35. एलिफिंस्टन स्पि. एंड वि. मिल्स | एलिफिंस्टन रोड, मुंबई | 8.91 |
| | 36. गोल्ड मौहर मिल्स | दादा साहेब फाल्के रोड, दादर, मुंबई | 6.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | 37. जूपिटर टेक्सटाइल मिल्स | करोल रोड, परेल, मुंबई | 10.91 |
| | 38. मुंबई टेक्सटाइल मिल्स | सेनापटी बापत मार्ग, मुंबई | 23.83 |
| | 39. नान्देड़ टेक्सटाइल मिल्स | नान्देड़ | 81.42 |
| | 40. न्यू हिंद टेक्सटाइल मिल्स | गुरूपेरो रोड, मुंबई | 8.33 |
| | 41. पोदार प्रोसेसर्स | गनपत राव कदम पथ, लोअर परेल | 2.39 |
| | 42. श्री मधुसूदन मिल्स | डा. अंबेडकर रोड, मुंबई | 18.05 |
| **V. एनटीसी (महाराष्ट्र उत्तर) लि.** | | | |
| महाराष्ट्र | | | |
| | 43. इंडिया यूनाईटिड मिल्स नं. 1 | डा. अंबेदकर रोड, परेल, मुंबई | 8.71 |
| | 44. इंडिया यूनाईटिड मिल्स नं. 2 | रामभाऊ भोगले मार्ग, कालाचौकी | 16.04 |
| | 45. इंडिया यूनाईटिड मिल्स नं. 4 | टी.बी. कदम मार्ग, कालाचौकी, मुंबई | 7.79 |
| | 46. इंडिया यूनाईटिड मिल्स डाई वर्क्स | वीर सावरकर मार्ग, दादर, मुंबई | 4.57 |
| | 47. जैम एमएफजी मिल्स | डा. अंबेडकर रोड, लालबाग, मुंबई | 7.99 |
| | 48. कोहिनूर मिल्स नं. 1 | एमएमजीएस मार्ग, दादर, मुंबई | 19.39 |
| | 49. मॉडल मिल्स | उमरेर रोड, नागपुर | 33.31 |
| | 50. आर.एस.आर.जी. मिल्स | अकोला | 15.81 |
| | 51. श्री सीताराम मिल्स | एन.एम. जोशी रोड, चिनचोकली, मुंबई | 8.43 |
| | 52. टाटा मिल्स | पांडुरंग बुद्धकर मार्ग, मुंबई | 10.82 |
| | 53. विदर्भ मिल्स | बेड़ड़, अचलपुर | 17.05 |
| **VI. एनटीसी (गुजरात) लि.** | | | |
| गुजरात | | | |
| | 54. अहमदाबाद जूपिटर टैक्सटाइल्स | ददेशी रोड, अहमदाबाद | 22.44 |
| | 55. अहमदाबाद न्यू टेक्सटाईल्स मिल्स | रायपुर गेट के बाहर, अहमदाबाद | 7.45 |
| | 56. हिमाद्रि टेक्सटाईल्स मिल्स | सरसपुर गेट के बाहर, अहमदाबाद | 7.22 |
| | 57. जहांगीर टेक्सटाईल्स मिल्स | दिल्ली गेट के बाहर, अहमदाबाद | 16.30 |
| | 58. महालक्ष्मी टेक्सटाईल्स मिल्स | वारतेज रोड, भावनगर | 16.32 |
| | 59. न्यू मानिकचौक टेक्सटाईल्स मिल्स | ईदगाह गेट के बाहर, अहमदाबाद | 8.99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | 60. पेटलाड टेक्सटाईल्स मिल्स | पेटनाड | 29.28 |
| | 61. राजकोट टेक्सटाईल्स मिल्स | करणसिंहजी क्रॉस रोड, राजकोट | 8.72 |
| | 62. राजनगर टेक्सटाईल्स मिल्स 1 | ईदगाह गेट के बाहर, अहमदाबाद | 12.11 |
| | 63. वीरंगम टेक्सटाईल्स मिल्स | वीरंगम | 50.91 |
| **VII. एनटीसी (एपीकेके एंड एम) लि.** | | | |
| आंध्र प्रदेश | | | |
| | 64. अदौनी कॉटन मिल्स | 146, अल्लूर रोड, अदौनी | 7.17 |
| | 65. अनंतपुरकॉटन मिल्स | अडपट्री, अनंतपुर जिला | 9.25 |
| | 66. आजमजाही मिल्स | वारंगल | 200.25 |
| | 67. नटराज स्पि. मिल्स | निर्मल, अदिलाबाद जिला | 40.00 |
| | 68. नेहा स्पि. एंड वि. मिल्स | सिकंदराबाद | 10.84 |
| | 69. तिरूपति कॉटन मिल्स | रेनिगुंटा, तिरूपति | 47.36 |
| कर्नाटक | | | |
| | 70. एम.एस.के. मिल्स | गुलबर्गा | 205.32 |
| | 71. मिनर्वा मिल्स | बंगलोर | 57.79 |
| | 72. श्री यल्लम्मा कॉटन मिल | तोलाहुस्न, दवनगिरि | 98.80 |
| केरल | | | |
| | 73. अलगप्पा टेक्सटाइल्स मिल्स | अलगप्पा नगर, त्रिचूर | 8.06 |
| | 74. केरल लक्ष्मी मिल्स | त्रिचूर | 30.11 |
| **VIII. एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीईंडओ) लि.** | | | |
| असम | | | |
| | 75. एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज | चंद्रापुर | 50.00 |
| बिहार | | | |
| | 76. बिहार को-ओपरेटिव विवर स्पि. मिल्स | मोकामा | 22.20 |
| | 77. गया कॉटन एंड जूट मिल्स | गया | 32.77 |
| उड़ीसा | | | |
| | 78. उड़ीसा कॉटन मिल्स | भगतपुर जिला, कटक | 62.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल | | | |
| | 79. अराती कॉटन मिल्स | दासनगर, हावड़ा | 6.25 |
| | 80. बंगाश्री कॉटन मिल्स | सोडेपुर, 24-परगना | 29.08 |
| | 81. बंगाल फाईन स्पि. एंड वि. मिल्स नं. 1 | कौन्नगर, हुगली | 18.83 |
| | 82. बंगाल फाईन स्पि. एंड वि. मिल्स नं. 2 | कल्याणी कटागुंज जिला नादिया | 19.44 |
| | 83. बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स | सहरामपुर, हुगली | 27.79 |
| | 84. महिंद्रा बी.टी. मिल्स | कासिम बाजार, मुर्शिदाबाद | 35.28 |
| | 85. ज्योति विविंग फैक्ट्री | 48, एस.के. देव रोड, पतिपुकुर, कोलकाता | 4.29 |
| | 86. लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स | रिसरा, हुगली | 14.83 |
| | 87. रामपुरिया कॉटन मिल्स | श्री रामपुर, हुगली | 30.60 |
| | 88. सैंट्रल कॉटन मिल्स | बैल्लूर, हावड़ा | 11.67 |
| | 89. श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल्स | पाल्टा, बैरकपुर | 11.24 |
| **IX. एनटीसी (टीएनएंडपी) लि.** | | | |
| तमिलनाडु | | | |
| | 90. श्री रंगविलास स्पि. एंड वि. मिल्स | कोयम्बटूर | 17.20 |
| | 91. कंबोडिया मिल्स | कोयम्बटूर | – |
| | 92. पंकज मिल्स | कोयम्बटूर | 11.07 |
| | 93. कोयम्बटूर मुरूगन मिल्स | कोयम्बटूर | 2.31 |
| | 94. ओमपारसकैथी | कोयम्बटूर | 14.25 |
| | 95. कृष्णवेनी टेक्सटाईल्स मिल्स | कोयम्बटूर | 4.52 |
| | 96. पायनियर स्पि. मिल्स | कामुदाकुड़ी | – |
| | 97. बालराम वर्मा टेक्सटाइल्स मिल्स | सेनकोट्टा | 20.20 |
| | 98. सोमसुंदरम मिल्स | कोयम्बटूर | 7.43 |
| | 99. कालीश्वर मिल्स बी यूनिट | कल्यारकोल | – |
| **X. एनटीसी (धारक कंपनी) लि.** | | | |
| पांडिचेरी | | | |
| | 100. स्वदेशी कॉटन मिल्स | पांडिचेरी | – |
| | 101. श्री भारती मिल्स | पांडिचेरी | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | | | |
| | 102. श्री शारदा मिल्स | कोयम्बटूर | 3.45 |
| | 103. कोयम्बटूर स्पि. एंड वि. मिल्स | कोयम्बटूर | 20.49 |
| | 104. कालीश्वर मिल्स 'ए' यूनिट | कोयम्बटूर | 16.06 |

**दृष्टिहीनों के कल्याणार्थ गैर-सरकारी संगठन**

**6801. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अप्रैल, 2002 के दि टाइम्स ऑफ इंडिया में "नार्म्स डिप्राइव एन जी ओ स्टाक आफ पे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन, अधिकारियों, जिन्हें गैर-सरकारी संगठनों के अनुरोधों की जांच करने का काम सौंपा गया है के कार्यकरण में पारदर्शिता की कमी के कारण सरकार से अनुदान मिलने में कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं और इन अनुरोधों को मंजूर करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया):** (क) जी, हां।

(ख) सरकारी स्थापनाओं के कर्मचारियों के वेतनमान में समानता की मांग करते हुए विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के न्यायालय में अखिल भारतीय दृष्टिहीन संघ (ए.आई.सी.सी.) द्वारा कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। तथापि, वर्ष 1999-2000 के लिए परियोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त अनुदान की निर्मुक्ति के लिए भारत सरकार को निर्देश जारी करने तथा समान रूप से गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की मंजूरी की शर्तों को कार्यान्वित करने का अनुरोध करते हुए एक और शिकायत दर्ज की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जून 2000 में सिविल रिट याचिका सं. 2512/2000 में जारी दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर इसी प्रकार के अनुरोध संबंधी प्रतिवेदन को निपटाया। राज्य सरकारों के साथ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं तथा निरीक्षण रिपोर्टों की जरूरत को समय-समय पर राज्य सरकारों के समक्ष उठाया जा रहा है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 13.03 लाख रु. सहित गत तीन वर्षों के दौरान ए.आई.सी.बी. को कुल 32.28 लाख रु. का अनुदान मंजूर किया गया है। सहायता की सीमा जिस पर किसी वित्त वर्ष में विचार किया जा सकता है उस वर्ष के लिए योजना हेतु बजटीय आबंटन तक सीमित है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सहायता अनुदान के अनुरोधों की निकास की समय अनुसूची अन्य बातों के साथ-साथ कई कारकों जैसे अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों की समय पर प्राप्ति तथा निरीक्षण रिपोर्टों और नोडल एजेंसियों की सिफारिशों पर निर्भर करता है जो हमेशा मंत्रालय के अधीन नहीं हो सकता है। इन कठिनाइयों के अध्यधीन यथोचित समयावधि के भीतर सहायता अनुदान के लिए जांच करने तथा निर्णय करने का मंत्रालय का प्रयास रहा है। गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति की प्रक्रिया तेजी से निरीक्षण के लिए मंत्रालय के भीतर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके निरीक्षण रिपोर्टों में तेजी लाने, मानीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने, सहायता अनुदान मामलों आदि की कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया के लिए राज्य सरकारों के साथ अनवरत अनुवर्ती कार्रवाई जैसे उपायों के साथ हाल के वर्षों में सुचारू बनायी गई है।

*[हिन्दी]*

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संपर्क अधिकारियों का नामांकन**

**6802. श्री रामदास आठवले :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन कुछ विभाग/अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय, सरकारी क्षेत्र की स्वायत निकाय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित संपर्क अधिकारियों को विभिन्न विभागों और कार्यालयों में इन

श्रेणियों के लोगों के लिए आरक्षण संबंधी सरकार के निदेशों के कार्यान्वयन के अनुरूप नामित नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और ऐसे कार्यालयों/संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) आज की तारीख तक इस प्रयोजनार्थ कितने संपर्क अधिकारी नामित किए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन स्थापना तथा स्टॉफ के मामलों से संबंधित "प्रशासनिक एककों" की कुल संख्या 53 है और इनमें प्रत्येक के पास संपर्क अधिकारी है।

*[अनुवाद]*

**परिवहन राज-सहायता योजना**

**6803. श्री एम.के. सुब्बा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के निर्यातकों को अन्य निर्यातकों की तुलना में समान धरातल पर लाने के लिए सरकार का कोई परिवहन राज-सहायता प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है अथवा उसने यह प्रणाली प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम चाय के संबंध में परिवहन राज-सहायता पहले से प्रचलित है; और

(घ) उससे असम के चाय निर्यात को किस सीमा तक लाभ हुआ है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) से (ग) देश के पहाड़ी दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के संवर्धन हेतु परिवहन इमदाद योजना सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के सभी औद्योगिक एककों (बागान, शोधनशाला तथा विद्युत उत्पादक एककों को छोड़कर) पर लागू होती हैं, भले ही उनका आकार कुछ भी हो।

जनवरी से मार्च, 2002 के दौरान भारत के चाय निर्यातकों के सहायतार्थ एक योजना चलाई गई थी। इस योजना में आईसीडी अमीन गांव, असम के जरिए निर्यातित चाय के लिए 1/- प्रति रु. कि.ग्रा. की दर से अतिरिक्त सहायता मुहैया करने की भी व्यवस्था थी।

(घ) आईसीडी, अमीनगांव से निर्यातित चाय का 20 लाख कि.ग्रा. की अनुमानित मात्रा को इस योजना का लाभ मिला है।

**खाद्यान्नों का परिरक्षण**

**6804. श्री कुंवर अखिलेश सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने ड्यूटी आवंटित करने के लिए और खुले गोदामों में रखे गए खाद्यान्नों के परिरक्षण और सुरक्षा पर नजर रखने हेतु वर्ष 1977 में एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की थी और उक्त समिति की अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर भारतीय खाद्य निगम ने इस उद्देश्य के लिए अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रोन्नत और तैनात किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग में उप/संयुक्त प्रबंधक के पद हेतु उचित उम्मीदवारों का चयन नहीं किया।

(घ) क्या इके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के परिरक्षण/उचित रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग में अधिकारियों कीं पर्याप्त संख्या न होने के कारण हानि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग में कब तक पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की तैनाती किए जाने की संभावना है ताकि खाद्यान्नों को उचित रूप से संरक्षित किया जा सके?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान):** (क) से (ङ) वर्ष 1977 में नियुक्त उच्च स्तरीय समिति की ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

गुणवत्ता नियंत्रण संवर्ग में उप-प्रबंधकों के पदोन्नति वाले रिक्त पदों को नहीं भरा जा सका क्योंकि एक न्यायालयीय मामले, जिसका अब 30.4.2002 को निर्णय हो गया है, के कारण सहायक प्रबंधकों (गुणवत्ता नियंत्रण) की वरिष्ठता को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।

गुणवत्ता नियंत्रण में संयुक्त प्रबंधकों के रिक्त पदों को सामान्य प्रशासन संवर्ग के संयुक्त प्रबंधकों से नियमित रूप से भरा जा रहा है।

इस संबंध में ऐसी कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों की संख्या कम होने के कारण खाद्यान्नों के परिरक्षण और अनुरक्षण के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

**भारत और नेपाल के बीच खराब सड़क अवसंरचना**

**6805. श्री पवन कुमार बंसल :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच खराब सड़क अवसंरचना दोनों देशों के बीच व्यापार प्रोत्साहन में एक बाधा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) और (ख) भारत और नेपाल की सरकारों को इस बात की जानकारी हैं कि द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन करने के लिए भारत और नेपाल के बीच सड़क संबंधी बुनियादी सुविधा में सुधार की जरूरत है। दोनों सरकारों ने चारों मुख्य भू सीमा शुल्क स्टेशनों नामत: जोगबनी/बिराटनगर, रक्सोल/बीरगंज, सोनौली/भैरहवा और रूपैदा/नेपालगंज जिनके जरिए अधिकांश द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है पर बुनियादी सुविधाओं के सुधार हेतु सहमति व्यक्त की है। इस संबंध में एक परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है।

**सनएयर होटेलस् लिमिटेड**

**6806. डा. चरण दास महंत :**
**श्री अवतार सिंह भडाना :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एफ.सी.आई., आई.डी.बी.आई. और ओरियंटल बैंक आफ कामर्स ने एक कंपनी, सनएयर होटेल्स लिमिटेड दिल्ली को भारी ऋण दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण दिया गया;

(ग) क्या उक्त कंपनी ने आई.एफ.सी.आई. को ऋणों के मूलधन को वापसी और ब्याज के देने के संबंध में चूक की है;

(घ) क्या इसके बावजूद, आई.एफ.सी.आई. ने ब्याज दरों को कम करके और इसके ऋणों पर देय ब्याज को नए ऋणों में बदल कर सनएयर को पूर्व के ऋणों पर दंड ब्याज लगाने के बजाय अतिरिक्त ऋणों को स्वीकृत किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकारी निधियों के ऐसे अदूरदर्शी निवेश के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई हैं;

(च) क्या आई.एफ.सी.आई. ने अपने ऋण की परियोजना के वाणिज्यिक परिसर से किराये को निलम्बलेख खाते में जमा करने की अपनी ऋण शर्त का सनएयर द्वारा अनुपालन किए जाने को सुनिश्चित कर लिया है; और

(छ) यदि नहीं, तो आई.एफ.सी.आई. द्वारा इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):** (क) आई.डी.बी.आई. और ओरियंटल बैंक आफ कामर्स ने सेनएयर होटल्स लि. को ऋण दिए हैं। हालांकि आई.एफ.सी.आई. ने सहायता मंजूर की थी, परन्तु इसका संवितरण नहीं किया जा सका और बाद में इसे रद्द कर दिया गया था।

(ख) बैंकों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार तथा वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संविधियों के प्रावधानों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुरूप बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों के संबंध में सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ग) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश**

**6807. श्री लक्ष्मण गिलुवा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा अनिवासी भारतीयों के निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में अनावश्यक विलंब किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अनेक अनिवासी भारतीय भारत में न तो निवेश करते हैं और न ही ऐसा करने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) निवेश प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में आम तौर पर कितना समय लिया जाता है;

(घ) क्या सरकार का विचार निवेश प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने हेतु एक समय सीमा निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण):** (क) से (ङ) चूंकि सरकार ने पहले ही एक पारदर्शी और निवेशक अनुकूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति लागू कर दी है, इसलिए अनिवासी भारतीयों के निवेश प्रस्तावों सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में कोई विलम्ब नहीं होता है। अनुमोदन प्रणाली को सरल बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है और उस दिशा में अनेक कदम उठाये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकतर कार्यकलापों को स्वत: मार्ग के अंतर्गत रखना, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पारदर्शी दिशा-निर्देशों की घोषणा करना और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के प्रस्तावों पर सरकार के निर्णयों की सूचना देने के लिए 30 दिन की समय-सीमा रखना शामिल है।

## इजराइल को काफी का निर्यात

6808. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
**श्री वाई.जी. महाजन :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान इजराइल को कितनी मात्रा में काफी का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) क्या काफी के निर्यात हेतु सरकार को अन्य देशों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय किया गया है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) और (ख) वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान इजराइल को निर्यातित काफी की मात्रा तथा उससे प्राप्त विदेशी मुद्रा निम्नानुसार हैं-

| वर्ष | मात्रा (मी. टन मे) | प्राप्त मूल्य | |
|---|---|---|---|
| | | लाख अमरीकी डालर | लाख रु. में |
| 2000-01 | 3954.3 | 46.71 | 2067.82 |
| 2001-02 | 2988.1 | 25.49 | 1187.38 |

(ग) और (घ) काफी उद्योग के उदारीकरण के पश्चात् काफी व्यापार पूर्णतया निजी हाथों में चला गया है। वर्तमान में देश में उत्पादित काफी के 80% से अधिक हिस्से का 70 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है।

*[अनुवाद]*

## विदेशी कंपनियों द्वारा वस्तुओं का पाटन

6809. **डा. संजय पासवान :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुस्तरीय विपणन के नाम पर एम्वे कारपोरेशन आफ यू एस ए, आरिफलेस आफ स्वीडन, जापान, लाइफ इंश्युरेंस इत्यादि जैसी कुछ विदेशी कंपनियां अपने उत्पादों को अनैतिक रूप से खपा और पाट रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) से (ङ) सरकार ने ऐसे उत्पादों की सीधी बिक्री करने के कारोबार को स्थापित करके तथा उसका विकास करने के लिए भारत में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने हेतु यू एस ए के मैसर्स एमवे कारपोरेशन को 26.8.94 को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन प्रदान किया है जिनकी प्राप्ति स्थानीय स्वतंत्र भारतीय विनिर्माताओं से विशेष रूप से लघु इकाई को प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करके की जाएगी। कंपनी को इस शर्त पर दो वर्ष की अवधि के लिए एमवे

उत्पादों की विनिर्दिष्ट रेंज को परीक्षण विपणन की अनुमति भी प्रदान की गई है कि वह आवश्यक प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करके उक्त अवधि के भीतर भारत में स्वतंत्र विनिर्माताओं द्वारा इनका विनिर्माण करवाएगा। स्वीडन की मैं. ओरीफ्लेम इंटरनेशनल को स्वयं विनिर्माण करने या अन्य स्वतंत्र इकाइयों से विनिर्माण करवाने तथा भारत में ओरीफ्लेम के उत्पादों का विपणन करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करने के लिए 15.6.95 को भारत में बहु-स्तरीय विपणन करने के लिए एफ.आई.पी.बी. ने जापान लाइफ इंश्योरेंस को कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया है।

जहां उत्पादों के पाटन का संबद्ध है पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय पाटन, क्षति तथा पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबद्ध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए घरेलू उद्योग से पूर्ण रूप से प्रलेखित याचिका प्राप्त होने पर पाटन रोधी जांच शुरू करता है। अब तक डीजीएडी को यूएसए के मै. एमवे कारपोरेशन स्वीडन की मै. ओरीफ्लेम इंटरनेशनल, जापान लाईफ इंश्योरेंस आदि द्वारा बहुस्तरीय विपणन में शामिल उत्पादों के विरूद्ध पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए घरेलू उद्योग से कोई याचिका प्राप्त नहीं हुई है।

### एम.एम.टी.सी. में भ्रष्टाचार

6810. **श्री अरूण कुमार :**
**श्री मंजयलाल :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग एम.एम.टी.सी. के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सी.वी.सी./सी.बी.आई. किन कारणों से इस मामले में विलंब कर रहा है क्योंकि यह काफी समय से लंबित है;

(घ) क्या फरवरी 2002 में दी गई प्रोन्नति में महाप्रबंधक स्तर के कुछ भ्रष्टाचार मामले में आरोपी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्य महाप्रबंधक स्तर पर प्रोन्नति दे दी गई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रोन्नति का औचित्य क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग 4 (सी.वी.सी.) ने एम.एम.टी.सी. के दो वरिष्ठतम अधिकारियों, जो निदेशक के स्तर के हैं, के खिलाफ उनकी ओर से जांच के स्तर पर प्रमाणित की गई चूकों के लिए बड़ा जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी है।

(ग) सी.वी.सी. की ओर से कोई विलंब नहीं हुआ है। आयोग की सलाह के अनुसरण में अनुशासनिक प्राधिकारी ने एक मामले में आरोप-पत्र जारी कर दिया है। सी.बी.आई., जिसे भी यह मामला भेजा गया था, ने प्रारंभिक जांच दर्ज की है। जहां तक दूसरे मामले का संबंध है, यह मामला न तो सी.वी.सी. के पास और न ही सी.बी.आई. के पास लंबित है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### भारत और मॉरीशस के बीच समझौता

6811. **योगी आदित्यनाथ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और मॉरीशस के बीच कोई व्यापार समझौते किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन व्यापार समझौतों की शर्तें तथा निबंधन क्या है और इन्हें कितनी समयावधि के लिए किया गया है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) से (ग) जी, हां। भारत और मारीशस ने 10 मार्च, 2000 को एक व्यापार करार किया है। इस व्यापार करार में समानता और पारस्परिक हित एवं लाभ के सिद्धांतों के आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापारिक वाणिज्यिक संबंधों एवं आर्थिक सहयोग को आगे और सुदृढ़ करने की व्यवस्था है। इस करार में व्यापार करार के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए संयुक्त व्यापार समिति जैसे मंच की व्यवस्था है। वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात अपने-अपने कानूनों और विनियमों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहारों का आयात और निर्यात अपने-अपने कानूनों और विनियमों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहारों के अनुसार दोनों संविदाकारी पक्षों को प्राकृतिक और विधिक व्यक्तियों के बीच

निष्पादित की जाने वाली संविदाओं के आधार पर किया जाएगा। दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के लिए सभी भुगतान प्रत्येक संविदाकारी पक्ष में प्रवृत्त कानूनों और विनियमों के अनुसार मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में किया जाएगा और वे भुगतान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का तब तक अनुसरण करते रहेंगे जब तक कि संविदाकारी पक्षों के बीच विशेष रूप से अन्यथा सहमति न हो। इस करार में सुरक्षोपाय खंड की भी व्यवस्था है। संविदाकारी पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस करार के प्रावधानों और उससे संबंधित मामलों को लागू करने के लिए जिम्मेवार प्राधिकारी मारीशस के मामले में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जिम्मेदार मंत्रालय और भारत के मामले में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग होंगे। यह करार हस्ताक्षर की तारीख से लागू है और यह उस तारीख के तीन महीनों के बाद किसी दिन को समाप्त हो जाएगा जिस तारीख को दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को प्रस्तावित समाप्ति के बारे में लिखित सूचना देगा।

*[अनुवाद]*

**चाय बागानों के मजदूरों को देय राशि का भुगतान**

**6812. श्री सुनील खां :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय से दार्जिलिंग के पुतुंग व-तुकवर और पेशौक चाय बागानों के परिसमापन की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मजदूरों को देय राशि के रूप में इन बागानों की बागानवार और शीर्षवार वर्तमान देनदारियां क्या है; और

(घ) मजदूरों को कब तक उनकी विधिसंगत देयराशि मिल जायेगी?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) और (ख) जी, हां। भारतीय चाय व्यापार निगम (टी.टी.सी.आई.) ने अपने पांच चाय बागानों अर्थात पोतोंग वाह-तुकवर, पेशोक, पथिनी और लुकसन समेत समूची कंपनी के परिसमापन हेतु कोलकाता उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है।

(ग) इन तीनों बागानों की देनदारियां निम्नानुसार है जिनमें मजदूरी एवं अन्य, सी.पी.एफ. इत्यादि शामिल है।

| | |
|---|---|
| 1. पतोंग | 115.42 लाख रु. (दिसम्बर 2001 तक) |
| 2. वाह-तुकवार | 690.63 लाख रु. (सितम्बर 2001 तक) |
| 3. पेशोक | 358.00 लाख रु. (अनुमानित) |

(घ) टी.टी.सी.आई., जो कि एस.टी.सी. की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, घाटा उठाने वाली कंपनी होने के कारण भारी वित्तीय संकट का सामना कर रही है और वह अपने दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ रही है। टी.टी.सी.आई. के प्रबंधन ने कंपनी के परिसमापन हेतु कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। यह मामला न्यायालय में लंबित है। बकाया राशि के भुगतान से संबंधित पहलू पर परिसमापन संबंधी मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर विचार किया जाएगा।

**'सेबी' के मापदंड**

**6813. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
**श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
**श्री सुकदेव पासवान :**
**श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के 37 सूचीबद्ध उपक्रमों में से 7 उपक्रम, 'सेबी' द्वारा निगमित क्षेत्र-प्रशासन के लिए विनिर्धारित मापदंडों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे;

(ख) यदि हां, तो इन 7 उपक्रमों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उपक्रमों ने 'सेबी' द्वारा उपबंधित सूचीयन-समझौते के खंड 49(1)(क) में परिकल्पितानुसार, अपने-अपने निदेशक-मंडलों में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं किया; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बालासाहिब विखे पाटील ):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

## राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) द्वारा पट्टे पर लिए गए/किराए पर लिए गए भांडागारों को खाली करना

**6814. श्री विनय कुमार सोराके :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम जो अब अनेक आयातित वस्तुओं के गैरसरणीबद्ध किए जाने के बाद लगभग बन्द हो गया है, अभी भी लाभ अर्जित कर रहा है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ऐसी सम्पत्तियों के स्वामियों के साथ न्यायालय से बाहर किए गए समझौते के माध्यम से नगण्य किराये को बचाने के लिए मुंबई सेवड़ी में पट्टे पर लिए गए/किराए पर लिए गए भांडागारों को तेजी से खाली कर रहा है;

(ग) क्या सेवड़ी गोदाम और मोटरहाउस लिमिटेड मुंबई में पट्टे पर/किराए पर ली हुई भांडागार सुविधाओं को खाली करना राज्य व्यापार निगम आदि संपदाओं के स्वामियों के बीच कानूनी विवाद का मामला है; और

(घ) यदि हां, तो मुकदमेबाजी की स्थिति क्या है और राज्य व्यापार निगम द्वारा इस संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री राजीव प्रताप रूडी ):** (क) गैर सरणीबद्ध होने के बावजूद एस.टी.सी. लगातार लाभ कमा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) सेवड़ी गोदाम के मामले में स्वामियों ने किराए के संशोधन एवं परिसरों को खाली करने में संबंधित विवाद के कारण मुंबई स्थित लघुवाद न्यायालय में एक वाद दायर किया है। जहां तक मोटर हाउस का संबंध है, एस.टी.सी. ने स्वामियों द्वारा किराए की अनुमचित मांग के कारण लघुवाद न्यायालय में एक वाद दायर किया है।

## "जेस्सॉप" के लिए आपूर्ति आदेश

**6815. श्री बी.के. पार्थसारथी :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जेस्सॉप तथा अन्य सरकारी क्षेत्र उत्पादक इकाइयों के संभावित बोली दाताओं को पक्के वैगन आदेश सुनिश्चित किए जाते है; और

(ख) यदि हां, तो जेस्सॉप, बर्न स्टैंडर्ड और ब्रैथवाट कंपनियों के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के दौरान यही बात सरकार द्वारा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकी?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डा. वल्लभभाई कथीरिया ):** (क) जी, हां। सरकार ने प्रतिवर्ष 30 ए.सी.ई.एम.यू. कोचों के लिए जेसप को क्रयादेश देने के लिए रेलवे की मौजूदा वितरण व्यवस्था को बढ़ाने का निर्णय लिया है तथा वैगनों की ऐसी संख्या विनिवेश के बाद दो वर्षों तक प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र की यूनिटों के लिए आरक्षित कोटा का 8% होगा। सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के मामले में ऐसी वितरण व्यवस्था पर मामला दर मामला के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(ख) जेसप, बी.एस.सी.एल. तथा ब्रेथवेट के लिए बी.आई.एफ.आर. की स्वीकृत पुनरूद्धार योजनाओं में ऐसी वितरण व्यवस्था की परिकल्पना नहीं की गई है। वास्तविक रूप से व्यवहार में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम रेलवे द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जा रहे समग्र वैगन क्रयादेशों से वैगन क्रयादेशों का पर्याप्त शेयर प्राप्त करते रहे हैं।

## काफी उत्पादकों को लाभ

**6816. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विशेषत: कर्नाटक और तमिलनाडु में लघु और सीमान्त काफी उत्पादकों के लाभ के लिए सरकार द्वारा कौन सा विभिन्न योजनाएं शुरू की गयी है या शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी; और

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान और कितनी राशि राज्यवार आवंटित की गयी है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) कॉफी बोर्ड देश में लघु उपजकर्ताओं और सीमांत उपजकर्ताओं दोनों के साथ-साथ बड़े उपजकर्ताओं के लिए विभिन्न कॉफी विकास स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है। बोर्ड का अनुसंधान विभाग कृषि विज्ञान, मृदा रसायन, पौध संरक्षण, फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, भारतीय कॉफी की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करने हेतु प्रजनन और टिश्यूकल्चर जैसी विभिन्न विधाओं पर कार्य कर रहा है। बोर्ड प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ-साथ विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए विस्तार सेवाएं भी उपलब्ध करा रहा है। 9वीं योजना के दौरान बोर्ड ने कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे तीन परंपरागत काफी उत्पादक राज्यों में एक अनन्य लघु क्षेत्र विकास स्कीम कार्यान्वित की थी। योजना में जल संवर्धन गुणवत्ता उन्नयन और पल्पिंग मशीनरी की स्थापना करने के लिए इमदाद का प्रावधान था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा किसी विशेष क्षेत्र के लघु उपजकर्ताओं के समूह को संगठित करने की दृष्टि से सामुदायिक गोदामों प्रसंस्करण केन्द्र, बाजार सूचना प्रकोष्ठ इत्यादि के विकास, जैसे कार्यकलाप करने हेतु स्व-सहायता समूह का गठन करने के लिए एक अन्य स्कीम चलाई थी। स्व सहायता समूहों का गठन करने के लिए बोर्ड ने प्रति समूह 2 लाख रु. के एक बार के अनुदान के रूप में प्रदान किया। इसके अलावा, वर्ष 2001-02 के दौरान काफी उपजकर्ताओं के सामने आ रहे कीमत संकट को कम करने के लिए बोर्ड ने लघु काफी उपजकर्ताओं द्वारा उपयोग किए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर 5% की ब्याज राहत भी उपलब्ध कराई थी।

(ख) कर्नाटक और तमिलनाडु को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:-

(लाख रु. में)

| | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 |
|---|---|---|---|
| कर्नाटक | 145.89 | 115.72 | 835.58 |
| तमिलनाडु | 7.01 | 4.43 | 24.54 |

(ग) वर्ष 2002-03 के लिए काफी बोर्ड ने काफी संबंधी विभिन्न विकास परक स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए एक 50 करोड़ रु. की राशि का आबंटन किया है। इसके लिए राज्यवार आबंटन अभी किया जाना है।

**उद्योगों की स्थापना**

**6817. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न चरणों में प्रस्ताव को स्वीकृति देने में विलम्ब के चलते उद्योगों की स्थापना में अत्यधिक विलम्ब की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उद्योगों की स्थापना में तेजी लाने के लिए एकल स्वीकृति प्रणाली शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण):** (क) से (ग) औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदनों का शीघ्र निपटान करने के लिए सभी संभव प्रयास किये जाते हैं। औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों का वास्तविक निपटान संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की क्षेत्रीय नीति और विशिष्ट मामलों में उनकी सिफारिशों तथा संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों पर निर्भर होता है।

**काफी उत्पादकों की मांगे**

**6818. श्री विनय कुमार सोराके :**
**श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी उत्पादकों ने अपने संकट पर काबू पाने के लिए सरकारी सहायता लेने के लिए कोई मांग ज्ञापन भेजे है;

(ख) यदि हां, तो काफी उत्पादकों द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काफी उत्पादकों ने बकाया ऋण पर ब्याज माफ करने, 1500 करोड़ रुपए के स्थिरीकरण कोष काफी उत्पादक कामगारों की अन्तयोदय योजना के तहत कवरेज और काफी की

चार किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा संकटग्रस्त काफी उद्योग की मांगें किस सीमा तक मानने की संभावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी)**: (क) से (ग) जी, हां। विभिन्न काफी उत्पादक संगठनों/एसोसिएशनों द्वारा भारत सरकार को अभ्यावेदन/ज्ञापन प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनमें बैंकिंग क्षेत्र से कुछ राहत पैकेज, ऋण/ब्याज की माफी, कॉफी के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत का निर्धारण, काफी की घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए निधियों के आबंटन इत्यादि जैसी अनेक मांगें की जा रही हैं।

(घ) काफी उत्पादकों के लाभार्थ भारत सरकार द्वारा काफी बोर्ड के जरिए अनेक योजना स्कीमें पहले से ही चलाई जा रही हैं जिनके तहत उत्पादकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा मई 2001 में भारत सरकार के आदेश पर वाणिज्यिक बैंकों ने लघु काफी उत्पादकों को फसल ऋण हेतु कार्यक्रम पुन: तैयार किया था और उन्हें नए पूंजी ऋण भी प्रदान किए गए थे। बोर्ड ने एक ब्याज राहत योजना भी कार्यान्वित की है जिसके तहत लक्षित लघु काफी उत्पादकों द्वारा बैंकों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर उन्हें 5% की ब्याज राहत प्रदान की जाती है। काफी बोर्ड ने एक ऐसी योजना भी कार्यान्वित की है जिसके तहत हैंडलिंग लागत को कम करने के लिए भारतीय काफी निर्यातकों को 500 रुपए प्रतिटन की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

हाल ही में भारत सरकार के पुन: आदेश पर भारतीय रिजर्व बैंक ने काफी उत्पादकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत सभी प्रकार के काफी ऋणों (पुन: चरणबद्ध/पुन: तैयार किए गए कार्यक्रमों के ऋणों सहित अल्प, मध्यम और दीर्घावधि ऋण) जो 30 जून 2002 की स्थिति के अनुसार बकाया थे और जिन्हें गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, को कुछेक शर्त और उसके बाद समीक्षा के अधीन रहते हुए 7-9 वर्षों के पुर्नभुगतान कार्यक्रम तथा दो वर्ष के आरंभिक पुर्नभुगतान अवकाश (अधिस्थगनकाल) के साथ विशेष काफी सावधि ऋण (एस.सी.टी.एल.) में समेकित किया जाएगा।

काफी बोर्ड द्वारा प्रमुख बाजारों में बाजार हिस्से को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने तथा अगले कुछ वर्षों में विश्व बाजारों में भारतीय काफी की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक मध्यावधि निर्यात कार्यनीति का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

**चमड़ा और चमड़े के उत्पादों का निर्यात**

**6819. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
**श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के लिए चमड़ा और चमड़े के उत्पादों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा/योगदान कितना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास हेतु चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात/निर्यातकों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी)**: (क) वर्ष 2001-2002 के लिए सरकार द्वारा चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यात हेतु निर्धारित किया गया लक्ष्य 2223 मि. अमरीकी डालर का है।

(ख) और (ग) माह जनवरी 2002 के लिए डी.जी.सी.आई. एंड एस. के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जनवरी 2002 के दौरान चमड़ा क्षेत्र से निर्यात 1644.29 मि. अमरीकी डालर मूल्य का हुआ था जिसमें समग्र रूप से डालर के रूप में मामूली 0.55% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। जनवरी 2002 तक प्राप्त लक्ष्य 74% है।

(घ) देश के कुल निर्यातों में इस क्षेत्र का हिस्सा/योगदान अमरीकी डालर के रूप में 4.56% है।

(ङ) निर्यातकों को क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों, व्यापार शिष्टमंडल में भागीदारी करने के लिए विभिन्न लाभ प्रदान किए जा रहे है। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान सरकार की पहल पर, चमड़ा निर्यात परिषद विशिष्ट देशों में विपणन हेतु विशिष्ट उत्पादों की पहचान करके चमड़ा उत्पाद निर्यातों पर अधिक संकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक योजना तैयार कर रही है।

**अंतर्देशीय कंटेनर डिपों में बिचौलिए**

**6820. श्री के. येरननायडू :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित तुगलकाबाद के अंतर्देशीय कंटेनर डिपो से व्यापारिक मदों को निपटाने के संबंध में नियमित सूचना प्राप्त करने हेतु बिचौलिए, व्यापारियों से अत्यधिक प्रभार लेते हैं; और

(ख) यदि हां, तो अंतर्देशीय कंटेनर डिपों में व्यापार से बिचौलियों को बाहर रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** (क) और (ख) सीमाशुल्क गृह के एजेंटों को शिपरों की ओर से निर्यात आयात परेषणों को सुकर बनाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। सीमाशुल्क गृह के एजेंटों को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 146 के तहत लाईसेंस प्रदान किया जाता है और उनके सेवा प्रभार भी सीमाशुल्क अधिनियम के तहत विनियमित होते हैं।

**सुनैर होटल लिमिटेड द्वारा कर अपवंचन**

**6821. डा. चरणदास महंत :**
**श्री अवतार सिंह भडाना :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को कंपनी कार्य विभाग द्वारा धारा 209क के अधीन की गई जांच और कम्पनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन संबंधी आयकर की जांच और सुनैर होटल लिमिटेड द्वारा किए गए कर अपवंचन जिसमें इसे तथा इसकी अनुषंगियों को 31.75 करोड़ रुपये के विवादास्पद रूप से शेयर आवंटन भी सम्मिलित हैं, की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन):** (क) जी, हां।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धाराओं 77,211 और 212 के उल्लंघन के लिए मैसर्स सुनैर होटल लिमिटेड और इसके अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाया था। तथापि, कम्पनी की दरख्वास्त पर कंपनी विधि बोर्ड द्वारा धारा 211 और 212 के अन्तर्गत अपराधों का प्रशमन किया गया था। धारा 77 के उल्लंघन के लिए अभियोजन अभी अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायापय में लम्बित है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 299 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए कंपनी के निदेशकों ने अपराधों के प्रशमन के लिए अधिनियम की धारा 621 क के अन्तर्गत एक आवेदन किया था जिसका भी प्रशमन कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा किया गया है।

आयकर विभाग द्वारा मैसर्स सुनैर होटल के मामले में 21.11.2000 को तलाशी की गई थी। तलाशी मामले में अप्रकटित आय का निर्धारण उस माह जिसमें यह तलाशी की गई थी, के अंत से दो वर्षो के भीतर कर निर्धारण किया जाता है। कर निर्धारण करते समय अन्य अभिकरणों द्वारा किए गए अन्वेषण की जांच भी कर दृष्टिकोण से की जाती है।

**आन्तरिक ऋण**

**6822. श्री रामचन्द्र पासवान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वित्तीय घाटे की गम्भीर स्थिति के कारण घरेलू ऋण में बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):** (क) और (ख) देश में राजकोषीय घाटा स्थिति खतरनाक नहीं मानी जा सकती क्योंकि पिछले चार वर्षों से अर्थात् 2001-2002 (सं.अ.) तक उक्त घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.19 प्रतिशत से 5.9 प्रतिशत के बीच रहा है। तदनुरूपी अवधि में, चूंकि सरकारी व्यय में वृद्धि सरकार के राजस्वों और अन्य ऋण-भिन्न प्राप्तियों में वृद्धि से अलग हो गई है, इसलिए आन्तरिक ऋण 1998-99 के 70699 करोड़ रुपए से बढ़कर 2001-2002 (सं.अ.) में 105355 करोड़ रुपए हो गया है।

सरकार का यह प्रयत्न है कि ऋण-भिन्न प्राप्तियों को अधिकतम करके और अनुत्पादक व्यय को नियंत्रित करके राजकोषीय घाटे को यथोचित स्तर तक बनाए रखा जाए। उपचारात्मक कार्रवाई करने की दृष्टि से व्यय की प्रवृत्तियों पर सूक्ष्म निगरानी रखी जा रही है। अनुत्पादक व्यय को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यों, अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी मद आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 अर्थात् संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पत्र और विवरण सभा पटल पर रखने के पश्चात् सूचीबद्ध की गई है। यदि सभा सहमत हो तो हम अध्यक्ष के निर्वाचन संबधी मद पर तत्काल विचार कर सकते हैं और औपचारिक मदों अर्थात् पत्रों को सभा पटल पर रखना आदि को अध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात् लिया जा सकता है।

मुझे आशा है कि सभा सहमत होगी।

**अनेक माननीय सदस्य:** जी हां।

**अपराह्न 12.01 बजे**

## अध्यक्ष का निर्वाचन

*[अनुवाद]*

**प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री मनोहर जोशी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाये।"

*[हिन्दी]*

**गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी):** महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री मनोहर जोशी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाये।"

**श्री के. येरननायडू** (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्रम मंत्री (श्री शरद यादव):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री मनोहर जोशी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीवन सिंह** (बलिया, बिहार): महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री अशोक ना. मोहोल** (खेड़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री मनोहर जोशी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

**श्री लक्ष्मणराव पाटील** (सतारा): महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री मनोहर जोशी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

**श्री प्रकाश परांजपे** (ठाणे): महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री मनोहर जोशी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाये।"

**श्री अली मोहम्मद नायक** (अनंतनाग): महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री मनोहर जोशी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाये।"

**श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम** (तंजावूर): महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री हरीभाऊ शंकर महाले** (मालेगांव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री मनोहर जोशी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

*[अनुवाद]*

**श्री एम. मास्टर मथान** (नीलगिरि): महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर** (अकोला): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री मनोहर जोशी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा में अध्यक्ष के रूप में चुना जाये।"

*[हिन्दी]*

**श्री धावरचन्द गेहलोत** (शाजापुर): महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**डा. सी. कृष्णन** (पोल्लाची): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री मनोहर जोशी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाये।"

**श्री एन.टी. षणमुगम** (वेल्लौर): महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**कुमारी ममता बनर्जी** (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि श्री मनोहर जोशी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

**श्री अकबर अली खांदोकर** (सेरमपुर): महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी)**: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री मनोहर जोशी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

**श्री त्रिलोचन कानूनगो** (जगतसिंहपुर): महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत और श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा समर्थित प्रस्ताव सभा के समक्ष विचारार्थ है। मैं इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि श्री मनोहर जोशी, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं घोषणा करता हूं कि श्री मनोहर जोशी को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है।

माननीय सदस्यों, इससे पहले कि मैं सदन के नेता, विपक्ष की नेता तथा अन्य नेताओं से श्री मनोहर जोशी को अध्यक्षपीठ तक ले जाने का अनुरोध करूं, मैं श्री मनोहर जोशी को लोक सभा के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। उनके निर्वाचन से मैं राहत महसूस कर रहा हूं। श्री जी.एम.सी. बालयोगी के निधन के बाद मुझ पर सभा के संचालन की जो भारी जिम्मेदारी आ गई थी, वह कम हो गई है। तथापि, मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि सभा को चलाने में उन्हें उपाध्यक्ष के रूप में मेरा पूरा सहयोग सदैव प्राप्त होगा।

भारतीय संसद के 50वें वर्ष में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है कि हमने सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुना है।

महोदय, आप इस संसद में पहली बार आए हैं। लेकिन आप संसदीय संस्थाओं और संसदीय प्रक्रियाओं के लिए नए नहीं हैं। महाराष्ट्र विधानमंडल में विभिन्न पदों पर आपका लम्बा कार्यकाल रहा है। विधानमंडल के इस लम्बे अनुभव और आपके पूर्ववर्ती अध्यक्षों द्वारा बनाई गई महान परम्पराओं से आपको सभा को सुचारू ढंग से चलाने में सहायता मिलेगी।

जैसाकि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम अपनी संसद की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमें संसद को और सुदृढ़ बनाने का संकल्प लेना होगा। चूंकि अध्यक्ष सभा के अधिकार का प्रतीक है और उसमें सामूहिक विवेक झलकता है, हम सभी सदस्यों का सामूहिक कर्त्तव्य है कि हम इस अधिकार को बनाए रखने और उस विवेक को प्रदर्शित करने में उनके हाथ मजबूत करें।

मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे श्री मनोहर जोशी को उसी प्रकार पूरा सहयोग दें जिस प्रकार अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय आपने मुझे दिया था। मैं आप सभी का आभारी हूं कि आपने मुझे सहयोग दिया। मैं, श्री मनोहर जोशी को तेरहवीं लोक सभा के नये अध्यक्ष के रूप में अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

अब, सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री, विपक्ष की माननीय नेता तथा अन्य नेता अध्यक्ष महोदय को अध्यक्षपीठ तक ले जाएं।

*(सदन के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी श्री मनोहर जोशी को अध्यक्षपीठ तक ले गए।)*

**अपराह्न 12.11 बजे**

**[अध्यक्ष महोदय (श्री मनोहर जोशी) *पीठासीन* हुए।]**

**अध्यक्ष महोदय:** मित्रो, मुझे अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री से सभा को सम्बोधित करने का अनुरोध कर सकता हूं?

---

**अपराह्न 12.12 बजे**

## अध्यक्ष को बधाई

*[हिन्दी]*

**प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी):** अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। आप निर्विरोध चुने गये हैं। एक परिपाटी का पालन हुआ है तथा हमें संसदीय लोकतंत्र में परिपाटियों को और भी मजबूत बनाना है। नियमों के साथ स्वस्थ परम्पराएं डाली जाएं और उनका दृढ़ता से पालन हो, यह बहुत आवश्यक है। आप अध्यक्ष के नाते इस आसन पर बैठे हैं। यह आसन बड़े दायित्व का आसन है, जिम्मेदारी भी है और संसद की प्रतिष्ठा भी आपके हाथों में है। आपका जीवन सार्वजनिक गतिविधियों से हमेशा सम्पन्न रहा है। धरातल से उठकर, जमीन के कार्यकर्त्ता के रूप में आपने सार्वजनिक जीवन आरम्भ किया। शिक्षा से आपका गहरा संबंध रहा है लेकिन शिक्षा के साथ-साथ आपने राजनीति में भी लोक प्रतिनिधि के नाते अनेक दायित्व संभाले। आप कॉरपोरेटर रहे, विधान सभा के सदस्य के रूप में आपने काम किया, विधान-परिषद् में आपको सेवा करने का मौका मिला। आप केन्द्र में, प्रदेश में, मंत्री रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। इन सारे पदों का दायित्व आपने बड़ी कुशलता से निभाया। लेकिन इसके साथ आपने शिक्षा का जो एक अभियान शुरू किया और विशेषकर टैक्नीकल शिक्षा का कि महाराष्ट्र के मानुस को टैक्नीकल शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

उद्योग और व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए। इस दृष्टि से आप सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र में जहां-जहां बस स्टैंड है, वहां कोहिनूर टैक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं नहीं जानता कि बस स्टैंड के हिसाब से इंस्टीट्यूट खोला गया है या इंस्टीट्यूट के हिसाब से बस स्टैंड बनाया गया है, लेकिन दोनों का मेल है।

मुख्यमंत्री के नाते, मुझे यह भी बताया गया कि सारा सरकारी और राजकीय दायित्व निभाते हुए भी आपने शिक्षा से नाता बनाए रखा और 'वर्षा' में जो मुख्यमंत्री का निवास है, उसमें एक कक्ष ऐसा था, जिस में छात्र आकर पढ़ सकते थे, ब्लैकबोर्ड रखा हुआ था और आप कभी-कभी वहां जाकर शिक्षक के रूप में काम करते थे। किसी ने मुझे कहा कि जोशी जी सर के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षक के नाते, सर के रूप में उनका संबोधन होता है। आज आप स्पीकर के पद पर बैठे हुए हैं। यह विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह से एक प्रतिष्ठा और गरिमा का पद है। इस पर जो भी बैठेगा, न्याय करेगा, निष्पक्ष रहेगा, संविधान और नियमों के अनुसार सदन चलाएगा। इस दृष्टि से जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है, आप उसका अच्छी तरह निर्वाह करेंगे, हमें इसका पूरा विश्वास है। इसमें हमारा सहयोग आपको सदैव मिलता रहेगा।

अभी डिप्टी स्पीकर महोदय ने स्मरण दिलाया कि कुछ ही दिनों बाद संसद की स्वर्ण जयन्ती होने वाली है। 13 मई को समारोह का आयोजन किया गया है। अगर आप पुरानी कार्यवाही उठा कर देखें तो लगभग इन्हीं तिथियों में दादा साहेब मावलंकर लोक सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। आप ऐसे पद पर विराजमान हो रहे हैं। परम्परा की रक्षा हो, गरिमा बढ़े और सदन ठीक तरह से चले, इस बात की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि इस पद पर जो बैठेगा, वह न्याय करेगा, निष्पक्ष रहेगा, पद की प्रतिष्ठा को कायम रखेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।

स्वर्गीय बालयोगी जी के निधन के कारण अध्यक्ष पद का भार आपको संभालना पड़ा है। जब वह पहली बार अध्यक्ष बने थे, तब यह भरोसा नहीं था कि वह किस तरह से सबको साथ लेकर चल पाएंगे, सदन का ठीक तरह से संचालन कर सकेंगे लेकिन उन्होंने अपना कद इतना ऊंचा कर लिया कि आज उनका स्मरण हमें होता है और अच्छे स्पीकरों के रूप में उनको याद किया जाएगा। आप उसी परम्परा में विद्यमान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में सदन ठीक तरह से चलेगा।

सदन नियंत्रित होकर चलेगा, आत्म-नियंत्रण से चलेगा और जहां कोई कमी दिखाई देगी तो उसे आप मिल-बैठकर सब की सलाह से उस कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

स्व. बालयोगी की मृत्यु के बाद उपाध्यक्ष के रूप में श्री सईद साहब ने दायित्व संभाला और बड़ी अच्छी तरह से संभाला। मैं

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं, औपचारिकता के रूप में नहीं। आज उनका जन्म-दिन भी है और इसलिए बहुत बधाइयां। मैंने जब सवेरे उन्हें टेलीफोन किया और बधाई दी तो उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ किया, सब के सहयोग से किया है। उन्होंने बड़ी कठिनाई के दिनों में संसद की नैया खेकर किनारे तक पहुंचाई है। अब नया नाविक सम्भालेगा और तूफानों का सामना करेगा। मगर सब के सहयोग से हम सब तूफान पार करेंगे, इसके बारे में किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

मैं सईद साहब को भी बधाई देना चाहता हूं और फिर आपका भी अभिनन्दन करना चाहता हूं। आपने बड़ी जिम्मेदारी सम्भाली है। परमात्मा आपको वह जिम्मेदारी पूरी करने के लिए शक्ति दे।

**श्रीमती सोनिया गांधी** (अमेठी): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की ओर से और अपनी ओर से मैं आपके अध्यक्ष चुने जाने पर माननीय प्रधान मंत्री जी का साथ देते हुए आपको बधाई देती हूं।

महोदय, स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि वह लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसे हमने स्थापित किया और पोषित किया है। संसद इस लोकतंत्र का प्रतीक है। यह इस राष्ट्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है जो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करती है और हमारे शासन तंत्र को सुदृढ़ बनाती है।

अध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर हमारी संसद की सर्वोच्च परंपराओं को बनाए रखने की महान जिम्मेदारी है। आप सार्वजनिक जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरे हैं। आपके गहन अनुभव को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए सभी सार्वजनिक मुद्दों और सदन के सभी पक्षों के साथ न्याय करना कठिन नहीं होगा। यह सदन न केवल सम्पूर्ण राजनैतिक रुझान को अपितु हमारे देश की अनेकता को भी प्रतिबिम्बित करता है। श्री मावलंकर से आरंभ होकर प्रतिष्ठित अध्यक्षों ने इस सदन में महान परंपराएं स्थापित की हैं। उन्होंने अनेक अवसरों पर न केवल इस पूरे सदन का अपितु भारत के लोगों की भावना का भी प्रतिनिधित्व किया है। महोदय, हम आशा करते हैं कि आप समय की कसौटी पर खरी उतरी इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे।

महोदय, हम अपनी ओर से आपको अपने इन दुःसह कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। मैं इस अवसर पर हमारे उपाध्यक्ष महोदय को आज उनके जन्म दिवस पर बधाई देने में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ देती हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी और अपनी ओर से आपको इस महान देश के सर्वोच्च पदों में से एक को ग्रहण करने के अवसर पर बधाई देता हूं और मंगल कामना करता हूं। मैं हमारे प्रिय उपाध्यक्ष जी को भी उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपनी ओर से विशेष बधाई देता हूं।

देश परीक्षा के दौर से गुजर रहा है; हम इसे नकारें नहीं। हमारे लोकतांत्रिक कार्यकरण के मूलाधार पर ही प्रश्नचिन्ह लगा है। गंभीर आर्थिक और सामाजिक मुद्दे देश में तनाव पैदा कर रहे हैं। इस सबसे ऊपर देश के भविष्य, अखंडता और एकता के बारे में ही देश में तनाव है। कुछ शक्तियां देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं। ये सब मुद्दे इस सदन पर भी अपनी प्रतिछाया डाल रहे हैं, जैसा कि होगा ही। विपक्ष के सदस्य होने के नाते हम समय-समय पर इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए और विपक्ष की भावनाओं को समझते हुए आप हमें इन्हें उठाने का पर्याप्त अवसर देते रहेंगे।

गत दो दिनों से, मैं नहीं जानता कि हमारे चतुर संसदीय कार्य मंत्री ने किस चतुराई से यह काम निकाला, बहुत सा अनावश्यक विवाद चल रहा है कि क्या आपका चुनाव निर्विरोध या सर्वसम्मति से है *...(व्यवधान)* आज आप सदन के अध्यक्ष हैं। देश में सभी यह जानते हैं कि संदेह क्यों व्यक्त किए गए। ऐसा आपकी राजनैतिक सम्बद्धता, राजनैतिक साझेदारी और उस दल की नीतियों और कार्यक्रमों के कारण है जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। वस्तुतः यहां तक कि चुनाव आयोग को भी कुछ आदेश जारी करने पड़े थे। मैं उस सब विवाद में नहीं पड़ रहा हूं। *...(व्यवधान)* यह किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं था *...(व्यवधान)* मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि सभी हमसे पूछ रहे हैं कि यह क्या है *...(व्यवधान)* यह किसी व्यक्तित्व पर आक्षेप नहीं है।

यहां हममें से प्रत्येक कुछ नीतियों, कार्यक्रमों, लक्ष्यों और रवैये का प्रतिनिधित्व करता है। हम यहां शून्य से उपज कर नहीं आए हैं। इसीलिए, कुछ विचार व्यक्त किए गए थे। लेकिन मुझे यह लगता है कि अन्ततः इस सदन को आपका स्नेही स्पर्श मिलेगा। आज आप जहां बैठे हैं वह कांटों भरा सिंहासन होगा या फूलों की सेज, यह इस सदन में हमारे व्यवहार पर निर्भर करेगा, और इसमें आपके नेतृत्व का बड़ा महत्व होगा। हमें आशा है कि आप स्वयं को किसी दूर नियंत्रक रिमोट कन्ट्रोल के सम्मुख समर्पित नहीं होंगे *...(व्यवधान)* मैंने कहा, मुझे विश्वास है कि यह समर्पण नहीं करेंगे। आपको भाव भी समझना चाहिए।

महोदय, आपको संतुलन भी बनाना चाहिए। बल्कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपका झुकाव 'वाम' पक्ष की ओर होना चाहिए क्योंकि वाम पक्ष हमेशा बेहतर पक्ष होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रशिक्षक के रूप में आपके सफल कार्यकाल

का उल्लेख किया है। हमें भी यह ज्ञात हुआ है। हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता और गर्व हो रहा है कि इस सदन के अध्यक्ष के रूप में हमें एक शिक्षाविद् मिला है। शायद इन दिनों सदन में भी अनुशासन, मर्यादा, दूसरों के प्रति सम्मान और हम कैसे हमारे समाज के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें आदि के बारे में प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। मुझे बताया गया है कि आप एक सफल भवन-निर्माता भी रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जब कभी भी कहीं कोई कमी दिखेगी आप इस महान संस्था की उस कमी को दूर करेंगे। मैं आपके सामने अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि मैं यह गंभीरतापूर्वक कह रहा हूं—आजकल सदन में जिस तरीके से कुछ कार्यवाही संचालित होती है उससे अनावश्यक तनाव पैदा किया जाता है। आजकल कुछ 'सुपर स्पीकर' पैदा हो गए हैं। भारी असहिष्णुता, हस्तक्षेप और व्यवधान की स्थितियां पैदा की जा रही हैं।

किसको बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए इस पर अध्यक्ष के निर्णय को भी चुनौतियां दी जा रही हैं। उन्हें निदेश दिए जा रहे हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। महोदय, मुझे विश्वास है कि इन सब मामलों पर आपने भी अपनी आपत्ति व्यक्त की थी आप इन्हें ठीक करेंगे।

महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि अब आप मेरे अध्यक्ष हैं। आप इस सदन से संबंधित हैं और आप इस पूरे सदन के अध्यक्ष हैं। यही आपके पद की गरिमा है।

महोदय, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप संविधान के अंतर्गत इस सदन के एक सच्चे सिपाही बनेंगे और आप एक प्रचारक की भांति कार्य नहीं करेंगे जैसाकि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। आप समाज के एक सेवक होंगे, और इस सदन के नेता होंगे।

महोदय, हमें आपमें पूर्ण विश्वास है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम आपको अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में सभी प्रकार का सहयोग देंगे।

**श्री के. येरननायडू** (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, मैं तेलुगु देशम पार्टी और स्वयं की ओर से आपको लोक सभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं।

लोक सभा के अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का है। हमारे संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष लोकतंत्र के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक सभी मूल्यों और आचारों का संरक्षक होता है। हमारा समाज एक विविधता वाला समाज है। हमारे यहां अलग-अलग धर्म, संस्कृतियां और जीवन पद्धतियां मिलकर हमारे देश के चरित्र का निर्माण करती हैं। विविधता और धर्मनिरपेक्षता हमारी संसदीय राजनैतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं और लोक सभा इस व्यवस्था का एक हिस्सा है। हमें इन दो आदर्शों का संरक्षण और प्रचार करना चाहिए।

जब भी हमारे देश में कोई समस्या या संकट उत्पन्न होता है, यह सदन उन मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देता है।

महोदय, हालांकि आप पहली बार लोक सभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं तथापि, आप किसी के लिए भी नए नहीं हैं। आप बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। आप महाराष्ट्र विधान परिषद और महाराष्ट्र विधान सभा के लिए कई बार चुने जा चुके हैं। आप राज्य में मंत्री और मुख्यमंत्री व केन्द्र में केन्द्रीय मंत्री भी रह चुके हैं।

अत: आप सदन में आने वाली समस्याओं के बारे में जानते हैं। हम आशा करते हैं कि अध्यक्ष होने के नाते आप सभी सदस्यों और विशेषकर पीछे बैठने वाले व नए सदस्यों को बोलने का अवसर देंगे। प्रत्येक संसद सदस्य बोलना चाहता है और अपने क्षेत्र और राज्य के मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। आपको प्रत्येक को समान अवसर देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, एक बार पुन: मैं अपने दल और अपनी ओर से आपको बधाई देता हूं। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि हम आपको सदन की कार्यवाही के संचालन में अपना पूर्ण सहयोग देंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रशेखर** (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष जी, इस गरिमामय पद पर चुने जाने के लिए आपको हार्दिक बधाई।

आप देश की परिस्थितियों के जानकार हैं, आपने हर परिस्थिति में कुशलता से काम किया है जैसा प्रधान मंत्री जी ने कहा। शुरू से लेकर आज तक आपका जीवन सफलता का जीवन रहा है। अपने शिष्ट स्वभाव और मृदु भाषा से आप अनायास ही लोगों को प्रभावित करते हैं और यह वह विशेषता है जिसके कारण इस सदन को चलाने में आपको काफी सहायता मिलेगी। चाहे दोनों तरफ कितनी ही उत्तेजना हो, अपनी शिष्टता को, अपनी मृदुलता को, अपनी स्वाभाविक मुसकान को आप सदा बनाए रखेंगे और इस सदन को अधिक सुचारू रूप से चलाने में आप सफल होंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है।

पुन: आपको बधाई।

**श्री चन्द्रनाथ सिंह** (मछलीशहर): माननीय अध्यक्ष जी, लोक सभा अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने पर मैं समाजवादी पार्टी

[श्री चन्द्रभान सिंह]

की तरफ से और अपनी तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

मेरा पहला टर्म है और खुशी की बात है कि संभवत: लोक सभा में आपका भी पहला टर्म है। मैंने पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय बालयोगी जी को देखा और स्पीकर के पद पर रहकर उन्होंने जिस निष्पक्षतापूर्ण और न्यायपूर्ण ढंग से सदन को चलाया, उसके लिए जब तक मेरा जीवन है, मैं स्वर्गीय बालयोगी जी को भूल नहीं पाऊंगा।

मैं आपसे भी यह आशा करता हूं कि जिस तरह से निष्पक्ष रूप से पार्टी और दल, सबसे अलग होकर स्वर्गीय बालयोगी जी ने कार्य किया, उसी प्रकार से मुझे एवं पूरे सदन को उम्मीद है कि आप भी दल से ऊपर उठकर कार्य करेंगे। आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, वह पद और लोक सभा पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसके आप संरक्षक हैं। विपक्ष की भूमिका हमेशा यह रहती है कि यदि सरकार गलती करे, तो विपक्ष उसकी आलोचना करता है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप पूरे विपक्ष को सम्मान देते हुए, उसे समय-समय पर अपनी बात कहने का अवसर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में संसदीय व्यवस्था, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से ली गई है। ब्रिटिश संसद में यह परम्परा रही है और वहां हाउस आफ कॉमन्स के ऐसे कई स्पीकर चुने गए हैं, जिन्हें जनता ने हर बार निर्विरोध चुना है। अभी हमने देखा, यहां कुछ नारेबाजी हुई। हम उम्मीद करेंगे कि इस पद पर रहते हुए आप एक ऐसी परम्परा डालेंगे जिससे हमें ऐसा महसूस हो कि आप किसी एक ही दल के नहीं हैं, बल्कि पूरे हाउस के संरक्षक हैं।

मान्यवर, यह पद एक न्यायाधीश का भी है। आप हाउस भी चलाते हैं और आपके पास न्याय देने की भी शक्ति है और आप पर कोई आक्षेप भी नहीं लगा सकता है। यह हाउस की परम्परा है एवं ऐसे नियम भी हैं। इसलिए आप जब न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो आपको बधाई देते हुए मैं आपसे आशा करूंगा कि आप ऐसे अध्यक्ष साबित होंगे कि पूरे हाउस के लिए ही नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श साबित होंगे। मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं। मैं आपको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से बधाई देता हूं।

मान्यवर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, के जन्म दिन पर मैं उनको बधाई देता हूं। जैसी माननीय प्रधान मंत्री और माननीय विपक्ष की नेता ने बधाई दी, मैं भी अपनी व पार्टी की ओर से बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पुन: अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आप अच्छी तरह से हाउस को चलाने में पूर्ण रूप से योग्य साबित होंगे।

**श्री राशिद अलवी** (अमरोहा): सर, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इससे पहले कि आपको मुबारकवाद पेश करूं, डिप्टी स्पीकर, श्री पी.एम. सईद साहब को भी मुबारकवाद देता हूं। उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में जिस तरह से स्पीकरशिप के फराइज को अंजाम दिया उसके लिए वह काबिले मुबारक हैं।

हिन्दुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और उस डेमोक्रेसी के स्पीकर आप यूनेनिमसली चुने गए हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकवाद पेश करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि पूरे हाउस की आपसे बड़ी तवक्कात वाबस्ता हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमनाथ चटर्जी जैसे बुजुर्ग नेताओं के शक-ओ-शुबह को आप गलत साबित कर देंगे और पूरे हाउस को कॉन्फीडेंस में लेकर चलेंगे। यह बदकिस्मती रही है कि 13वीं लोक सभा ...*(व्यवधान)* सोमनाथ जी के कॉफन्फीडेंस को और ज्यादा तखवियत पहुंचाएंगे और उन्हें यह यकीन होगा, आप बेहतरीन स्पीकर साबित होंगे।

बदकिस्मती रही कि 13वीं लोक सभा के अंदर जिस तरह के वाकयात हाउस के अंदर होते रहे, मुल्क दुश्वार रास्तों से गुजर रहा है, फिरकापरस्ती अपने शबाब पर है, इक्तिसादियात, इकनौमी की बुरी हालत है। ऐसे हालात के अंदर अपोजीशन का फर्ज होता है वह अपनी आवाज बुलंद करे, लेकिन जब उसे अपनी आवाज दबती महसूस होती है, तो वह दूसरे तरीके अख्तियार करता है। मुझे पूरा यकीन है कि इस हाउस को आप इस तरह मैन्टेन करेंगे कि इसकी ट्रेडीशन बाकी रहे, हाउस की गरिमा बाकी रहे। कभी-कभी बहुत सारे एम.पीज. और हमारे सीनियर लोग भी जुबान से इस तरह का अनपार्लियामेंट्री अलफाज निकाल देते हैं जिससे तकलीफ भी होती है और पूरा हिन्दुस्तान सुनकर शर्मिन्दा होता है।

सर, मैं बहुत अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि अभी तक होता यह रहा है कि मां-बाप, स्कूल के टीचर, अपने बच्चों को कहते रहे कि इन नेताओं के नक्शे-कदम पर चलना, गांधी जी के नक्शे-कदम पर चलना, बाबा अम्बेडकर के नक्शे-कदम पर चलना, लेकिन आज जिस तरह का हाउस हम चला रहे हैं, हालांकि हम लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, आज इस मुल्क का कोई मां-बाप अपने बच्चे को यह नहीं कहेगा कि इन नेताओं के नक्शे-कदम पर चलना और अगर ऐसा कहेगा तो बच्चे एक-दूसरे के गिरेबान पर हाथ डाले नजर ओंगे। मैं आपसे पूरी

तवक्कात करता हूं कि आप इस ट्रेडीशन को बाकी रखेंगे और जिस तरीके से हर पार्टी को टाइम एलाट होता है, उसको भी मैनटेन करेंगे। किसी को 10 मिनट मिलते हैं और एक-एक घंटा बोला जाता है। मैंने दुनिया की बहुत सी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखी हैं। अगर किसी वक्ता को पांच मिनट बोलने का समय मिलता है, तो वह पांच मिनट से एक सैकिंड पहले अपनी बात खत्म कर देता है। उसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। यहां पर प्रधान मंत्री जी तशरीफ रखते हैं। कांग्रेस की नेता, लीडर ऑफ ओपोजिशन मैडम सोनिया गांधी जी यहां तशरीफ रखती हैं। मैं दोनों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप स्पीकर की नई ट्रेडीशन बनाइये। स्वर्गीय श्री जी.एम.सी. बालयोगी साहब ने डिगनिटी मेन्टेन करने के लिए जो कन्वेंशन बुलाया था, उसमें भी मैंने कहा था और आज फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अगर पार्लियामैंट के इलैक्शन से पहले स्पीकर तय हो जाये, ओपोजिशन के सारे लोग, रूलिंग पार्टी के सारे लोग यह तय करें कि हां यह आदमी ऐसा आदमी है जो स्पीकर होना चाहिए। उसके खिलाफ कोई कैंडीडेट खड़ा न हो और वह अनअपोज इलेक्ट हो जाये तो उस पर मुकम्मिल ऐतमाद पूरे हाउस का रहेगा और हमेशा वही स्पीकर रह सकता है।

मैं तवक्को करता हूं कि आपकी परफोर्मैंस इस हाउस के अंदर ऐसी रहेगी कि आइंदा आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टी इकट्ठा होकर, बहुत मुमकिन है कि आपको अनअपोज चुनने का काम करें। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ आपको यकीन दिलाता हूं कि इस हाउस के अंदर हम पूरे तरीके से आपको कोआपरेट करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, कल तक आप सदन में शिव सेना के सांसद थे लेकिन आज आप लोक सभा के अध्यक्ष हैं। मैं जानता हूं कि जिस पद पर आप विराजमान हुए हैं, आप वहां निष्पक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभायेंगे।

अध्यक्ष जी, जिस पद पर आप विराजमान हैं, उस पद पर विराजमान होने के लिए जो अनुमति शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने दी, उसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोक सभा के अध्यक्ष पद के लिए आपको सूचित किया और गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसका अनुमोदन किया। इस प्रकार अलग-अलग दलों के सदस्यों ने सूचित और अनुमोदन किया, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ आपका चुनाव निर्विरोध हुआ, उसके लिए मैं विपक्ष से लेकर सारे सदन के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, आप मुम्बई महानगर पालिका से लेकर विधान परिषद, विधान सभा और लोक सभा से जुड़े हुए हैं। अलग-अलग पदों की जिम्मेदारी आपने संभाली है। आप मेयर के पद पर रहे। महाराष्ट्र की विधान परिषद में आप विपक्ष के नेता रहे। आप महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री रहे और केन्द्र में मंत्री पद पर रहे। आज जो हमारी लोकतांत्रिक परम्परा है, उस सर्वोच्च सदन के आप आज यहां अध्यक्ष चुने गये हैं। लगभग 40 साल से ज्यादा आपका जीवन सार्वजनिक जीवन से जुड़ा रहा है इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि आप इस सदन को चलाने में सफल होंगे।

आप इस सदन को कुशलतापूर्वक चलाएंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सफलता में हमारा भी सहयोग होगा।

अध्यक्ष जी, बालयोगी जी के निधन के बाद उपाध्यक्ष श्री सईद साहब ने इस सदन को चलाया। प्रधान मंत्री जी और विपक्ष की नेता ने उन्हें धन्यवाद दिया है। मैं भी अपनी पार्टी की ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन्हें उनके जन्म दिवस पर बधाई भी देना चाहता हूं। आप जिस पद पर विराजमान हैं, एक बार फिर मैं यहां विश्वास प्रकट करता हूं कि सदन की गरिमा बनाए रखने में और इस पद के गौरव को बढ़ाने में आप कामयाब होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*[अनुवाद]*

**श्री पी.एच. पांडियन** (तिरुनेलवेली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी अन्नाद्रमुक की नेता तथा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डा. पुराचीथैलेवी, की ओर से और अपनी ओर से आपको इस सदन का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं।

महोदय, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अध्यक्ष संसद के दिल की धड़कन है और संसद भारत के लोगों के दिल की धड़कन। महोदय, जब हम भारत में अध्यक्ष पद की तुलना हाऊस ऑफ कॉमन्स में अध्यक्ष पद से करते हैं तो हमें यह जटिल लगता है। जब मैं 15 वर्ष पूर्व हाउस ऑफ कॉमन्स में गया था तो वहां मैंने देखा कि अध्यक्ष के आसन के पीछे एक थैला लटका हुआ है। मैंने हाउस के क्लर्क से पूछा कि यह थैला कैसा है? उन्होंने उत्तर दिया कि यह याचिकाओं का थैला है। तब मैंने क्लर्क से पूछा 'किस लिए'? उसने उत्तर दिया कि सदस्य और सदस्यों के माध्यम से लोग भी इस थैले में अपनी याचिकाएं डाल सकते हैं और फिर अध्यक्ष महोदय स्वयं इन याचिकाओं का निरीक्षण करते हैं और तदनुसार कार्यपालिका को निदेश देते हैं। महोदय, मैं यहां गत ढाई वर्ष से संसद के प्रति कार्यपालिका की जिम्मेदारी देख रहा हूं। यहां अध्यक्ष द्वारा कार्यपालिका को किसी कार्य विशेष हेतु न तो कोई निदेश दिया गया है और न ही उनसे कोई अनुरोध किया

[श्री पी.एच. पांडियन]

गया है। यह ऐसा नहीं कह सकते कि आप ऐसा ही करें या न करें या आप ऐसा-ऐसा न करें।

महोदय, संसद की गरिमा और परंपरा आपके हाथ में है। महोदय, आपकी मुस्कान से मुझे विश्वास है कि आप हम सबको संतुष्ट करेंगे। मैं जानता हूं कि यदि कोई संकट आएगा भी तो भी आप शांत रहेंगे क्योंकि आप कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। आप अनेक पदों को सुशोभित कर चुके हैं। आप मुख्य मंत्री रह चुके हैं। महोदय, आप कार्यपालिका के कार्य जानते हैं और उन्हें किस प्रकार कार्य करना चाहिए आपको यह भी ज्ञात है। महोदय, यदि कार्यपालिका विफल रहती है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। आज सुबह मैंने एक समाचार पढ़ा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सी.एन.जी. बसों के मामले की सुनवाई की गई है और उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निदेश दिया है। महोदय, संसद के प्रति जिम्मेदारी के बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। यह मेरा मानना है। विधायिका के प्रति किसी जिम्मेदारी के बिना इस धरती का कोई भी न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सहित न तो कार्यपालिका को और न ही संसद को कोई कार्य करने या न करने का निदेश दे सकता है।

महोदय, हम कानून पारित करते हैं। प्रो. डायसी ने कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास एक पुरुष को एक औरत तथा एक औरत को एक पुरुष बनाने का छोड़कर कोई भी कानून बनाने की शक्ति है। हमारी संसद के पास इतनी ही शक्ति है। उतनी ही अधिक शक्ति हमारी संसद के पास भी है। वर्तमान में क्या हम इस शक्ति उपयोग कर पाते हैं? क्या यह संसद अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है।

संसद जनता का आईना है। संसद जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसका हाथ जनता की नब्ज पर रहता है। आप राजसी सिंहासन पर बैठकर जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते।

**श्री के. येरननायडू:** आप जब तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष थे तब आपने क्या किया?

**श्री पी.एच. पांडियन:** मैंने अध्यक्ष के रूप में विधान सभा में 17,000 याचिकाओं का निपटारा किया।

अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने जब मुझसे आपके नाम का जिक्र किया तब मुझे प्रसन्नता हुई। उन्होंने मुझसे इस बात की सूचना तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को देने के लिए कहा तथा मैंने उन्हें इसकी सूचना दी। जब अध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीदवार के चयन के मामले में सलाह लेने की प्रक्रिया चल रही थी तब उनसे सम्पर्क नहीं किया गया। यदि एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनसे परामर्श लिया गया होता तो वह कहीं और अधिक प्रसन्न हुई होती। यह खुशी का अवसर है, हम प्रसन्नता महसूस करते हैं क्योंकि आप हमारे अध्यक्ष हैं।

आज से आप सदन के अध्यक्ष हैं। हमें आपमें पूर्ण विश्वास है। सिर्फ आज ही का दिन है जब हम अध्यक्ष के बारे में बात कर सकते हैं, दूसरा अन्य कोई दिन नहीं है जब हम ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ आज ही का दिन है जब हम संसद के कार्यकरण के बारे में बात कर सकते हैं। यदि अध्यक्ष को पदच्युत करने का बुरा दिन हो तो वह अलग बात है। सिर्फ दो दिनों को ही कोई अध्यक्ष के बारे में बात कर सकता है।

संविधान के अनुसार, अध्यक्ष बोल सकता है परन्तु वह चर्चा में भाग नहीं ले सकता। हम जानते हैं कि आपके कार्य अत्यंत जटिल हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने श्री जी.वी. मावलंकर को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर उनका अभिनंदन करते हुए इस सदन में कहा था:

> "अध्यक्ष सदन का प्रतिनिधित्व करता है। सदन देश का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसीलिए एक निष्पक्ष और दृढ़ स्वतंत्र व्यक्ति को इस पद पर आसीन होना चाहिए।"

इसलिए, मैं इस समय सदन को उस भाषण की याद दिलाता हूं। इस सदन में तो अध्यक्ष की ही कुर्सी ऊंची होती है। प्रधानमंत्री तो बाहर ही शक्तिशाली होता है। मंत्रीगण भी बाहर ही शक्तिशाली होते हैं। सदन के अंदर, आपका आदेश चलता है। आइवर जेनिंग ने कहा है: "अध्यक्ष सदन की चारदीवारी के भीतर जो कुछ भी कहता है वह कानून का शब्द है।" वह जो कुछ भी कहता हो जैसे, 'यहां देखिए, आपको यह अवश्य करना चाहिए। आप उस उपाय को अवश्य लागू करें। आप इस तरह से जवाब दें। संसदीय प्रजातंत्र का यही कार्यकरण है। जो कोई भी इस पद पर आसीन होता है उसमें यह शक्ति निहित होती है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** उन्होंने एक मंत्री को पदच्युत कर दिया।

**श्री पी.एच. पांडियन:** यह स्थिति तब आती है जब कोई संविधान का उल्लंघन करता है।

मैं गत ढाई वर्षों से इस सदन में अध्यक्ष के कार्यकरण को देखता रहा हूं। सदन बहुत सुगमता से चलता रहा है। अध्यक्ष ने किसी पुलिस बल का सहारा नहीं लिया है। विधान सभाओं में, वे तुरंत पुलिस का नाम लेते हैं और उन्हें बुलाते हैं तथा तत्पश्चात् उन्हें बाहर कर दिया जाता है। यहां हम लोकतंत्र की भावना को देखते हैं और मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। यह वह स्थान है जहां

लोकतंत्र का वर्चस्व आवश्यक है और जहां माननीय सदस्यगण उन लोगों के विचार व्यक्त कर सकें जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि बाहर जनता आवेश में होती है तो हम यहां अंदर आवेश में होते हैं। यदि बाहर जनता शांत होती है तो हम यहां अंदर शांत होते हैं। यदि बाहर कोई समस्या होती है तो हम यहां समस्या से जूझ रहे होते हैं। हम यहां अपनी किसी व्यक्तिगत शिकायत को नहीं रखते। अलग-अलग सदस्यों के साथ अलग-अलग उद्देश्य नहीं होते। मंत्रियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ अलग-अलग उद्देश्य नहीं होते।

हम आपको बधाई देते हैं और आपके अच्छे कार्यकाल की कामना करते हैं। हमें अपनी तथा अपने दल की ओर से आपको पूरा सहयोग देने का वादा करते हैं। आप इस शब्द को गांठ बांध सकते हैं।

महोदय, हमें पता है कि जहां कहीं भी अन्याय होगा या अन्याय पाया जायेगा तो आप सक्रियता से कार्य करेंगे क्योंकि आप महापौर, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता रह चुके हैं। इसलिए आपको विपक्ष और सरकार के बर्ताव के बारे में पता है। सत्ता पक्ष को अपने तरीके से कार्य करने दें तथा विपक्ष को अपनी बात रखने दें। विपक्ष को बोलने और अधिक समय प्राप्त करने की प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मेरा यही विचार है क्योंकि सत्ता पक्ष मंत्रियों के माध्यम से नीतियां बनाता है और चूंकि सरकार मंत्रियों के माध्यम से यहां अपनी बात रखती है इसमें अधिक समय खर्च होता है।

मैं अपनी ओर से आपके लिए सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के अध्यक्ष पद पर, जो इस सदन का सर्वोच्च पद है और सर्वशक्तिमान पद है, निर्विरोध और सर्वसम्मति से आपके चुने जाने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आप सार्वजनिक जिंदगी में कार्यकुशलता का बहुत अनुभव रखते हैं। जिस तरह से आपने मंत्रित्वकाल में या मेयर के पद पर रहकर या जीवन में अन्य पदों पर रहकर अपनी पहचान बनाई है, आज सम्पूर्ण देश के इस सदन का संचालन करने का अवसर आपको मिला है। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप जिस आसन पर हैं, वह आसन न्याय का आसन है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, तराजू का पलड़ा न पक्ष की तरफ रहेगा, न विपक्ष की तरफ रहेगा, न्याय की तरफ रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद और भरोसा है। इसी विश्वास और आस्था के साथ हम लोग आपको पूरा सहयोग करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, केवल एक बात मैं आपसे और निवेदन करूंगा। पक्ष में भी ज्यादा लोग होते हैं, विपक्ष में भी ज्यादा संख्या माननीय सदस्यों की होती है। लेकिन जो अल्पमत वाली पार्टियां हैं, जिनके सदस्यों की संख्या कम है, ऐसे दलों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में और संसदीय लोकतंत्र में इस तरह की आवाज को आप जरूर तवज्जोह देंगे। मुझे भरोसा है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की शान के लिए और लोकतंत्र में इस सदन की सर्वोच्च महत्ता के लिए आप विशेष ध्यान देंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ-साथ माननीय उपाध्यक्ष जी सईद साहब को भी, जिनका आज जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की मुबारकवाद उन्हें देता हूं और आपको भी इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम** (तंजावूर): महोदय, मैं अपने दल, डी.एम.के. की ओर से, आपको लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने पर बधाई देता हूं। मैं माननीय उपाध्यक्ष को भी उनके जन्मदिन पर यह कामना करते हुए बधाई देता हूं कि यह दिन उनके जीवन में बार-बार आए।

महोदय, आपने स्थानीय निकाय से अपना जीवन आरंभ किया है। संसद सदस्य बन जाना आसान होता है परन्तु स्थानीय निकाय का सदस्य या अध्यक्ष बनना बहुत कठिन होता है। इसका कारण यह है कि आपको वहां जनता की नब्ज जाननी होती है तथा उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना होता है। इस प्रकार आप चरणबद्ध तरीके से अध्यक्ष के सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं। अतएव, आपको जनता की आवश्यकताओं और उनकी मन:अवस्था के बारे में जानकारी है। आप यह भी जानते हैं कि संसद सदस्यों को किस प्रकार से आश्वस्त किया जाए। हम आशा करते हैं कि आप काफी निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे तथा सदन की परम्पराओं को बनाए रखेंगे।

मैं अपने दल, डी.एम.के. और अपनी ओर से आपको बधाई देता हूं। मैं अपने दल की ओर से आपको पूरा सहयोग देने का आश्वासन देता हूं। मैं एक बार पुन: आपको बधाई देता हूं।

**अपराह्न 1.00 बजे**

*[हिन्दी]*

**डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा** (सिरसा): अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से आपके इस पद पर चुने जाने पर अपनी पार्टी की

[डा. सुशील कुमार इंदौरा]

तरफ से, अपनी तरफ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से, हरियाणा के प्रदेश के लोगों की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूं और आपका अभिनन्दन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि गौरवमयी आसन पर बैठकर जिस तरह से महाराजा विक्रमादित्य ने न्याय किया था, उसी तरह से आप न्याय करते रहेंगे।

महोदय, आप धरातल से जुड़े हुए हैं। लोकतंत्रीय प्रणाली में जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई इस संसद के सबसे बड़े आसन पर आप बैठे हैं। आपने जिन्दगी का हर मौसम देखा है। आपने हर वर्ग का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस आसन पर बैठकर आप हर वर्ग का और खासकर हमारे जैसी छोटी पार्टी के संसद सदस्यों का ध्यान रखेंगे। आपके कुशल नेतृत्व में देश के इस गौरवमयी सदन का गौरव बढ़ेगा और आपकी एक पहचान बनेगी।

मैं प्रधान मंत्री जी के साथ हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के मुख्य मंत्री, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, को जोड़ते हुए, श्री पी.एम. सईद जी को उनके जन्म दिन पर बधाई देता हूं और इस बात का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बतौर स्पीकर सदन का मान रखा।

मैं आपको पुन: एक बार बधाई देते हुए, उम्मीद करता हूं कि आप हरेक की भावनाओं का ध्यान रखेंगे।

*[अनुवाद]*

**कुमारी ममता बनर्जी** (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, मैं तृणमूल कांग्रेस की ओर से आपको तथा आपके परिवार के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज हमें स्वर्गीय बालयोगी जी की याद आती है जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य किया था। यह सदन की परम्परा है। आप सदन के स्तंभ हैं। आप इस सदन के मित्र, विचारक और मार्गदर्शक बन गए हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ, अब आप किसी दल के सदस्य नहीं हैं बल्कि आप पूरे सदन के प्रतिनिधि हैं। सर्वोपरि आपसे आशा की जाती है कि आप इस सदन में लोकतांत्रिक, नैतिक और धर्मनिरपेक्ष भावना को सुदृढ़ बनाएंगे। हम अपनी ओर से आपका सहयोग करेंगे। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। जब आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस समय अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा था। मैंने उस समय एक दल भेजा। आपने उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की। यही कारण है कि हम आपको बधाई देना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि आप निष्पक्षता से कार्य करेंगे और हर व्यक्ति आपको अध्यक्ष के रूप में पाकर खुश होगा।

आज मैं माननीय उपाध्यक्ष श्री पी.एम. सईद को उनके जन्मदिन पर बधाई देती हूं।

*[हिन्दी]*

"फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे।
वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे।"

अल्लाह आपको ज्यादा उम्र दे।

*[अनुवाद]*

**श्री ई. पोन्नुस्वामी** (चिदंबरम): महोदय, हम पी.एम.के. संसद सदस्यगण आपको हार्दिक बधाई देते हैं। हम इस सम्मानीय सदन के अध्यक्ष के पद पर आपके निर्विरोध चुने जाने पर बेहद खुश हैं। आपका चुनाव विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह वर्ष 1952 के प्रथम चुनाव के पश्चात्, सिर्फ इस संसद का ही स्वर्ण जयंती वर्ष नहीं है बल्कि अध्यक्ष पद भी स्वर्ण जयंती वर्ष है।

आप इस सदन के पिछले और भावी अध्यक्षों की स्वर्ण शृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी होंगे? चूंकि आपके पास सार्वजनिक जीवन और विधानमंडलीय प्रक्रिया का काफी अनुभव है, हमें विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर निपुणता और आत्मसंयम के साथ इस सदन का स्पष्ट मार्गदर्शन करेंगे।

हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस सदन की कार्यवाही को अत्यंत निष्पक्षता से चलायेंगे और हम सम्माननीय सदन की गरिमा को बनाए रखने में आपको निश्चित रूप से सभी प्रकार का ठोस सहयोग देंगे।

महोदय, हम पी.एम.के. के सदस्यगण अपने प्रिय संस्थापक नेता डा. रामदास और अपने दल तथा स्वयं अपनी ओर से आपको बधाई देते हैं और आपकी बेहतरी की कामना करते हैं।

हम माननीय उपाध्यक्ष, श्री पी.एम. सईद को शुभकामना देने में इस सदन में उपस्थित अपने यशस्वी नेताओं का साथ देते हैं तथा उनके जन्मदिन के अवसर पर यह कामना करते हैं कि यह दिन उनके जीवन में बार-बार आए। हम उनके जीवन में कुशलता की कामना करते हैं।

*[हिन्दी]*

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के, सर्वोच्च सदन के गरिमामय पद वाले आसन पर आज आपका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, इसके लिए मैं आपको अपनी पूरी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस पद पर आप आसीन हुए हैं, उसके लिए कम से कम तीन गुणों का होना आवश्यक है—निष्पक्षता, योग्यता और अनुभव। मैं समझता हूं कि इन तीनों गुणों से आप लैस हैं और सही में यह कठिन कुर्सी है, इसका काम बड़ा कठिन है। जिस तरह से स्वर्गीय बालयोगी साहब ने अपने कर्त्तव्यों का निष्पक्षता से निर्वहन किया, उसके लिए उन्हें हम याद करते हैं। उसके बाद कठिन घड़ी में माननीय उपाध्यक्ष, श्री पी.एम. सईद साहब को वह जिम्मेदारी कुछ दिनों तक निभानी पड़ी, इनकी भी अवधि निष्पक्षता और सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए याद की जाएगी। मैं भी विश्वास करता हूं कि जिस तरह से निर्विरोध ढंग से आपको चुना गया है, सभी नेताओं ने अपेक्षा की है कि आपके नेतृत्व में जनता की समस्याओं को उजागर करने का मौका मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस समय देश काफी कठिन दौर से गुजर रहा है। साम्प्रदायिकता और आतंकवाद फुफकार रहा है, उसे कुचलने में और उस सवाल को यहां उठाने में आपके नेतृत्व में माननीय सदस्यों को पूरा मौका मिलेगा। आप सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक हैं। देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों, आप उसकी भी देखभाल करने वाले हैं। आप इस कठिन घड़ी में चुने गए हैं, आपकी सफलता की हम पूरी आशा करते हैं कि आप सभी सदस्यों को साथ लेकर, सदस्यों के हितों की रक्षा करते हुए, जनता की समस्याओं को उजागर करने में आपके नेतृत्व में हमें बल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुनः आपको अपनी पूरी शुभकानाएं और बधाइयां देता हूं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदयः** अब बोलने के लिए केवल दो सदस्य रह गए हैं और प्रतिदिन की भांति अंतिम सदस्य श्री रामदास आठवले होंगे। अतः, मैं श्री रामदास आठवले के नाम की घोषणा करने से पहले दो सदस्यों को बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा। पहले माननीय सदस्य हैं श्री सनत कुमार मंडल।

**श्री सनत कुमार मंडल** (जयनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी आरएसपी की ओर से आपके तेरहवीं लोक सभा के दूसरे अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर आपको बधाई देता हूं। आप श्री जी.एम.सी. बालयोगी के दुखद निधन के पश्चात् अध्यक्ष पद के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं।

महोदय, आप तो तेरहवीं लोक सभा की रचना के बारे में जानते हैं। इसमें कई छोटी-छोटी पार्टियां हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आप विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए अधिक समय प्रदान करेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि आप सदस्यों के अधिकारों और इस सम्मानित सभा की मर्यादा की रक्षा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बार पुनः यह आश्वासन देता हूं कि इस सभा की कार्यवाही के सही और निष्पक्ष रूप से संचालन में मेरी पार्टी आपका पूरा-पूरा सहयोग करेगी। मैं आपके अत्यधिक सुखद कार्यकाल की कामना करता हूं।

**श्री अमर राय प्रधान** (कूचबिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं। महोदय, कल आप शिवसेना के नेता और एनडीए की ओर से मंत्री भी थे। परन्तु आज आप इस पद पर हैं। आज आप केवल शिव सेना अथवा एनडीए के ही नहीं बल्कि आप पूरी सभा के अध्यक्ष हैं।

आप इस सभा के संरक्षक हैं। आप सदस्यों के ही नहीं बल्कि लोक सभा के सभी कर्मचारियों के संरक्षक हैं। मैं यह आशा करता हूं कि आप अपने कर्त्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे।

महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से आपको यह आश्वासन देता हूं कि हम सभा की कार्यवाही के संचालन में और सभा की शिष्टता, मर्यादा और गरिमा बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इस सभा में अत्यधिक कठिनाइयां आएंगी। ऐसे समय में आपको सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ओर नजर रखनी होगी। परन्तु, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप कृपया अपनी तीसरी नजर हमारी ओर रखें क्योंकि हमारी पार्टियां और समूह छोटे-छोटे हैं।

लोकतंत्र में हम यह नहीं कह सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। आज एक पार्टी, जिसके पास केवल दो सीटें थीं, की सीटों की संख्या बढ़कर 182 तक पहुंच गई है। कल इसकी संख्या 182 से घटकर मात्र दो तक भी पहुंच सकती है अथवा किसी अन्य पार्टी के सदस्यों की संख्या दो से 200 तक बढ़ सकती है। इस प्रत्याशा के साथ आप हमारा ध्यान रखें।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और हम आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष को धन्यवाद और उनके जन्मदिन पर बधाई देना चाहते हैं।

**श्री अजय चक्रवर्ती** (बसीरहाट): महोदय, मैं अपनी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, आपके इस सभा का अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। महोदय, हम यह आशा करते हैं कि आप अपने अनुपम कृत्यों का सक्षमतया, निष्पक्ष होकर और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निर्वहन करेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि आप इस सभा के संरक्षक के रूप में न केवल इस सभा की मर्यादा और परम्परा को बनाए रखेंगे बल्कि आप इस सभा की परम्पराओं, जिन्हें आपके पूर्ववर्तियों ने स्थापित किया है, का अनुपालन करेंगे।

[श्री अजय चक्रवर्ती]

महोदय, इस सुखद अवसर पर मैं आपको यह स्मरण कराना चाहूंगा कि यह सभा सभी सदस्यों की है न कि कुछेक नेताओं की। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि आप कनिष्ठ सदस्यों, पीछे बैठने वाले सदस्यों और नए सदस्यों को भी उचित अवसर प्रदान करेंगे। हम आपको यह आश्वासन देते हैं कि हम इस सभा के सुचारू कार्यकरण में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि आप इस सभा, जिसने भारतीय संसदीय लोकतंत्र में परम्परा कायम की है, के सबसे कुशल और सफल संरक्षक बनेंगे।

इस अवसर पर मैं अपने माननीय उपाध्यक्ष श्री पी.एम. सईद को उनके जन्मदिवस पर अपनी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपने अनुपम कर्त्तव्य का बड़ी कुशलता और मर्यादित ढंग से निर्वहन किया है। पुन:, मैं सबकी ओर से इस आश्वासन के साथ आपको अपनी हार्दिक बधाई देता हूं कि हम आपको अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।

**श्री पी.सी. थामस** (मुवत्तुपुजा): महोदय मैं, आपको अपनी ओर से और इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी और सहयोगियों की ओर से बधाई देता हूं। वास्तव में, जैसाकि सभी सदस्यों ने विचार व्यक्त किया है, यह लोकतांत्रिक शासन में सर्वोच्च पद है। मुझे यह विश्वास है कि अपने लम्बे अनुभव और विशिष्ट स्वभाव के कारण आप इस पद पर आसीन रहे व्यक्तियों में सबसे अग्रणी होने में कामयाब होंगे। जैसाकि विचार व्यक्त किया गया है कि यह पद फूलों की सेज नहीं है बल्कि यह कांटों की सेज बनाने जा रही है। मुझे विश्वास है और जैसाकि हमारे कई वक्ताओं ने कहा है कि यहां सभी के विचारों को लेकर चलना होगा। भारत एक संघीय देश है। हमें मामलों को संघीय तरीके से निपटाना होगा।

उदाहरण के लिए सिक्किम से केवल एक सदस्य होंगे परन्तु आप उसे केवल एक सदस्य नहीं मान सकते हैं। सभा में वाद-विवाद के दौरान बोलने के लिए प्रत्येक पार्टी को समय का नियतन करते समय किसी पार्टी के सदस्यों की संख्यावर मुख्य रूप से किया जा सकता है। परन्तु छोटी पार्टियों की प्राथमिकता प्रदान करने का एक अन्य तरीका यह भी हो सकता है कि उन्हें बारी-बारी से बोलने का अवसर प्रदान किया जाये। अत:, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि कम से कम जब सभा में विषयों पर चर्चा की जाती है तो छोटी पार्टियों, जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, को पहले बोलने का अवसर प्रदान किया जाये। यद्यपि, वाद-विवाद हेतु नियत समय कम हो सकता है फिर भी जब हम इस सभा में वाद-विवाद आरम्भ करते हैं तो छोटी पार्टियों को समय का नियतन करने हेतु उन पर बारी-बारी से विचार किया जाये।

महोदय, मैं माननीय उपाध्यक्ष को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं।

मैं, इस सभा के अध्यक्ष के पद पर चुने जाने पर आपको एक बार पुन: बधाई देना चाहता हूं और आपकी सफलता के लिए कामना करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय,

स्पीकर बन गए हैं मनोहर जोशी, आप हैं मुम्बई-वासी
इसलिए मुझे है बहुत बड़ी खुशी।
जब जनता के प्रश्नों को दी जाती है फांसी,
तब हंगामा खड़ा करके हम बन जाते हैं दोषी।
मैं-भी हूं मुम्बई-वासी, मुझे नहीं समझना दोषी।

आप स्पीकर के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और उसके मुताबिक आप हाउस के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। आपके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपको काफी एक्सपीरियेंस है। आप कारपोरेटर, मेयर, विधान परिषद के सदस्य, विधान सभा के सदस्य, विरोधी पक्ष के नेता और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल पांच साल का पूरा होना चाहिए था, ऐसी हमारी अभिलाषा थी लेकिन बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई।

अटल जी के लिए 13 का आंकड़ा ठीक नहीं है। ऐसा लोग समझते हैं। वह पहली बार 13 दिन सरकार में रहे और दूसरी बार 13 महीने रहे। इसलिए 13 का आंकड़ा आपके लिए अच्छा नहीं है। आप 13 साल ...*(व्यवधान)* लोकतंत्र में यदि संभव होगा तो ऐसा भी हो जाएगा। यहां डिप्टी स्पीकर साहब ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कोआपरेशन देने का वायदा किया है लेकिन यदि शांति से हाउस चलाना है तो हमें भी आपका कोआपरेशन मिलना चाहिए।

मैं गुजरात वालों को अटल जी की एक कविता सुनाना चाहता हूं। "मैं गीत नया गाता हूं" उनकी यह कविता अच्छी है। हमें अटल जी से बड़ी अपेक्षाएं हैं। उनकी कविता इस प्रकार होनी चाहिए:

मैं नहीं गीत गाता हूं, मैं पहले अहमदाबाद जाता हूं,
मोदी का इस्तीफा लेता हूं, फिर मैं दिल्ली आता हूं,
फिर मैं गीत गाता हूं और मैं संसद का नेता हूं।

कहने का मतलब यह है कि हाउस शांति से चलाना है तो गुजरात भी शांत होना चाहिए। मैंने गुजरात वालों को कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है।

हम आपको पूरा-पूरा कोआपरेशन देंगे। हमें आपका भी कोआपरेशन मिलेगा और आपको हमारा भी मिलेगा। अगर हमें आपका कोआपरेशन नहीं मिलेगा तो फिर ...*(व्यवधान)* इसलिए आपका भी कोआपरेशन हमें मिलता रहेगा, पार्टी की बात अलग है। आप अच्छे पद पर विराजमान हैं, हमारे महाराष्ट्र से हैं, कौन सी पार्टी से हैं, इसका कोई मतलब नहीं। अभी आपकी पार्टी के श्री मोहन रावले जयघोष कर रहे थे। आप यहां मत दीजिए, बाहर जाकर कीजिए। बाला साहब नहीं चाहते तो आप नहीं बनते लेकिन अब बाला साहब ने 'ग्रीन सिग्नल' दे दिया है और यह 'ग्रीन सिग्नल' आखिर तक रहना चाहिए, मुख्यमंत्री पद का जैसा हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए।

मैं इतनी अपेक्षा करता हूं कि आप सब पार्टियों को न्याय देंगे। हमारी छोटी पार्टी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। छोटी-पार्टी से बड़ी पार्टी बनती है। आपकी पार्टी के भी दो मैम्बर्स थे और हमारी पार्टी का एक मैम्बर है। हमारी पार्टी भी बड़ी हो सकती है। इसलिए छोटी पार्टी के लोगों को बहुत टाईम देना चाहिए। वैसे आप टाईम देते भी हैं, सब हमें देते रहे हैं और नहीं भी देते हैं तो हम ले लेते हैं। इसलिए आप कोआपरेशन करते रहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं।

**श्री अब्दुल रशीद शाहीन** (बारामूला): जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके बवकार और बिलामुकाबला मुंतखब होने पर आपको तहेदिल से मुबारकबाद देता हूं। जनाबेवाला, आपकी जाती शराफत, शहूर की वुसत और तजुर्बात की गहराई इस मुकद्दस ऐवान की इज्जत व वकार में इजाफा कर देगा। मैं जनाब से तवक्को करता हूं कि आपकी नजर पिछली निशस्तों पर रहेगी। नये मुंतखबशुदा और पिछली निशस्तों पर बैठने वाले आपकी नजर से ओझल नहीं रहेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं।

मैं आखिर में आपको दुबारा अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से एहतमाद और यकीन दिलाता हूं कि हम आपको हमेशा तावुन देंगे। शुक्रिया।

**جناب عبدالرشید شاهین (بارہ مولہ):** عزت مآب جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کے باوقار اور بلا مقابلہ منتخب ہونے پر آپ کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ جناب والا، آپ کی ذاتی شرافت، شعور کی وسعت اور تجربات کی گہرائی اس مقدس ایوان کی عزت و وقار میں اضافہ کردیگی۔ میں جناب سے توقع کرتا ہوں کہ آپکی نظر پچھلی نشستوں پر رہے گی۔ نئے منتخب شدہ اور پچھلی نشستوں پر بیٹھنے والے آپ کی نظر سے اوجھل نہیں رہیں گے، میں یہی اُمید کرتا ہوں۔

میں آخر میں آپ کو دوبارہ اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اعتماد اور یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کو ہمیشہ تعاون دیں گے۔ شکریہ!



*[अनुवाद]*

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरगी एन. रामचन्द्रन):** अध्यक्ष महोदय, संसद में इस उच्च पद को धारण करने में अपनी पार्टी एम.डी.एम.के., अपने नेता श्री वाइको और अपनी ओर से आपको बधाई देता हूं।

अपनी पार्टी की ओर से, मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि हम आपको अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे और यह आशा करता हूं कि आप अपने अच्छे आचरण से निष्पक्ष रहेंगे।

---

## अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों का आभार प्रकट किया जाना

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय प्रधानमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेतागण और माननीय सदस्यगण।

लोक सभा अध्यक्ष के इस उच्च संवैधानिक पद पर आपने मुझे चुनकर जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं सभी का हृदय से आभारी हूं। मुझे एक भारी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सम्पूर्ण सदन की एकमात्र पसन्द हूं, मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

*[अनुवाद]*

सर्वप्रथम, मैं इस सभा के माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री सईद जी को जन्म दिन की शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें हमारी शुभकामनाएं और श्री बालयोगी के बाद सभा का संचालन करने के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं।

मुझे अध्यक्ष के उस संवैधानिक पद पर चुनने के लिए मैं प्रत्येक सदस्य का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

मुझे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस तथ्य से कि सभा ने मुझे सर्वसम्मति से चुना है, निःसंदेह मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों के सहयोग से अपने कर्त्तव्यों का भलीभांति निर्वहन करूंगा।

जैसाकि आप जानते हैं कि कई बार अध्यक्ष का चुनाव मतदान के द्वारा किया गया था। इससे हमारी प्रणाली की परिपक्वता का पता चलता कि संसद के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में, सभा ने पीठासीन अधिकारी को सर्वसम्मति से चुना है। मैं इसे वैयक्तिक सम्मान मानता हूं कि इस सभा में पहली बार सदस्य होने के बावजूद मुझे इस पद पर सर्वसम्मति से चुना गया है। मैं इस जिम्मेदारी को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और यह प्रतिज्ञा

[अध्यक्ष महोदय]

करता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से निर्वहन करके आपके द्वारा मेरे प्रति व्यक्त किये गये इस विश्वास को बनाए रखूंगा।

मित्रो, आप जानते ही हैं कि किन दुखद परिस्थितियों में यह पद रिक्त हुआ था। ऐसे समय में जब देश हमारी संसद पर किये गये कायरतापूर्ण हमले के सदमे से उबर ही रहा था कि श्री जी.एम.सी. बालयोगी का अकस्मात निधन हो गया जो स्तब्ध राष्ट्र पर वज्रपात जैसा था। श्री बालयोगी ने अपने विनीत स्वभाव, सुस्पष्ट विनम्रता और द्वेषरहित व्यवहार से सभा के सभी वर्ग के सदस्यों को मंत्रमुग्ध कर लिया था। उनके दुखद निधन से हुई कमी को पूरा करना मुश्किल होगा। मुझे विश्वास है उनकी हितैषी वाली भावना से हमारा सही दिशा में मार्गदर्शन होगा।

माननीय सदस्यगण, आप सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्र इस समय कितनी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। हम सीमापार से राज्य प्रायोजित आतंकवाद के संकट का सामना कर रहे हैं। हमारा देश विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों एवं क्षेत्रों वाला सामसिक राष्ट्र है। इस संदर्भ में, संसद को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक ईमानदारी से एकता बनाने वाली संस्था की भूमिका निभानी पड़ेगी।

हमारी संसद को लोकतांत्रिक वाद-विवाद के सर्वोच्च मंच के रूप में देखा जा रहा है और विशेषकर देश के समक्ष चुनौतियां और संकट के समय सारा राष्ट्र इससे लोगों को दिशा देने और विचारों की स्पष्टता बनाए रखने की अपेक्षा करता है।

हमें दिशाहीन होकर राष्ट्र की अपेक्षाओं को कम नहीं होने देना चाहिए। हमारी संसद को भारत के सभी राज्यों के विधायी निकायों द्वारा एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। अत: हमारी एक ऐसा उदाहरण स्थापित करने की जिम्मेदारी है जो राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा अनुकरण किये जाने योग्य हो। यह सत्य है कि संसद एक राजनैतिक संस्था है और राजनैतिक दल अपनी सैद्धांतिक विचारधारा के अनुसार विभिन्न मुद्दों पर अपना रुख अपनाते हैं। यही सब प्रजातंत्र है। लोकतंत्र में सर्वसम्मति सदैव संभव नहीं है। इसमें वाद-विवाद के द्वारा भिन्न-भिन्न मतों का समाधान करने और दूसरे से सहमत न होने पर भी उसका दृष्टिकोण समझने की सामर्थ्य विकसित करने की क्षमता होती है। इस संदर्भ में हमें आज देश के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने हेतु दलगत राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता को समझना चाहिए।

अपने आचरण के द्वारा, हमें राष्ट्र को यह संदेश देना चाहिए कि राष्ट्र के समक्ष समस्याओं को संसद बड़ी ही निष्ठा एवं गंभीरता से दूर कर रही है। इसके लिए, सभा में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें सभा के सुचारू संचालन के लिए प्रक्रिया नियमों का आदर करना चाहिए। हमें अपना विरोध दर्ज करने के लिए सभा की सम्पूर्ण कार्यवाही ठप्प करने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा, क्योंकि इससे जन समुदाय को एक गलत संदेश जाता है कि जब देश अनगिनत समस्याओं का सामना कर रहा है तो उस समय जनप्रतिनिधि संसद का अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। इस संदर्भ में, सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालने की समस्या से निपटने हेतु एक प्रभावी आचार संहिता विकसित करने के स्वर्गीय श्री जी.एम.सी. बालयोगी के प्रयास हम सबका मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह दिवंगत नेता की स्मृति में हमारी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि होगी।

हमें इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि हमारे देश के करोड़ों लोग सभ्य जीवन की भोजन, आवास तथा वस्त्र जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। इस संदर्भ में, महात्मा गांधी ने जो कहा था, उससे हमारा मार्गदर्शन हो सकता है। उन्होंने कहा था: "जब भी आप संशय में हों या जब आपमें अत्यधिक स्वार्थ की भावना घर कर जाए तो आप सबसे अधिक गरीब व निस्सहाय व्यक्ति का चेहरा ध्यान में लाएं और यह सोचें कि आप जो कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं, उससे उस व्यक्ति को कोई फायदा होगा? क्या उसे इससे कोई लाभ होगा? क्या इससे, उसे अपने जीवन व भाग्य को संवारने में मदद मिलेगी? दूसरे शब्दों में, क्या इससे हमारे करोड़ों भूखे और आध्यात्मिकता के आकांक्षी करोड़ों देशवासियों के लिए स्वराज स्थापित किया जा सकेगा? तब आपका संशय और स्वार्थ की भावना दूर हो जाएगी" जब भी हम देश के हित के लिए कुछ करेंगे, गांधी जी का यह मंत्र हमारा हमेशा मार्गदर्शन करेगा।

मित्रो, मुझे यह स्वीकार करते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि मैं संसद में पहली बार आया हूं किन्तु संसदीय संस्कृति मेरे लिए नयी नहीं है मैंने महाराष्ट्र विधान सभा में सदन के नेता तथा विपक्ष के नेता सहित कई पदों पर काफी लम्बे समय तक कार्य किया है। श्री जी.वी. मावलंकर से लेकर श्री जी.एम.सी. बालयोगी तक के मेरे पूर्वाधिकारियों द्वारा सुस्थापित उच्च परम्पराएं और महाराष्ट्र विधान सभा का मेरा लम्बा अनुभव इस पद की गरिमा और इस सभा की परम्पराएं बनाए रखने में मेरा मार्गदर्शन करेंगी। प्रक्रिया लागू करते समय अध्यक्ष सभा के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है और वह सदस्यों की चिंताओं को दूर करते समय सभा का प्रथम व्यक्ति होता है। मेरा व्यवहार अड़ियल और कठोर होने की बजाय समझाने-बुझाने वाला होगा और मैं हर समय सदस्यों के लिए उपलब्ध रहूंगा। मैं सभा और इसके माननीय सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का संरक्षण करने का भी सदैव प्रयास करूंगा।

अपने देशवासियों के समक्ष संसद की सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए मैं मीडिया से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मुझे विश्वास है कि मुझे हमेशा उनका सार्थक सहयोग मिलता रहेगा।

भाईयों और बहनों, मेरा अभिनन्दन करने के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। मैं आने वाले दिनों में आपके पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हूं। संसद के इस पचासवें वर्ष में हम सब मिल-जुलकर अपनी संसदीय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ कर पायेंगे। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आगे का रास्ता कठिन है किंतु हम अपने दृढ़संकल्प से यह सफर पूरा करने में सफल होंगे। आइए, हम सब मिलकर एक सुदृढ़ और बेहतर भारत का निर्माण करें।

मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

**अपराह्न 1.34 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.51 बजे**

*(लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.51 बजे पुनः समवेत हुई।)*

**[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[हिन्दी]*

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया):** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि आर्थोपिडिकली हैण्डीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि आर्थोपेडिकली हैप्डीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5656/2002]

*[अनुवाद]*

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया):** महोदय, मैं भारत यंत्र निगम तथा भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5657/2002]

महोदय, लोक सभा अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के लिए मैं आपको मुबारकवाद देता हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** धन्यवाद।

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल काउंसिल फार सीमेन्ट एण्ड बिल्डिंग मेटीरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फार सीमेन्ट एण्ड बिल्डिंग मेटीरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5658/2002]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक आफ इंडिया अधिकारी (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 जो 4 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीबीडी: पीसी:2001-02/1 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 23 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 4 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/लीगल/ 0303 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आंध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 17 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/3/आईआर/410 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 7 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआरएस 124क 1589 एनएके 01 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सेन्ट्रल बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 4 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ:पीआरएस:लीगल: मिस. 3623:एसएके:01-02:322 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कारपोरेशन बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 13 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी: आईआर:ओएसआर अमेंड: 297:2001-2002 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 27 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआर/अमेंड-3/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 25 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.एस.आर.सी./223सी में प्रकाशित हुए थे।

(दस) ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संसोधन विनियम, 2001 जो 28 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3934 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 15 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनबी/ डीएसी/पी/1/2001 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो 3 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 44 में प्रकाशित हुआ था।

(बारह) सिंडिकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 30 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1871/0089/पीडी: आईआरडी (ओ)/रेग. 20 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 29 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 8 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओसीआर/2/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 18 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीई.आर:आईआरडी: 2258:2001 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) बैंक आफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 22 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ: ओएसआर एंड आईआर: 27/107/1971 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) यूनियन बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 जो 13 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3(ए)/30.8.2001 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया सामान्य विनियम, 1998 जो 23 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या जेड ओ/सचिव/2001-2002/463 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) केनरा बैंक सामान्य विनियम, 2000 जो 3 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर.डब्ल्यू:लीगल:33:143:केएस में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो 10 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर.डब्ल्यू:लीगल:32:1290 में प्रकाशित हुआ था।

(बीस) कारपोरेशन बैंक सामान्य विनियम, 1998 जो 13 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जीआर/1998/कारप. में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) बैंक आफ बड़ौदा सामान्य विनियम, 1998 जो 22 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/एलईजी/एमटीयू/91/410 में प्रकाशित हुए थे।

(बाइस) बैंक आफ इंडिया सामान्य विनियम, 1999 जो 5 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एलजीएल/वीएनसी/17 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया सामान्य विनियम, 1998 जो 29 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) पंजाब एंड सिंध बैंक सामान्य विनियम, 1998 जो 29 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/बोर्ड/जन./रेग/1999 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) दि बैंक आफ महाराष्ट्र सामान्य विनियम, 1998 जो 16 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए-08 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में मद संख्या (अठारह) से (पच्चीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले आठ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5659/2002]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 277(अ) जो 11 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 282(अ) जो 12 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 नवम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 85/98-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5660/2002]

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 279(अ) जो 12 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 73/2001-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 280(अ) जो 12 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 जनवरी, 2000 की अधिसूचना संख्या 7/2000-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 281(अ) जो 12 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित माल पर, जब उसका भारत-नेपाल संधि के निबंधनों के अनुसार नेपाल से आयात किया जाए, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 283(अ) जो 12 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 72/2001-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5661/2002]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 210(अ) जो 15 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 16/2001-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 234(अ) जो 28 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5662/2002]

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 20 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 20 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 220(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 20 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 221(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5663/2002]

(7) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एसबीडी सं. 7/2001 जो 1 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर अधिकारी सेवा विनियम, 1979 में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5664/2002]

(8) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2002 जो 4 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 152(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2002 जो 1 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 356(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5665/2002]

*[हिन्दी]*

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजीव प्रताप रूडी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत ताजा, हिमीकृत और प्रसंस्कृत मत्स्य और मत्स्य उत्पाद (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण तथा अनुश्रवण) (संशोधन) नियम, 2002 जो 11 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 415(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5666/2002]

(दो) भारतीय निर्यात प्रत्यय गारंटी निगम लिमिटेड तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5667/2002]

**अपराह्न 2.53 बजे**

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन हुए*]

## विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

*[अनुवाद]*

**महासचिव:** महोदय, मैं 23 अप्रैल, 2002 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

1. विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2002
2. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2002

---

**अपराह्न 2.53$^{1}/_{2}$ बजे**

## सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

### नौवां प्रतिवेदन

*[हिन्दी]*

**श्री राम सजीवन** (बांदा): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

**अपराह्न 2.54 बजे**

## सभा का कार्य

**संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन):** अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 13 मई, 2002 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. परक्राम्य लिखित (संशोधन विधेयक, 2001) पर विचार और पारित करना।
3. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:
   (1) हज समिति विधेयक, 2002
   (2) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002
   (3) पेटेन्ट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002 ।
4. राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:
   (1) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (संशोधन) विधेयक, 2002
   (2) गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2002
5. बीमा (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार और पारित करना।

**श्री वीरेन्द्र कुमार** (सागर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाये।

1. जल भूतल सड़क परिवहन मंत्रालय केन्द्र सरकार द्वारा कानपुर-सागर-भोपाल-देवास मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-86 की स्वीकृति दी है। इस मार्ग की स्थिति काफी खराब है। अत: वाहनों में टूट-फूट होने से अनावश्यक खर्चे को बचाने तथा समय की बचत करने के लिए शीघ्र ही इस मार्ग का निर्माण कराया जाये।
2. मध्य प्रदेश की लंबित पड़ी सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराकर किसानों को इन सिंचाई योजनाओं का लाभ मिल सके। अत: योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा शीघ्र ही राशि का आवंटन किया जाये।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती मिनाती सेन** (जलपाईगुड़ी): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाये:

(एक) गत दो दशकों से कुछ नदियों को छोड़कर भूटान से शुरू होकर जलपाईगुड़ी और कूचबिहार से होते हुए बहने वाली नदियों से नियमित रूप से अत्यधिक बाढ़ आ रही है। भूटान में डोलमाइट खानों में बेरोकटोक और बेतहाशा खनन और पेड़ों की कटाई के कारण

[श्रीमती मिनाती सेन]

गाद भरने की दर में वृद्धि के कारण ऐसे विध्वंस की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस गम्भीर समस्या से निपटने के लिए भारत-भूटान संयुक्त नदी आयोग का शीघ्र ही गठन किया जाये।

(दो) संविधान (85वां संशोधन) विधेयक (महिला आरक्षण विधेयक) पर लोक सभा में विचार और पारित करने के लिए चर्चा की जाए।

*[हिन्दी]*

**श्री पुन्नू लाल मोहले** (बिलासपुर): सभापति महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए।

1. छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय, बिलासपुर के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति तथा न्यायाधीशों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जाए।

2. बिलासपुर (चकुरभाठा) हवाई पट्टी को चौड़ी करने की स्वीकृति दी जाए एवं पुन: वायुदूत सेवा प्रारंभ की जाए।

**श्री राममूर्ति सिंह वर्मा** (शाहजहांपुर): सभापति महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल किए जाएं:

1. उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रान्तों से होकर गंगा नदी निकलती है। इनका जल प्रदूषण की वजह से बहुत गंदा है जो पीने लायक नहीं है। इससे जल पीने वाले प्राणियों के लिए उक्त संकट पैदा हो गया।

2. दिल्ली में यमुना नदी का जल प्रदूषित हो चुका है। इस प्रकार देश की अन्य नदियां भी दिन-प्रतिदिन दूषित होती जा रही हैं। अत: देश की नदियों को प्रदूषित होने से बचाना अति आवश्यक हो गया है।

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल** (बालाघाट): सभापति महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल किए जाएं:

1. मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के स्तर में भारी गिरावट दर्ज हुई है। इससे पेयजल का गंभीर संकट पैदा हुआ है। भोपाल सहित सभी नगर पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं जिससे नर्मदा जैसी नदी पर भी संकट पैदा हो गया है।

2. राष्ट्रीय मानचित्रों एवं सघन मानचित्रों का प्रकाशन एवं प्रसारण तथा विक्रय के लिए सरकार सर्वे आफ इंडिया को निर्देश दे कि उन्हें सुविधाजनक एवं आसानी से उपलब्ध कराएं।

**श्री रामदास रूपला गावीत** (धुले): सभापति महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:

1. महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित तोरणमाल हिल स्टेशन है। वहां प्रतिवर्ष अनेक राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसलिए इस हिल स्टेशन का विकास किए जाने की आवश्यकता।

2. मनमाड़-मालेगांव-धुले-सिरपुर-महू-इंदौर नई रेल लाइन का सर्वे सरकार द्वारा कराया गया है लेकिन अभी तक इस रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। इस रेल मार्ग से लाखों लोगों को लाभ होगा तथा साथ ही इस क्षेत्र का विकास भी हो सकेगा। इसलिए इस रेल मार्ग के अविलम्ब शुरू किए जाने की आवश्यकता।

*[अनुवाद]*

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:

(एक) नारियल किसानों को गहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। खरीदने वाली एजेंसियों ने बाजार से नारियल खरीदना बंद कर दिया है। अत: किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, मैं केन्द्र सरकार से उपचारात्मक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(दो) प्रेस में यह बताया गया है कि केरल में वन क्षेत्रों में व्यापक अतिक्रमण हो रहा है। इसमें वन संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव और पशुओं के संरक्षण संबंधी कानून का भी उल्लंघन हुआ है।

**अपराह्न 3.00 बजे**

*[हिन्दी]*

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह): सभापति महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ने की कृपा की जाये:

1. वित्त आयोग द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रभावी संचालन हेतु बिहार सरकार को जारी 320 करोड़ रुपये का खर्च समुचित ढंग से कराने और आबंटित राशि को

सम्बन्धित न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा खर्च करने पर रोक हटाने की अपेक्षा।

2. फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीशों को सिविल अपील्स रिवीजन, अपराधी अपील्स का निपटारा करने के अधिकार प्रदान कराने और अधिक उम्र के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाने की अपेक्षा ताकि फास्ट ट्रैक न्यायालय के गठन के उद्देश्यों को साकार किया जा सके।

---

**अपराह्न 3.01 बजे**

## दिल्ली नगर निगम (विद्युत कर विधिमान्यकरण) अधिनियम और अन्य विधियां (निरसन) विधेयक*—*पुर:स्थापित*

*[अनुवाद]*

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव):** महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम (विद्युत-कर विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1966, गोवा, दमण एवं दीव (ओपिनियन पौल) ऐक्ट, 1966, पंजाब अग्रक्रय (चंडीगढ़ और दिल्ली नरसन) अधिनियम, 1989 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का, जो चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में प्रवर्तन में हैं, निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली नगर निगम (विद्युत-कर विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1966, गोवा, दमण एंड दीव (ओपिनियन पौल) ऐक्ट, 1966, पंजाब अग्रक्रय (चंडीगढ़ और दिल्ली निरसन) अधिनियम, 1989 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का, जो चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में प्रवर्तन में है, निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री सीएच. विद्यासागर राव:** महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 10.5.2002 में प्रकाशित।

**अपराह्न 3.02 बजे**

## विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक—*पारित*

*[अनुवाद]*

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली):** महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम इस सम्मानित सभा द्वारा 1987 में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का प्रमुख प्रयोजन निर्धन लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान कराना था। इस अधिनियम का दूसरा उद्देश्य देशभर में लोक अदालत और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों का संस्थागत तंत्र विकसित करना था।

इन दोनों क्षेत्रों में गत 13 वर्षों के प्रयोग से यह पता चलता है कि इस विधेयक के क्रियान्वयन से विभिन्न रूप में दी गई विधिक सहायता के संबंध में काफी हद तक मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे लगभग 40 प्रतिशत मुकदमा करने वाले लाभान्वित हुए हैं।

एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है जिसे केन्द्र स्तर पर बनाया गया था और जिसके संरक्षक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी है जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद जिला स्तर विधिक सेवा प्राधिकरण भी है। अब इन प्राधिकरणों द्वारा न्यायालय से बाहर निपटान को प्रोत्साहित करने और बकाया मामलों की संख्या कम करने हेतु 'लोक अदालतें' आयोजित की जा रही हैं और इन लोक अदालतों की सफलता का इसी से पता चलता है कि केवल 'लोक अदालत' की प्रक्रिया के माध्यम से ही गत 12 वर्षों में लगभग एक करोड़ छत्तीस लाख मामले निपटाए गए हैं। इससे हमें इन मामलों में बकाया मामलों की संख्या कम करने में काफी सहायता मिली है।

'लोक अदालत प्रणाली' की कई खूबियां हैं, जिन्हें हमने गत 12 वर्ष के अनुभव के दौरान देखा है। ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जिनमें इस प्रयोग को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए एक क्षेत्र यह है कि लोक अदालतें राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर केवल आवधिक रूप से आयोजित की जाती हैं और इसके बाद थोड़े समय के पश्चात् आयोजित होती हैं। इस क्षेत्र में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री अरुण जेटली]

कार्यरत लोगों ने यह सुझाव दिया है कि कुछ क्षेत्रों में इन लोक अदालतों को स्थायी आधारों पर कार्य करने की आवश्यकता है।

दूसरी कमी यह देखी गयी है कि मूल अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालतों में केवल बातचीत के द्वारा विवादों का समाधान किया जाता है और यदि बातचीत विफल होती है तो प्रयोग भी सफल नहीं होता। एक अन्य कमी यह देखी गई है कि जब मामला विभिन्न लोक उपयोगिताओं और सरकारी विभागों से संबंधित होता है तो सामान्यत: विभिन्न वित्तीय रियायतें नागरिकों के पक्ष में दी जाती हैं, या यूं कहें कि त्रुटिपूर्ण टेलीफोन बिल अथवा बिजली बिल के मामले में अधिकारी रियायतें देय होने पर भी रियायत देने और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते हैं।

अत:, विभिन्न वर्गों के साथ काफी चर्चा के बाद इस अधिनियम को सुदृढ़ बनाने के लिए अध्याय 6-क जोड़ा गया है और जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि सभी लोक उपयोगिताओं के मामले में स्थायी लोक अदालत तंत्र को चालू रखा जाए। इस अधिनियम में लोक उपयोगिताओं को परिभाषित किया गया जिसमें विभिन्न प्रकार के यातायात, डाक और टेलीफोन सेवाएं, विद्युत कम्पनियां नगरपालिकाओं, लोक सफाई और स्वच्छता, अस्पताल और बीमा कम्पनियां शामिल हैं।

महोदय, अब हमने अपनी अदालतों में इन लोक उपयोगिताओं के बारे में विवादों से संबंधित भारी संख्या में मामले देखे हैं क्योंकि प्रत्येक नागरिक को इनसे काम पड़ता है। प्रस्ताव यह है कि प्रत्येक लोक उपयोगिता अथवा छोटे स्थानों पर अथवा लोक उपयोगिता के कई समूहों के लिए सेवानिवृत्त और कार्यरत न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता दो अन्य सदस्यों, जो लोक उपयोगिताओं के मामले में विशेषज्ञ हों, ताकि एक तीन सदस्यीय लोक अदालत गठित की जाए और ऐसी श्रेणी के लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएं जो न्यायालय में जाने की बजाय इस द्रुत सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं। वे अपनी शिकायतें और विवाद उनके समक्ष रख दें और वे दोनों की बातें सुनकर समाधान करने की कोशिश करेंगे और यदि समाधान संभव नहीं हुआ तो एक स्वतंत्र 'लोक अदालत' भी इस संबंध में अधिनिर्णय करेगा और यह अधिनिर्णय न्यायालय के अपने फैसले की तरह लागू होगा। अत: विनिर्णय की शक्ति लोक अदालत को दी गई है। इसका यह लाभ होगा कि नागरिक छोटे विवादों के निपटान के लिए न्यायालयों में कई वर्ष लगाने की बजाय इस वैकल्पिक मंच का उपयोग कर सकते हैं। हमने समाधान करने वाली हमारे पास उपलब्ध लोक अदालतों में भी एक वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली को महसूस किया है। यह अपेक्षाकृत सस्ता उपाय भी होगा। यह हमारे पास उपलब्ध सर्वाधिक कम लागत वाला और द्रुतामी उपाय होगा। न्यायालयों में मुकदमों के लिए लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अत:, यह मुकदमा करने वाले और नागरिकों के लिए अनुकूल होगा और इससे न्यायालयों में बकाया मामलों की संख्या में भी कमी आयेगी।

महोदय, यह कहते हुए मैं इस सभा से 1987 के इस अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने और इसे स्वीकृत करने की सिफारिश करता हूं।

**सभापति महोदय:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**श्री पवन कुमार बंसल** (चंडीगढ़): सभापति महोदय, जैसाकि इस विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्य और कारणों के कथन में दिया गया है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी अपनी शुरुआती टिप्पणियों मे कहा है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और सक्षम सेवा उपलब्ध कराने हेतु एक विधिक सेवा गठित करने के लिए लोक अदालतों का गठन करने हेतु लाया गया था जिससे कि प्राधिकारी प्रक्रियागत कठिनाइयों में फंसकर न रह जाएं और छोटे मामलों का त्वरित गति से निपटारा किया जा सके। लोक अदालतों के कार्यकरण के अनुभव से सीख लेते हुए हम आज इस अधिनियम में स्थायी रूप से लोक अदालतों का गठन करने का प्रावधान जोड़कर एक बड़ा कदम उठा रहे हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि इस विधेयक में परिगणित उपयोगी लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का शीघ्र निपटारा हो सकेगा। इस विधेयक के बारे में जो बात विशेष रूप से स्वागत योग्य है वह मैं कहूंगा, यह है कि सरकार ने न्याय करने वाले आम लोगों की राह में अड़चन न बनने की इच्छाशक्ति दर्शाते हुए ऐसे मामलों का शीघ्र निपटान करने को प्रोत्साहन दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश मामलों में, इस विधेयक में उल्लिखित लोक उपयोगिता सेवाओं में, एक आधिकारिक प्राधिकारी, एक सरकारी प्राधिकारी ही वास्तव में सेवा प्रदान करता है। हमारा यह अनुभव रहा है कि हम सब इस घोर निराशा को झेल रहे हैं। सेवाएं उपलब्ध कराने वाले इन सब प्राधिकरणों में संबंधित अधिकारियों का यह रवैया होता है कि जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है, चाहे वह बिल्कुल वास्तविक मामला ही क्यों न हो, एक गरीब उपभोक्ता और किसी कार्यालय के बीच उत्पन्न हुए विवाद में गरीब व्यक्ति को ही अपने मामले का निपटारा कराने हेतु दर-दर भटकना पड़ता है। कई अवसरों पर उसे उसके मामले पर विचार किए जाने से पूर्व ही बिल की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान करने हेतु बाध्य किया जाता है। मेरे विचार से अब यह एक पुरानी बात हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति इसका स्वागत करेगा।

हम सभी इस विधेयक के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते थे वह माननीय मंत्री कह चुके हैं। मैं आज विवाद निवारण प्रक्रिया में व्याप्त आदर्शवाद का उल्लेख करने में इस प्रतिष्ठित सदन का अधिक समय नहीं लूंगा और वह भी ऐसे समय में जब देश में अधिकांश मुकदमों में सरकार स्वयं ही एक पक्ष है। सरकार बहुत छोटे मामलों को भी उच्चतम न्यायालय तक ले जाने में अपने सीमित संसाधनों का भारी व्यय कर रही है और वह भी केवल इसलिए क्योंकि उस समय कोई भी अधिकारी यह कहने का जोखिम उठाने का इच्छुक नहीं है कि इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। कई बार तो वह ऐसा केवल उस व्यक्ति को उसके अपने शब्दों से सबक सिखाने हेतु करना चाहता है जिसने उसके निर्णय को चुनौती दी है। अंततः इसका परिणाम यह निकलता है कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय आने में सालों लग जाते हैं। अब स्थायी लोक अदालतें अस्तित्व में आ रही हैं, मुझे विश्वास है कि अब इतना विलम्ब नहीं होगा और विस्तृत प्रक्रियाओं, जो कि वास्तव में किसी मामले के बारे में निर्णय को विलंबित करने में भारी योगदान देती हैं, के बारे में परेशान हुए बिना और उनके अनुपालन की बाध्यता में पड़े बिना ही कोई व्यक्ति शीघ्र न्याय पाने की आशा करेगा।

मैं केवल कुछ मामलों का उल्लेख करना चाहूंगा मैंने इस पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है लेकिन मैं कुछ मामले माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा। ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं हैं परन्तु मेरे विचार से किसी को इस विधेयक को पढ़ते समय किसी भी व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठ सकते हैं। पहला तो अध्याय 6-क के शीर्षक के बारे में है। इसे, 'मुकदमा-पूर्व सुलह' कहा गया है। मेरे विचार से इसे 'स्थायी लोक अदालत' होना चाहिए। 'मुकदमा-पूर्व सुलह' से ऐसी पूर्व धारणा बनती है कि पहले चरण के बाद दूसरा चरण भी है और उसके बाद अंतिम चरण है जहां, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि इन सबको मिलाकर एक कर दिया गया है। अर्थात्, सर्वप्रथम स्थायी लोक अदालत सभी पक्षों में एक सर्वमान्य सुलह कराने की कोशिश करती है और उसमें असफल रहने की स्थिति में उस मामले पर निर्णय लेती है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। यहीं मामला समाप्त हो जाता है। इसका शीर्षक बदला जाना चाहिए।

श्री अरुण जेटली द्वारा तैयार किए गए किसी विधेयक के प्रारूप में मुझे कोई गलती नहीं मिलती परन्तु मुझे नहीं पता कि इस विधेयक का प्रारूप उन्होंने ही तैयार किया है या नहीं। उदाहरण के लिए इस कानून में जोड़ी जाने वाली यह नई धारा 22-ख और उपधारा (ii), इनमें वही बातें दोहराई गई हैं। इसमें कहा गया है:

> "प्रत्येक स्थायी लोक अदालत उप धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित किए गए क्षेत्र के लिए स्थापित की गई है जिसमें एकन न्यायाधीश, आदि व लोक उपयोगिता सेवा का समुचित अनुभव रखने वाले दो अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा या यथास्थिति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण (यह एन.ए.एल.एस.ए. है) या यथास्थिति राज्य प्राधिकरण, की सिफारिश पर नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और अंततः ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इसे बहुत सरल बनाया जा सकता है। यह एक अन्य प्रयास है जिसे किया जाना चाहिए। हमें कानून की वाक्य रचना को क्लिष्ट न बनाकर उसे बहुत सरल बनाना चाहिए। हम ऐसा कह सकते हैं कि "संबद्ध प्राधिकारी की सिफारिश पर दो व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट किया जागा।" बस इतना ही है। यहां ऐसा कहा जा सकता था।

यह एक अच्छी बात है कि स्थायी लोक अदालतों का अधिकार क्षेत्र ऐसे मामलों तक ही सीमित कर दिया गया है जो कानून के अंतर्गत राजीनामे के लायक नहीं हैं और जिनका इस समय अधिकार क्षेत्र मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है। यह ठीक है। लेकिन, महोदय, मेरे मन में एक सन्देह उत्पन्न हो रहा है। धारा 22-ग(1) के प्रारंभ में ही कहा गया है कि "विवाद का कोई पक्षकार विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाने से पूर्व, विवाद के निपटारे हेतु के लिए स्थायी लोक अदालत को आवेदन कर सकेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे मामलों से संबंधित मुकदमों की क्या स्थिति होगी। मान लेते हैं कि अंततः एक मामला स्थायी लोक अदालत के सम्मुख लाया जाता है और स्थायी लोक अदालत वास्तव में उस पर अपना निर्णय नहीं ले सकी है तो क्या वह व्यक्ति परिसीमन खंड के अंतर्गत परिसीमन अवधि के समाप्त होने पर मामला हार जाएगा या यह विषय परिसीमन से संबंधित होने के बावजूद भी परिसीमन विधि के अंतर्गत नहीं आएगा?

**सभापति महोदय:** श्री पवन कुमार बंसल, इस विधेयक पर चर्चा में अभी तीन और वक्ताओं ने भी भाग लेना है। हमें इसे साढ़े तीन बजे तक पारित भी करना है। कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री पवन कुमार बंसल:** महोदय, मेरे विचार से मैं किसी भी बात को लंबा नहीं खींच रहा हूं। मैंने कहीं एक शब्द भी नहीं दोहराया है। लेकिन यदि आप कहते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा।

**सभापति महोदय:** अभी तीन वक्ता और हैं। यदि हम इस विधेयक को साढ़े तीन बजे तक पारित करना चाहते हैं तो वक्ताओं को बहुत संक्षेप में बोलना पड़ेगा।

**श्री पवन कुमार बंसल:** महोदय, हम निश्चित रूप से इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं परन्तु मैं इस मामले में केवल एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। मेरे विचार से बाहर हमें इनके लिए दोषी ठहराया जाएगा। जब ऐसे कुछ मामले न्यायालय में जाते हैं तो वे कहते हैं कि हम विधेयकों को जल्दबाजी में पारित कर देते हैं।

महोदय, मेरे विचार से हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से हमें विधेयक पारित करना है परन्तु हमें इस मामले पर कुछ कहने के लिए थोड़ा समय तो दिया जाना चाहिए।

यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं माननीय मंत्री जी से बहुत संक्षेप में कुछ अन्य प्रावधानों के संबंध में उनका स्पष्टीकरण चाहूंगा।

**सभापति महोदय:** कृपया शीघ्रातिशीघ्र अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करें।

**श्री पवन कुमार बंसल:** जी हां, महोदय।

एक नई धारा 22-ग, उप-धारा (4) में कहा गया है:

"जब कोई अतिरिक्त कथन व्यक्त किया गया है तो वह आवेदन के पक्षकारों के बीच विवाद की परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए ऐसी रीति में, जो वह समुचित समझे, सुलह कार्यवाहियां करेगी।"

यह सही है। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह माध्यस्थम् अधिनियम से कुछ हटकर है? ऐसा इसलिए है चूंकि ऐसे मामले हैं जहां सेवा प्रदाता अपने समझौता-पत्र में एक ऐसा खण्ड रखता है जिस पर आम आदमी को उसे पढ़े बिना ही हस्ताक्षर कर देने होते हैं। माध्यस्थम के ऐसे खण्ड हैं। अब, क्या यह उनसे हटकर होगा? या ऐसे मामलों में माध्यस्थम् अधिनियम ही लागू होगा?

महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से यह चाहता हूं कि इन सभी मामलों में इस कानून के प्रावधान ही लागू होने चाहिए और इनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यही सबसे सरल रूप है, जिसे मैं स्वीकार करता हूं।

लेकिन, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। स्थायी लोक अदालत का गठन करते समय उन्होंने इसका अधिकार क्षेत्र एक सेवा विशेष तक ही क्यों सीमित कर दिया है? यह लोक अदालत क्यों नहीं स्वयं ही इन सभी लोक उपयोगिता सेवाओं को सम्मिलित करती? उन्होंने यहां यह कहा है कि एक, दो या अनेक सेवाओं के लिए भी लोक अदालत गठित की जा सकती है; लोक उपयोगिता जैसा कि सेवाओं में अधिसूचित किया गया है। सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के निपटान हेतु स्थायी लोक अदालत का गठन क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके चेहरे पर परेशानी के भाव देख रहा हूं। मैं इस पर कुछ समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं केवल दो छोटी-छोटी टिप्पणियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा।

पहली टिप्पणी धारा 22 की उप-धारा (8) के संबंध में है। इसमें कहा गया है:

"जहां पक्षकार उपधारा (7) के अधीन सहमत होने में असफल रहते हैं, वहां यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है तो स्थायी लोक अदालत, विवाद को विनिश्चित करेगी।"

अब, सड़क दुर्घटना से संबंधित मामलों का क्या होगा इसके एक भाग के अनुसार यह दांडिक अपराध भी है। ऐसे मामलों का क्या होगा? मैं माननीय मंत्री जी से केवल इस एक मुद्दे का स्पष्टीकरण चाहूंगा। मैं निश्चित रूप से यह चाहूंगा कि वाहन दुर्घटना के सभी मामले इस प्रावधान के अंतर्गत आने चाहिए। बल्कि उन्हें हमें यह वचन देना चाहिए कि सरकारी एजेंसियां इन मामलों में लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं करेंगी।

महोदय, अन्ततः मैं धारा 22-ङ पर आता हूं। मेरे विचार से प्रारूप तैयार करने का यह एक अच्छा उदाहरण नहीं है। कई स्थानों पर 'डिक्री' शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक अधिनिर्णय डिक्री समझा जाएगा जैसे कि यह निष्पादन हेतु डिक्री हो। फिर इसके बाद आपको बीच में कहीं दबा हुआ सा यह लिखा मिलेगा कि 'अधिनिर्णय बहुमत द्वारा लिया जाएगा।' इसे संख्या एक पर होना चाहिए। तदनुसार, अन्य प्रावधान इसके बाद आने चाहिए।

महोदय, मैं वास्तव में इस पर अधिक नहीं कहना चाहता। लेकिन मेरे विचार से इसकी भाषा और अच्छी हो सकती थी। सब कुछ कहने के पश्चात् मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी लोक अदालत के लिए जो विधेयक लाए हैं, इसमें सबसे पहले मेरी आपत्ति यह है कि मंत्री जी परिभाषा का मतलब क्या समझते हैं। डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी, कि कोई भी अंजान आदमी डेफिनेशन को पढ़ने एवं सुनने से जान जाए कि यह चीज क्या है। इस परिभाषा में जो यह कहा गया है अस्थायी

लोक अदालत की धारा 22(ख) की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई अस्थायी लोक अदालत अभिप्रेत। इससे कोई समझ सकता है कि लोक-अदालत क्या है? एक जन-अदालत नक्सली लोग भी चलाते हैं, बड़े-बड़े फैसले करते हैं और उन्हें अपने आप लागू करते हैं तथा लोगों को फांसी दे देते हैं। जो परिभाषा आम आदमी की समझ में आ जाए, वह परिभाषा इसमें होनी चाहिए। इन्होंने दे दिया है 22(ख), जिसे पढ़ने से लोक-अदालत की परिभाषा के बारे में और कंफ्यूजन हो जाता है कि लोक-अदालत क्या है? इसलिए इसमें साफ और सरल परिभाषा होनी चाहिए जिससे आम आदमी पढ़कर जान ले कि लोक अदालत क्या है? अब 22(ख) को देखा जाए तो कंफ्यूजन है। आदमी की क्या परिभाषा है और कोई कहे कि जो आदमी जैसा लगे वह परिभाषा है तो क्या यह परिभाषा हुई? इसलिए परिभाषा मूल चीज है और उसे सरल और साफ होना चाहिए। लोक-अदालत और परमानेंट लोक अदालत में क्या फर्क है-यह स्पष्ट होना चाहिए, जिसे आपने परिभाषित नहीं किया है। जिस कानून की परिभाषा में ही गड़बड़ हो, वह आगे जाकर लोगों को क्या लाभ देगी। लेकिन माननीय मंत्री जी ने दावा किया है कि 13 साल में 1 करोड़ 36 लाख मामलों का निपटारा हो गया है। "जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड"। लोग चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी मामले लोक-अदालतों में जाकर निपटे।

पंचायत की हमारी परिपाटी पुरानी है जिसमें पांच आध्यात्मिक आदमी, अच्छे आदमी बैठते थे वह पंचायत मानी जाती थी और वहां बड़े-बड़े फैसले होते थे। उसी परिपाटी के मुताबकि इन्होंने जज साहब के साथ दो आदमियों को बीच में रखने का फैसला किया है और इसे नये कानून में जोड़ दिया है। कोई भी मामला जो लोक-अदालत में जायेगा और जिसका निपटारा नहीं होगा, उसका मैजोरिटी से फैसला देने का अधिकार भी इसमें दिया है। इससे ऐसा लगता है कि जिन विवादों के फैसले को न्यायालय में जाने में दरी होती थी, उनका भी समाधान हो जाएगा। इसमें यह अच्छी बात लगती है और उसका भी अधिकार इसमें दिया गया है। शुरू में इन्होंने कहा है कि गरीब और अनजान आदमी को उससे न्याय मिलेगा। मेरा कहना यह है कि गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता है।

सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट में एक गरीब आदमी का मामला दाखिल हुआ। उस गरीब आदमी ने कहा कि मैं खुद बहस करूंगा क्योंकि मेरे पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं हैं। जज साहब ने कह दिया कि अंग्रेजी में बहस करिए, हम हिंदी नहीं समझते। उस गरीब आदमी ने समय मांगा, कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। उस केस में 34 आदमियों को जमीन मिली थी। उन्होंने जाली आदमी खड़े करके हाई कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला ले लिया। उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला आया लेकिन उस गरीब आदमी को वकील रखने की हैसियत नहीं है तो उसको न्याय कैसे मिलेगा। गरीब आदमी को आज भी न्याय नहीं मिल रहा है। जन-अदालतें हों, लोक-अदालतें हों, लेकिन गरीब आदमी और अनजान आदमी हर जगह ठोकरें खा रहा है और उसके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार दावा करती है कि गरीब आदमी को, अनजान आदमी को, भूमिहीन को जमीन मिल गयी है, दखल-दर्जा हो गया है। इलाहाबाद कोर्ट का मामला हमारे पास आया, हमने वकील लोगों से संपर्क किया। वकील लोगों ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन वकील है और कहां जाएगा और इसके ऊपर कहीं भी रिव्यू या सुनवाई नहीं होती है। इस तरह से हम लोक अदालतों को परमानैंट लोक अदालत बनाने की बात सुन रहे हैं लेकिन गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी न्याय की पुरानी परिपाटी है। सब दर्शन में एक दर्शन न्याय का है। गौतम, कपिल और पुराने जितने महापुरुष, ऋषि, मुनि हुए उनके समय से न्याय की परिपाटी थी लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिला, खास तौर पर गरीब लोगों को न्याय नहीं मिला।

मंत्री जी ने दावा किया है कि वह इस संशोधन से इसे ज्यादा उपयोगी बना रहे हैं और इससे गरीब आदमी को न्याय मिलेगा, निपटारा करने में कम समय लगेगा। मैं इनकी सफलता की कामना करता हूं लेकिन मुझे बहुत भारी संदेह है। गरीब आदमी की बहुत सी समस्याएं हैं। खास तौर से सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है। वे पैटिशन देते थक जाते हैं और लाचार होकर न्यायालय जाते हैं। वहां खर्चा और समय लगता है।

*[अनुवाद]*

**श्री अनादि साहू** (बरहामपुर, उड़ीसा): सभापति महोदय, उन्हें इस विधेयक को पारित होने देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल:** कृपया इसे इस तरह से न बोलें। वे इस विधेयक के पारित होने में रोड़ा नहीं अटका रहे हैं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** उनके भाषण के बाद, हम इस विधेयक को पारित करेंगे। वक्ताओं में मेरा भी नाम है परन्तु मैं नहीं बोलूंगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री अनादि साहू:** आप उनसे अपना भाषण संक्षिप्त करने के लिए कह सकते हैं *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या आप बिना बहस कराए यह बिल पास कराना चाहते हैं? आज आपके पास बहुमत है और उसके माध्यम से इसे पास करा सकते हैं लेकिन यह एक गलत परिपाटी है। क्या आपका हुक्म चलेगा? हम अल्पमत में हैं। विपक्ष में रहते हुए हम बोलेंगे। आप हमारे बोलने के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। आपका यह व्यवहार और तरीका ठीक नहीं है। आप कैसे गरीबों को न्याय देंगे? गरीब आदमी को बोलने की छूट नहीं है। इसे जनोपयोगी और गरीबोन्मुखी बनाने की जरूरत है क्योंकि न्याय उन्हीं को देने की जरूरत है जो गरीब हैं। जो लोग किसी तरह जोर-जबर्दस्ती करके अपना काम करा लेते हैं, वे समाज में रहते सभी लाभ उठाते हैं लेकिन गरीब आदमी दर-दर भटकता है। इसे व्यावहारिक बनाना चाहिए। ऐसी अदालतें बनानी चाहिए जहां गरीब लोगों को बिना खर्चे से न्याय मिले। इसी सुझाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** अब, माननीय मंत्री जी।

*...(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल): महोदय, अपने दल की ओर से हमें भी इस विधेयक पर बोलना है। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** इस स्थिति में, हम इस पर अगले सप्ताह बहस जारी रखेंगे। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए अभी भी एक मिनट का समय शेष है, मैं प्रो. रासा सिंह रावत को बोलने की अनुमति देता हूं।

*[हिन्दी]*

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर): सभापति महोदय, मैं विधि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2002 का पुरजोर समर्थन करता हूं। वास्तव में यह गरीब व्यक्तियों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का बड़ा ही सुलभ, सहज, वैकल्पिक समाधान का नव परिवर्तित स्वरूप है। न्यायालय के बाहर लोगों में सुलह करने की भावना रहती है। हमारे यहां कहा गया है 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड'। न्याय में अगर देर की जाती है तो मतलब न्याय से इंकार किया जाता है लेकिन यह भी कहा जाता है कि 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस बॅरिड'। मतलब अगर न्याय में विलम्ब किया जाता है तो जस्टिस को दफनाए जाने का प्रयास किया जाता है। मैं समझता हूं कि न्यायालयों में मुकदमों की संख्या लाखों में रहती है। इसलिए इनका निपटारा करने के लिए लोक अदालत बनाने की बात आई। 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण विधेयक पारित किया गया था।

**अपराह्न 3.29 बजे**

**[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]**

जैसा मंत्री जी ने बताया कि इन दस वर्षों में लगभग 40 लाख लोग इनसे लाभान्वित हुए और एक करोड़ 36 लाख केसों का निपटारा किया गया इससे पता लगता है कि लोक अदालतें कितनी उपयोगी हैं? शहरों और कस्बों में लोक अदालतें लगायी जाती हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायतों को ग्राम पंचायतों के साथ पहले की भांति थोड़ा मजबूत किया जाए तो अच्छा होगा। इससे आपसी सुलह के आधार पर गांव में रहने वाले लोगों के मुकदमों का सहज निपटारा हो सकता है।

सभापति महोदय, जिला स्तर पर जो विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं, वे गरीबों के लिए वकील नियुक्त करते हैं। चूंकि वकीलों को कम पैसा दिया जाता है, इसलिए वे इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। जब वकीलों को आवाज दी जाती है तो वे आते ही नहीं, प्रस्तुत नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप, जिस गरीब को न्याय देने के लिए इन अदालतों को स्थापित किया गया है, वह लक्ष्य पूरा नहीं होता। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस संदर्भ में जो विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कार्य कर रही हैं, उनके द्वारा अच्छा कार्य सम्पन्न हो रहा है लेकिन उन अदालतों में जो वकील जाते हैं, यदि उनके शुल्क में थोड़ी वृद्धि और कर दी जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**सभापति महोदय:** साढ़े तीन हो गये हैं, इस बिल पर बोलने के लिए एक वक्ता बाकी है, यदि सभा की सहमति हो तो बिल पास होने तक इसका समय बढ़ा दिया जाये।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** (रायगंज): महोदय, मेरे विचार से आपको समय बढ़ा देना चाहिए तथा एक और दो सदस्यों को बोलने की अनुमति देनी चाहिए। हम विधेयक को पारित कर सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** सभा की सहमति है। श्री वरकला राधाकृष्णन जी।

*[अनुवाद]*

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल): महोदय, सर्वप्रथम, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अब, मैं इस विधेयक के विस्तार में जाने से पहले कुछ बातें कहना चाहता हूं।

महोदय, लोक अदालत विधेयक एक विशेष प्रयोजन के लिए पारित किया गया था। इसका प्रयोजन था कमजोर तबके के लोगों को न्याय दिलाना। हम सभी जानते हैं कि भारत में न्याय काफी महंगा है। यदि मैं कहूं तो यह सर्वाधिक महंगा है। गरीब व्यक्ति को अपने घर की दहलीज पर न्याय नहीं मिलता। हम प्रजातंत्र की बात तब तक नहीं कर सकते जब तक गरीब आदमी को न्याय पाने के लिए अपने घर से अधिक दूर न जाना पड़े। कन्याकुमारी से किसी व्यक्ति को अंतिम फैसला प्राप्त करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली आना पड़ता है। यह काफी महंगा है। सर्वप्रथम, हमें न्यायिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना होगा। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्थानीय विवादों का निपटारा जिला स्तर पर और राज्य स्तर के विवादों का निपटारा राज्य स्तर पर हो तथा सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के विवादों को निपटाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में लाया जाए। परन्तु दुर्भाग्यवश, कानून का प्रश्न उठाकर यहां तक कि सिविल मामलों, सम्पत्ति विवादों आदि को भी अंतिम फैसले के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लाया जाता है। देश के किसी कोने में रहने वाले गरीब व्यक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्याय पाना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि वह उतना खर्च नहीं कर सकता। कानून मंत्री उस पर लाखों रुपये का कर लगायेंगे। वह दिल्ली आकर न्याय कैसे प्राप्त कर सकता है। जब तक न्यायिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण नहीं कर दिया जाता तब तक हम यह दावा नहीं कर सकते कि प्रजातंत्र का लाभ गरीब लोगों तक पहंचा है तथा न्याय घर की दहलीज पर उपलब्ध है। इसलिए आखिरी उद्देश्य यही है कि गरीबों को न्याय पाने के लिए दूर न जाना पड़े। इसी अंतिम उद्देश्य से यह लोक अदालत विधेयक पारित किया गया था। हम कहां तक पहुंचे हैं? यह इस बात की समीक्षा करने का समय है। इसी कारण से, हम संशोधन करते हैं।

लोक अदालत भी एक अन्तर्निहित कमजोरियों वाला कानून था क्योंकि लोक अदालत में यहां तक कि स्थानीय विवादों को भी नहीं सुलझाया जा सका। यह अपने कार्यकरण में लगभग मात्र एक निरंकुश अथवा समझौता कराने वाला निकाय था। इसलिए, यहां तक कि छोटे विवादों में भी यदि एक पक्ष निर्णय से सहमत नहीं होता है तो उस मामले का कोई अंत नहीं होगा। मान लीजिए कोई विवाद मुन्सिफ अदालत अथवा मैजिस्ट्रेट अदालत के पास लम्बित है, पक्षकार मामले को लोक अदालत में ले जा सकते हैं। वहां, लोक अदालत में प्रक्रियात्मक पेचीदगियों जैसे नोटिसों, तामीलों अथवा सम्मनों को जारी करने, साक्षी निर्धारित करने, साक्षी को सम्मन जारी करने इत्यादि के कारण वे छः महीने अथवा इससे भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में लोक अदालत को कम से कम छः महीने का समय लग जाता है। इन सारे उपायों को करने के बाद यदि वादी अथवा प्रतिवादी अथवा पीड़ित पक्ष लोक अदालत द्वारा किए गए फैसले से सहमत नहीं होता है तो यह सम्पूर्ण प्रक्रिया उस न्यायालय में वापस लायी जायेगी जहां से इसे लिया गया था। यदि इसे मुन्सिफ अदालत से लिया गया था तो इस मामले को मुन्सिफ अदालत में वापस भेज दिया जाएगा। यदि यह मैजिस्ट्रेट के यहां से लिया गया होगा तो मामले को आगे फैसला हेतु मैजिस्ट्रेट अदालत में लौटा दिया जाएगा। वहां, अधिवक्ता लगाए जाएंगे, सम्मन जारी किये जायेंगे, साक्ष्य लिए जाएंगे तथा सुनवाई की एक लम्बी प्रक्रिया चलेगी। स्वयं पीठासीन अधिकारी अपना फैसला देने में एक महीने का समय लेगा। वादी के जीवन का अधिकांश भाग तो इसी में बीत जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हम गरीब आदमी के लिए न्याय प्राप्त कर रहे हैं।

मैं इस विधेयक का समर्थन एक साधारण-से कारण के लिए कर रहा हूं कि कम से कम कुछ समय के लिए मामले का अंत हो। यदि पक्षकार किसी समझौते पर राजी नहीं भी होते हैं तो लोक अदालत उसे एक अधिनिर्णय दे सकती हैं। परन्तु मुझे अधिनिर्णय के लागू होने के बारे में संदेह है। मेरे भाई को मेरी बात सुननी पड़ेगी। लोक अदालत द्वारा दिए गए अधिनिर्णय को कैसे लागू किया जायेगा जब तक कि इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता कि इसे न्यायालय की डिक्री के सामान शक्ति प्राप्त है। इसे लागू करना होगा। यदि इसे लागू करना है तो इसे न्यायालय की डिक्री के समान शक्ति मिलनी चाहिए तथा इसका विशिष्ट तौर पर अनिवार्य रूप से जिक्र किया जाना चाहिए कि लोक अदालत के अधिनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील अथवा पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। मेरी समझ से इस कानून में इस प्रकार का प्रावधान है। यह अच्छी बात है।

दूसरा मुद्दा यह है कि इसे लौटा दिए जाने की स्थिति में क्या विधि क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों अथवा अधिवक्ताओं को बहस प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी। लोक अदालत में अधिवक्ता की सेवाओं की अधिक जरूरत नहीं पड़ती। हम लोक अदालत में बिना किसी अधिवक्ता के मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति सुलह की कार्रवाइयां व आपसी चर्चाएं कर सकता है तथा यहां तक कि एक पर्ची पर साक्ष्य ला सकता है। ये सभी उपाय वहां स्वीकार्य हैं। परन्तु जब यह कानूनी प्रक्रिया का मामला बन जाता है और लोक अदालत सिविल प्रक्रिया संहिता अथवा दंड

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

प्रक्रिया संहिता, जैसी भी स्थिति हो, का पालन करने लगती है, तब कानूनी साक्ष्य लेना अनिवार्य होगा। साक्षियों को सम्मन जारी करने पड़ेंगे। वारंट जारी करने होंगे। मुकदमे को न्यायालय में लौटाये जाने की स्थिति में इन सभी उपायों को अपनाना होगा क्योंकि वहां मामले सिविल प्रक्रिया अथवा दंड प्रक्रिया, मामला जैसा भी हो, के प्रावधानों के तहत निपटाए जाते हैं न कि किसी विवाचक (पंच) की तरह। इसमें निश्चय ही कुछ समय लगेगा।

मुझे शंका है कि ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान होगा कि यदि मामले को न्यायालय के पास लौटाया जाता है तो इन सभी प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु वर्तमान प्रक्रिया यह नहीं है। यदि मामले को न्यायालय में नहीं लौटाया जाता है तथा स्वयं स्थायी लोक अदालत इस मुद्दे के निपटान हेतु इसे स्वीकार करती है तो इसका फैसला निश्चित तौर पर एक निर्धारित समय में होना चाहिए। आप छः महीने की अवधि रख सकते हैं। किन्तु मामले का निपटान अधिक से अधिक छः महीने के भीतर हो जाना चाहिए। किन्तु मामले के जल्दी निपटान पर कोई रोक नहीं है। इसलिए, इसका फैसला अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि इन सभी मामलों में समय तत्व प्राथमिक चिन्ता है। जब तक इस पर तत्परतापूर्वक अनुपालन नहीं होगा तब तक मामला समाप्त नहीं होता है।

अब एक दूसरी परेशानी है जो द्विरावृत्ति के बारे में है। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** ये मामले काफी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इसे शामिल कर लेते हैं तो मैं अभी बैठ जाऊंगा *...(व्यवधान)*

एक दूसरा मुद्दा है। माननीय मंत्री जी काफी कुशल व्यक्ति हैं तथा एक वकील हैं। वे हमारे विधि मंत्री हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं यहां मौजूद हूं। अब मैं अपनी बात इस प्रकार से रखता हूं। संशोधन विधेयक में कुछ जनोपयोगी सेवाओं जैसे यातायात, हवाई सेवा और स्वच्छता प्रबंध का उल्लेख किया गया है। मान लीजिए एक अदालत है, उपभोक्ता संरक्षण अदालत। यह इन सभी मामलों का निपटारा कर सकती है। अब, इस संशोधन विधेयक में, जनोपयोगी सेवा का अर्थ हवाई मार्ग, सड़क अथवा जलमार्ग के माध्यम से यात्रियों अथवा वस्तुओं को ढोने वाली यातायात सेवा से है। डाक, तार तथा दूरसंचार सेवा, बिजली आपूर्ति तथा जल उपभोक्ता अदालत के कार्यक्षेत्र में आते हैं। वे इन सभी मामलों का निपटारा कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* पूरे देश में उपभोक्ता संरक्षण अदालतें हैं। ठीक यही मामला इस अदालत अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण अदालत में भी भेजा जाता है। मामले का निपटारा वहां होता है। मान लीजिए इसी मामले को लोक अदालत में भेजा जाता है, तब द्विरावृत्ति की समस्या पैदा होगी। यातायात और स्वच्छता प्रबंध जैसे ये सभी मामले उपभोक्ता अदालत के प्रावधानों के तहत नियुक्त न्यायाधिकरण में पेश किये जाते हैं। आप लोक अदालतों को इन मामलों को निपटाने के लिए कहते हैं। इसलिए, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। इन्हीं कारणों से, मुझे इन मामलों के संबंध में अपनी स्वयं की शंकाएं हैं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय:** कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** यदि आप कहते हैं तो मैं अभी बैठ जाता हूं। कृपया यह समझने की कोशिश करें कि ये कानूनी मामले हैं। यदि मंत्री महोदय जल्दी में हैं, तो उन्हें इसे पारित करने दीजिए *...(व्यवधान)*

**श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदुर):** चूंकि ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इन्हें माननीय मंत्री को कुछ मूल्यवान सुझाव देने हैं। इसलिए, इन्हें बोलने दिया जाए *...(व्यवधान)*

**श्री अरुण जेटली:** मैं जल्दी में नहीं हूं। कृपया अपना भाषण जारी रखें। *...(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर बोल रहा हूं। यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

**सभापति महोदय:** मैं आपको अपना भाषण समाप्त करने की सलाह देता हूं।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** मैं एक ऐसे गांव से हूं जहां ये अदालतें कार्य कर रही हैं। हममें से प्रत्येक की स्थिति ऐसी ही है। किन्तु मैं कुटुम्ब न्यायालय के कार्यकरण से संबंध रखता हूं। औद्योगिक न्यायाधिकरण हमारे राज्य में विशिष्ट उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। अब, लोक अदालत उनमें से एक है। यह अब तक करीब-करीब एक समझौता कराने वाली अदालत के रूप के कार्य कर रहा है जहां कोई फैसले नहीं लिए जाते। अब संशोधन के माध्यम से कुछ निर्णय सामने आएंगे तथा जब उस निर्णय पर विचार किया जाएगा तो कुछ ऐसे मामले हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा।

एक अन्य पहलू जिस पर वे पहले ही कार्य कर चुके हैं उपभोक्ता संरक्षण न्यायाधिकरणों का कार्यकरण है। ये हमारे देश में कार्य कर रही हैं जहां ये सभी मामले निपटाए जाते हैं। इनमें निर्णय दिए जाते हैं और उन्हें उपभोक्ता अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत लागू भी किया जाता है।

अब, लोक अदालत का अर्थ क्या है? यदि हम गरीब आदमी को न्याय देना चाहते हैं तो हमें इन सभी मामलों में एक निश्चित विचार अपनाना होगा। इसलिए, प्रारंभ में ही मैंने आपसे कहा था कि न्यायिक शक्तियों का स्पष्ट विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक इसमें कोई लाभ नहीं होगा। इसका कारण यह है कि शक्तियां उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में केन्द्रित हैं। एकमात्र सांत्वना या एकमात्र समाधान अथवा एकमात्र अच्छी बात यह है कि हमारे यहां जनहित याचिका दायर करने की व्यवस्था है। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर ने अपने देश में एक नई व्यवस्था बनाई है जो हर जगह उपलब्ध नहीं है। इस व्यवस्था के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश को सम्बोधित कर एक पोस्टकार्ड भी भेज दे तो उसे रिट याचिका माना जायेगा। उस पत्र को भेजने वाले व्यक्ति का पीड़ित पक्ष होना आवश्यक नहीं है। जनहित मामलों में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अभी, हमारे पास यही एकमात्र समाधान है। उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित नई व्यवस्था के शुक्रगुजार हैं किन्तु उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। यह एक दूसरा मामला है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा।

यदि आपको आपत्ति है तो मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। क्योंकि आप मेरी तरह हो। मझे आपके निदेशों का पालन करना होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी सलाह लेता हूं। जब मैं सिविल प्रक्रिया संहिता पर बोलूंगा तब मैं इन सभी मुद्दों को उठाऊंगा। उस दिन, मैं इन सभी मामलों को उठाऊंगा। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है, इसे विकसित किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो सके, गरीब आदमी की सहायता की जानी चाहिए।

**श्री अरुण जेटली:** मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन करने के साथ-साथ कई बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए हैं। मैं, इन स्थायी लोक अदालतों के अंतर्गत प्रस्तावित व्यवस्था को स्पष्ट करूंगा। श्री बंसल ने इस विधेयक का बड़ा ही विस्तृत विश्लेषण किया है। इस समय नागरिकों के पास एक समाधान सिविल न्यायालय जाना है। अनुच्छेद 226 के अनुसार नागरिक को संवैधानिक न्यायालय में जाने का उपाय प्राप्त है जो न्यायालय जाना चाहते हैं वे वकीलों की सहायता लेते हैं, वर्षों गुजारते हैं, अपीलें दायर करते हैं और उच्चतम न्यायालय तक जाते हैं यह उपाय उन्हें उपलब्ध है। इस विधि द्वारा उस उपाय को वापस नहीं लिया गया है।

कुछ ऐसे विशेष उपाय है जिनका प्रावधान कानून के तहत किया गया है और वे नागरिकों को उपलब्ध हैं। यदि किसी को ऐसा लगता है कि उपभोक्ता के रूप में उसके अधिकारों की बेहतर रक्षा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हो पायेगी, तो वह इस अधिनियम के तहत जा सकता है। आप राज्य उपभोक्ता मंच या राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में एक अपील दायर कीजिए और इन मंचों में अपने मामलों को उठाईये। यदि आप यह समझते हैं कि ये मंच अधिक अच्छे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। यह विधेयक विशेष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का एक भाग है। इस अधिनियम के अंतर्गत अध्याय छः में लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। यह अध्याय पहले से ही मौजूद है। उक्त अध्याय के तहत यदि किसी भी नागरिक का मामला न्यायालय में लंबित हो, तो वह या तो न्यायालय के निदेश पर, जहां दोनों पक्ष सहमत होते हैं, अथवा एक पक्ष न्यायालय में मुकदमा दायर करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय मामले को लोक अदालत में भेज सकता है। लोक अदालतों को न्यायालयों द्वारा जो मामले भेजे जाते हैं उनके बारे में, लोक अदालते समझौता कराने का प्रयास करती है। अगर समझौता हो जाये तो बहुत अच्छी बात है और यदि समझौता नहीं होता, तो वे पुनः न्यायालय जाकर अपना समाधान पा सकते हैं। आज भी नागरिकों के समक्ष यह समाधान खुला हुआ है। यदि वह इस अध्याय के अंतर्गत नहीं आना चाहता तो वह अपना मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उठा सकता है या फिर, जैसा कि श्री बंसल ने सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों का उदाहरण दिया, वह व्यक्ति मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष जा सकता है। उस व्यक्ति को ये सभी मंच उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, अध्याय छः के तहत एक मंच है यह समझौता कराने वाली लोक अदालत है। इसमें समझौते का प्रयास किया जाएगा। यदि प्रयास सफल नहीं होता तो यह भी सफल नहीं हो सकता। यह अध्याय विद्यमान उपायों के पहले में नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त है। अतः श्री बंसल के उदाहरण के अनुसार, यदि विधेयक में ऐसा खण्ड है जिसमें यह लिखा हो कि मध्यस्थता के द्वारा मामलों पर निर्णय किया जाएगा तो माध्यस्थम् अधिनियम 1996 के अंतर्गत उन पर मध्यस्थता प्रक्रिया लागू करेगी। यह एक स्वतंत्र समाधान उपलब्ध है। यह ऐसा अध्याय है जो सरकार के विभागों, नगरपालिकाओं, हाऊसिंग बोर्डों, बीमा कंपनियों, टेलीफोन कंपनियों, जहां लाखों विवाद प्रतिवर्ष उभरते हैं, से निपटने वाले नागरिकों को संरक्षण देगा। उसके लिए, कोई भी समय, धन तथा वर्ष बर्बाद करना नहीं चाहेगा। एक छोटे से बिजली के बिल अथवा जल-विवाद के लिए वह सिविल न्यायालय नहीं जाएगा और उन समाधानों को प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए, जल-विवाद और टेलीफोन-विवाद होते हैं। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति सिविल कोर्ट जाकर समाधान प्राप्त करना नहीं चाहता। आपकी ही भांति वह भी इन सभी के उपयोग का अधिकारी है। क्या वह अपना वकील ले सकता है? हमने वकील लेना निषिद्ध नहीं किया है। वह वरन् अपना वकील ले सकता है किंतु यदि वह न चाहे तो उसे वकील लेने की

[श्री अरुण जेटली]

आवश्यकता भी नहीं है। वह केवल एक आवेदन पत्र दे सकता है। एक बार जब वह इस मंच विशेष के समक्ष चला जाता है तो उसकी समस्या का निवारण हो जाएगा। हमारा उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। इसलिए, हमने इन सभी मामलों में फिलहाल दस लाख रुपये की ऊपरी सीमा रखी है। कुछ मामलों में, हमने कहा है कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार इस सीमा को बढ़ा सकती हैं। ऐसा कहने का कारण यह है कि उदाहरण के लिए, एक समस्या मध्यम आय वर्ग के आवास से संबंधित है। दिल्ली या मुंबई जैसी जगह में, इस पर 10 लाख रुपये से अधिक खर्च आता है। ऐसे मामलों में, 10 लाख रुपये से अधिक होने पर हमें शिकायत देनी पड़ती है। इस प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं। यदि वह न्यायालय जाना नहीं चाहता, उपभोक्ता मंच जाना नहीं चाहता, किसी न्यायाधिकरण में जाना नहीं चाहता, उपभोक्ता मंच जाना नहीं चाहता, किसी न्यायाधिकार में जाना नहीं चाहता और यदि वह समझौता कराने वाली लोक अदालत में भी जाना नहीं चाहता और वह एक ही बार में मामले का निपटारा चाहता है तो वह इस मंच विशेष में जा सकता है। यह एक स्वतंत्र मंच होगा। यह मंच वर्षभर, सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में पूरे दिन उपलब्ध होगा। वह व्यक्ति सामान्य न्यायालय में न जाकर यहां अपने विवादों का निपटारा करता है। यदि समझौता हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है अन्यथा यह निकाय, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार इस विवाद पर निर्णय देगा। हमने कहा है कि एक बार मामले में निर्णय देने के पश्चात् वह अंतिम होगा। अत: इस पर रचनात्मक पूर्व न्याय के सिद्धांत लागू होंगे। अर्थात् आपके विवाद का इन मंचों में निपटान हो गया है।

माननीय सदस्य ने जो इस समय अध्यक्षपीठ पर विराजमान हैं, कहा है कि इस प्रावधान के फलस्वरूप गरीब नागरिक को तुरंत और सस्ता समाधान प्राप्त होना चाहिए। यही इसका उद्देश्य है। यह एक वैकल्पिक मार्ग है। यह अनिवार्य मार्ग नहीं है। अत: आप गरीब आदमी को सस्ता वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें समय नहीं लगेगा। जहां वह जाकर अपने विवादों का समाधान करा सकता है। यह समझौतावादी लोक अदालत के वैकल्पिक मार्ग के अतिरिक्त है। यह सिविल न्यायालयों के उपाय, बल्कि सभी उपचारों के अतिरिक्त है। यदि वह इस मंच में जाना नहीं चाहता तो वह इनमें से किसी भी मंच में जाकर समाधान प्राप्त कर सकता है किन्तु जो भी यह समाधान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह एक अतिरिक्त मंच उपलब्ध कराया गया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वादियों की संख्या अधिक होगी विशेषकर छोटे मुद्दों पर जहां उन्हें न्यायालय में जाना पड़ता है और वर्षों का समय बर्बाद करना पड़ता है। उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। जहां तक इस मार्ग का संबंध है तो इससे वही लोग सम्बद्ध होंगे जो इस मार्गविशेष को चुनते हैं।

प्रारूप लेखन के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं और कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। श्री बंसल ने यह मुद्दा उठाया था कि अन्य सेवाओं को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया है। यह एक नया प्रयोग है जिसे हम आजमा रहे हैं। हमने यहां कहा है कि निम्नलिखित सार्वजनिक सेवाओं को स्वत: रूप में शामिल कर दिया गया है। जहां तक अन्य का प्रश्न है, हमने कहा है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें, ये देखने के बाद कि यह प्रयोग कारगर है, तो यदि ऐसी आवश्यकता पुन: उत्पन्न होती है तो वे अतिरिक्त सेवाएं भी जोड़ सकती है। वह हमसे यह भी पूछ रहे थे कि क्या सड़क दुर्घटनाओं से उत्पन्न मामलों को इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं। स्पष्टतया ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि ये मामले आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जो कि प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार क्षेत्र है जिसे छीनकर ज्यों का त्यों लोक अदालत को नहीं दिया जा सकता।

जहां तक प्रक्रिया का संबंध है तो लोक अदालत अपनी ही प्रक्रिया का अनुपालन करेगी. स्पष्टतया: जब वे प्रशासनिक एवं न्यायिक सिद्धान्तों के तहत सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विवादों पर निर्णय देंगी तो वह नैसर्गिक न्याय के निर्णयों का ही पालन करेंगी।

**श्री पवन कुमार बंसल:** जब मैं उपयोगिता सेवाओं की बात कर रहा था तो मैंने यह कहा था। कृपया खंड 22ख देखें, विशेषकर उसकी अंतिम पंक्ति:

> "धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर एक या एक से अधिक लोक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, स्थायी लोक अदालतें स्थापित करेगा।" क्षेत्र की बात समझी जा सकती है। जब आप प्राधिकारी का गठन करने जा रहे हैं, स्थायी लोक अदालतों का गठन कर रहे हैं तो आप यह कहेंगे कि यह केवल ऊर्जा या विद्युत से संबंधित मामलों के लिए है किसी अन्य मामले के लिए नहीं। उस संबंध में, मैंने एक सुझाव दिया है। इस अधिनियम के अंतर्गत गठित होने वाली किसी भी स्थायी लोक अदालत के तहत वे सभी सेवाए आनी चाहिए जिनका आपने विवरण दिया है।

**श्री अरुण जेटली:** मैं, माननीय सदस्य का, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए आभारी हूं। यह भिन्न होगा। हमने खंड 22ख के तहत लचीलापन रवैया अपनाया है। उदाहरण के लिए, दिल्ली, कोलकाता या मुम्बई को ही लीजिए। मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करूंगा कि दिल्ली में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक काम किया है। दिल्ली नगर निगम एक इतना बड़ा निकाय है कि इसके लिए एक स्थायी लोक अदालत कार्यरत है। दिल्ली

विद्युत बोर्ड इतना बड़ा निकाय है कि उसके लिए पहले से ही एक लोक अदालत कार्यरत है। दिल्ली जैसी जगह में लोक अदालत के पास हजारों मामले हैं। नगरपालिका को भी इसके कुछ निकायों के संबंध में लोक अदालत की आवश्यकता हो सकती है। डी.डी.ए. को एक सुदृढ़ निकाय की जरूरत हो सकती है किंतु यदि हम छोटे शहर में जाएं तो हमें मालूम होगा कि मामलों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है।

अत: प्रत्येक लोक उपयोगिता सेवा के लिए आपको एक पृथक लोक अदालत स्थापित करने के लिए अतिरिक्त व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी पांच या छह उपयोगिता सेवाओं के समूह के लिए आप लोक अदालत स्थापित कर सकते हैं। इसलिए 22(ख) में हमने कहा है कि राज्य प्राधिकरण अलग से एक या एक से अधिक लोक उपयोगिता सेवाओं के लिए लोक अदालत अधिसूचित करेंगे। कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हुए हमने उन्हें यह प्रशासनिक छूट दी है। यही कारण है कि हमने यह प्रावधान किया है।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों का समय इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए लिया है। इसका प्रत्येक सदस्य समर्थन करेगा क्योंकि यह नागरिकों तथा वादियों के अनुकूल है।

**श्री पवन कुमार बंसल:** मैं दो बातों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहली बात यह है कि प्रतिवादी द्वारा प्राधिकरण का आदेश मानने से इन्कार करने की स्थिति में क्या होगा और दूसरी बात यह है कि क्या इस आदेश में अपील की जा सकती है।

**श्री अरुण जेटली:** मैं दोनों बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसाकि श्री बंसल ने पहले प्रश्न का स्वयं ही उत्तर दे दिया था कि अधिकांश लोक उपयोगिता सेवाओं में नागरिक को ही घाटा होता है। और वास्तव में लोक उपयोगिता सेवा प्रतिवादी होती है। अत: लोक उपयोगिता सेवा जो विवाद प्राधिकरण के समक्ष लाती है, के खिलाफ किसी भी विवाद का पक्षकार सामान्यतया नागरिक ही होगा। इसलिए टेलीफोन कम्पनी की म्यूनिसिपैलिटी यह नहीं कह सकती कि "हम इसे नहीं मानते।" भाषा यह है कि कोई भी पक्षकार विवाद ला सकता है और फिर प्रतिवादी को मानना पड़ेगा। यही कारण है कि हम नागरिकों के बीच होने वाले विवादों को इसके अंतर्गत नहीं लाये हैं। हम केवल नागरिक और लोक उपयोगिता सेवाओं के बीच विवादों को इसके अंतर्गत लाती हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रतिवादी नागरिक को अनिवार्यत: इसके अन्तर्गत लाया जाये। लेकिन यदि कोई नागरिक त्वरित मंच की सेवाएं प्राप्त करता है तो हम लोक उपयोगिता सेवा बताने के लिए कानून द्वारा बाध्य नहीं है और कम से कम आपको और मुझे तो इन्कार नहीं करना चाहिए।

दूसरा, हमने कहा कि अगर आप एक बार लोक अदालत का रास्ता चुन लेते हैं और वह निर्णय दे देती है, तो वह निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इसका केवल एक ही सुधारात्मक उपाय है जिस पर गम्भीरता से विचार किया गया है कि क्या हम यहां हारने के बाद पुन: न्यायालयों में जाये? इसलिए मुकदमों की संख्या कम करने की बजाय वास्तव में हम इन्हें दुगना कर रहे हैं। सम्भवतया, नियम 226 के अंतर्गत इसका एक मात्र संवैधानिक उपाय दिया गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि सभा इस विधेयक को पारित करे।

**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनयम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**सभापति महोदय:** अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।*

*खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**श्री अरुण जेटली:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 3.59 बजे**

## गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

### पिछड़े लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए नीति बनाना

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** अब हम श्री पुन्नू लाल मोहले द्वारा प्रस्तुत किये गये पिछड़े लोगों के चहुंमुखी विकास की नीति से संबंधित संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री पुन्नू लाल मोहले।

*[हिन्दी]*

**श्री पुन्नू लाल मोहले** (बिलासपुर): सभापति महोदय, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि देश के विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए एक व्यापक नीति बनायें और उसे पांच वर्षों की अवधि के भीतर क्रियान्वित करें।

मैं यह बिल क्यों लेकर आया, इसके लिए मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। मैं शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं 29 हैं। मैं आपको पूरे देश के आंकड़े बताना चाहूंगा। भारतवर्ष की जनसंख्या 102 करोड़ है जबकि छत्तीसगढ़ की 2.07 करोड़ है। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर 18.06 प्रतिशत है जबकि देश की वृद्धि दर 21.34 प्रतिशत है। लिंग अनुपात छत्तीसगढ़ में प्रति हजार पुरुषों पर 990 महिलायें हैं जबकि भारतवर्ष में इसकी राष्ट्रीय दर प्रति हजार पुरुषों पर 933 महिलायें हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर 65.18 प्रतिशत है जबकि पूरे भारतवर्ष में साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या 50.7 प्रतिशत है जबकि पूरे भारतवर्ष में 37.6 प्रतिशत है।

**अपराह्न 4.00 बजे**

छत्तीसगढ़ का नगरीकरण 19 प्रतिशत है और पूरे देश का 27.8 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति 12.2 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है और पूरे देश में 15 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति 32.46 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में हैं जबकि पूरे देश में 8 प्रतिशत है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने वाले 30 से 32 प्रतिशत है।

मैं छत्तीसगढ़ राज्य की कुछ बातें कहना चाहूंगा। वहां 3 संभाग, 16 जिले, 97 तहसीलें, गावों की संख्या 20,308, विद्युतीकृत गांव 18,070, हैंडपम्प 1,02,063, जल आपूर्ति योजना 701, वन क्षेत्र 44 प्रतिशत, कृषि उत्पादन 5409 मीट्रिक टन, सिंचित क्षेत्र 22 प्रतिशत और सड़कों की लम्बाई 33.182 कि.मी. है। मेरा निवेदन है कि भारत की आजादी के 55 वर्षों बाद भी लोगों की आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक स्थिति कमजोर है। मैं सामाजिक न्याय मंत्रालय के कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, वृद्धों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण कार्यक्रमों तथा साथ ही सामाजिक रक्षा और किशोर सामाजिक समायोजन संबंधी कार्य हाथ में लिए गए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में 6,194 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध है। वर्ष 2001-02 में मंत्रालय का कुल परिव्यय 1,332 करोड़ रुपये है, जिसमें पशु कल्याण शामिल नहीं है, जो आयोजना स्कीम के तहत है। अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशेष संघटक आयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है। वर्ष 2001-02 के दौरान 407 करोड़ रुपये इस स्कीम के तहत जारी किए गए जिसमें से 205 करोड़ रुपयों का नवम्बर, 2001 तक उपयोग किया गया है। राज्य सरकारें गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु आय सर्जक गतिविधियों के माध्यम से तथा आबादी बहुल अनुसूचित जाति से सम्बद्ध क्षेत्रों में ढांचागत विकास के सुधार के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करती है। मैला उठाने वालों का उद्धार तथा पुनर्वास करने संबंधी राष्ट्रीय योजना को नया रूप दिया गया है ताकि सर्वाधिक गरीब तथा सर्वाधिक कम रोजगार वाले सफाई कर्मचारी अपने को विकल्प के रूप में दूसरा कार्य ग्रहण हेतु संगठित कर सकें। एक लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों में मैला उठाने वालों को समूहों, सहकारिताओं में संगठित करने के उद्देश्य से सफाई मार्ट स्थापित किए गए हैं और मैला उठाने वालों के लिए भारी संख्या में स्थापित किए जाने वाले ये मार्ट उत्पादन केन्द्र भी बन जाएंगे। ये मार्ट आम आदमी की स्वच्छ आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देंगे तथा इन्हें वाणिज्यिक आधार पर संचालित किया जाएगा।

मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि वर्ष 2001-02 के दौरान मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत गंदगी उठाने वाले व्यवसायों से जुड़े परिवार के बच्चों हेतु नवम्बर, 2001 तक 6 करोड़ रुपये की राशि 4,50,000 लाभ भोगियों के लिए जारी की गई। इस योजना के अंतर्गत 1,55,1000 अनुसूचित विद्यार्थियों के लिए 46 करोड़ रुपये जारी किए गए। पिछड़े वर्षों से सम्बद्ध योजनाओं के वर्ष 2001-02 के लिए आवंटित कुल 79 करोड़ रुपये में से 29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी योजनाओं हेतु वर्ष 2001-02 में आवंटित कुल 40 करोड़ रुपये में से 12 करोड़ रुपये जारी किए गए। अनुसूचित जाति के लड़कों, लड़कियों के छात्रावास निर्माण हेतु वर्ष में

आवंटित 39.10 करोड़ रुपये की तुलना में 16 करोड़ रुपये जारी किए गए। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए किताब बैंक, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ाने और उनकी कोचिंग तथा सहायक गतिविधियों संबंधी योजनाओं के संबंध में भी निधियां जारी की गई। वर्ष 2001-02 में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु वर्ष 2000-01 में उपलब्ध कराए गए 801 करोड़ रुपये की तुलना में 926 करोड़ रुपये का वर्धित केन्द्रीय पूल आवंटन जारी किया गया। मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा कि आज की परिस्थिति में उन लोगों का विकास, चाहे सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक हो, नहीं हो पा रहा है। मैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं का उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले वर्ष प्रधान मंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री सड़क योजना लागू की। पूरे देश में 2007 तक डाबरी रोड बनाने की योजना को शामिल किया गया है। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि पांच वर्षों के भीतर पूरे देश में आवास योजना बनाकर गरीबों को मकान दिये जाने की योजना है। सात करोड़ लोगों को, जो न्यूनतम गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, उन्हें तीन रुपये किलो चावल और दो रुपये किलो गेहूं देने की योजना है। भारत सरकार क्यों नहीं इस तरह की और योजनाएं लागू करती? जो सामाजिक स्थिति से कमजोर हैं, जो सबसे नीचे हैं, सबसे पीछे हैं, उन आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को ऊपर उठाने की भारत सरकार की योजना है। इन लोगों के कल्याण के लिए ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है।

जैसे लोग पढ़-लिख गये हैं, उनके परिवार हैं, लेकिन उनकी झोपड़ी नहीं हैं। गंदी बस्तियां हैं, गंदे नाले के किनारे वे रहते हैं, झिल्ली-पिन्नी के मकान बनाकर रह रहे हैं, उससे उनकी संस्कृति, उनकी व्यवस्था, उनकी दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। हर सांसद के क्षेत्र में इस तरह की अव्यवस्था फैली है। उन गरीब लोगों को एक जून खाने के लिए, रोजी-रोटी भी जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वे दवाई नहीं ले सकते, डाक्टर की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। कई बार उनके परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ज्यादा परिवार होने के कारण उन्हें सिर्फ चावल खाकर ही अपना जीवन बिताना पड़ता है। उनके लिए सब्जी पाना एक प्रकार से भगवान के भरोसे रहने जैसा है। अगर वे सब्जी पा गये तो उनको पूरी तरह से पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। इन परिस्थितियों में सरकार को ऐसे लोगों को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। चाहे विकलांग हों, अन्धे हों, लूले हों, लंगड़े हों, बाहर रह रहे हों, कहीं रेल के किनारे रह रहे हों, शहर के आसपास रह रहे हों, आपने देखा होगा कि आये दिन लोग झोपड़ी बनाकर रहने के बजाय रेल की पटरी के किनारे रहते हैं, रेल के पास पार्क में रहते हैं, यहां तक कि सड़क के किनारे रहते हैं, ऐसे लोगों को कोढ़ है, अपाहिज हैं, इनकी सेवा करना भी हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। सब लोग कहते हैं कि भुखमरी में अगर किसी को खाना दें तो भगवान को खाना दिया, ऐसा कहते हैं, पर सरकारें आज तक उनके ऊपर ध्यान नहीं देती रही हैं। लोगों की गरीबी बढ़ती जा रही है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में भी कहें तो लोगों के लिए साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। देश की स्थिति में कहते हैं कि 52 प्रतिशत से 57 प्रतिशत तक हमने लोगों को साक्षर बना दिया है। क्या लोगों को पहली-दूसरी कक्षा तक पढ़ाने से उनके विकास में कोई गंगा बह जाती है? अगर वे पांचवीं तक भी पढ़ जायें तो क्या कर पाते हैं। अगर दसवीं कक्षा तक लोग पढ़े-लिखे हैं तो उनकी योग्यता के अनुसार व उन्हें कोई नौकरी मिल पाती है और रोजगार योजनाओं में कितने कानून और नियम लगे हैं, उसमें 25 से 50 प्रतिशत रुपये तक पाकर वे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। इस तरह उनका विकास नहीं हो पाता है, बल्कि ज्यादातर विनाश हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। शिक्षित बेरोजगारों की सीमा रेखा को घटाना होगा और आठवीं पास व्यक्ति को भी रोजगार की सीमा में लाना होगा। एक समय सीमा प्रतिबद्ध कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। उनके आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार एक गारण्टी योजना पांच साल के लिए लागू करे।

चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तरांचल हो, चाहे झारखण्ड हो, इनके विकास के लिए, इनकी गरीबी, परिस्थिति और वातावरण को देखते हुए जो नये राज्य बने हैं, उनमें से मैंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देना चाहा कि छत्तीसगढ़ की जनता इससे भी विमुख हो रही है। इसी कारण नये राज्यों की संरचना की गई थी तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और पूरे देश के विकास के लिए भारत सरकार को चिन्ता करने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में कैसे चिन्ता की जायेगी, अगर हम शैक्षणिक स्थिति में लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो आज छुआछूत, भेदभाव, लोगों में तनाव है, आपसी सामंजस्य, मारपीट, यहां तक कि अगर आदमी अशिक्षित है या शिक्षित भी है तो आपने देखा होगा कि गांवों में या शहरों में रोजी-रोटी नहीं मिलने के कारण या तो लोग थोड़ा-बहुत, अपनी गांव की भाषा में कहें तो दारू पीकर अपने जीवन की इतश्री करते हैं, दारू पीकर मनमस्ती के साथ आये दिन जीवन बिताते रहते हैं या जुए में फंस जाते हैं। जुआ खेलकर दिन बिताते रहते हैं या लोग झगड़े-झंझट में फंस जाते हैं। ज्यादा कार्य नहीं मिलने की स्थिति में झगड़े-झंझट में फंसकर या तो आतंकवादी बन जाते हैं या अन्य लोगों से विमुख हो जाते हैं।

[श्री पुन्नू लाल मोहले]

थोड़ी-बहुत खेती-बाड़ी होने के कारण उनकी सही स्थिति में समुचित व्यवस्था नहीं मिलने के कारण लोग लड़ाई-झगड़े में फंस जाते हैं और अपना विकास नहीं कर पाते। वे विकास पर भी ध्यान नहीं देते हैं। उनकी समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण, बिजली नहीं मिलने के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण, उनकी आर्थिक स्थिति में समय पर उन्हें कर्ज नहीं मिल पाता तो वे गरीब लोग कहां जायेंगे, किसके दरवाजे जाएंगे? वे गरीब लोग 2-4 एकड़ जमीन जिनकी रहती है, प्रतिवर्ष ज्यादा परिवार होने के कारण अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं करने के कारण अपनी खेती-बाड़ी बेचकर भी कुछ समय तक गुजारा करते हैं। गुजारा नहीं होने पर वे रोजी-रोटी के लिए बाहर चले जाते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत की सामाजिक दशा को सुधारने के लिए हमारा प्रथम कर्त्तव्य हो जाता है कि गरीब शिक्षित बेरोजगारों को, कम पढ़े-लिखे लोगों का कल्याण करें। ऐसी योजना भारत सरकार क्यों न लागू करे जिस तरह अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए वह कटिबद्ध है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस गरीबी के वातावरण को देखते हुए, लोगों की असामाजिक स्थिति और तनाव की स्थिति को रोकने के लिए सरकार के पास पर्याप्त साधन होना आवश्यक है। मैंने जो अभी आंकड़े दिए, उनके अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया है। अभी दसवीं योजना चल रही है। लेकिन आजादी के इतने दिनों के बाद भी गरीब जिस स्तर से ऊंचा उठना चाहिए था, वह नहीं उठ सका है। गरीबों की शैक्षणिक योग्यता जितनी आगे बढ़नी थी, उतनी नहीं बढ़ पाई है। उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी नहीं बढ़ पाई है, जितनी बढ़नी चाहिए थी। बढ़ी है तो केवल उन लोगों की जिनके पास राजनीतिक संरक्षण रहा, जो बुद्धिजीवी रहे और तिकड़मबाज रहे। बाकी लोग और नीचे आ गए हैं। लोगों में भुखमरी छाई हुई है। उनमें असमानता की स्थिति है। इसलिए उनकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसी सत्र में भारत सरकार द्वारा 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा देने के लिए नियम बनाया गया है, इसी तरह ऐसी नीति लागू की जाए, जिससे मैट्रिक या आठवीं तक पढ़े-लिखे लोगों को एक लाख रुपये से लेकर तीन लाख रुपए तक का ऋण रोजगार शुरू करने के लिए उपलब्ध हो। अभी इस तरह का ऋण उपलब्ध होता है, लेकिन कानून ऐसा नहीं बना कि जिस व्यक्ति को रोजगार शुरू करने के लिए ऋण चाहिए, आसानी से मिल सके। उसे बहुत घुमाया जाता है और उसका बहुत सा पैसा दलाली में चला जाता है, भ्रष्टाचारी में चला जाता है और कुछ पैसा सामान लेने में चला जाता है। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, हमारे यहां अनुसूचित जाति के एक विद्यार्थी को जो मैट्रिक पढ़ा था, प्लास्टिक के जूते बनाने के लिए कारखाना खोलना था। उसके लिए उसे 85,000 रुपये का ऋण पास हुआ। उसमें सिर्फ मशीन ही आ गई। फिर वह बैंक गया अन्य सामग्री खरीदने के लिए ऋण लेने के वास्ते, तो उन्होंने कहा कि हम इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। वह दिल्ली आया सामान खरीदने के लिए, लेकिन सामान नहीं ले सका। एक-दो महीने तक वह यहीं बैठा रहा। हम हम जैसे दो-चार लोगों ने उसको किराए के लिए पैसे दिए और वह वापस चला गया। उसके कारखाने में मशीन लग गई, लेकिन अन्य सामग्री के न होने पर वह उद्योग स्थापित नहीं कर सका। जब हम लोगों ने बैंक वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि नियमों में जो प्रावधान है, उसके अनुसार हम इतना ही पैसा दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए और दे देंगे। ऐसी स्थिति में पिछड़े वर्ग के लोगों की क्या स्थिति होगी, यह सब समझ सकते हैं। इस वर्ग की आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते। मेरा विषय वैसे तो पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति के बारे में विषय पर ही सीमित है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी वर्ग हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, अनुसूचित जाति का हो या जनजाति का, सबके चहुंमुखी विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जो 85,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है, उससे काम नहीं चल सकता। उनको मैटिरियल की भी जरूरत है, नौकरों की भी जरूरत है, मशीन भी चाहिए इसलिए समुचित साधनों के लिए उसे समुचित पैसा भी चाहिए। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कर्ज दें तो उसको अनिवार्य करने की आवश्यकता है। जब तक कर्ज देने वाले को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, उसे दंडित करने का प्रावधान नहीं होगा, तब तक पिछड़ी जाति के लोगों के विकास की सम्भावना नहीं रहेगी। चाहे सामाजिक दृष्टिकोण हो, जो भी अधिकारी या कर्मचारी ऋण देते हैं, वे समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं और वह अनिवार्य हो। सरकार पांच साल के लिए ऐसी योजना लागू करे कि समाज के जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, उनसे पूछा जाए, सर्वे किया जाए, कि कितने लोगों को कौन से काम की आवश्यकता है और वे कौन सा काम करना चाहते हैं। जैसे एक विद्यार्थी को किसी प्रश्न के सही उत्तर के लिए एक, दो, तीन, चार आप्शन में से किसी एक पर राइट का निशान लगाना होता है, उसी तरह इन लोगों के लिए भी चार-पांच प्रकार के कामों का हवाला देकर उनसे पूछा जाए कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। उसके बाद उसकी समीक्षा की जाए। जिले में मानिटरिंग हो। पंचायती राज आ चुका है, उसके अंतर्गत इन लोगों के विकास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम योजना तैयार होनी चाहिए। इसको भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। इन लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, कानूनी और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ऋण देने का प्रबंध किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ऋण दिया जाए तो यह भी निश्चित होना चाहिए कि वह इतने समय तक मिल जाएगा, क्योंकि अभी यह हाल है कि ये लोग तीन-तीन या छः-छः महीने तक घूमते रहते हैं, लेकिन उनको ऋण नहीं मिलता

है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। इसलिए गारंटी योजना लागू की जाए। शिक्षा के क्षेत्र में दसवीं पढ़े-लिखे लोगों के लिए तो ऋण मिल जाता है, लेकिन आठवीं पढ़े हुए लोगों को भी 25,000 रुपए या 50,000 रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान होना चाहिए, जिससे वे भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के बाद गांवों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जगह की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। इसके अलावा 10-20 परिवार के लोग जो टोरे और मजरे में रहते हैं, वहां सात वर्षों में बिजली पहुंचाने की योजना है। टोरे और मजरे में रहने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक हैं। ऐसे लोग भी हैं, परिवार बड़ा होने के कारण रहने के लिए जगह नहीं है। इसलिए गारन्टी योजना को लागू करना चाहिए, जिससे लोगों का विकास हो सके। गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग अच्छे ढंग से मकानों में रह सकें। इसके अलावा गांव में अभी तक 200 की जनसंख्या के आधार पर स्कूल हैं, अगर वहां पचास की जनसंख्या है और एक किलोमीटर की दूरी भी है, तो वहां स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही वहां मास्टर होना चाहिए, टाट-पट्टी होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, ताकि वहां अच्छी तरह से पढ़ाई-लिखाई हो सके। जब तक वहां ये सुविधायें नहीं दी जायेंगी, तब तक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा। हमें पांच वर्षों में ऐसे कार्य करने चाहिए, जिससे हम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सुधार नजर आयें।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि पांच वर्षों के अन्दर आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर सुधार के लिये योजना लागू करे। जिस प्रकार 12 प्रतिशत सिंचाई में, 16 प्रतिशत अन्य कार्यों में और 44 प्रतिशत अन्य चीजों में विकास की है, उसी तरह से भारत सरकार 50 प्रतिशत कल्याण के लिए पांच वर्षों में योजना को लागू करें, जिससे उनका विकास हो सके। उनके लिए पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। चावल दो-तीन रुपए प्रति किलो मिलता है, लेकिन क्या चावल लेकर वे अपना जीवन-यापन कर लेंगे। हमारे देश में अन्न का इतना भंडार है कि अगर सात साल भी अकाल पड़ जाए, तो भारत का कुछ भी नहीं होने वाला है। भारत बड़ी आसानी से पालन-पोषण कर सकता है। हमारे यहां खाद्य सामग्री सड़ने की स्थिति में है, इसलिए जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, जो 32 प्रतिशत हैं, उनको सुविधा दी जाए। इसके अलावा कपड़े और मिट्टी का तेल गांवों में सोसायटी बनाकर दिया जाए, ताकि वे कम खर्च में अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जीवन-यापन कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें।

अंत में, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा, इन बातों को देखते हुए, पांच वर्षों में गांवों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सुधार की दिशा में योजना बनाए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, श्री मोहले द्वारा प्रस्तुत संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे संकल्प का मैं इंतजार कर रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के 55 वर्ष बीत चुके हैं। इन 55 वर्षों में जनसंख्या 102 करोड़ हो गयी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब हम 'वन्दे मातरम' गीत गाते थे तो एक शब्द बोला जाता था द्विसप्तकोटी अर्थात सात करोड़ का दुगना। इसका मतलब यह हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारी जनसंख्या 14 करोड़ से 20 करोड़ के बीच थी। आज हमारी जनसंख्या 102 करोड़ है। इसका मतलब यह हुआ कि 102 करोड़ की जनसंख्या का आंकड़ा पूरे देश की जनसंख्या की है। इस संकल्प पर चर्चा करने से पहले हमें पीछे की परिस्थितियों पर नजर डालनी पड़ेगी। काफी संघर्ष करने के बाद ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आजादी से पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी? 200 वर्षों तक भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा और दुर्भाग्य से इस विदेशी शासन ने हमारी व्यवस्था को पूरी तरह पंगु बना दिया था अंग्रेज केवल एक ही प्रणाली विशेष का विकास करना चाहते थे और वह भी केवल अपने हितों की रक्षा के लिए। ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में था। अगर हम आपके इतिहास के पन्ने पलटे तो यह पायेंगे कि हमारे देश में ब्रिटिश शासन से पहले मुगल शासन, और उससे पहले पठान शासन था और उससे पहले सामंती प्रथा प्रचलित थी। सामंती प्रथा में शासक और शासित के बीच राजा और प्रजा का संबंध होता था। हमारे देश में राजा और प्रजा के संबंधों का इतिहास कभी अच्छा तो कभी बुरा रहा है। पूर्व में किस तरह शोषण, अत्याचार, दमन किया जाता था, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आधुनिक भारत से एक उदाहरण देते हुए मैं चर्चा आरम्भ करूंगा। हम हमेशा गर्व से कहते हैं कि बंगाल प्रगतिशील है, वहां कोई साम्प्रदायिक तनाव, जातिवाद, छूआछूत तथा धर्मान्धता नहीं है। लेकिन उसी बंगाल में स्वतंत्रता से पहले हुई कुछ घटनाओं का उल्लेख करना यहां आवश्यक है हम राजनीति के छात्रों को पढ़ाया जाता था कि छूआछूत, भेदभाव तथा शोषण हमारे देश में व्यापक रूप से फैला हुआ है। राजा राम मोहन राय समाज सुधार में व्यस्त थे और विद्यासागर भी शिक्षा के प्रचार व प्रसार के माध्यम से समाज सुधार में लगे हुए थे। हमने देखा है कि ऊंची जाति के हिन्दुओं में कम उम्र में ही लड़कियों की शादी करने की प्रथा थी। उन दिनों ऊंची जाति के हिन्दुओं में यह प्रथा आवश्यक बुराई के रूप में फैली हुई थी। जब उन लड़कियों के पति की मृत्यु हो

*मूलत: बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

जाती थी और वे विधवा हो जाती थी तो उनका जीवन पूर्णतया बर्बाद हो जाता था। राजा राम मोहन राय हिन्दू समाज में फैली इस कुप्रथा का विरोध किया। विद्यासागर ने कम उम्र की लड़कियों के प्रति किये गये इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठायी और विधवा विवाह का समर्थन किया। पति की मृत्यु के पश्चात युवतियों को सती के नाम पर चिता में जिंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने इस कुप्रथा के विरुद्ध भी आवाज उठायी और कानून के माध्यम से इस पर रोक लगाई। तस्वीर का यह एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू भी है। हम सभी जानते हैं कि बंगालियों के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर का विशेष महत्व है। कलकत्ता जाने वाला कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हमेशा दक्षिणेश्वर जाने की इच्छा व्यक्त करेगा। इस काली मंदिर का निर्माण मछुआरे समुदाय की सदस्या शनी रशमोनी द्वारा किया गया था। वह इस मंदिर का निर्णय गंगा के दूसरी ओर अर्थात बाली में करना चाहती थी। लेकिन बाली क्षेत्र के ऊंची जाति के ब्राह्मणों ने रानी रशमोनी को वहां मंदिर नहीं बनाने दिया क्योंकि वह नीची जाति की थी। इसलिए उसने दक्षिणेश्वर में अपनी भूमि पर ही मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के पश्चात उसे अपनी जाति के कारण पहली पंक्ति से प्रसाद नहीं लेने दिया गया। उन्हें किसी ओर से प्रसाद लेना पड़ा था। हालांकि जिस भूमि पर मंदिर बनाया गया वह उसी की थी। यह वही स्थान है जहां रामकृष्ण ने काली की तपस्या की थी और जहां विवेकानन्द उनके प्रमुख शिष्य बने थे। सभापति महोदय, उस समय ऐसी सामाजिक प्रथा थी, जब नीची जाति की होने के कारण रानी रशमोनी के साथ ऊंची जाति के लोगों ने ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था। महोदय, जिन्हें हम पिछड़े, अल्प सुविधा प्राप्त शोषित, दलित-अनुसूचित जाति के लोग कहते हैं वे ही सम्पूर्ण भारत में 500 वर्षों से भी ज्यादा समय तक अन्याय का शिकार रहे हैं।

गांधी जी ने यह महसूस किया कि जब तक इन शोषित व दलित वर्ग के लोगों को स्वतंत्र नहीं कराया जायेगा, तब तक देश के आजाद होने का कोई अर्थ नहीं है। वे इन लोगों को भगवान के जन (लोग) हरिजन मानते थे। उन्होंने उनके लिए जो शब्द चुना था, आजकल कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठायी है। लेकिन उन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा, वे उनके साथ भी रहे, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए योजना भी बनाई और उस नाम से एक पत्रिका भी प्रकाशित की। यह सही है कि स्वतंत्रता के 55 वर्षों के बाद भी विकास के संबंध में हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। स्वतंत्रता के समय हमें थोड़ी कृषि भूमि मिली-जिसके मालिक जमींदार, राज-महाराजा, सामंत थे। जवाहर लाल नेहरू ने यह महसूस किया कि यदि भूमि के स्वामित्वाधिकार भूमि की जोत की व्यवस्था का मामला निपटाया नहीं गया, यदि निर्धन के अधिकार उसे पुन: दिलाए नहीं गये तो गांधीजी के सपने की शुरुआत में ही धक्का पहुंचेगा। यह सही है कि कांग्रेस पार्टी में कोई विवाद, वैचारिक मतभेद था। इसके बावजूद जमींदारी प्रणाली के समाप्त होने के बाद निर्धन लोगों में भूमि वितरित करने के लिए नियम बनाए गए। इसके बाद यह देखा गया कि कानूनी खामियों के माध्यम से भूमि को अपने अथवा किसी नकली नाम में गुप्त रूप से हस्तांतरित करके निर्धन लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। हमारे लिए फसल कौन उगाता है? हमारे लिए मछलियां कौन पकड़ता है? हमारे लिए कपड़े कौन बुनता है? ऐसे लोग, चाहे वे हिन्दू हों अथवा मुसलमान, जो हमें भोजन, कपड़ा देते हैं और हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, वे सर्वाधिक पिछड़े और वंचित रह गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें मनुष्य के रूप में उनके अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। आवश्यक विधिक प्रक्रिया के पश्चात् भूमि सुधार के बावजूद इन लोगों की भूमि के स्वामित्वाधिकार पुन: प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप देश में काफी प्रतिक्रिया हुई। आज हम नक्सलवादी आंदोलन की निंदा कर रहे हैं, हम यह चर्चा कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूजी को कैसे समाप्त किया जाए। यह सम्भव है कि हम उनके विचार से सहमत नहीं हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम हथियारों में विश्वास नहीं रखते। परन्तु हमें सत्य को मानना होगा। जब एक वंचित व्यक्ति, वंचित किसान यह देखता है कि वह इतनी मेहनत से जिस फसल का उत्पादन कर रहा है उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उसे उसके अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो उसका दमन, मानसिक संघर्ष उद्वेलित होता है और थोड़े समय के बाद उसका विस्फोट होता है और या यह ज्वालामुखी में परिवर्तित हो जाता है। तब हम उस विस्फोट को रोकने के लिए बीएसएफ अथवा सीआरपीएफ को भेजते हैं। वह क्षेत्र, जहां से पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, मेरे जिले, निर्वाचन क्षेत्र के बहुत नजदीक है। मैंने उन गांवों का दौरा किया है और काफी अध्ययन के बाद मैंने यह पाया कि यदि भूमि सुधार को सही ढंग से कार्यान्वित किया गया होता तो इस आंदोलन की शुरुआत ही नहीं होती। हमने भूमि सुधार को अपनाया परन्तु यह कागजों तक ही सीमित रहा। हम इसे सही दिशा में कार्यान्वित करने में विफल रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के आसपास के क्षेत्रों में अशांति जारी है। उस राज्य में हमारी पार्टी कई वर्षों तक सत्ता में रही। वहां भी मैंने यह पाया कि यदि भूमि सुधार का सही ढंग से कार्यान्वयन हुआ होता तो, यदि निर्धन पिछड़े, अनुसूचित जातियों को उनके भूमि अधिकार लौटा दिये गये होते तो वे हथियार नहीं उठाते और हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस मुद्दे को सभा में एक अथवा दो बार उठाकर, गोष्ठी आयोजित और चर्चा करके यह मान लिया कि यह मामला खत्म हो गया है। हमने इस समस्या की तह तक

जाने की कभी कोशिश नहीं की है। आज यह संकल्प सभा के समक्ष हैं और मुझे इन मुद्दों पर बोलने का मौका मिला है।

अपराह्न 4.27 बजे

[डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

महोदय, सर्वप्रथम आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से स्मरण कराना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू ने योजना बनानी शुरू की थी। उन्होंने यह कहा था कि भारत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस पार्टी में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हाजीपुरा कांग्रेस में योजना बनाये जाने का उल्लेख किया था। उन्होंने मेघनाद साहा को अध्यक्ष चनुने के बाद योजना आयोग पर कार्य करना शुरू किया था। स्वतंत्रता के बाद नेहरूजी ने यह देखा कि उन्हें विरासत में एक ऐसा देश मिला है जहां सामंतवाद फैला हुआ था और जिसे अंग्रोजों ने पूरी तरह से खोखला कर दिया था और वे हिन्दुओं और मुसलमानों में मतभेद पैदा करके चले गए थे। जिसके परिणामस्वरूप देश का बंटवारा हुआ और भारी संख्या में शरणार्थी आते गए। उन्हें एक ऐसा देश मिला है जिस पर स्वतंत्रता के समय ही कश्मीर पर आक्रमण हुआ था और जिसे स्वतंत्रता के बाद कुछ ही वर्षों के भीतर 1962 में चीनी आक्रमण का पहला आघात झेलना पड़ा था। जवाहर लाल नेहरू को विरासत में एक ऐसा देश मिला था जहां उद्योग नहीं थे और कोई सिंचाई प्रणाली नहीं थी। वे प्राथमिकताओं की सूची निर्धारित करने में किंकर्तव्यविमूढ़ रहे। क्या प्राथमिकता कृषि अथवा उद्योग, सिंचाई अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा विद्युत की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में उनका 1948-1952 तक, 1952-57 तक का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण था। उस अवधि के दौरान एक ओर तो भारी संख्या में शरणार्थी आते रहे और दूसरी ओर कश्मीर पर आक्रमण किया गया और दंगे भी होते रहे। देश में पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं थी। हमें खाद्यान्नों का अन्य देशों से आयात करना पड़ा। इस परिदृश्य में नेहरू ने योजना बनानी शुरू की। वे यह जानते थे कि यदि हम उद्योग, सिंचाई के लिए अवसंरचना नहीं लाये तो हमें बुरी तरह से विफलता का सामना करना पडेगा। आज हम खाद्यान्न खाद्य निगम के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर राज्यों को प्रदान करने के लिए हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न भण्डार हैं। परन्तु ऐसा भी समय था जब हम रंगून से चावल और फोर्ड फाउंडेशन से गेहूं के बिना राशन की दुकान पर नहीं जा सकते थे। उस समय नेहरू जी ने यह कल्पना की थी कि एक दिन में हरित क्रांति नहीं ला पाएंगे। वे जानते थे कि वे केवल एक दिन में राजस्थान, उड़ीसा अथवा केरल में हरित क्रांति नहीं ला सकते। वे यह जानते थे कि उन्हें हरित क्रांति की शुरुआत किसी क्षेत्र विशेष से करनी होगी। उन्होंने भाखड़ा नंगल से इसकी शुरुआत की, उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से की, पंजाब ने यह कर दिखाया और पंजाब के बाद पूरा देश हराभरा हो गया। हरित क्रांति पूरी हुई और इसके बाद सफेद क्रांति भी सम्पन्न हुई। हमारे पास पर्याप्त खाद्य, दुग्ध भण्डार हैं। हमारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फिर भी हमारे देश में इतनी अशांति, इतना अधिक आंदोलन और इतना अधिक साम्प्रदायिक संघर्ष क्यों है। इसका क्या कारण है? विदर्भ के लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी उपेक्षा क्यों की जा रही है? पुणे में स्थिति ठीक क्यों है? छत्तीसगढ़ न्याय पाने की गुहार क्यों लगा रहा है और उसे ऐसा क्यों लगता है कि भोपाल में स्थिति ठीक है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उत्तरी बंगाल को दर किनार कर दिया गया है? आज उड़ीसा शोर क्यों कर रहा है? आज तटवर्ती क्षेत्र पीड़ित क्यों हैं जबकि भुवनेश्वर प्रगति कर रहा है? आंध्र प्रदेश अपनी आवाज क्यों उठा रहा है? हमें इस शोर-शराबे और फुसफुसाहट के पीछे कारणों की तह तक जाना होगा। इसका कारण यह है कि योजना केवल दिल्ली से ही नहीं बनाई जा रही है। यदि नई दिल्ली द्वारा कतिपय राज्यों के पिछड़े समुदाय, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए थोड़ी निधि आवंटित की जाती है, तो इस निधि के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा निर्णय किया जाता है और उसमें दोनों का हिस्सा होता है। केन्द्र सरकार निधि जुटा सकती है क्योंकि उसके पास ऐसा करने की क्षमता है। परन्तु जब राज्य अपने हिस्से की निधि जुटा नहीं पाता है तो पूरी की पूरी योजना अधर में लटक जाती है। इसके परिणामस्वरूप असमानता की खाई बढ़ती जाती है और इसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के लिए अलग-अलग राज्यों की मांग तूल पकड़ लेती है और लम्बे समय के लिए आंदोलन की शुरुआत हो जाती है।

अब वास्तव में स्थिति यह है कि राज्य और केन्द्र सरकार की आर्थिक अवसंरचना का समुचित स्वरूप इस कार्य को करने में विफल हो रहा है क्योंकि 55 वर्षों तक जो भी राजनैतिक पार्टी, सत्ता में ही है, वे अपनी भूमिका निभाने में असफल रही है और इसके बाद विकास योजना को छोड़ दिया गया है। इस कटु सत्य से सहर्ष स्वीकार करना होगा। आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री विज्ञान भवन में एकत्रित होकर प्रधान मंत्री से मिलते हैं। वे अपने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करके निधियों की मांग करते हैं। किसी को हिमाचल के पिछड़े क्षेत्र में पुल के निर्माण हेतु निधि चाहिए तो किसी को उत्तरी बंगाल के पिछड़े क्षेत्र में कार्य के लिए राशि चाहिए और किसी को उड़ीसा में पिछड़े क्षेत्र में विकास कार्य हेतु निधि चाहिए। परन्तु जब विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री किसी विशिष्ट योजना के लिए निधियों का आवंटन कराकर अपने-अपने राज्यों में वापस लौटते हैं तो उन्हें अपने हिस्से का राजस्व जुटाने में

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस प्रकार पूरी योजना धरी की धरी रह जाती है। एक दशक के बाद पुन: राज्य के पिछड़ेपन की गुहार लगानी शुरू हो जाती है। इतने वर्षों से यही सब चल रहा है।

अत:, हमारे मन में पहला प्रश्न यह आता है कि क्या राजस्व संग्रहण के बारे में केन्द्र और राज्य सरकारों के दृष्टिकोण में कोई कमी है। राज्यों को कई अनिवार्य क्षेत्रों में राजसहायता मिल रही है। वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए लगभग सत्तारूढ़ सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा विद्युत और अन्य कई वस्तुओं की नि:शुल्क आपूर्ति की जा रही है। इसके फलस्वरूप हम राज्यों की पिछड़ने में न केवल मदद ही कर रहे हैं बल्कि हम अपने देय की योजना के मूल ढांचे, पर जैसाकि गांधीजी ने स्वप्न देखा था, पर कुठाराघात कर रहे हैं। परिणामत: विभिन्न राज्यों में भेदभाव, असमानता बढ़ती जा रही है। आज मैं सभा के समक्ष भेदभाव, असमानता बढ़ती जा रही है। आज मैं सभा के समक्ष भेदभाव वे कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। छत्तीसगढ़ का प्रश्न उठाया गया है। हमें इस पर विचार करना चाहिए।

महोदय, पचपन वर्षों के बाद अब दसवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाली है। क्या हम दसवीं योजना मैं नई दिशा को अपना नहीं सकते हैं? क्या हम यह नहीं कह सकते कि इन 55 वर्षों तक हम राज्यों की बात सुनते रहे हैं, हम दिल्ली की बात सुनते रहे हैं? अब समय आ गया है कि हम उन क्षेत्रों पर विचार करें जो भारत में 55 वर्षों के बाद भी पिछड़े हुए हैं। हमें इनकी सूची बनानी होगी। मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र पिछड़ रहा है? राजस्थान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कौन सा क्षेत्र पिछड़ रहा है? एक इनकी एक सूची तैयार करने के बाद हमें इनके पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना होगा? क्या यह आवंटित निधि का कार्यान्वयन न होने के कारण है अथवा विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित राजस्व की प्राप्ति न होने के कारण है? अथवा क्या यह राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यक्रम समय पर प्रस्तुत न किए जाने के कारण हैं? अत:, दो सूची बनानी आवश्यक है। एक सूची में पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार समस्याओं से निपटने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने के संबंध में राज्य सरकारों की विफलता दर्शायी जायेगी। दूसरी सूची में यह तथ्य बताया जाए कि राज्य सरकार ने इस समस्या को प्राथमिकता दी थी और केन्द्र सरकार ने निर्धारित धनराशि को आवंटित करना स्वीकार कर लिया था और उसे जारी भी कर दिया था। परन्तु राज्य सरकार अपने हिस्से का राजस्व जुटाने में विफल रही है। इसलिए पूरा कार्यक्रम अधर में लटक गया है। योजना आयोग की प्रत्येक राज्य से संबंधित इन दो कारणों के गहन अध्ययन के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। इसमें विवाद का कोई कारण नहीं है। किसी भी राज्य में चाहे जो भी पार्टी सत्तारूढ़ हो, हमें सूचना एकत्रित करके निधियां प्रदान करने का निर्णय करना चाहिए। हमें उड़ीसा अथवा मध्य प्रदेश, अथवा पश्चिम बंगाल अथवा इलाहाबाद में उस क्षेत्र विशेष को इंगित करना चाहिए जिसके विकास के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है। यदि हम नई दिल्ली को संतुष्ट करते हुए साहसपूर्वक और दृढ़ता के साथ यह शर्म कर लें और इसे संसद से अनुमोदित करा ले तो दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा और इसे एक नई दिशा मिलेगी। यह बहस और भेदभाव का विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। यदि हम यह नहीं कर पाएं तो मैं अपने भविष्य के प्रति आशंकित हूं। ब्रह्म संगत में एक पंक्ति है। "याद रहे कि कयामत का दिन बहुत खतरनाक है।" मुझे उस दिन की आशंका है जिसका हमें एक दिन सामना करना पड़ेगा और जब उस समय हम अपनी अखंडता को अक्षुण्ण नहीं रख पाएंगे। हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। परन्तु, सच्चाई यह है कि लोग विकास के मामले में भ्रमित हो गए हैं।

मैं पश्चिम बंगाल में विशेषकर एक क्षेत्र के बारे में उल्लेख करूंगा। मैंने इसका अनगिनत बार उल्लेख किया है। आज मैं यह बात पुन: दोहराऊंगा कि पश्चिम बंगाल का मतलब कोलकाता नहीं है, पश्चिम बंगाल का मतलब दुर्गापुर नहीं है, जैसाकि उड़ीसा का मतलब भुवनेश्वर अथवा कटक नहीं है। राजस्थान का मतलब केवल जयपुर, जोधपुर अथवा बीकानेर नहीं है। हम भारत को कुछ विकसित शहरों के नामों के नजरिये से देखते हैं। मध्य प्रदेश का मतलब इन्दौर, ग्वालियर, भोपाल, बिहार का मतलब पटना, भागलपुर, झारखंड का मतलब रांची, बंगाल का मतलब दुर्गापुर सिलीगुड़ी, कोलकाता होता है। परन्तु यह उचित नहीं है। इसी दृष्टिकोण के कारण हम अपनी प्राथमिकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं। राज्यों को उनके जिलों के आधार पर देखा जाए और जिलों को उनके वंचित, उपेक्षित भीतरी भागों के आधार पर देखा जाये। यदि हम उपेक्षिक खंडों (ब्लाकों) की समस्याओं पर ध्यान नहीं दें तो हम इसका स्पष्ट आकलन नहीं कर सकते। इसीलिए हम अपनी आयोजना बनाने में असफल हुए है। आज सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, बांकुरा, पुरुलिया, बीरभूम आदि भी पश्चिम बंगाल में ही हैं और संपूर्ण उत्तरी बंगाल में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दो दिनाजपुर-उत्तरी और दक्षिण, माल्दा, मुर्शिदाबाद का कुछ भाग तथा दार्जिलिंग आते हैं। ये सभी क्षेत्र कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मैं उनके दु:ख को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हर कोई नौकरी पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कलकत्ता, दिल्ली, बंगलौर चाहता है। किसी दूसरी जगह कोई नहीं जाना चाहता। इसकी वजह यह है कि हमारी आयोजना में दोषपूर्ण आर्थिक अवसंरचना होने के कारण पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ गये हैं। मोहले जी के इस संकल्प में भी उनके सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ जाने का उल्लेख किया गया है।

सभापति महोदय, उत्तरी बंगाल में राजवंशी नामक एक समुदाय है। वे लोग अनुसूचित जाति के हैं। राजवंशी शब्द सुनने में अच्छा लगता है। इसका अर्थ है राजाओं के वंशज। जी हां, वे राजसी परिवार से थे। लेकिन दुर्भाग्य से, आज इस समुदाय की स्थिति बहुत ही दयनीय है, आप उन्हें वास्तव में असहाय कह सकते हैं। जब तक इनके गांवों का दौरा न किया जाये, तब तक इन लोगों की असहाय स्थिति को समझ पाना कठिन है। उनके सिंह, रॉय, बर्मन, चौधरी, सरकार उपनाम हैं। उनकी अपनी कृषि भूमि है। आज वह जमीन अंतरित कर दी गई है। उनकी अपनी एक विशेष संस्कृति थी। आज उनकी संस्कृति पर प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है। यह समुदाय इतना शांतिप्रिय है कि शैव, 'शक्ति' अथवा वैष्णव धर्म को अपनाने के हिंदु समाज में हुए संघर्ष के दौरान, इन्होंने वैष्णव धर्म अर्थात् सहनशीलता, अहिंसा का धर्म अपनाया। इन सभी जिलों में इस समुदाय का बहुत अधिक दमन और शोषण किया गया है क्योंकि उन्होंने हमारे देश के मूल आदर्श स्वीकार किए हैं। उन्होंने विभाजन के बाद शरणार्थियों को शरण दी। वे अन्य लोगों के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते थे। आज उन्हें लगता है कि उनके साथ भेद-भाव बरता जा रहा है। उस क्षेत्र की सीमा भूटान, नेपाल और बंगलादेश से सटी हुई है। आप इस क्षेत्र से गुजरे बिना असम, मेघालय अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं जा सकते। लेकिन छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के बाद यह क्षेत्र इतना पिछड़ गया है कि मुझे डर है कि नक्सलवादी आंदोलन की तरह, कहीं कोई और आंदोलन न छिड़ जाये। नक्सलवादी शब्द का उद्भव उत्तरी बंगाल से हुआ। मुझे डर इस बात का है कि यदि हम उनकी शिकायतों को तत्काल दूर नहीं करते और उनका उद्धार नहीं करते तो एक दिन ऐसा भयानक विस्फोट होगा जिसकी विकरालता नक्सली आंदोलन के प्रभाव से कहीं अधिक होगी। इस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए कितने विद्यालय खोले गये हैं? पूरे उत्तरी बंगाल में आदिवासी लड़कों और लड़कियों के लिए अच्छे छात्रावास कितने हैं? रायगंज शहर में एक खत्री छात्रावास था। सरकार इसका भी रखरखाव नहीं कर सकी और इस छात्रावास की पूर्णत: उपेक्षा की गई है। मैं गांव-गांव घूमा हूं। आदिवासी बच्चों के लिए बनाये गए प्राथमिक विद्यालयों की छत तक नहीं है।

सभापति महोदय, मैंने 1993 में पश्चिम बंगाल में 1400 कि.मी. की पदयात्रा की थी। मैं सुबह 6 बजे अपनी पदयात्रा शुरू करता था और सूर्यास्त होने तक अपनी पदयात्रा जारी रखता था। मैंने गांव-गांव नंगे पांव जाकर 1400 कि.मी. की यात्रा की है। मैंने इसका प्रचार तक नहीं किया, मेरी पदयात्रा के दौरान न तो दूरदर्शन के लोग मेरे साथ थे और न ही कोई पत्रकार। राजनीतिशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में, मैंने यह यात्रा शुरू की ताकि गांवों के घटनाक्रमों के बारे में स्वत: सही-सही जानकारी प्राप्त कर सकूं। बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद मैंने गांवों में प्रेम और सद्भावना यात्रा की। मैंने एक डायरी भी रखी जिसमें मैं 1400 कि.मी. लंबी यात्रा के दौरान प्राप्त अपने अनुभवों को लिखा करता था। मैं इसे 'पद यात्री डायरी' नाम से अगले माह प्रकाशित कराऊंगा।

सभापति महोदय, अपनी यात्रा के दौरान, मैंने अनुसूचित जातियों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के गांवों का दौरा किया है। मैंने आदिवासी लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय देखें हैं जहां न तो छत थी और न ही शिक्षक। मैंने रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। किसी विद्यालय की स्थापना नहीं की गई है, यहां तक कि अब छात्र बिना छत और शिक्षकों के विद्यालय जा रहे है। वहां गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल की बात तो दूर, कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक नहीं है। जब बाढ़ आती है तो वे भगवान के भरोसे अथवा नीमहकीमों के भरोसे बैठ जाते हैं क्योंकि वहां आस-पास कोई अस्पताल नहीं है। वहां भक्ति नामक एक स्थान है। बाढ़ के दौरान दस हजार से ज्यादा लोग उस पहाड़ी पर शरण लेते हैं जोकि इस कक्ष से भी छोटी जगह है। इन असहाय लोगों को जहरीले सांपों और बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ता है।

**सभापति महोदय:** कृपया अपनी बात समाप्त करिये।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा।

**सभापति महोदय:** आपने प्रस्ताव करने वाले सदस्य से ज्यादा समय ले लिया है।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** महोदय, मैं बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

महोदय, यदि किसी योजना विशेष के लिए आवंटित निधियों को उचित रूप से और समय पर खर्च नहीं किया जाता है तो उससे विकास कार्य प्रभावित होता है और विकासात्मक कार्यक्रम में भी बाधा आती है।

मोहले जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, वह काफी महत्वपूर्ण है। मुझे छत्तीसगढ़ के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस संकल्प पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और समुचित उपाय करें। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की संख्या कितनी बढ़ रही है। हमें इस संबंध में आंकड़े तैयार करने चाहिए। आंकड़े इकट्ठे करके दसवीं पंचवर्षीय योजना इस प्रकार तैयार की जा सकेगी जिससे हमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस तरह का कोई दूसरा संकल्प लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री अनादि साहू** (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं पुन्नूलाल मोहले जी को बधाई देता हूं कि वह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु समय पर यह संकल्प लेकर आये हैं। हालांकि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का अत्यधिक उल्लेख किया लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जो कुछ भी कहा, वह पूरे देश की और आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से, दोनों में पिछड़े क्षेत्रों की सच्चाई है। मैं शैक्षणिक पिछड़ेपन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

महोदय, जब हम पिछड़े लोगों और पिछड़े क्षेत्रों की बात करते हैं तो हमें इस क्षेत्र में वर्ष 1955 में काका केलकर द्वारा जरूरत पड़ने पर दी गई सहायता की भी सराहना करनी चाहिए। उन्होंने भारत की जनता के पिछड़ेपन का व्यापक अध्ययन किया। हालांकि बाद में मंडल आयोग ने इसे केवल जाति प्रथा तक ही सीमित रखा, लेकिन आप इस बात को समझेंगे कि काका केलकर की रिपोर्ट में इसे केवल जाति तक ही सीमित नहीं रखा। इसमें आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर विचार किया गया था। यहां तक कि उस समय उन्होंने कहा था कि महिलाएं भी पिछड़ी हुई हैं। और आज भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। इस व्यक्ति की दूरदर्शिता देखिए जब उन्होंने पिछड़ेपन को वर्गीकृत किया था।

महोदय, 1955 में उन्होंने पिछड़ेपन के क्या मानदंड बताये थे? उन्होंने उस समय जो कुछ कहा, वह आज भी सही है। पिछड़ेपन के वर्गीकरण में उन्होंने कुछ मानदंड सूचीबद्ध किए। पहला, ऐसे व्यक्ति, जो हाथ से काम करते हैं, दूसरा, ऐसे व्यक्ति, जो धूप में तथा खुले आसमान के नीचे बैठकर काम करते हैं, तीसरा, भूमिहीन लोग। जब उन्होंने भूमिहीन लोगों की बात कही, तो उन्होंने पट्टेधारी अधिकारों तथा भूमि अंतरण जैसे कारकों पर भी विचार किया। उन्होंने उन दिनों में भूमि अंतरण कारक पर क्यों विचार किया, इस का कारण इस तथ्य से भली-भांति समझा जा सकता है कि आज भी जनजातीय लोगों की जमीन ऐसे लालची लोग बेमानी से हथिया रहे हैं जो किसान नहीं है। वे उनकी जमीन छीन लेते हैं, उस पर हक जमाते हैं लेकिन उसे जोतते नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने लोगों के पिछड़ेपन को आंकने के लिए भूमि अंतरण के इस कारक पर विचार किया।

महोदय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी नक्सलवादी आंदोलन की बात कर रहे थे। इसकी शुरुआत नक्सलवादी क्षेत्र में कृषि भूमि सुधार संबंधी कारणों से हुई। यहां तक कि, आज भी कुछ लोग-संभवत: वे सही भी हो सकते हैं और गलत भी-यह सोचकर हमारे देश के विभिन्न भागों में इस सिद्धांत को अपना रहे हैं कि वे हथियारों के बल पर अधिकार ले लेंगे जो भूमिहीन लोगों को, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को और ऐसे लोगों को मिलने चाहिए जिन्हें समय-समय पर इनसे वंचित रखा गया है।

महोदय, केलकर जी ने इसके लिए एक और मानदंड निर्धारित किया था और वह था अकुशल श्रमिक और ऐसे श्रमिक, जो दासोचित कार्य कर रहे हैं। यहां तक कि इस बात का निर्णय लेने के लिए भौगोलिक कारणों, जैसे दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के संबंध में भी विचार किया गया था कि वह जनसमूह विशेष पिछड़ा है या नहीं। उन्होंने खानाबदोश लोगों और समाज में कम हैसियत वाले लोगों की भी बात की थी। जब हम समाज में निम्न स्तर वाले लोगों की बात करते हैं, तो आज भी 'हरिजनों' में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो 'हरिजनों' के अन्य वर्ग का पानी तक नहीं छूते। मुझे अपने राज्य का एक अजीब मामला पता है। वह अजीब मामला कटक का था जब मैं वहां पुलिस अधीक्षक था। एक होटल वाला एक विशेष हरिजन समुदाय के व्यक्ति को चाय दे रहा था। उसने उस हरिजन को चाय दी और उससे चाय पीने के बाद गिलास को साफ करने के लिए कहा। वह हरिजन नाराज हो गया और उसने उस पर मुकदमा कर दिया। उस होटल वाले को लगभग पांच से दस दिन की जेल हुई। जब वह जमानत पर रिहा हुआ, तो उसे एक शरारत सूझी। उसने निचले तबके के एक हरिजन को किराये पर लिया और उसके द्वारा उस उच्च तबके वाले हरिजन को चाय दी जिसने पहले न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा किया था। उच्च तबके वाले हरिजन ने निम्न तबके वाले हरिजन से चाय लेने से मना कर दिया और इस तरह उच्च तबके वाले हरिजन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई। हालांकि मुकदमा दायर नहीं किया जा सका क्योंकि इस प्रकरण में शामिल दोनों पक्ष ही हरिजन समुदाय के थे। मेरे कहने का आशय यह है कि अब भी मेरे राज्य में इस प्रकार का भेद-भाव बरता जा रहा है।

आप इस बात को समझेंगे कि अनुसूचित जातियों के ऊपरी वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं और इसके निम्न वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों का विशेषाधिकार अथवा सुविधा नहीं मिल रही है। उड़ीसा में, आदिवासियों में भी दिदाई नामक एक विशेष अलग-थलग आदिवासी समुदाय है। बोदां समुदाय के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं लेकिन दिदाई समुदाय के लोग बोदा से भी काफी पिछड़े हुए हैं। ये उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित रहते हैं। ये पूर्णत: पिछड़े हुए हैं। हम आदिवासियों को एक समूह के रूप में ले रहे हैं लेकिन इनमें भी और अधिक पिछड़े हुए और इन अधिक पिछड़ों में भी सुविधाओं से वंचित लोग है।

काका केलकर ने खानाबदोश जाति पर भी विचार किया था। मेरे उड़ीसा राज्य में चरवाहे हैं। उनके पास चरागाह नहीं हैं। चरागाह कम होते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ है। ये सुविधाओं से वंचित हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और इस प्रक्रिया में ये निर्धन हो गए हैं। उनके बारे में कौन सोच रहा है? आप जम्मू जाइए। श्री चौधरी यहां बैठे हैं। वे इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यद्यपि जम्मू के ऊपरी क्षेत्र में गड़रिये अर्थात् बकरवालों के पास सैकड़ों भेड़ें अथवा पर्याप्त संख्या में मवेशी हैं, फिर भी ये सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं। मैं कच्छ में रहा हूं और मैंने वहां ऊंट चराने वालों को देखा है। उनके पास चरागाह नहीं है। यद्यपि उनके पास सैकड़ों ऊंट हैं लेकिन उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण वे अपनी कमाई से गुजारा नहीं कर पाते हैं। इसलिए, काका केलकर द्वारा निर्धारित मानदण्डों पर विचार किया जाना चाहिए।

हमारे विचार से जिन लोगों ने इस्लाम, सिक्ख अथवा ईसाई जैसे धर्म अंगीकार कर लिए हैं, उनकी स्थिति बेहतर हैं मेरे अपने ही राज्य का उदाहरण देता हूं। जो हरिजन मुसलमान अथवा ईसाई बन गए थे वे अभी भी पिछड़े हुए हैं। उनकी पूर्व जीवन पद्धति और उनके कुल आदि के कारण उन्हें मुस्लिम समुदाय अथवा ईसाई समुदाय का भाग नहीं माना जा रहा है। बौद्ध धर्म को अनुयायी मानने वाले जो लोग बाद में मुसलमान बने वे सम्पन्न हैं। वे सम्पन्न हैं क्योंकि वे समाज के भिन्न वर्ग से आए थे। अब भी मुसलमानों, ईसाइयों तथा सिक्खों में पिछड़े वर्ग हैं। उत्तर प्रदेश और केरल में इन पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं।

**सभापति महोदय:** श्री साहू, कृपया संक्षेप में कहिए, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही 10 मिनट का समय ले चुके हैं।

**श्री अनादि साहू:** महोदय, मैं बिल्कुल संक्षेप में बोलूंगा। कृपया मुझे पांच मिनट का समय और दीजिए।

मैं समय की कमी के कारण लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन अथवा क्षेत्रीय पिछड़ेपन के बारे में विस्तार से नहीं कहूंगा। लेकिन मैं शर्मा समिति की 1997 की रिपोर्ट के बारे में निश्चित रूप से उल्लेख करूंगा। शर्मा समिति ने लोगों के पिछड़ेपन को तीन मानदण्डों के आधार पर निर्धारित करने का निर्णय लिया था। शर्मा समिति ने तीन सूचकों का सुझाव दिया था। पहला, समाज में सुविधा वंचन, दूसरा, सामाजिक बुनियादी ढांचा तथा तीसरा मानदण्ड आर्थिक बुनियादी ढांचा था। मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। न संकेतकों के आधार पर उन्होंने इस देश में सौ पिछड़े जिले बताए हैं।

इस सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के कारण उन्होंने समुदाय के पिछड़ेपन पर ही इतना अधिक बल दिया था कि उसे दूर किया जा सकता था।

अब, यदि हम किसी समुदाय अथवा क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के बारे में विचार करें तो पहले यह सुनिश्चित करने हेतु उनकी आर्थिक स्थिति पर विचार करना होगा कि उनका उत्थान किस तरह किया जा सकता है तथा वे किस तरह अपनी आय में निर्वाह कर सकते हैं ताकि उन्हें समाज के विकास कार्य का उचित लाभ मिल सके।

इसलिए, ग्रामीण जनता के पिछड़ेपन की समस्या का समाधान करने हेतु कृषि क्षेत्र में सुधार किया जाना चाहिए। जैसाकि मैंने पहले बताया था कि जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं उन्हें जमीन खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन पर कुछ तो प्रतिबंध होना चाहिए ताकि कम से कम जो लोग खेती करते हैं उनके पास उस क्षेत्र विशेष में भूमि हो।

दूसरा, भूमिहीन अथवा सीमान्त किसानों को राजसहायता की बड़ी राशि दी जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका पिछड़ापन आर्थिक कारण से न हो और वे समाज के अन्य वर्गों के बराबर आने हेतु निरंतर प्रगति कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि अब बिलकुल भी समय नहीं बचा है, इसलिए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**अपराह्न 5.00 बजे**

***श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी** (कन्नानौर): माननीय सभापति महोदय, आज हम ऐसे संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें हमारे देश के सभी पिछड़े गांवों सहित छत्तीसगढ़ के गांवों के लिए भी व्यापक विकास संबंधी नीति का प्रस्ताव किया गया है। यह संकल्प आजकल बहुत प्रासंगिक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी अधिकांश जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। कांग्रेस सरकार तथा वर्तमान राजग सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। हमारी जनता के संदर्भ में मूल सामाजिक परिवर्तन ही इसका समाधान है। गृह विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक वर्ष में ही 500 से अधिक गांवों में जातिगत हिंसा भड़की तथा सौ से अधिक लोग मारे गए। चाहे बिहार, उड़ीसा हो या फिर आंध्र प्रदेश, भूमिहीन गरीब लोग भूमि के स्वामित्व के लिए जागीरदारों से लड़ते हुए मर रहे हैं। हमारे देश में पिछड़ेपन का सर्वप्रथम समाधान, उचित भूमि सुधारों का क्रियान्वयन है। केरल राज्य इस संबंध में सर्वोत्तम उदाहरण है। आज केरल राज्य में इन सभी सामाजिक आर्थिक विकास का आधार भूमि सुधार है जो तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी]

श्री ई.एन.एस. नमबूदिरीपाद द्वारा बहुत पहले 1957 से 1959 के दौरान किए गए थे। पहली बार आम आदमी इन सुधारों के कारण भूमि के टुकड़े का मालिक बना। इसके परिणामस्वरूप राज्य सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में मौजूदा बुलंदियों पर पहुंच पाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा राज्य अन्य राज्यों के आर्थिक और विकास संबंधी सूचकांकों से पिछड़ गया है। विशेषरूप से केरल के उत्तरी भाग में स्थित मालाबार क्षेत्र वास्तव में पिछड़ा हुआ है।

मेरे राज्य के आदिवासी सबसे खराब हालत में रह रहे हैं और अब उन्होंने अपना विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया है। वे अपनी भूमि के अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार जिस तरह से विरोधकर्त्ताओं से व्यवहार कर रही थी वह दुर्भाग्यपूर्ण था तथा गर्भवती महिलाओं और बच्चों सहित सैंकड़ों आदिवासी महिलाएं केरल की जेलों में अभी भी बंद हैं। मैंने यह मुद्दा सम्माननीय सभा के समक्ष उठाया था। एक ज्ञापन के माध्यम से मैं यह बात माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल उराम के ध्यान में भी लाया था और इस तरह इस मामले की जांच के आदेश जारी किए गए थे।

मेरे कहने का अर्थ है कि हमारे देश के अनेक राज्यों के आदिवासी अथवा जनजातियां अभी भी भूमि के स्वामित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। आज समय की मांग है कि हम केवल नीति ही न बनाएं अपितु कार्यक्रमों की व्यापक योजना भी बनाएं।

केरल एक ऐसा राज्य है जिसकी विकास कार्यक्रमों की योजना में सदैव उपेक्षा की गई। इसका स्पष्ट उदाहरण राष्ट्रीय राजमार्ग है जो केरल राज्य से गुजरता है। उचित रखरखाव के अभाव में इसकी हालत खस्ता है। चाहे वह रेलवे अथवा किसी विकास कार्य या फिर गांवों के विद्युतीकरण अथवा कोई अन्य पहलू हो, उत्तरवर्ती केन्द्रीय सरकारों ने केरल की चिंताओं पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए, इस संकल्प का समर्थन करते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश में पिछड़े लोगों तथा पिछड़े क्षेत्रों की सर्वांगीण प्रगति के लिए एक व्यापक पैकेज तथा विकास योजना तैयार करे।

मैं एक बार फिर आशा करता हूं और यह कामना करता हूं कि ऐसा नजरिया मेरे राज्य, विशेषरूप से इसके उत्तरी भागों में प्रगति लाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री अधीर चौधरी** (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): धन्यवाद। मैं, श्री पुन्नूलाल मोहले को बधाई देता हूं कि उन्होंने सामान्यत: हमारे देश और विशेषरूप से छत्तीसगढ़ के पिछड़े लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए नीति बनाने हेतु संकल्प पारित किया है।

**सभापति महोदय:** कृपया समय सीमा का ध्यान रखिए।

**श्री अधीर चौधरी:** मैं कितना समय ले सकता हूं?

**सभापति महोदय:** करीब 10 मिनट।

**श्री अधीर चौधरी:** 'पिछड़ापन' शब्द हमारे देश के दलित लोगों की सदैव याद दिलाता है। हमारे प्रयासों के बावजूद हम अभी भी इस सामाजिक कलंक को नहीं धो पाए हैं और अपने पुराने नजरिये को नहीं बदल पाए हैं।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि:

"कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर–

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश; या

(ख) पूर्णत: या भागत: राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा।"

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने माना है कि देश में भी अस्पृश्यता व्याप्त है नौवीं योजना में सरकार ने तीन-स्तरीय नीति अपनाई है। यह है-सामाजिक अधिकारिता, आर्थिक अधिकारिता तथा सामाजिक न्याय। तथापि, हम जानते हैं कि हमारे प्रयासों के बावजूद हम इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि हम देश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की स्थिति देखें तो नि:संदेह हमें हताशा होगी।

क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या का लगभग आधा भाग अर्थात् 48.37 प्रतिशत अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है तथा जहां तक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सवाल है, उसका 51.14 प्रतिशत अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही आम जनसंख्या का प्रतिशत 35.97 है। तथापि, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमने इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है परन्तु हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। हमें ज्ञात है कि जहां तक अनुसूचित जाति का सवाल है, उन्होने 16.9 प्रतिशत नौकरियां प्राप्त की हैं। यह उनके जनसंख्या अनुपात से अधिक है। जहां तक अनुसूचित जनजाति का सवाल है, उनके मामले में यह प्रतिशत अभी 5.5 प्रतिशत ही है जहां तक सेवारत होने का संबंध है, इस क्षेत्र में उन्हें अभी भी अपने जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप नौकरियां नहीं मिली

हैं। नोट करने योग्य रोचक बात यह है कि रोजगार प्राप्ति के बावजूद निर्णय लेने वाले निकाय में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व नगण्य है।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह को बधाई देता हूं जिन्होंने हाल ही में रणनीति तैयार करने हेतु एक सम्मेलन बुलाया था। मांगों के 21 सूत्री चार्टर के साथ भोपाल घोषणापत्र तैयार किया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति दर्शाती है कि हमारे यहां अप्रत्यक्ष वर्ण-भेद विद्यमान है जिसे पीढ़ीगत व सांस्कृतिक दलित दमनकारी प्रवृत्ति कहा जा सकता है। अभी भी पिछड़े लोगों के विरुद्ध अत्याचार और भेदभाव जारी हैं।

महोदय, हमारी आरक्षण नीति के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है परन्तु अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को अभी भी अपेक्षित स्तर तक सुविधाएं नहीं मिल पा रही। अत:, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के लोगों के बीच सरकारी संसाधनों व पूंजी का न्यायोचित वितरण सुनिश्चित करें। जहां तक अनुसूचित जनजातियों का सवाल है, जल, जमीन और जंगल पर उनका पारंपरिक अधिकार है। यह अधिकार को उन्हें वापस किया जाना चाहिए। ये जनजातीय व्यक्ति जंगलों की कटाई अथवा वन पारिस्थितिकी के विनाश के कारण उस जगह को छोड़ देने अथवा विस्थापित हो जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनके साथ भेदभाव किया जा रहे हैं। महोदय, क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि बड़े बांधों के निर्माण अथवा विभिन्न अन्य विकास परियोजनाओं की वजह से अब तक 50 मिलियन लोग विस्थापित हो चुके हैं। इन विस्थापित लोगों में से 40 प्रतिशत लोग पिछड़े वर्ग के हैं। अतएव, मंत्री जी को एक स्पष्ट रणनीति बनानी चाहिए ताकि इन विस्थापित लोगों का समुचित रूप से पुनर्वास किया जा सके।

महोदय, सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। जहां तक हमारे देश का सवाल है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति आज भी हमारी जाति व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर हैं। वस्तुत:, पारंपरिक हिन्दू जाति प्रथा ने जाति-भेद को वैध बना दिया है। महोदय, भारत में जाति का अभिप्राय वंशानुगत समूहों की श्रेणीगत व्यवस्था है।

महोदय, नौवीं योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 62 लाख छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया गया था। मुझे जानकारी नहीं है-मंत्री महोदय बताएंगे-कि नौवीं योजना की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गयी हैं।

मैं माननीय मंत्री को यह सुझाव देना चाहूंगा कि भारत में 75 आदिम जनजाति समूह हैं जो 15 राज्यों में फैले हैं। वस्तुत: उनके साथ हर जगह बेहद भेदभाव बरता जाता है। बंगाल में भी कुछ जनजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। अतएव, मंत्री महोदय को एक व्यापक रणनीति बनानी चाहिए ताकि हमारे देश की जनजातीय पहचान की रक्षा की जा सके।

महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा आम जनसंख्या के बीच का शिक्षा का फासला पहले की तरह बना हुआ है। उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनके कला, साहित्य, संस्कृति की रक्षा हो सके तथा उनके अवर्णित अतीत को संजोये रखा जा सके। कभी-कभी शिक्षा की विषय वस्तु उन जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक ढांचे के समरूप नहीं होती है।

महोदय, डा. अम्बेडकर के अनुसार:

"मात्र अवसर की समानता पर्याप्त नहीं है। आरक्षण नीति का ईमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परिणाम की समानता होनी चाहिए।"

हमें डरबन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों से यह समाचार मिल रहा है कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाति और वंशक्रम के नाम पर भेदभाव निर्बाध रूप से जारी है।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कवि टैगोर की एक पंक्ति उद्धृत करता हूं:

"इन दी स्प्लेंडर ऑफ अ न्यू सन राइज ऑफ विजडॅम,
लेट दी ब्लाइन्ड गेन साइट
लेट लाइफ कम टू द सोल्स दैट आर डेड।"

*[हिन्दी]*

**श्री पुन्नू लाल मोहले:** सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा प्रस्ताव मात्र पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति तक ही सीमित नहीं है। भारत में सम्पूर्ण आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं, उनके लिए भी है। जिन सदस्यों ने भाषण किया, मुझे उससे ऐसा लगा कि शायद यह पिछड़ी जाति से ही संबंधित है।

**सभापति महोदय:** आपका प्रस्ताव ठीक है कि बैकवर्ड क्लासेज से ही संबंधित नहीं है। जो सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनसे भी है। उसमें एस.सी. और एस.टी. भी आते हैं। उसको रैफर तो कर सकते हैं।

**श्री सुरेश रामराव जाधव** (परभनी): सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री पुन्नू लाल मोहले जी ने जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है, वह पिछड़े हुए लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने से संबंधित है। जैसा कहा भी गया, पिछड़े लोगों की कोई जाति नहीं है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे वे कोई भी हों, उनको पिछड़े कहने से संबंधित यह संकल्प है।

महोदय, हमारे देश को आजादी मिले हुए आज 54 साल हो गए हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हमने कितने लोगों को आर्थिक न्याय दिया, कितने लोगों को सामाजिक न्याय दिया और कितने लोगों को शिक्षा दी? वास्तव में देखा जाए, पेट की जो भूख है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, चाहे वह भूख हिन्दू की हो, मुसलमान की हो, ईसाई की हो, या अनुसूचित जाति व जनजाति की हो, क्योंकि भूख भूख ही होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछड़ापन जात के आधार पर नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जात का हो। सही मायने में जो इकोनोमिकली बैकवर्ड है, सोशियली बैकवर्ड है, जिसको हमने शिक्षा नहीं दी है, उसको पिछड़ा समझना चाहिए और उनके विकास के लिए व्यापक नीति बनानी चाहिए। माननीय सदस्य जो संकल्प लाए हैं, वह खास तौर से छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा देश है, भौगोलिक दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से भी। हमारे देश की जनसंख्या 103 करोड़ के आसपास है। कई जातियों के लोग दूरदराज क्षेत्रों में रहते हैं, गांवों में नहीं रहते हैं, उनकी कोई बस्ती नहीं होती है, वनों में रहते हैं और इस वजह से उनके रहने के लिए व खाने-पीने के लिए प्रबंध नहीं होता है। हमारे देश में पीने का पानी चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। सही मायनों में देखा जो, तो आज की परिस्थितियों में हमने एक ऐसी आर्थिक नीति बनाई है, जिसके द्वारा अमीर आदमी और अमीर होता गया है और गरीब और गरीब होता गया है। आजादी के 54 वर्षों के बाद जो हमने आर्थिक नीति अपनाई, वह मेरी समझ में नहीं आती है। अभी भी हम एपीएल और बीपीएल के आधार पर चल रहे हैं। भविष्य में बीपीएल, एपीएल के बराबर कब आएगा, यह तो केवल ऊपर वाला ही जान सकता है। इसलिए हमें केवल छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए ऐसी नीति बनानी चाहिए और महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक हैं। मराठवाड़ा के आठ जिलों की आबादी दो-ढाई करोड़ के करीब है। हमारे विदर्भ में 11 जिले आते हैं, वहां लोगों के लिए पीने का पानी, शिक्षा का प्रबंध और सड़कें नहीं हैं। उनके लिए स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। दूरदराज के इलाकों में ऐसे लोग रहते हैं, जो खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं। जो छोटे काश्तकार हैं, खेती में मजदूरी करने वाले लोग हैं वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनके पास कोई साधन नहीं होता। हर दिन रोटी के लिए मजदूरी करते हैं। दिन भर मजदूरी करने के बाद जो पैसा मिलता है, उससे वे अपने बच्चों का पेट पालते हैं। वे अपने बच्चों के लिए न कपड़ा, जूते और न ही किताबें दे सकते हैं। अगर वे जरूरी चीजें नहीं दे सकते तो वे शिक्षा अपने बच्चों को कैसे दे सकेंगे। बहुत बड़ी संख्या में हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती, चाहे वे किसी भी जाति के हों। हम कौन सी तरक्की कर रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

महोदय, यह 21वीं सदी है। फ्री इकोनोमी, ग्लोबलाइजेशन और कंप्यूटर का जमाना है। ऐसे में अगर हम बच्चों के लिए शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं। इसके लिए यह जो पुन्नूलाल जी संकल्प लाए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है और स्कूल है तो छत नहीं है। 50-सौ स्कूली बच्चों के पीछे एक टीचर है, ऐसी हमारी शिक्षा की व्यवस्था है। यह जो 21वीं सदी है, उसमें हम कैसे रहेंगे और कैसे आगे तरक्की [illegible]ेंगे, यह सोचने की बात है। महाराष्ट्र में लमानी, भोई, पांगुल, भिल, अंद, गौड़, कोली, महादेव कोली, पारदी और ऐसे तमाम भटकने वाले बहुत से लोग हैं, जो कल यहां और कल वहां है। ये ऐसे भटकने वाले लोग हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उनका हम कैसे विकास करने वाले हैं। उनके लिए कैसे रोटी, शिक्षा आदि के लिए प्रबंध करने वाले हैं। ऐसे भटकने वाले जो लोग हैं, उनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, यह भी सोचने की जरूरत है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा, मैंने अभी अपने भाषण में कहा कि ज्यादा पैसे वाला, और ज्यादा पैसे वाला हो गया तथा ज्यादा गरीब, और ज्यादा गरीब हो गया। ऐसे हमारे काश्तकार लोग हैं, जो खेती में मजदूरी करते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, वे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते। इसलिए इनके बारे में बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है। हमारा 103 करोड़ का देश है, इनमें अगर कुछ मुट्ठीभर लोगों का विकास हुआ तो देश का विकास होगा, ऐसा नहीं है। अगर 103 करोड़ लोगों को सही मायनों में इकोनोमिकली, सोशली और एजुकेशनली न्याय नहीं दिया तो हम कौन सी तरक्की करने जा रहे हैं। कम से कम जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं रोटी-कपड़ा-मकान, वह तो आम आदमी को सुलभ होनी चाहिए-चाहे वह आदमी किसी भी धर्म, जाति का क्यों न हो। इसलिए भारत सरकार को व्यापक छानबीन करके एक कंप्रीहेंसिव बिल लाने की जरूरत है। हमारे मराठवाड़ा और विदर्भ में सड़कें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है। जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार आई तो हमने करीब साढ़े चार

साल तक मराठवाड़ा और विदर्भ के लोगों के लिए पीने का पानी, शिक्षा, सड़कें, स्वास्थ्य-सुविधा देने का प्रयास किया लेकिन अभी तक मराठवाड़ा और विदर्भ का पिछड़ेपन दूर नहीं हुआ है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मराठवाड़ा और विदर्भ की साढ़े पांच करोड़ जनता के लिए भी जैसा माननीय मोहले साहब छत्तीसगढ़ के लिए पैसा मांग रहे हैं और पिछड़े लोगों के चहुंमुखी विकास की नीति बनाने की मांग कर रहे हैं, विकास की नीति बनानी चाहिए। इतनी ही मेरी प्रार्थना है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री के.पी. सिंह देव** (ढेंकानाल): सभापति महोदय, धन्यवाद। सर्वप्रथम, मैं इस विचारोत्तेजक विषय के संबंध में इस संकल्प को न केवल इसे तैयार करने बल्कि पांच वर्षों के भीतर इसके कार्यान्वयन के लिए इसके प्रस्तावक श्री मोहले को बधाई देता हूं। उन्होंने एक समय-सीमा दी है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम इतने वर्षों से विभिन्न बातों पर चर्चा करते आ रहे हैं परन्तु हमने कभी भी अपने लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की। मैं नहीं जानता कि इस संकल्प के बारे में क्या निर्णय लिया जायेगा। मैं नहीं जानता कि क्या इसे लोक सभा के नियम 184 के अंतर्गत लिया जायेगा अथवा राज्य सभा के नियम 170 के अंतर्गत। मुझे विश्वास है कि सरकार इस अवसर पर सहयोग करेगी और माननीय सदस्य के संकल्प को स्वीकार करने की उदारता दिखाएगी। इससे योजना आयोग को सही संदेश जाएगा। मैं इसके लिए सचेष्ट हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस सरकार आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए कुछ करने का इरादा रखती है। परन्तु ऐसा क्यों है कि हम पिछले चौवन वर्षों से ऐसा नहीं कर पाए हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की नहीं है। भले ही वह सरकार किसी की भी हो। चाहे वह कांग्रेस सरकार हो अथवा संयुक्त मोर्चा सरकार अथवा भाजपा सरकार या राजग सरकार इसकी जिम्मेदारी केवल संसद की भी नहीं है। इसके लिए प्रशासन कहीं उपयुक्त स्थिति में है। प्रत्येक प्रश्न जो आप यहां पूछते हैं, चाहे वह जल संसाधन, कृषि, स्वास्थ्य, खेल अथवा पर्यावरण से संबंधित है, ये सभी मामले राज्य सरकारों से संबधित है। फिर भी, हम यहां अपना सिर फोड़ते रहते हैं। यहां रोष व भावावेग की अभिव्यक्ति होती है। हम व्यापक परिवर्तन लाने वाले निकाय होने के बजाय मात्र संकल्प पारित करने वाली संस्था बन कर रह गए हैं।

पिछड़ापन क्या है? इस बारे में बीरबल का उदाहरण दिया जा सकता है कि किसी रेखा को मिटाये बिना उसे छोटा कैसे किया जाए। अपेक्षाकृत एक लम्बी रेखा खींचकर ऐसा किया जा सकता है। इस प्रकार, पहली रेखा सापेक्षिक रूप से छोटी हो जाती है। इस प्रकार से पिछड़ापन क्या है? इस्पात का उत्पादन, विद्युत उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाएं, टेलीफोन, पोत परिवहन, सिंचाई, शिक्षा, पुल, रेल, सड़क आदि जैसे आर्थिक सूचकांक व मानदंड होते हैं। तथापि इन सभी को योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसे बिना किसी उत्तरदायित्व के प्राधिकार प्राप्त हैं। यह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। परन्तु हम, दोनों सदनों के 750 सदस्य प्रत्येक पांच अथवा छः सालों के बाद जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। लोक सभा के सदस्यों के लिए यह समय और भी कम हो जाता है जब सभा समय से पहले ही भंग कर दी जाती है।

इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले माननीय संसद सदस्य, श्री मोहले छत्तीसगढ़ के बारे में बोल रहे थे। इससे मुझे अमर्त्यसेन की पुस्तक, विकासात्मक अर्थशास्त्र की याद आ गई जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्यसेन के अनुसार, विकास और वृद्धि सस्ती और सभी के लिए सुगम होनी चाहिए। वर्तमान में, अनुमान है कि 58 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस बात का खण्डन किया जा रहा है। उनके अनुसार, एक वर्ष में यह घटकर 26 प्रतिशत हो गया है। समझ में नहीं आता किस पर विश्वास किया जाए।

श्री खारबेल स्वाइं और श्री अनादि साहू यहां उपस्थित हैं। वे यह बात जानते हैं हमारे पास हमारे अपने मुख्य मंत्री, श्री नवीन पटनायक के पत्र हैं। उन्होंने कुछ रेल लाइनों के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उड़ीसा में रेल लाइनों में और अधिक निवेश किए जाने चाहिए। आज, मुझे अपने अतारांकित प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। यह बताया गया है कि उड़ीसा सरकार ने और अधिक संसाधनों के आवंटन हेतु रेल मंत्रालय को कोई पत्र नहीं लिखा है। मैं किस पर विश्वास करूं। मैं रेल मंत्री पर विश्वास करूं अथवा अपने मुख्य मंत्री पर? ठीक यही मामला ग्यारहवें वित्त आयोग के संबंध में है। वित्त मंत्री, श्री रामकृष्ण पटनायक ने उड़ीसा के सभी 31 सांसदों को आश्वासन दिया था ...*(व्यवधान)* मैं कुछ मिनटों में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। श्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि ये सभी राज्य इस पर सहमत हैं। वस्तुतः हमें यह पता नहीं कि हम किस पर विश्वास करें तथा किस पर विश्वास न करें।

जब माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे तो मैं हैरान हो रहा था कि आखिर क्या यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अथवा उसी का एक अंश है क्योंकि 1936 एक छत्तीसगढ़ का आधा भाग उड़ीसा का हिस्सा था। जिस प्रकार से सिंध की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, ठीक उसी प्रकार उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल, 1936 को हुई थी। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो

[श्री के.पी. सिंह देव]

की नीति के कारण ऐसा किया गया था। यह एक विरोधाभास है कि प्रचुरता के बावजूद निर्धनता है। हमारे पास 33 प्रतिशत कोयला संसाधन, 90 प्रतिशत बाक्साइट, 90 प्रतिशत क्रोमाइट, लौह-अयस्क, मैगनीज और चूनापत्थर है। तथापि, यहां शायद ही कोई सीमेंट उत्पादक संयंत्र है। देश के सभी इस्पात संयंत्र या तो छत्तीसगढ़ या उड़ीसा अथवा झारखंड में है। ये तीनों राज्य देश के सर्वाधिक निर्धन क्षेत्र हैं। निस्संदेह, पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा, जिसमें वीरभूम और ढालभूम शामिल हैं, भी निर्धन हैं। हम सर्वाधिक निर्धन है।

मैं अपने साथियों को एक बात बताना चाहता हूं। रणजीत राय, जो एक काफी वरिष्ठ संवाददाता थे, द्वारा लिखी एक पुस्तिका है। मेरी जानकारी के अनुसार वे निश्चिततौर पर दूसरी लोक सभा के समय यहां रहे होंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल की पीड़ा के बारे में लिखा था जिसमें उन्होंने सम्पूर्ण बंगाल प्रेसीडेन्सी के बारे में अपनी बात कही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि किस प्रकार से पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत से धन को योजनाबद्ध लूट और स्थानातंरण के माध्यम से दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में लाया गया है। त्रिपुरा, मणिपुर और अन्य स्थान बंगाल प्रेसीडेन्सी के तहत आते थे। हम पिछले 54 सालों में इस स्थिति को सुधार नहीं पाए हैं। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। हम भारत और शेष सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के बीच डिजीटल विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं। परन्तु देश के अंदर ही डिजीटल विभाजन है। देश के अंदर भेदभाव है। संसद में भी भेदभाव है।

महोदय, आपको पता है कि मैं संसद सदस्यों एवं भूतपूर्व संसद सदस्यों संबंधी एक संसदीय समिति से जुड़ा हुआ हूं। भूतपूर्व संसद सदस्यों की संख्या 971 है। इनमें से कुछ बिहार में पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे हैं। जमुना देवी, जो ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य के रूप में हमारे साथ थीं, बिहार की सड़कों पर पत्थर तोड़ रही हैं। एक भूतपूर्व उप मंत्री हैं जो पटना की गलियों में पुरानी किताबें बेच रहे हैं। हम उन्हें पेंशन नहीं दे सकते। परन्तु हम संविधान सभा के सदस्यों को पेंशन दे सकते हैं जिन्होंने सदस्य के रूप में 2 वर्ष, 2 महीना और 14 दिन की अवधि पूरी की। यह व्यवस्था तीन वर्ष, तीन महीने और 19 दिन के लिए है। जहां तक स्वतंत्र भारत के भूतपूर्व सांसदों का सवाल है, उन्हें चार वर्ष और दो कार्यकाल पूरा करना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में एक निर्णय दिया है।

तत्पश्चात्, मैं एक विचित्र बात बताना चाहता हूं। जो कुछ भी समुचित रूप से कार्य कर रहा है उसका निजीकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में 'बाल्को' और 'नाल्को' है। 'बाल्को' को बेच दिया गया। 'नाल्को' प्रतिवर्ष लाभ अर्जित कर रहा है और इसने इस वर्ष 658 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। इसे 'मिनी-रत्न' के रूप में घोषित करने के बजाय इसका विनिवेश किया जा रहा है। इसकी 89 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश किया गया है।

मैं यह मुद्दा नियम 377 के अधीन एवं विभिन्न चर्चाओं के अंतर्गत भी कई बार उठा चुका हूं। अत: हमें फामूलों के प्रति विशेष रुचि है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रस्तावक ने पांच वर्ष में कार्यान्वित की जाने वाली एक नीति तैयार करने के लिए कहा है।

योजना आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसके पास सूत्र, उप-योजनाएं, गाडगिल फार्मूला, संशोधित गाडगिल फार्मूला, मुखर्जी फार्मूला, भारद्वाज फार्मूला, उप-श्रेणी राज्य, उप-घटक, जनजातीय विशेष योजनाएं इत्यादि हैं। ईश्वर जानता है कि के.सी. पंत फार्मूला नवीनतम होगा। आपका पूर्वोत्तर राज्य संबंधी एक विशेष मंत्रालय है जिसके बारे में वित्त आयोग और योजना आयोग में, कोई उल्लेख नहीं किया गया है। किंतु माननीय प्रधान मंत्री का यह विचार है कि पूर्वोत्तर को राज्य के विशेष दर्जे दिए जाने के बावजूद वहां केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यहां तक कि उत्तरांचल को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिस पर और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जब आपका पूर्वोत्तर संबंधी मंत्रालय है तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भागों, आंध्र प्रदेश के एजेंसी क्षेत्रों के भागों, विशाखापत्तनम, विजयानगरम् और श्रीकाकुलम जिलों के संबंध में वैसे ही मंत्रालय के लिए क्यों नहीं बना सकते जो रेल, सड़क, सिंचाई, पेयजल, विद्यालय तथा अस्पताल जैसी सुविधाओं से पूर्णत: वंचित हैं। आज, यदि आप राज्य सरकारों के पास जाए तो हम देखते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है। उड़ीसा भाषा में हम कहते हैं 'नाली सरकार'। जब हम शिक्षकों, चिकित्सकों, दवाईयों, जल, नलकूप बदलने इत्यादि के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। इन सभी क्षेत्रों में विनाश और शोषण का इतिहास रहा है। पहले हमलावरों ने हमारा शोषण किया और उसके बाद भारतीयों ने। आज भी भारतीय हमारा शोषण कर रहे हैं। हम पहले एक-चौथाई राजस्व 'चौथ' दिया करते थे। उसके बाद अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उड़ीसा भारत का अंतिम राज्य था जो 1803 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। आज भी, यह सबसे अधिक पिछड़ा हुआ राज्य है क्योंकि यहां पर कोई निवेश नहीं किया गया और न ही यहां योजना आयोग की कोई योजनाएं एवं सूत्र लागू किए गए अथवा न ही विशेष पैकेज तैयार किए गए हैं जिससे उन्हें सहायता मिलती है।

1999 में उड़ीसा महाचक्रवात से प्रभावित हुआ था। हम उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर सके थे क्योंकि ग्यारहवें वित्त आयोग के पास इसकी कोई परिभाषा नहीं थी, किंतु संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 को संपूर्ण विश्व के लिए 'आपदा वर्ष' घोषित कर दिया। तत्पश्चात् महा ओलावृष्टि, यहां सूखा एवं भयंकर बाढ़ें आईं। जहां तक राज्य को विशेष दर्जा का संबंध है। सभा के दोनों पक्षों के सदस्य इसकी मांग करते आए हैं। दरअसल, पिछले दो चुनावों में एन.डी.ए. के चुनावी घोषणापत्र में भी इसका उल्लेख था। किंतु, हमें यह उत्तर मिला कि चूंकि, उड़ीसा सीमा पर स्थित नहीं है अत: हम इसे विशेष दर्जे वाला राज्य घोषित नहीं कर सकते। कृपया कुछ ऐसे विशेष कार्यक्रमों पर विचार कीजिए जिनके द्वारा आप उड़ीसा में त्वरित विकास और अधिक निवेश कर सकें ताकि यह देश के शेष राज्यों की बराबरी कर सके। उड़ीसा के साथ मैं छत्तीसगढ़, झारखंड और कुछ एजेंसी क्षेत्रों को भी शामिल करूंगा ताकि ये भी आगे आ सके।

संभवत: आपका ऐसा विचार हो सकता है किंतु इसे कार्यान्वित करने के लिए आपको पहल करनी ही होगी। इसके लिए, आपको मानव संसाधन विकास की आवश्यकता है। माननीय मंत्री, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार मंत्री भी हैं। इस संबंध में प्रशासन की कार्यक्षमता लगभग नगण्य है। जब श्री देवगौड़ा ने 1997 में उड़ीसा का दौरा किया था तो उन्होंने पाया कि बोलनगीर में बी.डी.ओ. और कृषि अधिकारी काम पर मौजूद नहीं थे। बोलनगीर के.बी.के. का एक भाग है जिसका एक भाग मेरा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

हमने पाया कि राजीव गांधी से लेकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी ने हमसे कई चीजों का वायदा किया था किंतु उड़ीसा के हमारे मुख्य मंत्री यह लिखते हैं कि वहां अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सभा में उनके इस कथन को उद्धृत किया। अत: कतिपय नीतियों की घोषणा करने मात्र से कुछ नहीं होगा, आपको उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ समय पर कार्यान्वित करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए।

साथ ही, हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, इसलिए लोग इसकी मांग करते हैं। संसद में हम इसे प्रतिबिम्बित करते हैं। मुझे विश्वास है, सरकार का इरादा तो है किंतु योजना आयोग को इस पर विचार करना होगा। अन्यथा, हम यह सोचेंगे कि यह सरकार केवल अपने विभागों और सम्पूर्ण प्रशासन में केवल विनिवेश करने और उसका निजीकरण करने के लिए है।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय:** अभी 7-8 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और मूवर को भी अपना जवाब देना है, मंत्री जी भी बोलेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें।

**श्री खारबेल स्वाईं:** सभापति महोदय, आप मेरा नाम सूची से काट दीजिए।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** मैं आपसे केवल संक्षेप में बोलने का अनुरोध कर रहा हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री खारबेल स्वाईं:** सर, इसके पहले कांग्रेस के सदस्य आधा-आधा घंटा बोले हैं, बाकी सब मैम्बर्स 15-15 मिनट बोलेंगे, आपके उधर बैठने से क्या बी.जे.पी. का नुकसान होगा।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** आप बोलिए किंतु बेहतर होगा यदि आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

**श्री खारबेल स्वाईं** (बालासोर): माननीय सभापति महोदय, श्री पुन्नू लाल मोहले ने एक संकल्प प्रस्तुत किया है जो सरकार से, देश के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के समग्र विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने की अपेक्षा करता है। वे चाहते हैं कि भारत सरकार पांच वर्षों के भीतर इस प्रयोजनार्थ एक व्यापक नीति तैयार करें। उन्होंने यह सिफारिश की कि इसके लिए ऋण प्रदान किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि ऐसे क्षेत्रों को चावल दिया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसे विचार इसलिए दिए क्योंकि आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को ऋण और चावल देकर उनका भाग्य बदला जा सकता है। जैसा कि वे पिछले 54 वर्षों से कहते आए हैं, हमने ऋण और ऐसी अन्य चीजें दी हैं किंतु स्थिति में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है।

महोदय, यदि हम वास्तव में पिछड़े लोगों का भाग्य बदलना चाहते हैं तो हमें उनकी सोच में परिवर्तन लाना होगा। आप पिछड़ेपन का उदाहरण लीजिए। मैं नहीं समझता कि भारत में आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन है। यह पिछड़ापन केवल लोगों की सोच में है। उदाहरण के लिए, सभी जातियों के लोगों में परस्पर होड़ लगी हुई है कि उन्हें पिछड़ा वर्ग या

[श्री खारबेल स्वाइं]

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की सूची में 1000 जातियां थीं तो अब यह संख्या बढ़कर 5,000 तक पहुंच गई है। इसलिए, भारत में पिछड़ेपन की प्रतिस्पर्द्धा है। हर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसे पिछड़ा व्यक्ति घोषित किया जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन स्तर में सुधार नहीं करना चाहता और वह जीवनपर्यन्त पिछड़ा ही बना रहना चाहता है हम उसे कैसे बदल सकते हैं? यदि सरकार वास्तव में इस संबंध में कुछ करना चाहती है तो उसे लोगों की सोच बदलने का प्रयास करना चाहिए। लोगों की सोच यह है कि विकास ऊपर से होना चाहिए। वे सोचते हैं कि सरकार उनके लिए सब कुछ करेगी और समग्र विकास कार्य सरकारी संरक्षण और सरकारी राजसहायता पर निर्भर करेगी। इसलिए, मेरा कहना यह है कि भारत में एक व्यक्ति का विकास अब उसकी आर्थिक स्थिति के सुधार पर निर्भर करता है। यदि हम एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाते हैं तो जल्द ही उसकी सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन हो जाएगा।

महोदय, हमारे देश में हर कोई जाति व्यवस्था की बात करता है। मुझे नहीं पता कि उत्तर भारत में क्या होता है किंतु यदि आप हमारे राज्य, उड़ीसा में आएं तो आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण लोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधायकों व सांसदों के बर्तन धो रहे है। यह सच्चाई है। आप अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजाति के आई.ए.एस. और आई.पी.एस अधिकारियों का उदाहरण ले लीजिए। उनमें से अधिकतर अधिकारियों का विवाह उच्च जातियों एवं ब्राह्मण समुदाय की कन्याओं से हुआ है।

इसलिए, आर्थिक स्थिति में बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए भारत सरकार के पास कोई फार्मूला है। इसका सबसे प्राचीन संस्थापित फार्मूला है-आधारभूत ढांचे में सुधार लाना, अधिक स्कूल खोलना, लोगों को शिक्षित करना, बेहतर सड़कों का निर्माण करना, दिन भर विद्युत की लगातार व अबाधित आपूर्ति करना और दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसा कि विश्व के अन्य देशों ने किया और यदि सरकार ये चार चीजें उपलब्ध करा देती हैं तो हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति स्वयंमेव सुधर जाएगी।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उदाहरण लीजिए। ऋणों के संबंध में इस कार्यक्रम में क्या उल्लेख किया गया है? हर कोई ऋण लेना चाहते हैं ताकि उन्हें वापिस न करना पड़े। यह लोगों की सोच है। इसमें बदलाव की जरूरत है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। प्रत्येक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में यह प्रशिक्षण की तरह ही है। किंतु गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को रोजगार सृजन कार्यक्रम के रूप में नहीं समझना चाहिए। इसे आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में समझना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसे रोजगार सृजन कार्यक्रम के रूप में लिया जाता है।

अब 'ट्राइसेम और दवाकरा (डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए.) का उदाहरण लीजिए। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण महिलाओं और बेरोजगार व्यक्तियों को दिया जाता है। किंतु क्या वे इसे प्रशिक्षण के तौर पर लेते हैं? वे ऐसा सोचते हैं कि उन्हें इससे 600 रुपये अथवा 1000 रुपये प्रतिमाह प्राप्त होगा और उन्हें एक साल के लिए रोजगार भी मिल जाएगा। वस्तुत: वह सीखता नहीं है। वह वहां केवल वेतन प्राप्त करने जाता है। इसलिए, इस प्रशिक्षण से यह वेतन एवं रोजगार की व्यवस्था हटा दी जानी चाहिए।

योजना आयोग द्वारा प्रकाशित 'बेस पेपर' में बताया गया है कि वर्ष 2012 तक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली 80 प्रतिशत लोग केवल 6 या 7 राज्यों बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, व थोड़ा-बहुत राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ही रह जाएंगे। अन्य राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लगभग सभी लोग इस रेखा से ऊपर उठ ,जाएंगे। इसका अर्थ है कि दिल्ली, गोवा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले मात्र 2 प्रतिशत लोग ही होंगे। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो अन्य राज्य भी ऐसा कर सकते हैं बशर्ते उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

आप ऋणों का उदाहरण लीजिए। ऋण केवल अकुशल व्यक्ति को दिया जाता है। वह ऋण लेता है। वह प्रशिक्षण के लिए नहीं जाता। उसे यह भी नहीं पता होता कि उस ऋण को उपयोग में कैसे लाया जाए। उसमें प्रबंधकीय क्षमता नहीं होती है। इसलिए, वह केवल उस ऋण को बर्बाद करता है। ऋण बहुत अधिक हैं। डेयरी उत्पादों जैसे कुछ क्षेत्रों में लाखों लोगों को गाय पालने के लिए धनराशि दी जाती है। हर कोई यह सोचता है कि उसे गाय मिल रही है किंतु दूध बेचा नहीं जाता और वहां ऋण लेने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाती है। इसलिए, सरकार को इसके लिए ऐसे प्रावधान करना चाहिए कि ऋण लेने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। ऋण मंजूर के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। हर किसी के लिए ऋण मंजूर नहीं करना चाहिए।

मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उड़ीसा का के.वी.के. क्षेत्र सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र है। वहां रहने वाले लोग सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए

हैं। जहां बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जा रही है उसे रोका जाना चाहिए। अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि के हस्तांतरण को रोका जाना चाहिए। पनधारा परियोजना प्रबंध में तेजी लाई जानी चाहिए। कृषकों को फसल चक्रण के बारे में सलाह देने के लिए उन क्षेत्रों में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए।

अंततः, माननीय पर्यटन मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं पहले ही उनसे अनुरोध कर चुका हूं। अब भी, मैं यही अनुरोध करूंगा कि उड़ीसा को एक अन्य पर्यटक क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जाए जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की थी, उड़ीसा को पर्यटक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार इसका विकास किया जाना चाहिए। पर्यटन में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं है।

यदि आप उड़ीसा को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करें तो आधारभूत ढांचा सहज ही विकसित हो जाएगा। इससे उड़ीसा का आर्थिक विकास होगा। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली): सभापति महोदय, यह बहुत अहम विषय है। इसलिए इस हेतु समय बढ़ाना चाहिए।

श्री पुन्नू लाल मोहले जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने जो संकल्प दिया है, मैं समझता हूं कि वह बहुत सोच-विचार कर दिया है। इस देश में हजारों वर्षों से यह बीमारी है कि देश में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विषमता है। विषमता ही इस देश की बीमारी का मूल कारण और जड़ है। इस हेतु इन्होंने कहा है कि पांच वर्षों में कार्यक्रम बनाकर सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हैं, उनकी कैसे तरक्की की जाए, इसके लिए नीति बनाई जाए। यह बहुत अच्छा विधेयक है। मैं समझता हूं कि यह तो पास हो जाना चाहिए। इससे तो सरकार को सहमत हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है सरकार यह दावा करेगी कि हम बहुत जनकल्याणकारी कार्यक्रम चला कर इसी आशय को पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए इसे वापस ले लिया जाए। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य इसे वापस भी ले लेंगे।

मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि देश में सबसे बड़ी और प्रमुख बीमारी, विषमता है, गैर-बराबरी है, इसी के चलते हिन्दुस्तान दुनिया के मुल्कों में पीछे है। करोड़ों लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विषमता के शिकार हैं। देश में सामाजिक क्षेत्र में जगह-जगह जाति-पांति, छुआछूत, भेदभाव व्याप्त है। यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, तो एक तरफ बहुत बड़े-बड़े धन्ना सेठ हैं तो दूसरी तरफ बहुत गरीब लोग हैं। उन्हें दो समय छोड़िए एक समय के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। लोग बेरोजगार हैं, तबाह हो रहे हैं। उसी प्रकार से शैक्षणिक दृष्टि से देखिए तो एक तरफ बड़े लोगों के बच्चे हैं जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब के बच्चे हैं जिनके लिए स्कूल ही नहीं है और यदि कहीं स्कूल हैं, तो स्कूल का कमरा नहीं है, कहीं मास्टर नहीं है, कहीं किताब नहीं हैं, यह स्थिति है। इसीलिए माननीय सदस्य श्री पुन्नू लाल मोहले ने कहा है कि सरकार एक पालिसी बनाए और पांच वर्षों में उसे लागू कर तीनों स्तरों की विषमता को दूर करे। यह बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है।

सभापति महोदय, देश में बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। मैं इस बारे में एक बहुत पुरानी बात बताता हूं। एक हज्जाम ठाकुर था और एक राजा था। राजा हज्जाम ठाकुर से पूछता था कि ठाकुर बताइए प्रजा का कैसा हाल है। हज्जाम ठाकुर को कहीं से एक गाय मिल गई थी। वह उसका दूध पीता था और कहीं से उसे पूजा का चावल वगैरह मिल गया, सो वह रोजाना दूध-भात खाता था। रोज खीर पीता था। जब राजा उससे पूछता कि ठाकुर प्रजा का क्या हाल है, तो वह कह देता कि राजा बहुत आराम से प्रजा रह रही है। प्रजा को कोई कष्ट नहीं है। जबकि वस्तुस्थिति यह थी कि प्रजा की हालत बहुत खराब थी। लोग तबाह थे। जब राजा को कुछ लोगों ने प्रजा की हालत बताई, तो वह उनसे कनविंस ही नहीं हुआ क्योंकि वह यह सोचता था कि यह हज्जाम तो रोजाना घर-घर लोगों की दाढ़ी बनाने जाता है, इसे तो असली स्थिति का पता है। हज्जाम सभा को कहता था कि जनता बहुत खुशहाल है। एक सयाने आदमी को असलियत का पता होगा कि वास्तव में जनता की हालत कैसी है। इसलिए राजा और लोगों की बात मानता ही नहीं था। एक सयाना आदमी था। उसे यह मालूम था कि हज्जाम ठाकुर को दान में कहीं से गाय मिल गई है और पूजा के चावल मिल गए हैं इसलिए वह रोज दूध-भात खाता है, खीर पीता है। इसलिए वह समझता है कि देश की जनता हालत अच्छी है। उसने एक उपाय सोचा और एक दिन राजा से कहा कि हुजूर हज्जाम के घर से गाय को मंगवा लीजिए। एक दिन राजा के हुक्म से ऐसा ही हुआ। उसने गाय मंगवा ली। अब तो हज्जाम बहुत दुखी हुआ। उसका दूध-भात बन्द। दूसरे दिन राजा ने फिर हज्जाम से पूछा कि ठाकुर प्रजा का क्या हाल है। हज्जाम ठाकुर ने कहा कि प्रजा बहुत तकलीफ में है। बिना खाने के लोग मर रहे हैं।

महोदय, यही हाल इस सरकार का है। सरकार को लोगों की वास्तविक तकलीफ मालूम ही नहीं है। जिन लोगों ने गरीबी नहीं देखी, उन्हें क्या मालूम कि तकलीफ कैसी होती है और देश के करोड़ों लोगों की कैसी स्थिति है। "जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई' समाज में क्या पीड़ा है, गांव में जाने से ही

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

मालूम पड़ती है। गांव में जाने से ही मालूम पड़ता है कि देश की क्या स्थिति है। लोग भूमिहीन हैं, कहीं किसी ने किसी की जगह में झोंपड़ी बनाई है, तो उसकी झोंपड़ी जला दी जाती है। गरीब की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। उसकी रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं है। एक ही झोंपड़ी में सारे परिवार के लोग रहते हैं। इस तरह की गांव की स्थिति है। इस तरह की स्थिति गांव में है। सभी लोग मेहनत करते हैं, जो उत्पादन का काम करते हैं, वही असली काम करते हैं लेकिन हमारे समाज में एक पुरानी बीमारी है कि जो काम करने वाला है, वह छोटा आदमी है और जो काम नहीं करता है, वह बड़ा आदमी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि धोबी जो सारी दुनिया के कपड़े साफ करता है, वह छोटा आदमी है और जो आदमी कपड़े गंदा करता है, वह बड़ा आदमी है। इसी तरह मेहतर है जो दुनिया की गंदी साफ करता है, वह छोटा है और जो आदमी गंदा करता है, उसे कहा जाता है कि वह बड़ा आदमी है। यह सामाजिक बीमारी बहुत पुरानी है। हमें इस विषमता को दूर करना पड़ेगा।

इस तरह आर्थिक मामले में भी बहुत लोग गरीब हैं। जो मेहनतकश लोग हैं यानी जो सामाजिक क्षेत्र में गरीब हैं, वही आर्थिक रूप से भी गरीब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी दिया है। सोशली इकनोमिकली और एजुकेशनली रूप से बैकवर्ड क्लास में कौन हैं? जो बैकवर्ड क्लास में हैं, वही बैकवर्ड है। अनुसूचित जाति-जनजाति या पिछड़ी जाति के लोग हैं, वही सामाजिक आर्थिक आदि सभी मामलों में पिछड़े हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इस संकल्प को मान लिया जाना चाहिए। अगर सरकार इसका कार्यान्वयन करती है तो इस देश की जो पुरानी बीमारी है, वह ठीक हो जायेगी।

**सभापति महोदय:** रघुवंश जी, इस संकल्प पर जो समय निर्धारित किया गया था, वह लगभग पूरा होने वाला है। यदि सदन की अनुमति हो तो इसका समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाये।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** इसका समय बढ़ाया जाना चाहिए। हमारा कहना है कि जिन जिन लोगों ने इस पर बोलना है, वे सभी बोलें। तब तक के लिए आप इसका समय बढ़ा दीजिए।

**सभापति महोदय:** ठीक है, इस संकल्प के लिए आधा घंटा और बढ़ाया जाता है।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** सभापति जी, यह बहुत अहम विषय है। देश में जो असली बीमारी है, उसका इलाज इसी से निकलेगा। दुनिया के मुल्कों के मुकाबले में हम पीछे हैं। हमारा कहना है कि जो पिछड़े लोग हैं अगर उनका सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से विकास होगा, तो हमारा देश सबसे आगे चला जायेगा। इस देश में करोड़ों लोग अछूत की श्रेणी में आते हैं। जो आदमी सामाजिक विषमता से पीड़ित हैं, गरीब आदमी है, बेरोजगार है, उसका विकास आप कैसे करेंगे? कैसे आप दुनिया में बराबरी करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कैसे हमारा मुल्क मजबूत होगा, इन सबके बारे में सोचना होगा। इसलिए हमारा कहना है कि इस संकल्प को मान लेना चाहिए।

1997 में सरकार ने विचार किया था कि जो लोग सोशली, इकनोमिकली और एजुकेशनली रूप से बैकवर्ड हैं, उनका विकास करना चाहिए। हमारे नीति विषयक संविधान में भी कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जाये, उनको सहूलियत दी जाये। संविधान की मूलधारा का भी यही उद्देश्य है। इसलिए नीति बनाने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। केवल नीति बनाने से ही कुछ नहीं होगा बल्कि उसका कार्यान्वयन भी होना चाहिए। अभी तक जितने भी कार्यान्वयन हुए हैं, उनमें बहुत प्रगति नहीं हुई है। गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रहने वाले हैं, अगर स्टेटवाइज देखा जाये तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है।

अभी छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ। बंटवारे का उद्देश्य यह होता है कि वह क्षेत्र तरक्की करे, विकास करे। उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ तो उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। सरकार भेदभाव की नीति अपनाती है। आपने छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया? वह आदिवासी बाहुल्य एरिया है। उनका राजनीतिक रूप से शोषण होता है। मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश में चार-पांच जिले रह गये हैं जैसे बालाघाट, मंडला आदि। *...(व्यवधान)* हमने इस संबंध में बहस की थी। लगता है कि आपको इसके बारे में याद नहीं है। वहां कई आदिवासी बाहुल्य जिले हैं जो छत्तीसगढ़ में नहीं दिये गये हैं। इसका नाम छत्तीसगढ़ है लेकिन इसमें सिर्फ 24 गढ़ ही हैं। 12 गढ़ कहां गये? 12 गढ़ में वे सब जिले छूट गये। शहडोल, मंडला आदि कई आदिवासी जिले छूट गये हैं। अब भाजपा में बोलने की आजादी नहीं है, यह तो आप जानते हैं। वहां भले आदमी की कद्र नहीं है। सब लोग दब कर रह गये हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल** (बालाघाट): रघुवंश जी, आप तो हमारा भला करें। *...(व्यवधान)*

**श्री थावरचन्द गेहलोत** (शाजापुर): सभापति जी, यह असत्य जानकारी दे रहे हैं। इनको कुछ मालूम नहीं है। जो लोग अलग राज्य चाहते थे, उनको छत्तीसगढ़ राज्य मिल गया और जो लोग अलग राज्य नहीं चाहते थे, वे हमारे साथ हैं। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। इससे उसका कोई संबंध नहीं है। *...(व्यवधान)*

**सायं 6.00 बजे**

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** एरिया वाइज देख लीजिए, कितने माननीय सदस्यों ने लिख कर दिया था, उनके दस्तखत हैं, कितने एम.एल.एज. ने लिख कर दिया था कि किन-किन जिलों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। हमारे पास रिकार्ड है। मैं आपको रिकार्ड दिखा दूंगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ का सवाल उठाया जो उचित है। क्यों भेदभाव हो रहा है? नैशनल डैवलपमैंट काउंसिल अपने मन से तय करती है कि किस जिले को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। वह अपने मन से निर्धारण करती है। क्या स्पैशल स्टेटस कोई कौन्सटीट्यूशनल आर्टिकल है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मामलों में कौन से राज्य पीछे हैं और कौन से राज्य अभी तक विकास से वंचित हैं, उनके विकास के लिए स्पैशल स्टेटस देना चाहिए। बिहार का मामला भी है। यदि उनका प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उसमें बिहार भी पार लग जोगा। बिहार भी सबसे पीछे है। जो राज्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे हैं, वही क्षेत्र भी पीछे है। इसलिए 1997 में सरकार ने बहुत मेहनत करके, आंकड़े जुटा कर फैसला लिया था कि सौ जिलों को पिछड़े जिले माना गया था और उनके विकास के लिए योजना बनी थी कि देश में रीजनल डिस्पैरिटी न हो, कोई क्षेत्र बहुत पीछे न छूट जाए। यदि ऐसा होगा तो वह राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा भारी खतरा है। क्षेत्रीय विषमता, आर्थिक विषमता देश की दुश्मन है, देश के लिए भारी बीमारी है और उसे दूर करने के लिए विशेष इंतजाम होने चाहिए।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जब सरकार जवाब दे तो बताए कि जो सौ जिले चुने गए थे, अधिकारियों और विशेषज्ञों ने बैठ कर सौ जिलों का चयन किया था कि पिछड़े क्षेत्रों की विशेष तरक्की कराई जाएगी, उस स्कीम को क्यों रोक दिया गया है। यदि आप क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करना चाहते हैं तो उस समय सरकार ने जो फैसला लिया था, उस पर गौर कीजिए। कौन सी शक्तियां उस फैसले को रोक रही हैं? जो लोग विकास विरोधी हैं, वही लोग ऐसा काम करते हैं। ...*(व्यवधान)* सरकार का फैसला हो चुका है और वर्तमान सरकार ने उसे रोक दिया है। मैं मांग करना चाहता हूं कि यह संकल्प पारित होना चाहिए, इसका समर्थन होना चाहिए और सरकार को भी इसके कार्यान्वयन के लिए स्कीम बनानी चाहिए। मैं उन सौ जिलों के बारे में स्पैसीपिक उत्तर चाहूंगा कि उनका क्या हुआ। उनको दुश्मनी से क्यों रोक कर रखा हुआ है। ये चाहते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों की तरक्की नहीं हो। इसलिए हम पुनः श्री पुन्नूलाल मोहले को धन्यवाद देते हैं कि वे अच्छा प्रस्ताव लाए हैं। मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि उनको सुबुद्धि आ जाए और वह इस तरह की नीतियों का अनुसरण, कार्यान्वयन लागू करें। ...*(व्यवधान)*

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से धन्यवाद देता हूं।

**चौ. तालिब हुसैन** (जम्मू): माननीय सभापति जी, यह जो करारदात हमारे हाउस के सामने है, यह निहायत ही अहम करारदात है और इस पर बहस के लिए काफी समय चाहिए। इख्तसार से मैं इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमारा कांस्टीट्यूशन इस बात की गारण्टी देता है कि समाज के अन्दर वीकर सैक्शंस और पसमांदा इलाकाजात को खुसूसी इमदाद दी जाये और उनकी तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी इकमादात किये जायें।

*[अनुवाद]*

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल): महोदय, उसमें मेरा नाम भी है।

**सभापति महोदय:** मैंने आपका नाम पुकारा था किंतु आप सभा में उपस्थित नहीं थे।

*[हिन्दी]*

**चौ. तालिब हुसैन:** इसकी गारण्टी हमारा कांस्टीट्शन देता है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब जमीन पर अमल सही ढंग से नहीं होता तो समाजी इंसाफ का जो ख्वाब है या इक्वल अपोर्चुनिटीज देने का जो काम है, वह शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता।

दुनिया में सबसे ज्यादा जो खून इंसान ने बहाया है, वह या तो दीन और धर्म के नाम पर बहाया है या जमीन के नाम पर बहाया है। इस समाज के अन्दर, दुनिया के अन्दर जब तक जमीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तब तक हमारे दूसरे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन यकीनी नहीं बनाया जा सकता। दूसरे रिसोर्सेज की तकसीम भी सही ढंग से नहीं हो सकती। जब तक गैरमसावी निजाम और तर्जों हुकूमत ऐसे काम करता रहेगा, जिसमें तशद्दुद, वायलेंस और समाजी नाइंसाफी जारी रहेगी। मैं चाहता हूं कि हमारी हुकूमत अपने आईन को समझे और उस पर अमलदरामद करे। जब हम अपने ही कांस्टीट्यूशन पर सही ढंग से अमल कर लेंगे तो हमारी सारी समाजी खराबियां और समाजी नाइंसाफियां दूर होकर रह जाएंगी और जो समाजी अदल है, हिन्दुस्तान का इक्वल अपोर्चुनिटीज और इक्वेलिटी का जो ख्वाब है, वह पूरा हो जायेगा। हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर आज समाजी इंसाफ के लिए एक जंग लड़ी जा रही है। यह सच बात है कि माइंडसैट उनसे पूरी तरह हमारे माशेर का तैयार नहीं हुआ है कि हम गालिब और मगलूब के दरम्यान या हैव्ज और हैव नाट्स की जो जंग है, उसको खत्म करने के लिए आमादा हो जाएं। इस फलसफे के लिए किसी शायर ने कहा है कि 'इससे बढ़कर और क्या फिक्रो

[चौधरी तालिब हुसैन]

अमल का इन्कलाब।' बादशाहों की नहीं अल्लाह की है यह जमीन।' जब तक हमारी सोच, हमारे थॉट्स, हमारे इथोज और हमारे कल्चर का रुख नहीं बदलता है, तब तक हम इस दुनिया को नाइंसाफी के शिकंजे में जकड़े रखेंगे और वह तब तक दूर नहीं हो सकता, जब तक कि हमारे फिक्रो अमल का जो इन्कलाब है, वह नहीं आयेगा।

यह जमीन बादशाहों की नहीं, अल्लाह की है। हम जब तक यह नहीं सोचेंगे कि परवरदिगार की, खुदा की, परमात्मा की यह जमीन है और इस पर सब का मसावी तौर पर हक है, जमीन का मतलब रिसोर्सेज से है कि मुल्क के, देश के सारे रिसोर्सेज का अगर इक्वल तौर पर, बल्कि जो पसमांदा रियासतें या जनता हैं, उनको ज्यादा सरमाया नहीं दिया जायेगा और रियासतें जब केन्द्र से ज्यादा सरमाया मांगती हैं और वे अगर अपने क्षेत्रों को नहीं देना चाहती हूं, रीजन्स को नहीं देना चाहती हैं और रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन अगर इलाकाई तौर पर अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो गैरमसावयाना निजाम चलता रहेगा और इससे तशद्दुद और वायलेंस का खतरा भी बढ़ता रहेगा। लेकिन यह खुशकिस्मती है कि हिन्दुस्तान ने जो तर्जे हुकूमत अपनाई, वह जम्हूरी निजामे हुकूमत है और जम्हूरियत का निजामे हुकूमत इस चीज की जमानत देता है कि मुल्क की जितनी भी रियासतें हैं और जराये आमदनी है, उनकी मसावयाना तकसीम हो। अगर हम अपनी दौलत की मसावयाना तकसीम नहीं कर पाते हैं तो यह इनइक्वेलिटी जारी रहेगी और यह जो माशी या जिसको हम समाजी इंसाफ कहते हैं, यह लोगों को नहीं मिल सकेगा। यह हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारा प्रोग्रेसिव आईन है और हमारे नेताओं ने हमें ऐसा कांस्टीट्यूशन दिया है कि अगर उस पर सही तरीके से अमलदरामद हो जाये, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी ब्यूरोक्रेसी आमादा हो जाये कि वह लोगों को इंसाफ दे सके, वह सरमाया बराबर बांटे।

**सायं 6.10 बजे**

**[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]**

बल्कि उन इलाकों की तरफ ज्यादा तवज्जोह दें तो पसमानदा रह गए हैं, उन वर्गों की तरफ ज्यादा तवज्जोह दें जो पसमानदा रह गए हैं। जहां तक मैरिट की बात है, वह इस वजह से नहीं है कि एक आदमी किसी खास वर्ग में पैदा होकर ज्यादा जहीन बन गया, अक्लमंद बन गया, उसको मलाजमती असर आ गया, बल्कि मैरिट जो है वह इक्युल ऑपरच्युनिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। अगर एक अमीर का बच्चा किसी कांवेंट में पढ़कर आई.ए.एस. में दाखिला लेता है, वहां अफसर तक पहुंच जाता है, एक गरीब का बच्चा देहात के स्कूल में पढ़कर कैसे उसका मुकाबला कर सकता है, हमें उसके लिए यह देखना होगा। उसे इक्युल ऑपरच्युनिटी भी देनी होगी। अगर हम माशरे को, देश के उन वर्गों को समान अवसर नहीं दे पाते हैं तो वे पिछड़े रह जाएंगे और हमारा जो कानून है, संविधान या आइन है, उसका जो ख्वाब है, जो आर्किटेक्ट का ख्वाब है, वह अधूरा रह जाएगा। मेरी एवान से पुरजोर गुजारिश है कि हमारे ऐसे इलाके हैं, मिसाल के तौर पर जम्मू और कश्मीर बेहैसियत मजमूई पसमानदा रियासत है। आज वह जिस दौर से गुजर रही है, उस तरफ खसूसी तवज्जोह की जरूरत है। मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर रियासत के अमनपसंद लोग हिन्दुस्तान की डैमोक्रेसी में यकीन रखने वाले रहे हैं। हिन्दुस्तान के आइन में विश्वास रखने वाले लोग हैं और हिन्दुस्तान के संविधान में बराबरी मसावात और अदल में यकीन रखने वाले लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जम्मू और कश्मीर रियासत को रिसोर्सेज की तरफ हिसाब से कोई तवज्जोह नहीं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूं कि रियासत जम्मू और कश्मीर में मौजूद हालात को बेहतर बनाने के लिए यह बात निहायत जरूरी है कि रियासत को ज्यादा से ज्यादा सरमाया दिया जाए, खासकर सोशली सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा फंड दिए जाएं। वहां की बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, न लग सकती है। वहां पर रा मैटिरियल भी नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज वहां हो सकती है तो वह है सरकारी नौकरी। अगर हम इन नौजवानों को नौकरनी नहीं दे पाएंगे, अगर हम वहां के लोगों का सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस डवलप नहीं कर पाएंगे, तो यह प्राब्लम किसी न किसी शक्ल में जारी रहेगी। मेरी आपसे अर्ज है कि केन्द्र की ब्यूरोक्रेसी, जो केन्द्र का प्रशासन है, खासकर जो नेतागण हैं, उनको पिछड़े इलाकों की तरफ, पिछड़ी रियासतों की तरफ और पिछड़ी रियासतों को वहां के पिछड़े इलाकों की तरफ, वहां के प्रशासन को उन वर्गों की तरफ नजर डालनी होगी, अगर ऐसा नहीं होगा, तो हमारा हिन्दुस्तान उस ख्वाब को पूरा नहीं कर सकेगा जो आइन देता है, जो हमारा संविधान देता है और उसके आर्टिकेटस नाहमवार देते हैं।

इन्हीं अल्फाज के साथ, मैं इस रिजोल्यूशन की हिमायत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम अपने संविधान के अनुसार चलेंगे, अपने दिए हुए कानून पर अमल करेंगे और हमारी डैमोक्रेसी को हम फराकदिली के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे जो समाजी इन्साफ को यकीनी बना सकती है।

**श्री धावरचन्द गेहलोत** (शाजापुर): सभापति महोदय, पुन्नूलाल मोहले जी ने संकल्प यहां प्रस्तुत किया है, जो चिंता व्यक्त की है, वह स्वागत योग्य है। वास्तव में देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने और इस देश के भविष्य को संवारने का सपना देखने वाले लोगों ने इस दिशा में गम्भीरता से विचार-विमर्श करने के बाद भारत का संविधान बनाया। संविधान में आर्थिक, शैक्षणिक

और सामाजिक विकास की दृष्टि से अनेक उपबंध किए गए हैं। उन उपबंधों के आधार पर पिछले 54-55 वर्षों से अनेक योजनाएं भी बनी हैं। बहुत अधिक मात्रा में पैसा भी खर्च किया गया है। परंतु उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ है। उस पैसे को व्यवस्थित ढंग से खर्च करके काम करना चाहिए था, वह काम नहीं हुआ है। योजनाओं पर जो अमल करना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। उसी का कारण है कि जो सोच संविधान बनाने वालों ने सोची थी और संविधान में जो उपबंध किए थे, वह आज आपको और हमें सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। संविधान में समता का अधिकार दिया गया है यानि सबको समान कानूनी अधिकार होंगे, लेकिन व्यवहार में वह दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यह भी संविधान में लिखा हुआ है, परन्तु यह सब हो रहा है और पिछले 10-15 सालों में इसमें वृद्धि हुई है। गांधीवादी कांग्रेसी लोग या उनकी सरकारें जब तक थीं अर्थात् 1960 और 1962 से पहले, तब तक संविधान में जो व्यवस्था थी, उस पर अमल करने का ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा से प्रयास हुआ। परन्तु बाद में इन सब वर्गों के नाम पर राजनीति होने लगी। राजनीति होने के कारण जो योजनायें अमल में लाई जानी चाहिए थी, वे नहीं लाई गई। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन अर्थात् नौकरी के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार की बात कही गई है। हम देखते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी नौकरियों में समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। पिछले पांच-सात वर्षों में चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण या अन्यान्य कारणों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व पिछड़े हुए लोगों के लिए नौकरियों में जो रिक्त स्थान पड़े हैं, उनकी भरपाई नहीं हो पा रही है। अनुच्छेद 17 में छूआछुत मिटाने का प्रावधान है। लेकिन आज भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि दलित वर्ग के लोगों के यहां शादी में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर गांव में घूमाने का प्रयास होता है, तो उनको रोका जाता है और इस प्रकार की घटनायें पहली की तुलना में अब बढ़ने लगी हैं। इसी प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार यानि स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, उसको भी विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है और बड़े से बड़े व्यक्ति को भी विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है। परन्तु हम देखते हैं, जो पिछड़ा है उसकी वाणी दब जाती है और जो जोश-खरोश के साथ बोलता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। जो दबा-कुचला है, वह बेचारा चुपचाप सहन कर लेता है। इसी प्रकार धर्म की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है, परन्तु येन-केन प्रकारेण धर्म को भी प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। भारत के संविधान में समान सिविल कानून का भी प्रावधान है, लेकिन यह भी देश में लागू नहीं हुआ। इस कारण से भी वर्ग विशेष में या बहुत बड़े वर्ग में असमानता का वातावरण है। इसी प्रकार अनुच्छेद 45 और 46 में 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की बात कही गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इन बातों पर अमल करने का तेज गति से पूर्व की सरकारें प्रयास कर लेतीं, तो शायद यह देश शत-प्रतिशत साक्षर होता। शत-प्रतिशत साक्षर होने के बाद निश्चित रूप से तेज गति से विकास कर लेता।

हम और आप सभी जानते हैं कि पढ़े-लिखे लोग होंगे, तो विकास तेज गति से करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। परन्तु आज भी हमारे देश में 52 प्रतिशत साक्षरता है। महिलाओं में साक्षरता 16 प्रतिशत है और यह साक्षरता भी वैसी है कि अक्षर पढ़ सकते हैं, जब शब्द पढ़ने की बात आती है, तो अटक-अटक कर पढ़ते हैं। उन शब्दों का अर्थ क्या होता है, वह जानना तो दूर की बात है। इस प्रकार की साक्षरता इस देश में है। आप और हम सभी जानते हैं कि देश की भावी पीढ़ी और बच्चों का भविष्य बनाने में माता का हाथ होता है। मातायें बच्चों की प्रथम गुरु मानी जाती हैं। अगर वे निरक्षर रहेगी और इस प्रतिशत में रहेंगी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश का विकास कैसे हो सकता है। एक नहीं अनेक बातों के प्रावधान होने के बावजूद भी उन पर अमल नहीं किया गया। बजट में ही देखिए, निर्माण और विकास की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें योजनायें स्वीकृत करती हैं, इनका लेखा-जोखा भी आप देख सकते हैं। हिन्दुस्तान में कांच की सड़कें हो जानी चाहिए थीं। हिंदुस्तान में एक भी गांव ऐसा नहीं होना चाहिए था, जहां अस्पताल न होता, वहां सब जगह सुविधा होती। जो भी सुविधाएं हैं, वे सब उपलब्ध होतीं, अगर आज की तारीख में विभागीय बजटों का मूल्यांकन कर लें, परन्तु आप और हम सब जानते हैं कि देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने भी इस पर चिन्ता व्यक्त की थी और कहा था कि केन्द्र सरकार राज्यों को अगर सौ रुपये भेजते हैं या सौ प्रतिशत पैसा भेजती है तो निश्चित स्थान तक जाते-जाते 85 प्रतिशत उसमें से गायब हो जाता है 15 प्रतिशत रह जाता है। इस प्रकार की स्थिति को ठीक करने के लिए कोई दृढ़ संकल्प लेकर काम करने की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, अन्यथा जो नीतियां अभी तक बनी हैं, जो व्यवस्था अभी तक अमल में लाने के लिए लागू की है, वही बनी रही तो मैं सोचता हूं कि यह संकल्प भी कोई महत्व प्रतिपादित नहीं कर सकेगा।

महोदय, मेरे पूर्व अनेक वक्ता ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि समय कम है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने गवर्नर्स

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

की एक कमेटी, शायद महाराष्ट्र के गवर्नर, श्री एलेक्जेंडर साहब की अध्यक्षता में बनाई। शायद सात गवर्नरों की वह कमेटी बनी है। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में कुछ विचार-विमर्श किया और कुछ सिफारिशें भी कीं। अगर उन सिफारिशों को लागू करने का प्रयास केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें कर लें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि हजारों एकड़ जमीन फालतू पड़ी है और उसमें से हजारों एकड़ जमीन कृषि योग्य है। कुछ लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर रखा है, कुछ फालतू पड़ी है और कुछ व्यर्थ में ऐसे ही है। अगर वह जमीन पिछड़े लोगों को दे दी जाए तो कुछ लोगों को काम मिल सकेगा और उनका पिछड़ापन दूर करने में सहायता मिल सकेगी। अगर भूमि आवंटन करने की योजना हो तो भूमि आवंटन करने के साथ-साथ उस भूमि का सुधार करने के लिए भी अगर उन्हें वहां पर एकड़ राशि देने की व्यवस्था कर दी जाए तो कुछ सुधार हो पाएगा, अन्यथा बहुत सारे लोगों को जमीन मिली है, पट्टा लेकर बैठे हैं, तस्वीर जड़ा कर घर में टांग रखी है, परन्तु मौके पर कब्जा किसी अन्य का है या फिर वह उबड़-खाबड़ है या ऐसी स्थिति में है कि उनके पास खेती करने के लिए अन्य उपकरण नहीं है और वह उस खेती का उपयोग नहीं कर पा रहा है, इस कारण से उसका उपयोग नहीं होता है तो इस दृष्टि से भी सुधार होना चाहिए।

महोदय, आज हमें एक बहुत बड़ी बात यह दिखाई देती है कि सरकारी नौकरियां कहीं मिल नहीं पा रही हैं। केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, आज कम्प्युटराइज का, आधुनिक युग है। पहले जो काम हाथ से होता था, वह अब उपकरणों के माध्यम से होने लग गया। लोगों को संख्यात्मक मजदूरी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में रोजगार कम होता जा रहा है। इसे बढ़ाने की दृष्टि से निजी क्षेत्रों में, 1990-91 से निजीकरण की भी बहुत बात चल रही है। निजी क्षेत्रों में भी दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उन्हें भी आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी जाएगी तो कुछ सुधार होगा। फिर एक योजना और बननी चाहिए कि हर हाथ को काम मिले, इसके लिए कोई योजना बने। हर खेत को पानी मिले, ऐसी व्यवस्था भी हो जाये।

महोदय, मैं ज्यादा लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश की प्रारम्भिक व्यवस्था कृषि प्रधान होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। औद्योगिक क्षेत्र को बनाया गया, परन्तु औद्योगिक दृष्टि से भी हमने पूर्णरूपेण विकास नहीं किया। आज भी औद्योगिक क्षेत्र में जो सामान पैदा होते हैं, वे विदेशों की तुलना में हमारे यहां जैसे चाहिए, वैसे नहीं होते हैं। कुल मिलाकर हम न औद्योगिक दृष्टि से सफल हुए और न कृषि की व्यवस्था के अंतर्गत हमने कोई ऐसे काम किए, जिससे इस देश में तेज गति से विकास करने की ओर अग्रसर हो जाते और सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों का उत्थान कर सकते। आज मैं यह कह सकता हूं कि लगभग 35 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के आस-पास हैं। अब सरकार ने एक मापदंड बना दिया कि जो हजार रुपए महीना कमाएगा वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, परन्तु हजार रुपए बहुत कम हैं। आज की तारीख में उसे कम से कम ढाई-3000 रुपए मासिक मिलने चाहिए, अगर उसके दो बच्चे हैं और पत्नी है। परन्तु वह नहीं है और ऐसी स्थिति लगभग 35 परसेंट है। इस देश में 33 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के आस-पास जीवनयापन करते हैं और दस-बीस परसेंट ऐसे लोग हैं जो एक दिन का नेट-प्रौफिट 500 करोड़ और 1000 करोड़ कमा लेते हैं। अमीरी और गरीबी का आनुपातिक अंतर आजादी के समय अधिक नहीं था लेकिन यह आनुपातिक अंतर आज बहुत हो गया है। इसको दूर करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। माननीय पुन्नू लाल मोहले जी का जो संकल्प है उसका मैं भावात्मक समर्थन करता हूं और सरकार की ओर से आग्रह करता हूं कि वह इस दिशा में कोई सक्रिय प्रयास करे ताकि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों का उत्थान किया जा सके।

**सभापति महोदय:** सभा की सहमति हो तो आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए। अभी पांच वक्ता और मंत्री जी का बयान बाकी हैं। सभी की सहमति से आधे घंटे का समय बढ़ाया जाता है। श्री सुबोध राय।

**श्री सुबोध राय** (भागलपुर): सभापति जी, श्री पुन्नू लाल मोहले जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे देश की जो सबसे ज्वलंत वास्तविकता है और सबसे बड़ी समस्या भी है, उसकी ओर सरकार का और सारे सदन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। कोई भी सरकार जो सचमुच में इस समस्या के प्रति संवेदनशील होगी, वह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध होगी तथा इसे बिना माने और बिना सहमति जाहिर किये नहीं रह सकती है।

महोदय, सभी जानते हैं कि हमारा देश आज जिस स्थिति से गुजर रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य की समस्या का इसमें जिस तरह से उल्लेख किया गया है, उससे प्रश्न उठता है कि आखिर यह समस्या क्यों पैदा हुई है? आजादी के बाद से केन्द्र और राज्य में जो भी सरकारें रही हैं जिन्होंने बड़े-बड़े भूस्वामियों और पूंजीपतियों के पक्ष में, देशी-विदेशी रजवाड़ों के दबाव में काम करने का प्रयास किया है, उसका नतीजा यही है कि आज भी हमारे देश में जो पिछड़े थे वह पिछड़े रह गये और जो ऊंचे थे उनमें से

भी बहुत से लोग पिछड़े होने की स्थिति में आ रहे हैं। पूंजीवादी विकास का यह नियम है कि बड़ी संख्या में लगातार हर साल लोग शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े होते रहे हैं। जो लोग सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं उनकी स्थिति बदतर होती रही है। इसलिए जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए लोग थे उन्हें दोहरे शोषण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। सामाजिक शोषण के साथ-साथ उन्हें आर्थिक शोषण का भी शिकार होना पड़ रहा है। जिस तरह से शिक्षा का व्यापारीकरण बढ़ रहा है और शिक्षा जिस तरह से महंगी होती जा रही है उससे जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं।

**सभापति महोदय:** आपका भाषण अगले समय पर जारी रहेगा। अब समय खत्म हो गया है। मंत्री जी का जवाब भी उसी दिन होगा। अब सभा सोमवार 13 मई, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**सायं 6.28 बजे**

*तत्पश्चात्, लोक सभा सोमवार, 13 मई, 2002/23 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

# लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

## शुक्रवार,10 मई, 2002/ 20 वैशाख,1924 (शक)

## का

## शुद्धि-पत्र

| कॉलम | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़िए |
|---|---|---|---|
| 59 | 8 | श्री मनसुखभाई डी. बसावा | श्री मनसुखभाई डी. वसावा |
| 75 | नीचे से 7 | भारतीय औद्योगिक विनिवेश बैंक लिमिटेड | भारत औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड |
| 252 | 7 | भारी और लोक उद्यम मंत्री | भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री |
| 315 | 1 | श्री चन्द्रभान सिंह | श्री चन्द्रनाथ सिंह |

पी.एल.एस.–48.25.35/2002 ( एन० )
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।